खण्ड-302, अंक-6
गुरूवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1894
(15 मार्च, 1973 ई0)

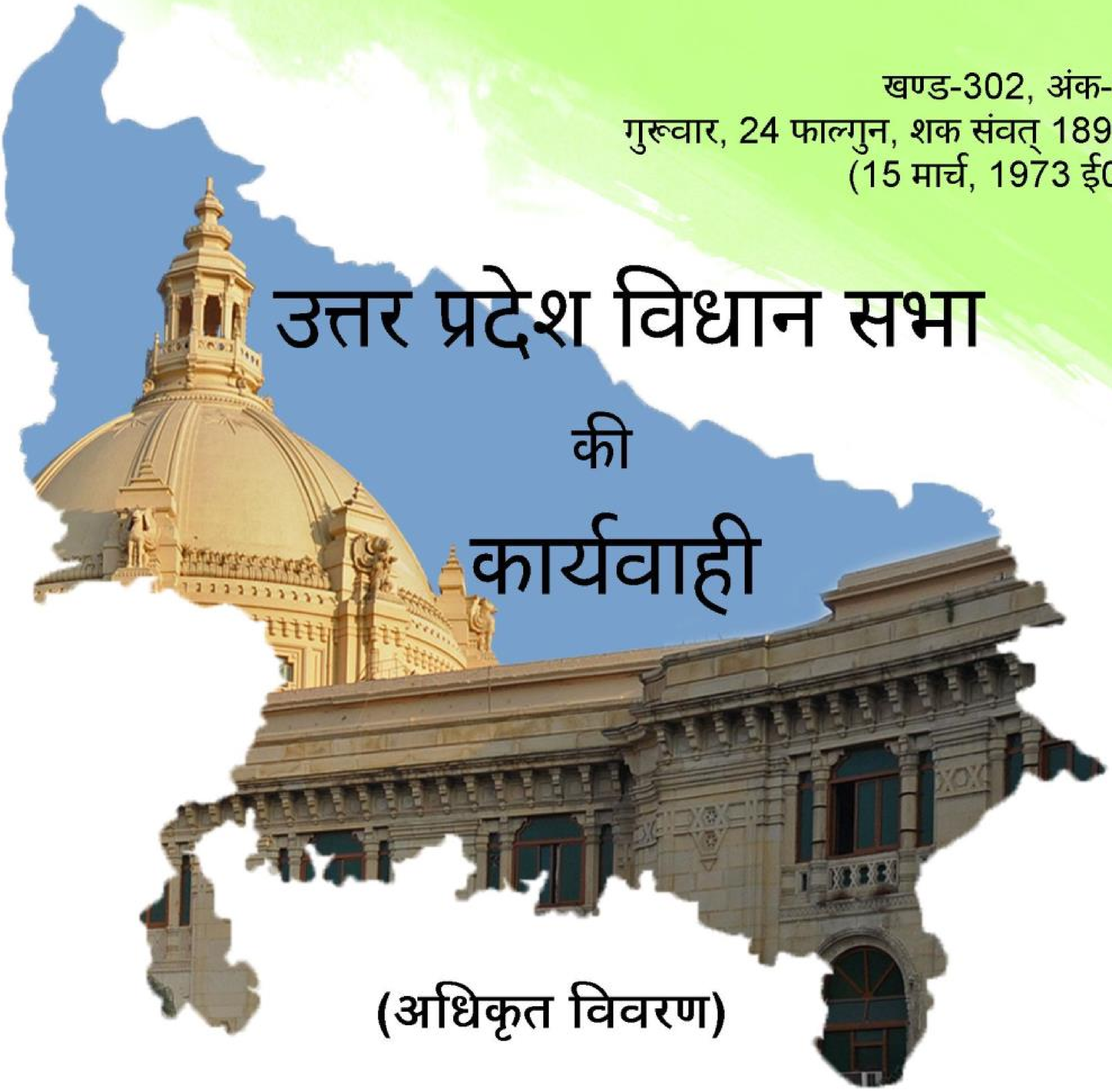

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 302 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 15 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—373

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री

गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितन्द्रपाल सिंह, श्री
ज० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री

बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा' श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुबीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री

राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पांडेय, श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रमलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबे, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बा ट)
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री

सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट—सामुदायिक विकास मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तमदास टंडन भी उपस्थित थ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार 15 मार्च, 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

राशन की दुकानों पर गेहूं का अभाव

*1—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक शहर में गेहूं राशन कार्ड पर 25-1-73 से मिलना बिलकुल बन्द हो गया है? यदि हां, तो सरकार ने इस गम्भीर विषम परिस्थिति से निबटने हेतु और गरीब व निम्न वर्ग के कर्मचारियों को राहत देने हेतु तत्काल क्या प्रबन्ध किया?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)—

यह सही नहीं है कि इस प्रदेश के प्रत्येक शहर में गेहूं राशन कार्ड पर 25-1-73 से मिलना बिलकुल बन्द हो गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने बड़ा ही तकुल्लफी का उत्तर दिया कि प्रत्येक शहर में सही नहीं है, कुछ शहरों में सही हैं। किन शहरों में सही है वह बता दें।

श्री बेनी सिंह—

हमारे हिसाब से हर शहर में मिलता रहा है। जिस शहर में बन्द हो गया है उसको बता दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या खाद्य मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर जांच करवाएंगे कि देहरादून शहर के अन्दर राशन की दुकानों पर गेहूं, आटा, चीनी पूरी मात्रा में नहीं मिल रही हैं और लोग लाइन लगाए खड़े रहते हैं। किसी को राशन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है और जो मिलता है वह भी गन्दा मिलता है। क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

इसकी जांच हमने पहले ही करा दी है। हर डी० एस० ओ० और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दे दिए हैं कि वे हर दुकान पर जाकर देखें कि सब चीजें उपलब्ध हैं या नहीं। अगर कहीं पर कोई शिकायत है तो हम उसकी जांच करा देंगे।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

एक दिन पहले भी मैंने कहा था कि मेरठ के डी० एस० ओ० राशन की दुकानों को कतई नहीं देख रहे हैं। लोगों को पूरी मात्रा में खाने का सामान नहीं मिल रहा है और पैसे ज्यादा लिये जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी मेरठ के संबंध में किसी बड़े अफसर से जांच करायेंगे कि उनके आदेश का पालन हो रहा है या नहीं ?

श्री बेनी सिंह—

सम्भव हो सकता है कि मेरठ में ऐसा हो इसलिए कि मेरठ के डी० एस० ओ० का हाल ही में तबादला हुआ है। अगर वे मुझे बता देंगे तो मैं उसकी जांच करवा दूंगा और जिससे वे कहेंगे उससे जांच करवायेंगे, लेकिन स्पेसिफिक चीज मिलनी चाहिए, जनरल के ऊपर जांच करवाना सम्भव नहीं है।

श्री बलबीर सिंह—

मुझे इसमें एतराज है कि अगर मैं लिख कर दूं तो वे जांच करवायेंगे। लिखने वाले तो यहां काफी बैठते हैं।

श्री अध्यक्ष—

सबके प्रश्न तो वे नोट नहीं कर रहे हैं।

श्री बलबीर सिंह—

यहां पर सब कार्यवाही नोट होती है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

बदायूं नगर की राशन की दुकानों पर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। मैंने 11 मार्च को सब दुकानों पर जाकर घूमा था। केवल 15 दिन का आटा था। आटा भी पर्याप्त नहीं था और चीनी तो थी ही नहीं।

श्री बेनी सिंह—

इसकी जांच करवायेंगे। जब आप गये होंगे तो सम्भव है गेहूं न हो, मगर चावल होगा, आटा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वहां कुछ भी न हो। मैं इसकी जांच करवाऊंगा और फिर प्रबन्ध करूंगा।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मैं माननीय मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं कि फैजाबाद जिले में जलालपुर और अकबरपुर टाउन एरियाज में 6 नवम्बर से राशन की दुकानों पर गेहूं नहीं मिल रहा है। क्या मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर जांच करायेंगे कि इन दोनों टाउन एरियाज में गेहूं न मिलने का क्या कारण है ?

श्री बेनी सिंह—

जरूर जांच कराऊंगा। आपका प्रश्न लम्बा हो गया है। क्या यह जलालपुर के लिये बात है ?

श्री अध्यक्ष—

श्री सुरेन्द्र विक्रम अपना दूसरा पूरक प्रश्न कर लें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

बरेली शहर में बिल्कुल गेहूं नहीं है। आटा दिया गया। उसमें कीड़े निकले हैं इसलिये लोगों ने लेने से इन्कार कर दिया है। क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

मेरे पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष—

सूचना तो वह दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

वह मान नहीं रहे हैं।

श्री बेनी सिंह—

आप शाहजहांपुर की बात कर रहे थे, अब बरेली की कर रहे हैं, इसलिये मैं दोहरा रहा हूं।

श्री राम गोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैंने एक विज्ञप्ति पढ़ी है। इसके अनुसार होली से पहले प्रदेश के सभी नागरिकों को गेहूं, सूजी और मैदा व चीनी मिल जावेगी, तो मैं मंत्री जी को सूचना दे रहा हूं कि इलाहाबाद शहर की सस्ते गल्ले की दूकानों पर जब तक मैं वहां से 11 तारीख को चला था बिल्कुल गेहूं नहीं आया था। अधिकांश दुकानों पर सड़ा हुआ आटा था। तो क्या मंत्री जी इलाहाबाद के डी० एस० ओ० से सम्पर्क करके जांच करायेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

मैं रोज लोगों से पूछ रहा हूं कि माल पहुंचा या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि इलाहाबाद की किसी दुकान पर गल्ला नहीं है, दो चार में ऐसा हो सकता है। इसी पर जनरलाइज कर लिया गया है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

बदायूं में किसी दुकान पर गेहूं नहीं था। मैंने वहां की सभी 18 दुकानों पर जाकर देखा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

व्यवस्था का प्रश्न है। प्रदेश में त्राहि-त्राहि मची हुई है और इनको लखनऊ में बैठे सूचना मिल जाती है कि गेहूं मिल रहा है और उसी को सही मान लेते हैं। कर्मचारियों को सुबह से लेकर 12 बजे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—

जब इतने लोग कह रहे हैं, आप की पार्टी के लोग भी कह रहे हैं और इधर के भी कह रहे हैं, तो ऐसी हालत में परिस्थिति खराब जरूर होगी। तो सभी जगह यह जांच करा ली जाय तो अच्छा होगा। लोगों को गल्ला रोज चाहिये तो अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो तकलीफ होती है।

श्री बेनी सिंह—

मैं आपकी सूचना के लिये कह दूं। अगर कोई बिल्कुल न सुने तो क्या करूं? आप तशरीफ रखें। जो आप फरमा रहे हैं श्रीमन्, रोज पूछता हूं। टेलीग्राम से पूछता हूं, आर्डर्स जा रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप जनरलाइज करें, आप लिखकर दे दें, मैं फिर कोशिश करूंगा और आज फिर आदश देकर रिपोर्ट मंगवाऊंगा...

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने एक आदेश दिया माननीय मंत्री जी को कि दोबारा जांच करा लेंगे। जब आदेश दे दिया तो मंत्री जी क्यों नहीं करा रहे हैं ?

श्री बेनी सिंह—

वह तो कहता हूं कि जांच करा दूंगा·····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं उनको कायल कर देता हूं, यहीं के लोगों से पूछता हूं।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

बावजूद इसके कि मंत्री जी का स्टेटमेंट प्रदेश के प्रमुख-प्रमुख अंग्रेजी या हिन्दी समाचार-पत्रों में निकल चुका है कि अगर व्यवस्था में कहीं पर गड़बड़ी होती है तो उसके प्रति जागरूक हूं और सप्लाई आफिसर्स से जवाब तलब करूंगा, आज इतने सवाल हुए तो विनम्रता से पूछूंगा कि आपके बयान होने पर भी, हुक्म रोज-बरोज जाने पर भी कहीं पर कड़ी कमजोर है, तो इतने जागरूक हैं तिस पर भी यह दिक्कतें हमारे सामने क्यों आती हैं ?

श्री बेनी सिंह—

हमारे आदेश जा रहे हैं और जहां तक सम्भव है हम सुविधा भी देते हैं। कड़ी कहां कमजोर है, मैं नहीं बता सकता कि कहां पर है। अगर शास्त्री जी कुछ बता सकें तो उसको वल्ड करने के लिए तयार हूं···· (व्यवधान) आदश दिया है सभी जगह। रेडियो ग्राम से रिपोर्ट मंगवाता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप अपने अफसरों को जिले-जिले में भेजेंगे, यह कह दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

आदेश तो आपके हैं, कार्यान्वित भी होते हैं या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या मंत्री जी को, शासन को और उसके सचिवालय को पता है कि देश में और प्रदेश में खाद्यान्न की कमी है जो जिलों के लिए कोटा निर्धारित है वह नहीं पहुंच पा रहा है ? जैसे बाराबंकी में 307 टन की रिक्वायरमेंट है और जनवरी में केवल 50 टन मिला और फरवरी के चौथे सप्ताह में 10 टन मिला, क्या यह जानकारी आपको है या नहीं है ?

श्री बेनी सिंह—

श्रीमन्, अन्न की कमी है, जितना हम पर यूनिट देना चाहते हैं उतना हमको सेंटर से नहीं मिलता।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

तो इस्तीफा दे दीजिये अगर नहीं दे पाते हैं। (शोर)

(व्यवधान)

श्री बेनी सिंह—

जब रिजाइन करने की आवश्यकता महसूस करूंगा आप खड़े नहीं होने पायेंगे और मैं रिजाइन कर दूंगा। आप क्यों इतनी जल्दी करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इस विषय पर जितने प्रश्न हो रहे हैं उनमें सब से ज्यादा रेलेवेन्ट मैंने सवाल पूछा। उसका जवाब आने दें।

श्री बेनी सिंह—

मैं जवाब तो दे रहा था। ठीक है कमी है और इसलिये कमी है कि जो गेहूं का हमारे यहां स्टाक है वह जहां ज्यादा मुश्किलें हैं उनको भी देना पड़ता है। मैं कल कह चुका हूं कि हमारे प्रदेश में अपने खाने भर को अन्न है लेकिन जब हम दूसरे प्रदेशों का ख्याल रखते हैं तो उसमें कटौती करनी पड़ती है। हमारी इन्फार्मल राशनिंग है, टोटल राशनिंग नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आपने जितना गेहूं, आटा, सूजी, वगैरह देने को कहा है उतना तो मिलना चाहिये।

श्री बेनी सिंह—

हो सकता है कहीं पहुंचने में देर हो गयी हो। ऐसा तो नहीं है कि एकदम बंट जाय। ऐसा नहीं होना चाहिये कि मैं एक दुकान में पहुंचा और वहां गल्ला नहीं मिला तो कहने लगूं कि सारे शहर में गल्ला नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये मैंने आपको सुझाव दिया था...

(व्यवधान)

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी को इत्मिनान है कि लखनऊ में भी हर दुकान को सब चीजें जिस मात्रा में मिलनी चाहियें मिल रही हैं ?

श्री बेनी सिंह—

लखनऊ में कुछ शिकायतें आई हैं। मैंने डी० एस० ओ०, आर० एफ० सी० और दो, तीन अफसरों को भेजा कि आप सब दुकानों को विजिट कर आइये।

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

यह बहुत गम्भीर विषय है और मंत्री जी बार-बार कहते हैं कि मैं टेलीग्राम भेजता रहता हूं, डी० एस० ओ० को भेजता हूं, जांच कराता हूं। कहीं गड़बड़ी नहीं है। लेकिन पूरे सदन की भावना को आपने समझ लिया है और आपने उनसे कहा भी है लेकिन उस पर यह अमल करने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह तैयार हैं।

श्री बेनी सिंह—

यह गलत बयानी न करें। मैंने कह दिया कि मैं करूंगा।

श्री रामबिलास पांडेय—

क्या मंत्री जी पूरे सदन की भावना को देखते हुये कि आपके डी० एस० ओ० सही रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, आप या आपके राज्य मंत्री होली के पहले किसी जिले में जाकर राशन की दुकानों पर क्या स्थिति है इसकी जांच करने की कृपा करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

फैजाबाद जिले में मार्च के महीने में किसी दुकान पर गेहूं नहीं गया । माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मेरे पास डी० एम०, डी० एस० ओ० सूचना देते हैं । हर जिले में खाद्य परामर्शदात्री समिति है जिसके विधान मंडल के दोनों तरफ के सदस्य मेम्बर हैं । तो क्या उनकी रिपोर्ट मंगवा कर मंत्री जी सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

मार्च की बात और आज कह रहे हैं । मैंने आदेश दिये कि खाद्य समिति की बैठक हर 15 दिन में हो। हमारे सदस्यगण यहां रहते हैं। उनकी मीटिंग होती है शनिवार या इतवार को। कोई पहुंच पाता है कोई नही पहुंच पाता है । लेकिन मैं फिर करूंगा कि खाद्य समितियों की मीटिंग बुलायें और उनकी राय मेरे पास भेजें ।

श्री जगन्नाथ खन्ना—

क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह आश्वासन देंगे कि मार्च के महीने में जिला अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों के लिये कितने गल्ले की मांग की है उसकी पूर्ति वे शीघ्र कर देंगे ताकि प्रदेश में अन्न की कमी न रह जाए ?

श्री बेनी सिंह—

हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अन्न दे सकें और वह प्रयास अब भी रहेगा। वर्तमान परिस्थितियों में जितना ज्यादा से ज्यादा हम दे सकते हैं देंगे।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी के पास डी० एस० ओ० के विरुद्ध भी बहुत सी शिकायतें आयी हैं और क्या यह सही है कि कुछ के ट्रांसफर भी लिये गये, किन्तु जब उन लोगों ने यहां आकर यहां की परिक्रमा की तो उनका ट्रांसफर रोक दिया गया ? उदाहरण के लिये एक माननीय सदस्य रामलाल भाई ने गोरखपुर के डी० एस० ओ० के विरुद्ध काफी शिकायतें लिख कर दीं (व्यवधान) किन्तु वहां के डी० एस० ओ० का ट्रांसफर रोक दिया गया ?

श्री बेनी सिंह—

किसी खास केस के बारे में यदि लिखकर दिया जायेगा तो बता सकूंगा । इस प्रश्न से तो इसका सम्बन्ध है नहीं और न ही मुझे हर डी० एस ओ० के बारे में इस समय कोई जानकारी है।

(व्यवधान)

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री जी ऐसे लोगों को जिनकी आमदनी केवल 2 रुपया रोज है, उनको भरपूर राशन दिलाने की व्यवस्था करेंगे ताकि वे जी सकें ?

श्री बेनी सिंह—

यह कहना बड़ा मुश्किल होगा। पहले यह आंकड़े रखना होंगे और तय करना होगा कि किसकी आमदनी 2 रुपये है, किसकी ज्यादा है ।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या आपके पास यह जानकारी है कि पूरे प्रदेश भर में विधायकों के कितने रिश्तेदार एवं नातेदार लोग इस खाद्यान्न के कोटे परमिट में शरीक हैं ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को पुकारा नहीं गया ।)

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

जैसा कि अभी माननीय खन्ना जी ने बताया कि जिले के हर जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी-अपनी रिक्वायरमेंट्स भेजी है, वह आपके यहां होंगी। आपने यह भी कहा कि केन्द्र से पूरा गल्ला आपको नहीं मिल रहा है। तो जरूरत का जितना भी प्रतिशत आप उनको दे सकें उतने ही प्रतिशत राशन कार्ड में भी हर मास सप्लाई करने की पालिसी निर्धारित करने की कोशिश करेंगे ?

श्री बेनी सिंह—

कटौती हर माह तो होती नहीं है। उनसे हम बात कर लेंगे, हो सकेगा तो स्वीकार कर लेंगे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिस अनुपात में गल्ला देने की व्यवस्था उन्होंने की है, उस अनुपात में वास्तव में गल्ला वितरित नहीं हो रहा है। बलिया जिले में भी गल्ला नहीं है और वहां खाद्य समिति की बैठक में अधिकारियों ने कहा था कि आटे के लिए ट्रक भेज दिया गया है। तो वास्तविकता यह है कि आपके अधिकारी आपको गुमराह करते हैं और हाउस को फिर आप गुमराह करने की चेष्टा करते हैं। अनाज के बिना त्राहि-त्राहि मची है? तो क्या आप अपने अधिकारियों के खिलाफ कड़ी जांच करायेंगे?

श्री बेनी सिंह—

अवश्य जांच करवायेंगे, यदि देखेंगे कहीं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

जब से गवर्नमेंट आफ इंडिया से कोटा कम हो गया है, तब से हर जिले के प्रत्येक मास जो कोटा निर्धारित हुआ है, वह उसी तरह से सप्लाई हुआ है या नहीं?

श्री बेनी सिंह—

इसके लिये सूचना एकत्र करनी पड़ेगी।

श्री सईद मुर्तजा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि मुजफ्फरनगर की दुकानों पर गेहूं नहीं मिल रहा है, जबकि वहां स्टाक में पारसाल से गेहूं मौजूद है?

श्री बेनी सिंह—

पहले मैं यह तो जानूं कि नहीं मिल रहा है, फिर इस पर बताऊं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इसमें मैं नियम 49 में चर्चा की मांग कर रहा हूं?

श्री अध्यक्ष—

तो लिखकर भेज दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह आपके पास हस्ताक्षर होकर आ रहा है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि पहले राशन कार्ड पर 6 किलो गेहूं मिलता था, जबकि अब एक किलो भी नहीं मिल रहा है, तो मंत्री जी ने इस विषय में क्या आदेश दिये हैं?

श्री बेनी सिंह—

अनौपचारिक राशनिंग व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार ने गेहूं की राशन की मात्रा घटा कर (व्यवधान) . . . 2 किलो गेहूं प्रति यूनिट, प्रति माह जनवरी मास से कर दिया है . . .

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

पहले क्या थी?

श्री बेनी सिंह—

एक जमाना था जब मैंने कहा था कि एक कार्ड पर चाहे जितना कोई गेहूं ले जाए जब दिक्कत आई तो 6 किलो पर आया।

श्री रामगोपाल सण्ड—

आज के जमाने की बात पूछी जा रही है?

श्री बेनी सिंह—

सवाल किया था कि पहले क्या था।

औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भारत सरकार का आशय-पत्र

**2—श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या यह सही है कि भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिये उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन, कानपुर को 11 औद्योगिक परियोजनाओं का आशय-पत्र जिसकी लागत अरबों रुपये की है सन् 1971 व 1972 वर्ष में दिया है तथा क्या यह सही है उनमें से एक केवल परियोजना में प्रगति हो सकी है तथा शेष परियोजनायें स्थगित या समाप्त कर दी गई हैं ? यदि हां, तो वह कौन-कौन सी परियोजनायें हैं तथा किन कारणों से ऐसा हो रहा है तथा कौन जिम्मेदार है ?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

जी नहीं । भारत सरकार ने उ० प्र० राज्य औद्योगिक निगम को वर्ष 1971 तथा 1972 में जिन 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये आशय-पत्र जारी किये हैं उनका विवरण संलग्नक में दिया हुआ है । इसके अतिरिक्त वर्ष 1962 में भारत सरकार ने उक्त निगम को डेड बर्नट मैगनेसाइट के उत्पादन के लिये एक नई इकाई की स्थापना के लिये आशय-पत्र दिया था । इस इकाई की स्थापना की दिशा में अधिकांश कार्यवाही पूर्ण हो गई है और शीघ्र ही अल्मोड़ा में काफलीगढ़ नामक स्थान पर नया कारखाना चालू हो जायेगा । जहां तक अन्य इकाइयों का सम्बन्ध है, सभी को स्थापना की दिशा में समुचित प्रयास किये जा रहे हैं । किसी प्रायोजना का कार्यान्वियन स्थगित या समाप्त नहीं किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 776 पर ।)

श्री विश्वनाथ कपूर—

राज्य औद्योगिक निगम के अध्यक्ष श्री राजेश्वर प्रसाद इंडस्ट्रीज विभाग के सेक्रेटरी भी हैं उन्होंने स्वयं कहा था 23 तारीख को कि स्कूटर की योजना जो 24 हजार की थी उसे स्थगित कर दिया गया है तो यह बयान ठीक है या जो मंत्री जी ने अभी दिया है वह ठीक है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

मिनिस्टर मैं हूं । जो मैं कहता हूं वह सही है, सेक्रेटरी का बयान सही नहीं है ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

मैं मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं । वह बिलकुल गलत कह रहे हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था का सवाल है । आप कभी-कभी इस आसन से निर्देश देते हैं कि जो सदन में सूचना विभागीय अधिकारियों द्वारा आती है उसमें अगर कुछ त्रुटि रह जाती है तो मंत्री डायरेक्टली जिम्मेदार नहीं होगा । आपने कई बार यह व्यवस्था दी है । आज मंत्री जी कहते हैं कि मंत्री मैं हूं और उनके सेक्रेटरी की बात सही नहीं है, मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिये । आज उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि इस सदन में मंत्री जिम्मेदार होता है और इसीलिये आज उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कह भी दिया जहां मामला खिलाफ पड़ रहा था कि वह इसके लिये जिम्मेदार हैं । तो मेरा भी पहले यही कहना था जो आज मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं । लिहाजा किसी मामले में मंत्री ही हेंगे किया जायगा क्योंकि वह उसके लिये जिम्मेदार है और अधिकारी पर बात नहीं आयेगी ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

इंडस्ट्रीज विभाग के सेक्रेटरी तथा राज्य उद्योग इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के अध्यक्ष ने 23 फरवरी को पब्लिक अंडरटेकिंग के सामन साक्ष्य दिया था उसे मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं जो इस प्रकार है "स्कूटर बनाने का 24,000 का लक्ष्य था । हमने जब बड़ी फर्म्स को कान्टेक्ट किया

तो उन्होंने कहा कि 50 हजार का यूनिट ठीक-ठीक है। उन्होंने यह राय दी। फिर कोशिश की कि 24 हजार का और दिला दें तब कम्बाइन करके लगायें लेकिन गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मंजूर नहीं किया क्योंकि वे एक लाख स्कूटर बनाने का ए0 टी0 आई० फर्म के कालोबरेशन से अमौसी के पास एक प्लान्ट लगा रहे हैं, जिस पर कान्सट्रक्शन्स भी प्रारंभ हो गया है। तो सोचा गया कि जब एक लाख का यूनिट अमौसी में लग रहा है तो 24 हजार के लिये यूनिट लगाना अनएकोनामिक होगा। हमने इस संबंध में भारतीय सरकार को लिखा कि 24 हार स्कूटर बनाने के लिये हमें टेक्निकल एड दे दी जाय लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया है। इसलिये इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया और फिलहाल इसे स्थगित कर दिया है।" मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो बयान वह दे रहे हैं विधान सभा के सामने उसे ठीक माना जाय या उसे जो उनके सेक्रेटरी ने 23 फरवरी को पब्लिक अंडरटेकिंग के सामने दिया? तो आप यह बतायें कि इन दोनों बातों में कौन सी बात सही है?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

मान्यवर, उन्होंने 23 फरवरी को जो भी बयान दिया है वह है ही लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि यह बात सही है कि स्कूटर इंडिया लिमिटेड ने यह कहा था कि 50 हजार से कम का कारखाना प्राफिटेबुल नहीं होगा। हमारे और उनके बीच कारखाना स्थापित होने वाला है। हमने उनसे यह कहा कि जब आपको 1 लाख की परमिशन मिली हुई है तो उसी में हमारे इस 24 हजार को भी जोड़ लें। हम और आप उसे मिलकर कर लेंगे और उसे चलायेंगे। अभी भी हमारा विचार यही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने जो उत्तर दिया है और संबंधित विभाग के सचिव का जो उत्तर पढ़ा गया है उसमें कुछ विरोधाभास है। वह इसलिये है कि आपने उत्तर में कहा है कि वह समाप्त नहीं किया गया। इसका मतलब है कि वह अभी जारी है? तो क्या माननीय मंत्री जी सचिव से जानकारी करके सही उत्तर सदन को देंगे ताकि इस महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर विचार हो सके?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, यह उत्तर अपने स्थान पर सही है। मैं उसे फिर से दुहरा दूं यह कार्यान्वियन के प्रौसेस में है।

श्री बंशीधर पांडेय--

यह एक कारपोरेट बाडी है। इसका चेयरमैन सेक्रेटरी होता है। मंत्री जी का डाइरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस पर नहीं होता है। इसलिये मंत्री जी का जो उत्तर है वह कोई महत्व नहीं रखता है।

श्री यादवेन्द्र सिंह--

सदन में मंत्री से पूछा गया है तो जवाब भी मंत्री ही देगा।

श्री बंशीधर पांडेय--

आप तो पोस्ट बाक्स की तरह सूचना को कम्युनिकेट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

इसकी मंत्री जी कारपोरेशन से जांच करा लें कि यह उत्तर कैसे दिया गया है और फिर उसकी सूचना सदन को दें।

श्री यादवेन्द्र सिंह--

श्रीमन्, मैं आपकी सूचनार्थ यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय में जांच करवाई गई है और मैं बड़ी मजबूती से कह रहा हूं कि यह मामला स्थगित नहीं किया गया है। वैसे यदि आपके आदेश हों तो मैं पुनः दिखवा लूंगा।

श्री विश्वनाथ कपूर---

मान्यवर, क्या आपने प्रश्न स्थगित कर दिया है या हम सवाल और पूछ लें ?

श्री अध्यक्ष---

पूछिये ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम ने जो माइल्ड स्टील बिलेट, स्कूटर, मुद्रण मशीनरी, सेफ्टीरेजर, बल्ब तथा फ्लोरेसेन्ट लैम्प्स, ग्रैफाइट इलेक्ट्रोड्स, नाइलोन फ्लोमेंट यार्न लाइट कमर्शियल व्हीकिल्स, राईटिंग, प्रिंटिंग एवं रैपिंग पेपर तथा रिफ्रैक्ट्रीज की परियोजनाओं के लिये आशय-पत्र प्राप्त कर लिये हैं उनमें से 10वीं आइटम के बारे में पूछ रहा हूं कि उसके बारे में क्या प्रगति हुई, यह कब तक लग जायेगी और इसे कौन लगा रहा है ? इसे बतायें ।

श्री यादवेन्द्र सिंह---

श्रीमन्, भारत सरकार ने 1 लाख टन प्रतिवर्ष राईटिंग, प्रिंटिंग एवं रैपिंग पेपर के लिये आशय पत्र 29-11-72 को स्वीकार किया है और हमने भारत सरकार को उसमें कुछ संशोधन करने हेतु लिखा है जिनको उनसे पुनः निर्धारित किया गया है। केमिकल पल्प-30 हजार टन, डिसाल्विंग ग्रेड पल्प 20 हजार टन, राईटिंग प्रिंटिंग एवं रैपिंग पेपर 30 हजार टन, स्पेशलिटी पल्प 10 हजार टन । यह लिखा गया है कि इसमें संशोधन करके भेज दें । जब वह आ जायेगा तब जगह का निश्चय कर लिया जायेगा और आपको सूचना दे दी जायेगी ।

श्री विश्वनाथ कपूर---

10 योजनायें जो भारत सरकार ने 71-72 में एक अरब रुपये की स्वीकार की है उनमें से कितनी योजनायें 6 महीने के अन्दर चालू हो जायंगीं ?

श्री अध्यक्ष---

इसका तो उत्तर आ गया है ।

श्री यादवेन्द्र सिंह---

6 महीने के अन्दर कितनी योजनायें चालू हो जायेंगीं यह बिना आवश्यक सूचना के बतलाना सम्भव नहीं है लेकिन प्रयास यह है कि जितनी भी योजनायें है वे जल्द से जल्द कार्यान्वित हो जांय ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो 10 इण्डस्ट्रीज और हैं उनको अब तक दो साल तक न चलाने में सरकार को क्या कठिनाई रही ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

कठिनाइयां बहुत सारी थीं । जब आप उसे वक्त देंगे तो एक-एक को मैं गिना दूंगा । उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री जगन्नाथ खन्ना---

जिन 10 योजनाओं के संबंध में आपको केन्द्रीय सरकार से आशय-पत्र प्राप्त हुये हैं, वे योजनायें प्रदेश के किस-किस स्थान पर और कब से प्रारम्भ होने वाली हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

प्रिंटिंग मशीनरी उन्नाव में लगने वाली है, बल्ब तथा फ्लोरेंस लैम्प्स उद्योग, इसके लिये स्थान कुछ-कुछ तय हो गया है । एक तो बुलन्दशहर में लगने वाला है । मिनी स्टील प्लांट बलिया में लगने वाला है, स्कूटर फैक्ट्री लखनऊ में लगने वाली है, उस सम्बन्ध में बातचीत चल

रही है। शेफ्टी रेजर उद्योग लगाने के लिये अभी स्थान तय नहीं हुआ है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स उद्योग मोदी इंटरप्राइज में लगाना तय किया है। इसके लिये स्थान अभी तय नहीं हो पाया है।

श्री बलवीर सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन योजनाओं के शुरू करने में जो देर हुई है, क्या उसका कारण सरकार की अपनी ढील है या कुछ और भी कारण हैं ? यदि हैं, तो वे क्या हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

सरकार को कुछ कायदेकानून बना कर ही हर चीज करनी पड़ती है। वैधानिक रास्ते से चलने में थोड़ी देर हो जाती है, आप तो स्वयं सरकार के सदस्य रह चुके हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

बलिया में जो छोटा इस्पात कारखाना लगने वाला है, उसका स्थान फेफना के आस-पास कहीं तय हो चुका है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

उसका स्थान जिला बलिया तय हो चुका है।

श्री विश्वनाथ कपूर---

य 10 परियोजनायें जो आपने दी है कि संयुक्त क्षेत्र में लगेंगी, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस-किस के कालेबोरेशन में कौन-कौन योजनायें संयुक्त क्षेत्र में लगाने को तय हो चुकी हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

मैं अभी पढ़ कर सुनाता हूं कि कौन-कौन सी योजना किस-किस के साथ कालेबोरेशन में तय हो चुकी है---

1---प्रिंटिंग मशीनरी---यह इकाई मेसर्स जाब प्रेस, कानपुर के सहयोग से जिला उन्नाव में लगेगी, 2---जी0 एल0 एस0 लैम्प---यह औद्योगिक इकाई सिलवानियां ऐंड लक्ष्मन के सहयोग से जिला बुलन्दशहर में लगायी जा रही है। 3---स्टील बिलेट---यह औद्योगिक इकाई मेसर्स रेनबो स्टील लि0, मुजफ्फरनगर के सहयोग से बलिया में लगेगी। निगम को 24,000 स्कूटर्स प्रति वर्ष उत्पादन हेतु आशय-पत्र प्राप्त हुआ है परन्तु संयुक्त क्षेत्र में लगाने हेतु अभी कोई प्रगति नहीं हो सकी है। भारत सरकार द्वारा लखनऊ में सार्वजनिक क्षेत्र में मेसर्स स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के नाम से एक लाख स्कूटर प्रति वर्ष के उत्पादन की एक इकाई लगाई जा रही है। इसकी बातचीत चल रही है। जब फाइनेलाइज्ड हो जायेगी तब यह लगेगी।

4---सेफ्टी रेजर लैड्स---इस इकाई को संयुक्त क्षेत्र में मेसर्स सैंट्रोन इंडस्ट्रियल एलायन्स के साथ परामर्श यू0 के0 के तकनीकी सहयोग से लगाने की बातचीत चल रही है।

5---ग्रेफाइट इलेक्ट्रारोडस को मोदी इंटरप्राइज के साथ लगाना प्रस्तावित है भारत सरकार को इस इकाई के संबंध में एफ0 आई0 बी0 की सहमति हेतु प्रार्थना-पत्र भेजा गया है।

6---नाइलोन फिलामेंट यार्न की इकाई 2100 टन प्रति वर्ष नाइलान फिलामेंट यार्न बनाने के लिये स्वीकृत है। इसके लिये बातचीत चल रही है। इसका कोलोबोरेशन तय नहीं हुआ है।

लाइट कामर्शियल व्हीकिल्स, यह इकाई 15000 लाइट कमर्शियल व्हीकिल्स प्रति वर्ष बनाने के लिये स्वीकृत है। इसका अभी निश्चित नहीं हो पाया है।

रिफैक्टरीज, यह इकाई 50 हजार टन रिफैक्टरीज बनाने के लिये स्वीकृत है। इसके कोलेबोरेशन की बातचीत चल रही है।

इटिंग, प्रिंटिंग व रैपिंग पेपर, भारत सरकार ने एक लाख टन प्रति वर्ष राइटिंग, प्रिंटिंग व रैपिंग पेपर के उत्पादन के लिये एक इकाई की स्थापना का आशय पत्र 29-11-72 को स्वीकृत किया है। इसमें कुछ चेंज करना था। जब प्रारूप आ जायेगा तब कोलोबरेशन तय होगा।।

(श्री विश्वनाथ कपूर के बुलाये जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय मंत्री जी इनको गोरखपुर में क्यों नहीं लगवा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---

मैंने श्री विश्वनाथ कपूर को बुलाया है।

श्री यादवेन्द्र सिंह---

मान्यवर, मैं पहले माननीय सदस्यों को संतुष्ट कर लूं इसके बाद अपने घर की बात सोचूंगा।

श्री विश्वनाथ कपूर---

श्रीमन्, पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है इसलिये जिन इंडस्ट्रीज का कोलोबोरेशन तय नहीं है क्या उनको पिछड़े जिलों में लगाने पर विचार करेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह---

श्रीमन्, अवश्य विचार होगा। यह अच्छी बात है। मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि जिन जिलों को दस प्रतिशत सब्सीडी देने के लिये शामिल किया गया है उनमें बस्ती, बलिया और फैजाबाद शामिल हैं।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ कपूर---

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। सब्सीडी वाली बात मैं नहीं पूछ रहा था बल्कि मैं तो जानना चाहता था कि पूर्वांचल में इनको लगाने के प्रश्न पर वे विचार करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

पूर्वी जिले ही क्यों बदायूं तो सबसे ज्यादा सब चीजों में पिछड़ा हुआ है। पूर्वी पूर्वी ही कैसे चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आपस में आप लोग न लड़िये।

(व्यवधान)

राज्य कर्मचारियों का सामूहिक आकस्मिक अवकाश

**3---श्री राम गोपाल सण्ड श्री नित्या नन्द नस्वामी---

क्या सरकार को ज्ञात है कि गत 21 तथा 22 फरवरी, 1973 को राज्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदेश भर में दो दिनों का आकस्मिक (सी० एल०) अवकाश लिया था ? यदि हां तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या थी? उन्हें कब तक सरकार पूरा करेगी ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)---

गत 20 तथा 21 फरवरी, 1973 को प्रदेश में कतिपय राज्य कर्मचारियों द्वारा दो दिनों का सामूहिक आकस्मिक अवकाश लिया गया। कर्मचारियों की मुख्य मांगें अनुसूची में उल्लिखित हैं।

शासन कर्मचारियों की सभी उचित मांगों को अपनी सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुये यथा-सम्भव पूर्ण करने के लिये सदैव तत्पर है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 777–778 पर)

श्री रामगोपाल सण्ड---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से 2, 3 स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कर्मचारियों की दूसरी मांग यह थी कि ढाई यूनिट की इकाई एक परिवार की न मानकर 3 यूनिट मानी जाय और दूसरी यह कि 3 वर्ष तक जितने कर्मचारियों ने सेवा कर ली है, उनको चरित्रपंजिका के आधार पर स्थाई कर दिया जाय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति बढ़ा दी जाय, तो शासन ने इस विषय में क्या निर्णय लिये हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, इनकी 12, 13 मांगे हैं सब, उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा है। अब इस पर आश्वासन देना कि सभी मांगे मान लेंगे, यह सम्भव नहीं। विचार हो रहा है उनकी मांगों पर।

श्री रामगोपाल सण्ड---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि दो दिन आकस्मिक अवकाश जिन कर्मचारियों ने लिया था उनका दो दिन का वेतन काट लिया जायेगा, ऐसे आदेश आपने प्रसारित किये थे। तो क्या शासन इस आदेश को वापस लेने पर विचार कर रहा है? अगर विचार कर रहा है, तो कब तक वापस ले लेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मान्यवर, शासन की ओर से जो आज्ञा प्रसारित हुई है, अगर आपके आदेश हों, तो पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष---

आप उसका सारांश बता दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह---

उसका सारांश यह है कि बिना छुट्टी स्वीकृत हुये जो कर्मचारी अवाकाश पर गये हैं, उनको छुट्टी दे दी जावे। बस इतना है।

श्री राम गोपाल सण्ड---

मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि लगभग 2–3 लाख कमचारियों ने अवकाश लिया था, जिनमें बोर्ड के, गवर्नमेंट प्रेस के और अनेकों कार्यालयों के कर्मचारी थे, दो के अवकाश पर। उनका वेतन काट लिया है। प्रदेश की सद्भावना प्राप्त करने के लिये वेतन आयोग की रिपोर्ट अब आ गयी है। इन्होंने जो दो दिन का वेतन काटा ह, उसको कन्डोन करने की कृपा करेंग, मंत्री जी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह---

उनको छुट्टी दे दी गयी है। इससे अधिक और क्या कर सकते हैं और क्या कन्डोन करेंगे ?

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मान्यवर, अभी मंत्रीजी ने कहा कि एकदम से जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं कर्मचारियों की मांगों के विषय में। तो श्रीमन्, नारारणदत्त तिवारी जी यहा बैठे हैं। वे ही इस बात को स्पष्ट कर दें। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीन महत्वपूर्ण मांगें हैं। मिसाल के तौर पर, जो तीन साल काम कर चुके हैं, उन को स्थायी कर दिया जाय : नये वेतन आयोग के बाद उनकी तनख्वाह में कुछ बढोतरी हो, जो उन्होंने अवकाश लिया है, उनकी सर्विसेज में कोई ब्रेक न हो। नारायण दत्त तिवारी जी बैठे हैं, मान्यवर आप उनसे उत्तर दिला दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं तो मुख्य मंत्री को कहूंगा, इसमें।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

लेकिन कैबिनेट की तो ज्वाइन्ट रिसपांसिबिलिटी होती है।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन मै उनसे कैसे कह सकता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मैंने प्रार्थना इसलिये की है क्योंकि श्री तिवारी जी इसका जवाब दे दें, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी प्रश्नों का पूरा जवाब नहीं दे सके.....

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मने तो उत्तर दे दिया जो बिला छुट्टी लिये सामूहिक अवकाश पर गये हैं, हमने उनको इतनी रियायत कर दी कि उनको छुट्टी दे दी जाय।

श्री राम गोपाल सण्ड--

मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इन्होंने यह गलत बयान दिया है। इन्होंने छुट्टी नहीं दी है। लाखों कर्मचारियों का वेतन काट लिया गया है। मैं मंत्री जी की स्पष्ट घोषणा चाहता हूं कि क्या उन्हें छुट्टी दे दी जावेगी? सभी कर्मचारियों ने छुट्टी का प्रार्थनापत्र दिया है। लेकिन आपने यह शर्त लगा दी है कि पहले वे छुट्टी लेकर जायं, जिसके कारण तमाम कर्मचारियों के वेतन काट लिये गये हैं, उनकी सर्विसेज ब्रेक हो गयीं हैं। आप यहां स्पष्ट घोषणा कर दें कि छुट्टी दे दी जावेगी उनको क्या उनको छुट्टी दे दी गई?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

सभी कर्मचारियों ने जिन्होंने एप्लाई किया है दो दिन का अवकाश मान लिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपके हुकुम की तामील नहीं होती और वेतन काट लिया जाता है तो क्या आप उसे ठीक करेंगे?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

अगर उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया ही नहीं होगा, तो कैसे हो सकता है। अगर उन्होंने एप्लाई किया है तो जरूर मान लिया जायगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

माननीय मंत्री जी ने जो संलग्न सूची के विषय में यह कहा है कि मैं पूर्ण रूप से नहीं बता सकता, तो आप इसे स्थगित कर दे या नियम 41 में स्वीकार लें क्योंकि इनकी 10 मांगें ह और वह इस स्थिति में नहीं है कि उत्तर दे सकें और जो उत्तर आया है उससे आप भी संतुष्ट नहीं हुये होंगे।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने यह जवाब तो दे दिया है कि इस पर विचार हो रहा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

इन्हें पूरी जानकारी तो नहीं है इसलिये आप कृपा करके इसको स्थगित कर दें या नियम 49 में कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

इन्होंने जवाब दे दिया है ।

श्री राम गोपाल सण्ड---

क्या रोडवेज कर्मचारियों के, जिन्होंने हड़ताल की थी और जो निकाल दिये गये थे, बहाली के आर्डर्स हो गये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

जिलापूर्ति अधिकारी पडरौना (देवरिया) द्वारा दिया गया कथित गलत लाइसेन्स

** 4---कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---

क्या यह सही है कि देवरिया जिले के जिला पूर्ति अधिकारी ने पडरौना नगर तथा जिले में अनेक सस्ते गल्ले की दुकानों का गलत ढंग से पिछले कुछ मासों में लाइसेंस दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें नौकरी से निकाल दिया ? यदि हां, तो सरकार उन लाइसेन्सों को तुरन्त समाप्त करके सही प्रकार से पुनः लाइसेन्स अन्य लोगों को दे रही है ? यदि नहीं. तो क्यों ?

श्री बेनी सिंह---

जी नहीं ।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

चीनी मिल मजदूर यूनियन, शामली (मुजफ्फरनगर) का मांग-पत्र

*1---श्री चन्द्र भानु शर्मा, (जिला मुजफ्फर नगर) (अनुपस्थित), श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ) तथा श्री सईद मुर्तजा---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1972 के आखिरी सप्ताह में चीनी मिल मजदूर यूनियन शामली (मुजफ्फर नगर) की ओर से मजदूरों के बारे में एक मांग-पत्र मिला है जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर दिनांक 12 जनवरी, 1973 तक यह मांगें मंजूर नहीं की गयीं तो यूनियन सीधी कार्यवाही (डायरेक्ट एक्शन) के लिये बाध्य होगी ? यदि हां, तो सरकार से इस संकट को रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री सोहनलाल धुसिया)---

जी हां ।

प्रादेशिक संराधन अधिकारी, मेरठ ने दोनों पक्षों से बात किया जिसके फलस्वरूप उनके समक्ष 15-1-1973 को एक समझौता सम्पन्न हो गया ।

श्री सईद मुर्तजा---

मेहरबानी करके क्या यह बतायेंगे कि क्या समझौता हुआ है ?

श्री सोहन लाल धूसिया---

उस समझौते की तो लम्बी-लम्बी फेहरिस्त है लेकिन उसमें दो बातें खास हैं। एक समझौते के अनुसार तो उनकी तनख्वाहें बढ़ गईं और दूसरे के अनुसार जब कोई मजदूर रिटायर हो तो उसके स्थान पर उसके घर का कोई वारिस रखा जाय।

श्री सच्चिदानन्द---

माननीय मंत्रीजी क्या यह बतायेंगे कि उस समझौते में क्या यूनियन की सभी मांगें मान ली गईं ?

श्री सोहन लाल धूसिया---

यूनियन के रिप्रेजेन्टेटिव और मजदूरों के रिप्रेजेन्टेटिव उस समझौते में थे और उन सब लोगों ने समझौते पर दस्तखत किये हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि जो समझौता हुआ है उसमें कोई तिथि निर्धारित है कि उस तिथि से लागू किया जायेगा ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री सोहन लाल धूसिया---

यह समझौता 15 तारीख को हुआ था और 10 जनवरी, 1973 से लागू होगा।

पिथौरागढ़ में प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों का वेतन

*2---श्री हीरा सिंह बोरा (जिला पिथौरागढ़)---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि सीमान्त जिला पिथौरागढ़ में प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षकों को सितम्बर, 1972 से वेतन भुगतान न किये जाने के कारण व्यापक असन्तोष फैला हुआ है और अध्यापक आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार इस असन्तोष को दूर करने के लिये क्या कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

असंतोष फैलने अथवा आन्दोलन की तैयारी होने की कोई सूचना राज्य सरकार को नहीं मिली है।

बटऊपुर तथा जैतापुर, जिला इलाहाबाद में पड़ी डकैती

*3---श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि दिनांक 29/30 दिसम्बर, सन् 1972 की दरम्यानी रात जिला इलाहाबाद के थाना हंडिया के अन्तर्गत ग्राम बटऊपुर, जैतापुर के पंडित रुद्रधर वकील और तारकेश्वर के घर डाका पड़ा और गांव वालों की दाब पर कुछ डाकू भाग गये और कुछ एक मोटर कार के साथ घटना पर ही पकड़ लिये गये ? यदि हां, तो कार किसकी है और क्या कार के मालिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29/30 दिसम्बर 1972 की रात में जिला इलाहाबाद के थाना हंडिया के अन्तर्गत ग्राम बटऊपुर में श्री तारकेश्वर नाथ पांडेय तथा ग्राम जैतापुर में श्री रुद्र धर पांडेय के घरों में डकैती पड़ी। डकैतों ने एक मोटर कार का प्रयोग डकैती डालने के लिये किया। डकैती डालने के बाद वे उसी मोटर कार से भाग निकले। गांव वालों ने किसी डकैत या मोटर कार को नहीं पकड़ा। विवचना के दौरान उक्त कार की संख्या यू० पी० सी० 8527

नोट :--तारांकित प्रश्न 1 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

ज्ञात हुई, जिसके मालिक श्री कृष्ण कुमार शर्मा, निवासी दारागंज, इलाहाबाद पाये गये। अब तक की विवेचना से कार के मालिक का हाथ परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से डकैती की घटना में होना नहीं ज्ञात हुआ, अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इलाहाबाद के डिग्री कालेजेज के अध्यापकों की हड़ताल

*4—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि इलाहाबाद नगर के चार डिग्री कालेज के अध्यापक दिनांक 5 जनवरी, 1973 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर हैं ? यदि हां, तो शासन उनकी मांगों को कब तक स्वीकर करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। हड़ताल 5-1-73 से 11 जनवरी, 1973 तक हुई थी।

उनकी मांग अधिक वेतन-क्रमों के संबंध में थी जिसे स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

साप्ताहिक समाचार-पत्र वीर-बैसवारा, रायबरेली के प्रकाशन पर रोक

*5—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को जानकारी है कि रायबरेली से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार-पत्र "वीर बैसवारा" के सम्पादक को रायबरेली के जिलाधिकारी ने दिनांक 1 जनवरी, 1973 को पकड़वा कर शहर में घुमवाया और 4 जनवरी, 1973 से उक्त पत्र के प्रकाशन पर रोक लगा दी जिससे समस्त पत्रकारिता की स्वतन्त्रता पर आघात पहुंचा है ? क्या सरकार के पास यह सूचना भी है कि रायबरेली के नागरिकों ने तत्पश्चात् एक सर्वदलीय सभा करके उपरोक्त काण्ड के और जिलाधिकारी के व्यवहार की घोर भर्त्सना की है ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है और क्या सरकार ने जनता एवं पत्रकारों को रोष, असंतोष एवं क्षोभ दूर करने के हेतु तत्काल क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

साप्ताहिक "वीर बैसवारा" के सम्पादक के विरुद्ध 17-12-72 को एस०डी०एम० डलमऊ द्वारा थाना कोतवाली, रायबरेली पर धारा 500/501/502 भा०दं०वि० के अन्तर्गत अपराध की रिपोर्टअंकित कराई गई जिसकी विवेचना परगना मजिस्ट्रेट सदर के आदेश पर प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्याय) द्वारा जारी किये गये बिला जमानती वारन्ट पर सम्पादक को दिनांक 1-1-73 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। यह सत्य नहीं है कि उन्हें जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली के आदेशानुसार गिरफ्तार किया गया था और उन्हें शहर में घुमाया गया।

यह सत्य है कि जिला मजिस्ट्रेट ने साप्ताहिक वीर बैसवारा के प्रकाशन पर दिनांक 4-1-73 को रोक लगा दी। यह भी सही है कि दिनांक 3-1-73 को साप्ताहिक "वीर बैसवारा" के संपादक के जमानत पर छूटने के पश्चात् एक सार्वजनिक सभा हुई जिसमें सम्पादक की गिरफ्तारी पर चिन्ता एवं क्षोभ व्यक्त किया गया। वीर बैसवारा के प्रकाशन पर लगाई गई रोक के संबंध में सूचना विभाग से जिला मजिस्ट्रेट को आवश्यक निदेश भेजे जा रहे हैं।

चौधरी धारा सिंह, प्रधान, सांकरौद, जिला मेरठ की हत्या

*6—श्री चरण सिंह (जिला मेरठ), श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ) तथा श्री आशाराम (जिला मरठ)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बी० के० डी० के कार्यकर्ता चौ० धारा सिंह, प्रधान सांकरौद, थाना खेखड़ा, जिला मेरठ ने जिनको पिछले महीने (दिसम्बर, 1972) दिन दहाड़े

रास्ते में कुल्हाड़ी से काट दिया गया, घटना से एक सप्ताह पूर्व एस० ओ० खेंखड़ा, को लिखित नामजद रिपोर्ट दी थी ? यदि हां, तो उस पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री धारा सिंह, निवासी सांकरोद ने, जिनकी दिनांक 3-12-1972 को हत्या कर दी गई थी दिनांक 20-11-1972 को थाना खेखड़ा पर एक लिखित नामजद रिपोर्ट दी थी जिसमें कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध उन्हें जान से मार डालने की कुचेष्टा करने का आरोप लगाया गया था । उक्त सूचना के आधार पर अभियोग संख्या 234 धारा 352 भा० दं० वि० अंकित हुआ । इस अहस्तक्षेपीय अपराध की थानाध्यक्ष द्वारा विधिवत् जांच नहीं की गई । जिसके लिये थानाध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

*7—श्री मंजूर अहमद—

[निरस्त]

वैरिया सुर्जनपुर, (जिला गोंडा) की हरिजन महिला, श्रीमती फूला के साथ बलात्कार की शिकायत

*8—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 5 जनवरी, 1973 को ग्राम वैरिया सुर्जनपुर हरिजन महिला श्रीमती फूला के साथ मनकापुर थाने के दो सिपाहियों ने रात में बलात्कार किया जिससे वहां की जनता में भय व्याप्त है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायत सही नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चकेरी, जिला एटा की प्रबन्ध समिति एवं प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायत

*1—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चकेरी में वर्ष 1971-72 में प्रबन्ध समिति की कोई बैठक नहीं हुई और प्रबंधक महोदय ने अपने अधिकार से कार्य किया ? यदि नहीं, तो वर्ष में किन-किन महीनों में मीटिंग हुई और उसकी अध्यक्षता किसने की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कथित विद्यालय में वर्ष 1971-72 (अप्रैल, 71 से मार्च, 72) में प्रबन्ध समिति की दो बैठकें हुईं । प्रथम बैठक दिनांक 11-4-71 को हुई और उसकी अध्यक्षता श्री महावीर सिंह अध्यक्ष ने की । दूसरी बैठक दिनांक 5-3-72 को हुई और उसकी अध्यक्षता श्री ध्यानपाल सिंह कोषाध्यक्ष ने की ।

*2—श्री नेतराम सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि क्या यह सच है कि प्रबन्धक महोदय ने वेतन न देने एवं अभद्र व्यवहार करने और अनियमित काम कराने के कारण 1 अप्रैल, सन् 1972 से 15 जुलाई, 1972 तक किस-किस अध्यापक ने त्याग-पत्र और किस-किस अध्यापक का कितना-कितना वेतन किस-किस माह का शेष है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अभद्र व्यवहार करने और अनियमित काम कराने के कारण नहीं बल्कि कथित अवधि में सर्वश्री पातीराम, प्रधानाध्यापक, राजवीर सिंह यादव तथा प्रेमपाल सिंह सहायक अध्यापकों ने विद्यालय की प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को असुरक्षित पाने, नियमित रूप से वेतन भुगतान न होने का उल्लेख करते हुये सशर्त त्याग पत्र दिये हैं।

उक्त अध्यापकों में से श्री पातीराम का जनवरी, 72 से 4 मई, 1972 तक का वेतन 402 रुपये प्रति मास की दर से, श्री राजवीर सिंह यादव का जनवरी, 72 से 1 मई, 1972 तक 140 रु० प्रतिमास की दर से, तथा श्री प्रेमपाल सिंह का मार्च, 72 से 1 मई, 1972 तक 140 रुपये प्रतिमास की दर से वेतन का भुगतान शेष है।

परिगणित जाति की ट्रेन्ड लड़कियों की सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका पद पर नियुक्ति

*3---श्री जितेन्द्र पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में परगणित जाति की कितनी लड़कियां जनवरी, सन् 1970 से जुलाई, 1972 तक ट्रेन्ड हुई हैं जो सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षका के पद पर नियुक्त की जा सकीं और कितनी अभी नियुक्त नहीं हुई हैं? सरकार उन ट्रेन्ड लड़कियों की नियुक्ति हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

16 लड़कियां, 2 की नियुक्ति की गयी तथा 14 शेष। नियुक्ति हेतु उनका प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अतः उनकी नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

विदेश यात्रा पर जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों पर व्यय

*4---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश प्रशासन के कौन-कौन अधिकारी, सदस्य वर्ष 1970-71 व 1971-72 में अलग-अलग कब से कब तक विदेश यात्रा पर किस प्रयोजन से और किस-किस देश में गये तथा उनकी अलग-अलग यात्रा पर किस-किस मद से कितना-कितना रुपया खर्च हुआ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

वांछित सूचना† परिशिष्ट 'क' तथा 'ख' में देखी जा सकती है।

कानपुर जिले में डकैतियां एवं कत्ल

*5---चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के सभी पुलिस थानों में 1 जनवरी, 1972 से 15 जुलाई, 1973 तक अलग-अलग कितनी डकैतियां पड़ी और कितने कत्ल हुये? क्या यह सही है कि कानपुर जिले में इस बीच कत्ल एवं डकैतियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और पुलिस अधिकारी अपराध रोक पाने में असफल रहे हैं? यदि हां, तो इस बीच अपराध रोकने के लिये कौन-कौन व्यवस्था की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

---

†छापा नहीं गया।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कानपुर जिले के विभिन्न थानों के अन्तर्गत 1-1-72 से 15-7-72 तक हुई डकैती और हत्या से संबंधित वांछित सूचना संलग्न है। यह कहना सही नहीं है कि डकैती एवं हत्या की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और पुलिस अपराध रोक पाने में अफसल है। अन्य प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 779 पर)

थाना बड़हलगंज (गोरखपुर) की पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*6--श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (जिला रामपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के थाना बड़हल गंज की पुलिस के विरुद्ध सितम्बर, 1971 से अक्तूबर, 1972 तक कितने शिकायती-पत्र उन्हें मिले? मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

1 सितम्बर, 71 से 31 अक्तूबर, 72 तक थाना बड़हलगंज, जिला गोरखपुर की पुलिस के विरुद्ध 21 शिकायती पत्र प्राप्त हुये थे। इनमे भ्रष्टाचार और लोगों को अकारण मुकदमों म फंसाने की मुख्य शिकायतें थीं। शिकायती पत्रों की राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच कराई गई। जांच से उनमें लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुये। परन्तु थानाध्यक्ष का व्यवहार कहीं कहीं अविवेकशील पाया गया अतः उन्हें उनकी व्यक्तिगत पत्रावली पर चेतावनी दे दी गई।

मेरठ व मुजफ्फरनगर जिलों की सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं का भ्रमण भत्ता

*7--श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ व मुजफ्फरनगर जिलों के उप सहायक विद्यालय निरीक्षकों व सहायक विद्यालय निरीक्षिकाओं के 6 माह से अधिक के भ्रमण भत्ते के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अविलम्ब इस धनराशि का भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। केवल सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं के बिल भुगतान हेतु शेष हैं। इन बिलों का भुगतान धन उपलपब्ध न होने के कारण नहीं हो सका। अतिरिक्त धन की व्यवस्था भुगतान हेतु कर दी गई है।

राजकीय आदर्श विद्यालयों के हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के प्रधानाध्यापक तथा उनका आवास भवन

*8--श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश राजकीय आदर्श विद्यालयों में 1967से 1972 तक हरिजन तथा पिछड़े वर्ग में से कितने प्रधानाध्यापकों के कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने नियुक्त किये गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*9--श्री किशन लाल--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में खोले गये किन-किन आदेश विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सरकारी क्वार्टर फ्री रेन्ट (किराया मुक्त) दिये गये? क्या ऐसे भी आदर्श विद्यालय हैं जिनके प्रधानाध्यापक को आवास भवन तो दिया

गया परन्तु उसे फ्री रेन्ट क्वार्टर न देकर उससे किराया लिया गया ? यदि ऐसा है, तो कौन-कौन प्रधानाध्यापक हैं और उनसे कब तक की कितनी धनराशि ली गई? उन्हें वापिस न करने का क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।]

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, पीलीभीत में लेक्चरर का पद

*10—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज, पीलीभीत में इण्टर कक्षाओं को पढ़ाने के लिये लेक्चरर की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है और क्या संस्कृत की पढ़ाई उपरोक्त कक्षाओं में सन् 1971 से हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अविलम्ब लेक्चरर का पद वहां के लिये सृजित करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस कालेज में अब संस्कृत विषय पढ़ाने के लिये लेक्चरर का एक पद सृजित कर दिया गया है।

बुलन्दशहर व मेरठ के हाई स्कूल परिक्षार्थियों पर आयु बंधन के कारण रुका परीक्षा फल

*11—श्री के० एस० मोहरिया (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हाई स्कूल की 1972 की परीक्षा में 14 वर्ष की आयु से कम के कितने छात्रों का परीक्षाफल आयु के बंधन के कारण बुलन्दशहर व मेरठ जनपद में रोक दिया गया था ? क्या आयु का बन्धन हाई कोर्ट की बेंच ने अवैध घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो फिर क्या कारण है कि उक्त छात्रों का परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

हाई स्कूल परीक्षा, 1972 में निर्धारित आयु से कम आयु होने के कारण मेरठ जनपद में 39 छात्रों का तथा बुलन्दशहर के 17 छात्रों का परीक्षाफल रोका गया अथवा निरस्त कर दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने न्यूनतम आयु संबन्धी नियम को अवैध घोषित कर दिया है। अतः उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् उपर्युक्त सभी छात्रों का परीक्षाफल परिषद् कार्यालय द्वारा घोषित कर दिया गया है।

प्रशासन योजना न स्वीकृत करने वाले मैनपुरी जिले के माध्यमिक विद्यालय

*12—श्री सूबेदार सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जनपद के कितने और कौन-कौन से माध्यमिक विद्यालय (हाई स्कूल तथा इण्टर कालेज) ऐसे हैं जिनकी प्रशासन योजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है? और क्या सरकार ने ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैनपुरी जनपद के (1) ए०के० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिकोहाबाद तथा (2) नेशनल इन्टर कालेज, भोगांव ने प्रशासन योजना स्वीकृत नहीं कराई है।

ए० के० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिकोहाबाद में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति कर दी गई है। नशनल इण्टर कालेज भोगांव म अभी नियत्रक की नियुक्ति नहीं की जा सकी है।

[15 मार्च, 1973 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[4थे सोमवार म तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गढ़मुक्तेश्वर (मेरठ) में बलात्कार करने की कुचेष्टा की शिकायत

*2—श्री नित्यानद स्वामी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30 जुलाई, 1971 को रात के करीब 12 बजे गढ़मुक्तेश्वर, जिला मेरठ के घाट पर एक जीप यु० एस० डी० 3250 जिसमें पुलिस सब-इन्सपेक्टर तथा पुलिस कर्मचारी थे उन्होंने एक दुकान करने वाली महिला व उसकी जवान बेटी से जबरदस्ती बलात्कार करने की कुचेष्टा की यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस आशय का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच उप पुलिस अधीक्षक ने की थी। इस मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा विस्तृत जांच कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

*3—4—श्री बसन्तलाल शर्मा, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री विश्वनाथ कपूर तथा श्री इन्द्रमणि—

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*5—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

उद्योगपतियों को सस्ते ब्याज पर दिया गया ऋण

*6—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मार्च सन् 1950 में उद्योगपतियों को सस्ते ब्याज पर ऋण के रूप में बड़ी-बड़ी धनराशियां दी गई? यदि हां, तो किन-किन को कितनी कितनी किस ब्याज पर किन शर्तों के साथ और किन-किन ने निर्धारित, शर्तों के अनुसार कार्य किया?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां।

वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ.....780.....पर।)

*7—श्री रामगोपाल संड—

(स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त)

शिक्षा निदेशालय के सेवा मुक्त कर्मचारी

*8—श्री रामगोपाल संड—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशालय ने अपने 60 कर्मचारियों को सेवा से मुक्त करने के आदेश फरवरी, 1972 को दे दिये हैं और क्या यह सच है कि उनमें अनक व्यक्ति गत 5 वर्षों से अधिक दिनों से कार्य कर रहे हैं और विभागीय परीक्षा भी उत्तीर्ण की है? यदि हां, तो क्या सरकार अपने इस आदेश को वापिस लेने पर पुनर्विचार करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। फरवरी, 1972 में एक माह की नोटिस दी गयी थी। नोटिस दिये गये कर्मचारियों में से पांच व्यक्तियों की सेवा अवधि पांच वर्ष से ऊपर है जिनको फिलहाल सेवा से पृथक नहीं किया जायगा। नोटिस प्राप्त कर्मचारियों में से उन सभी व्यक्तियों को कार्यरत रखा जा रहा है जिन्होंने विभागीय परीक्षा में 33 प्रतिशत से अधिक योगांक प्राप्त किये हैं

*9—श्री सुरेन्द्र विक्रम —

[10वें गुरुवार में प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विशेष रोजगार कार्य-क्रम

*10—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्लानिंग कमीशन या केन्द्रीय सरकार ने शिक्षित या अशिक्षित व्यक्तियों को कोई इम्पलायमेंट देने के लिये कोई योजना तैयार करके इस सरकार को भेजी है? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योजना आयोग तथा केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विशेष रोजगार कार्यक्रम बनाते रहे हैं । शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्राइमरी शिक्षा में प्रसार एवं सुधार, ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना, सहकारी उपभोक्ता भंडारों का विस्तार, उद्योग स्थापित करने के लिये उद्यम कर्त्ताओं को वित्तीय सहायता, ग्रामीण जल सम्पूर्ति योजनाओं के लिये डिजाइन यूनिटों की स्थापना, तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की योजना प्रदेश स्तर पर कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई थी । इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना भी राज्य स्तर पर कार्यान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई थी ।

ये सभी योजनायें राज्य स्तर पर विभिन्न सम्बन्धित विभागों (शिक्षा, नियोजन, सहकारिता, उद्योग, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण तथा सामुदायिक विकास विभाग) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं । इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्य के सूचनार्थ संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 781-782 पर ।)

मटनटेलो से ग्लीसरीन निकालने के कारखाने की स्थापना

*11—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में मटनटेलो से ग्लीसरीन निकालने का कारखाना लगाने की कोई योजना बनाई है और क्या इस सम्बन्ध में प्राइवेट सेक्टर से प्रार्थना-पत्र भी मांगे हैं ? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक हो जायगी तथा इसकी रूप-रेखा क्या है और इसमें कितना-कितना समय व लागत लगेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां ।

इस सम्बन्ध में निजी क्षेत्र से प्रार्थना-पत्र मांगे गये थे जो प्राप्त हुए हैं, और विचाराधीन हैं । केन्द्रीय सरकार से प्रदेश के लिये मटन टेलो प्राप्त होगा उसे प्रस्तावित इकाई को फैटी ऐसिड व ग्लीसरीन बनाने के लिये दे दिया जायगा । इस योजना के अंतिम रूप से निर्णीत प्रारूप के आधार पर ही लागत का सही अनुमान ज्ञात हो सकेगा । योजना स्वीकृत होने के उपरान्त लगभग एक वर्ष में उसका कार्यान्वयन सम्भव हो सकेगा ।

*12—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

सनातन धर्म इन्टर कालेज, इटावा का प्रबन्ध

*13—श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सनातन धर्म इन्टर कालेज, इटावा का प्रबन्ध कितने वर्ष से प्रशासक अथवा रिसीवर के हाथ में है इस कालेज की प्रबन्ध समिति में क्या विवाद हैं और क्या इसके पूरा होने की कब तक आशा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अपेक्षित विद्यालय में साधिकार नियंत्रक लगभग 2–1/2 वर्ष से है।

विद्यालय की प्रबन्ध समिति के सदस्यों में चुनाव सम्बन्धी विवाद है। साधिकार नियंत्रक द्वारा विद्यालय की प्रशासन योजना का प्रारूप स्वीकृत कराने हेतु विभाग को भेजा जा चुका है जिसके स्वीकृत होने के पश्चात् वैधानिक प्रबन्ध समिति का गठन सम्भव हो जायगा और नियंत्रक द्वारा चुनाव कराने के उपरान्त प्रबन्ध समिति का विवाद भी सम्भवतः समाप्त हो जायगा।

पुलिस अधीक्षकों तथा समकक्ष अधिकारियों की पुलिस उप महानिरीक्षक पर पदोन्नति

*14—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष 1971–72 में उत्तर प्रदेश के किन-किन पुलिस अधीक्षकों अथवा समकक्ष अधिकारियों की पदोन्नति उप पुलिस महा निरीक्षक के रूप में हुई तथा किस आधार पर?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1971–72 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित पुलिस अधीक्षकों अथवा समकक्ष अधिकारियों को उनकी ज्येष्ठता को ध्यान में रखते हुए, योग्यता के आधार पर चयन के पश्चात् पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर पदोन्नति निम्नांकित दो अवसरों पर दी गयी—

1—जून, 1971	.. ..	श्री काली शंकर त्रिपाठी
2—जनवरी, 1972	.. ..	श्री बिहारी लाल गुलाटी, श्री कृष्ण दत्त शर्मा तथा श्री राम दुलारे पांडे।

गढ़वाल मण्डल में उप शिक्षा निदेशक के पद पर नियुक्ति

*15—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972–73 के आय-व्ययक में गढ़वाल मण्डल के लिये उप शिक्षा निदेशक के पद की व्यवस्था होने पर भी 31 अक्तूबर, 1972 तक इस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कुछ प्रशासनिक कारणों से शीघ्र ही नियुक्ति नहीं की जा सकी। इस पद पर नियुक्ति के आदेश 6 जनवरी, 1973 को जारी कर दिये गये हैं।

*16—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[3रे बुधवार में प्रश्न संख्या 15 के अन्तर्गत उत्तरित]

परिवहन निगम की स्थापना के विरुद्ध पर्वतीय जिलों का प्रतिनिधि मंडल

*17—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि पर्वतीय जिलों का कोई प्रतिनिधि मण्डल जुलाई, 1972 में उन्हें पर्वतीय जिलों में परिवहन निगम स्थापित करने के विरुद्ध मिला था ? यदि हां, तो उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां,। वर्तमान समय में पर्वतीय जिलों के लिये अलग से परिवहन निगम बनाने क कोई योजना नहीं है।

गंगोत्री तथा जमुनोत्री तक का मोटर मार्ग

*18—श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गंगोत्री व जमुनोत्री तीर्थ स्थान चीन की सीमा के अति निकट हैं, वहां तक मोटर मार्ग बनाने का सरकार सीमा के महत्व को देखते हुए विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गंगोत्री तक मोटर मार्ग पूरा हो चुका है। रास्ते में केवल गंगा नदी पर पुल नहीं पूर्ण हुआ है जिसका कार्य प्रगति पर है। चूंकि इस पुल के निर्माण हेतु पूरा लोहा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है अतः यह नहीं कहा जा सकता कि यह पुल कब तक पूर्ण हो जायगा।

जमुनोत्री मार्ग पर हनुमान चट्टी तक मोटर मार्ग बन गया है जो 1972 से यातायात हेतु खोल दिया गया है। हनुमान चट्टी से जमुनोत्री तक चौदह किलोमीटर लम्बा पदल मार्ग है।

श्रीमती राजरानी मेहरोत्रा, शाहजहांपुर का शिकायती-पत्र

*19—श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, 1972 में श्रीमती राजरानी मेहरोत्रा, निवासी शाहजहांपुर ने राम गोपाल मेहरोत्रा, सहायक उप विद्यालय निरीक्षक, बरेली तथा श्रीमती कल्याणी त्रिपाठी, सहायक उप विद्यालय निरीक्षिका गर्ल्स स्कूल्स, शाहजहांपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक शिकायती पत्र दिया था जिस पर उपरोक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश दिये गये? यदि हां, तो उन स्थानान्तरण आदेशों को क्यों रोक दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। शिकायती पत्र की जांच कराई गई। जांच अधिकारी की आख्यानुसार शिकायती-पत्र में सत्यता न होने के कारण स्थानान्तरण रोका गया।

उपथानाध्यक्ष, जगदीशपुर (सुल्तानपुर) के विरुद्ध शिकायत

*20—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1972 से 18 दिसम्बर, 1972 तक उप थानाध्यक्ष जगदीशपुरजनपद सुतानपुर के भ्रष्टाचार के प्रति कितनी शिकायतें विभिन्न विधायकों के माध्यम से सरकार को प्राप्त हुईं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई तथा जांच करने कौन-कौन से अधिकारी गये?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 1-1-72 से 18-12-72 की अवधि में उप थानाध्यक्ष जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी एक शिकायती पत्र दिनांक 3-9-72 एक विधायक के माध्यम से प्राप्त हुआ था। इसमें की गई शिकायतों की जांच श्री हरिबक्स सिंह, उप पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई थी। श्री हरिबक्स सिंह की 2-2-73 को मृत्यु हो जाने के बाद जांच श्री एम० पी० सिंह सर्किल इंसपेक्टर को सौंपी गई जो अभी जारी है।

थाना कुड़वार, जिला सुल्तानपुर के अन्तर्गत जरायम

*21—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुलतानपुर के थाना कुड़वार में 1 नवम्बर, 1973 से 18 दिसम्बर, 1972 तक क्रमशः अलग-अलग नकबजनी, चोरी, हत्या, डकैती, आगलगी, राहजनी, बलवा, फसल कटी इत्यादि की घटनायें दर्ज की गई तथा उनमें क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

[देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 783 पर]

*22—श्री कल्याण सिंह—

[छठे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पुलिस सब इन्सपेक्टरों के रेन्ज में नियुक्त रहने की अवधि

*23—श्री प्यारे लाल—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि एक पुलिस सब-इंसपेक्टर कितने दिन तक एक रेंज में रह सकता है और मेरठ पुलिस रेंज में कितने ऐसे सब-इंसपेक्टर हैं जो इसी रेंज में गत सात वर्षों से अधिक कार्यरत हैं, उनका तबादला दूसरे रेंज में न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

पुलिस सब-इन्सपेक्टरों के एक रेंज में नियुक्त रहने की अवधि की कोई सीमा शासन द्वारा निर्धारित नहीं है। मेरठ पुलिस रेंज में 97 ऐसे पुलिस सब-इंसपेक्टर हैं, जो इसी रेंज में 7 वर्षों से अधिक से कार्यरत हैं। 7 वर्षों से अधिक एक ही रेंज में रहने के कारण इन सब-इंसपेक्टरों के सामान्य तबादले का प्रश्न नहीं उठता।

नियुक्ति विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की लिपिक पद पर की गयी नियुक्तियां

*24—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजाज्ञा संख्या 37/1-69, नियुक्ति (ब), दिनांक जनवरी, 1970 द्वारा उप सचिव शासन के अनुसार कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति लिपिक पद पर की गई और कुल की गई नियुक्तियों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की लिपिक पद पर नियुक्तियों का प्रतिशत क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

थाना तरिया सुजान (देवरिया) के अन्तर्गत पिस्तौल बनाने का अवैध कारखाना

*25—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया थाना तरया सुजान के अन्तर्गत दिनांक 27 अक्तूबर, 1972 से 10 नवम्बर, 1972 के बीच कोई पिस्टल बनाने का कारखाना पकड़ा गया है ? यदि हां, तो उस कारखाने से कौन-कौन सामान पिस्टल बनाने का कितने लागत का पकड़ा गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 30-10-72 को जिला देवरिया के ग्राम सेवरही के तीन स्थानों में तथा ग्राम अतौरा-औदान के एक स्थान में, जो थाना तरिया सुजान के अन्तर्गत है, पिस्तौल बनाने के अवैध कारखाने पकड़े गये। शस्त्रों के निर्माण हेतु बरामद किये गये औजार। सामान की सूची संलग्न है। सामानों की लागत का अनुमान नहीं लगाया जा सका है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 784-786 पर।)

देवरिया जिले के विभिन्न थानों के मुकदमें

*26—श्री हरिबंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत दिनांक 1 जनवरी, 197 से दिनांक 30 नवम्बर, 1972 तक कितने लोगों को विभिन्न थानों से विभिन्न दफाओं में चालान किया गया तथा कितने में चार्जसीट और फाइनल रिपोर्ट लगाई गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में जिला देवरिया के विभिन्न थानों से विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत 7803 व्यक्तियों के विरुद्ध 2820 मुकदमों में चार्जसीट लगाई गई तथा 2199 मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई। इसके अतिरिक्त धारा 109, 110 तथा 107/117 जा० फौजदारी के अन्तर्गत 3941 लोगों के विरुद्ध 404 चालानी रिपोर्टें भेजी गईं।

उर्दू में गजट का प्रकाशन एवं उर्दू अनुवादकों के पदों की समाप्ति

*27—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर),—श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई (जिला मुरादाबाद)—

प्रथम सत्र 1972 के 6ठे गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उर्दू भाषा में सम्पूर्ण गजट प्रकाशित करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा जो जांच के आदेश दिये गये थे तो क्या जांच पूरी हो गई? यदि हां, तो यह जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा कराई गई थी और पूर्ण गजट के प्रकाशन के सम्बन्ध में शासन के आदेश कब तक प्रकाशित किये जायेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उर्दू में सम्पूर्ण गजट के प्रकाशन का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। उर्दू गजट में इस्तेमाल की जाने वाली विधिक शब्दावली के प्रश्न पर न्याय विभाग द्वारा विस्तार से विचार किया जा रहा है।

*28—श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री शमीम आलम तथा श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई—

क्या मुख्य मन्त्री यह भी बतायेंगे कि जून, 1971 के बाद शासन द्वारा उर्दू अनुवादकों के कितने पदों को समाप्त कर दिया गया था? क्या उन समस्त पदों को पुनर्जीवित कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इन पदों को पुनर्जीवित नहीं किया गया है क्योंकि जिस कार्य के लिये इन्हें सृजित किया गया था वह समाप्त हो गया था। अलबत्ता अब कार्य की आवश्यकता के अनुसार 20 जनवरी, 1973 से अवशेष कार्य को पूरा करने के लिये दो अनुवादकों तथा एक अवर वर्ग सहायक के पद तथा नियमित कार्य के लिए दो अनुवादकों के दो पद सृजित कर दिये गये हैं।

अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण योग्यता से मुक्ति देने की मांग

*29—चौधरी रामपाल सिंह यादव तथा श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन दिनांक 1 अगस्त, 1972 को जिन अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की उम्र 40 वर्ष हो चुकी है और शिक्षण अनुभव 12 वर्ष हो चुका है, उन्हें सरकार प्रशिक्षण योग्यता से मुक्ति देने का विचार कर रही है? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्रमायुक्त कार्यालय कानपुर के कास्ट लेखाधिकारी की पदोन्नति

*30—श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रमायुक्त कार्यालय कानपुर के कास्ट लेखाधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी गंभीर आरोपों की शासन के निर्देशन पर अतिरिक्त श्रमायुक्त द्वारा जांच हो रही है तो फिर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होते हुए भी उक्त अधिकारी का सेवा निवृत्त पूर्ण करने के पश्चात् उसकी अवधि का एक्सटेन्शन कर प्रमोशन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

कास्ट लेखा अधिकारी के विरुद्ध शिकायत अगस्त, 1972 को प्राप्त हुई थी। उनकी ज्येष्ठ लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति जुलाई, 1972 को हो चुकी थी।

श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर के ज्येष्ठ लेखाधिकारी के विरुद्ध आरोप

*31—श्री राम बिलास पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19 अगस्त, 1972 को श्री बंश गोपाल त्रिपाठी का प्रतिवेदन आपको श्रमायुक्त कार्यालय को ज्येष्ठ लेखाधिकारी के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो इस प्रतिवेदन के मुख्य आरोप क्या थे तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जी नहीं। श्री बंशगोपाल त्रिपाठी के झूठे हस्ताक्षर करके एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें तथाकथित मुख्य आरोप थे:—

"वर्ष 1970 में कानपुर में मकान बनवाना और उसमें श्रम विभाग के गृह विभाग का सामान लगवाना, स्कूटर खरीदना तथा बोनस के मामले में मिल मालिकों से घूस लेना आदि"

इन आरोपों की जांच की गयी और वे असत्य पाये गये।

*32—श्री राम बिलास पांडेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर श्रमायुक्त कार्यालय के ज्येष्ठ लेखाधिकारी ने सरकार से 3,500 रुपया मोटर साइकिल क्रय करने हेतु कर्ज लेकर वेस्पा स्कूटर नं० डी० एल० एस० 6952 जो श्री के० एल० जग्गी, ज्येष्ठ लिपिक श्रम विभाग की है फर्जी बन्धक कर उक्त ऋण का दुरुपयोग किया है ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जी नहीं। केवल रु० 3000 ही लिया था। स्कूटर संख्या डी० एल० एस० 6952 श्री के० एल० जग्गी का नहीं था। अतएव फर्जी बन्धक तथा ऋण के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

थाना बिनौली, जिला मेरठ के एस० ओ०, श्री राजेन्द्र सिंह की गिरफ्तारी

*33—श्री चन्द्रभान शर्मा, श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़), श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली), श्री सच्चिदानन्द तथा श्री शिवपाल सिंह (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार को मालूम है कि दिनांक 15 दिसम्बर, 1972 को थाना बिनौली, जनपद मेरठ के एस० ओ० श्री राजेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी जमानत भी नहीं हुई है और उनक खिलाफ धारा 161 आई० पी० सी० का केस रजिस्टर हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि यह गिरफ्तारी किस-किस आधार पर हुई? क्या तथ्य सामन आये और इसम अन्य कौन-कौन अफसरान इस कस से सम्बन्धित हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां ! श्री राजेन्द्र सिंह थानाध्यक्ष बिनौली को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया । उनके विरुद्ध धारा 161 भा० दं० वि० तथा 5 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा कायम किया गया है और वे 19-12-72 को जमानत पर रिहा हुए हैं । चूंकि मामले की जांच जारी है, अतः इसके सम्बन्ध में और सूचना देना जनहित में न होगा ।

विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की अवैधानिक नियुक्ति

*34---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

क्या मुख्य मन्त्री द्वितीय सत्र सन् 1972 के पहले गुरुवार में निर्धारित नत्थी (ख) के अन्तर्गत प्रश्न संख्या 1 के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे अवैधानिक प्रधानाचार्य किस-किस विद्यालय के हैं? क्या इसमें महाजन इण्टर कालेज मुन्डेरा बाजार चौरी चौरा गोरखपुर का भी नाम है? यदि हां, तो इस विषय में शासन ने क्या कार्यवाही किया इसे सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अपेक्षित सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 787 पर)

मुख्य सचिव कार्यालय के निःसंवर्गीय पद पर नियुक्ति

*35---श्री बंशीधर पांडेय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुख्य सचिव के स्टाफ पर एक कनिष्ठ वैयक्तिक सहायक को निःसंवर्गीय पद पर निजी सचिव बनाया गया है? यदि हां, तो निःसंवर्गीय व्यवस्था और उसे स्थायी रूप देने के क्या कारण हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां ! मुख्य सचिव के कार्यालय की विशेषता और गोपनीयता को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि उनके निजी सचिव के पद पर एक दक्ष और अति विश्वसनीय कर्मचारी ही नियुक्त हो । यदि वह पद संवर्गीय होता तो उपयुक्त कर्मचारी के चुनाव में कठिनाई होती क्योंकि मुख्य सचिव का विवेक प्रतिबन्धित हो जाता । चूंकि यह पद निरन्तर चलने वाला था अतः 1-4-67 से इसे स्थायी कर दिया गया और चूंकि पद के वर्तमान अधिकारी की उपयुक्तता सिद्ध हो चुकी थी अतः उनको भी स्थायी कर दिया गया ।

मेरठ जिले के थानाध्यक्ष

*36---श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में कितने थानाध्यक्ष इस समय हैं और उनमें शैडूल्ड कास्ट, पिछड़ी जाति एवं अन्य जाति के अलग-अलग कितने हैं और क्या यह सही है कि शैडूल्ड कास्ट और पिछड़ी जाति के सीनियर होने के बाद भी एस० ओ० उन्हें नहीं बनाया गया? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

1-2-1973 को---

(अ)	मेरठ जिले में थानाध्यक्षों के पदों की संख्या	35
(ब)	अनुसूचित जाति के थानाध्यक्षों की संख्या	1
(स)	पिछड़ी जाति के थानाध्यक्षों की संख्या	7
(द)	अन्य जाति के थानाध्यक्षों की संख्या	25
(य)	थानाध्यक्षों के रिक्त पद	2

थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति सब-इंसपेक्टर की ज्येष्ठता के साथ-साथ कार्य कुशलता चरित्र, योग्यता एवं उपलब्धता के आधार पर की जाती है। केवल ज्येष्ठ होना ही पर्याप्त नहीं है।

मेरठ के अधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

*37—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21 अप्रैल, 1972 का प्राप्त हुआ है जिसमें मेरठ के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची दी थी और मांग की थी इनको हटा कर विजीलेंस द्वारा जांच कराई जाय? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, किन्तु उस पत्र में किसी अधिकारी के विरुद्ध विजीलेंस द्वारा जांच कराने की मांग नहीं की गयी थी केवल कुछ अधिकारियों को मेरठ से हटाने की मांग की गई थी। उनमें से जिन अधिकारियों को अभी तक हटाने योग्य समझा गया, उन्हें हटा दिया गया है।

मवई मुसलमानान (हरदोई) के श्री लालता प्रसाद के यहां डकैती

*38—श्री राम सागर (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री को इन बात की जानकारी है कि जिला हरदोई थाना अतरौली के गांव सभा के नवनिर्वाचित प्रधान, श्री लालता प्रसाद ने हरदोई कोतवाली में दिनांक 22 मई, 1972 को अपने घर में डकैती पड़ने की नामजद रिपोर्ट लिखाई और दिनांक 7 जून, 1972 को पुलिस महानिरीक्षक को इस डकैती से सम्बन्धित कोई प्रार्थना-पत्र दिया? यदि हां, तो अब तक पुलिस की तरफ से क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 22-5-72 को ग्राम मवई मुसलमानान थाना अतरौली जिला हरदोई निवासी श्री लालता प्रसाद ने थाना कोतवाली हरदोई पर दिनांक 21/22-5-72 की रात में 6 नामांकित तथा कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने यहां डकैती डाले जाने की रिपोर्ट दी। इस सूचना के आधार पर धारा 395/397 भा० दं० वि० के अधीन एक मुकदमा अंकित किया गया। घटना चूंकि थाना अतरौली क्षेत्र की थी अतः सम्बन्धित कागजात थाना अतरौली को भेजे गये और विवेचना थानाध्यक्ष अतरौली द्वारा की गई।

उक्त घटना के बारे में वादी ने एक प्रार्थना पत्र भी जून 72 में पुलिस महानिरीक्षक को दिया था जिसकी जांच उप पुलिस अधीक्षक ने की। शिकायत की जांच से तथा मुकदमें की विवेचना से उपरोक्त घटना सही नहीं पाई गई अतः विवेचना अन्तिम रिपोर्ट लगा कर समाप्त की गई।

जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत के शुक्रवार को अन्य दिनों की भांति पढाई हेतु आदेश

*39—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या तात्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत, ने अपने आदेश दिनांक 14 जनवरी, 1972 से उस जिले की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं सरकारी व गैर सरकारी में शुक्रवार को आधे दिन की पढ़ाई खत्म कर पूरे दिन की पढ़ाई कर दी थी जिसे विद्यार्थियों आन्दोलन पर शासन ने अप्रैल, 1972 में रद्द करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस आदेश का अनुपालन किया गया और अगर किया गया तो कब और यदि नहीं किया गया, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

केवल ड्रमण्ड राजकीय इण्टर कालेज, पीलीभीत के प्रधानाचार्य को, अभिभावकों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्यालय संचालन की व्यवस्था जो एक रूपता देने हेतु, अपने विद्यालयो में शुक्रवार को भी अन्य दिनों की भांति 10 बजे से कालेज लगाने हेतु ताकालीन जिला विद्यालय निरीक्षक पीलीभीत द्वारा 14–1–72 को आदेश निर्गत किये गये थे। शासन द्वारा उक्त आदेश रद्द नहीं किया गया है। शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका मेरठ के अध्यापकों का बकाया वेतन

*40—श्री मोहन लाल कपूर—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका मेरठ के समस्त अध्यापकों को प्राइमरी व जूनियर, जो अब सरकार के नियंत्रण में हैं गत दो माह का वेतन अब तक नहीं मिला है? यदि हां, तो उपरोक्त अध्यापकों को यह वेतन कब तक दे दिया जायगा? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में अध्यापक 17 दिसम्बर, से हड़ताल भी कर रहे हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, संबंधित नगरपालिका के अध्यापक/अध्यापिकाओं ने 17–12–72 से धरना आरम्भ किया था और वह 27–12–72 को समाप्त हो गया था। इन्हें प्रसांगिक अवधि का वेतन भुगतान किया जा चुका है।

जिवानी जिला मेरठ के श्री रणधीर सिंह का शिकायती पत्र

*41—श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रणधीर सिंह, ग्राम जिवानी, थाना बिनौली, जिला मेरठ का शिकायती पत्र माह दिसम्बर, 72 में प्राप्त हुआ, जिसमें रिश्वत में पकड़े गये थाना बिनौली के थानेदार तथा उनके संरक्षक उप-पुलिस अधीक्षक को बचाने के लिये बाहरी दबाव की शिकायत की गई थी? यदि हां, तो शासन द्वारा कृत कार्यवाही से भी सदन को विगत कराया जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, कथित आशय का शिकायती पत्र जनवरी 1973 में प्राप्त हुआ था। थानाध्यक्ष बिनौली एवं संबंधित उप पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध अभियोग दर्ज कर जांच की जा रही है। किसी बाहरी दबाव के कारण कार्यवाही न करने की शिकायत निराधार है।

रुड़की विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतन

*42—श्री जे० एन० सिनहा (जिला सहारनपुर)—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रूड़की विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन मानों को दिनांक 1–4–1967 से शासन द्वारा पुनरीक्षित किये जाने में विश्वविद्यालय के दो पदों सीनियर टैक्नीकल असिस्टेन्ट तथा सेमी प्रोफेशनल से जूनियर पदों के वेतन मानों को उच्च वेतन मानों में पुनरीक्षित किये जाने के कारण जो (Anamalies) हो गई थीं उन्हें अब तक किन कारणों से दूर नहीं किया जा सकता तथा उन्हें कब तक दूर किया जा सकेगा?

प्राविधिक शिक्षा मन्त्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन क्रम संशोधित करने के लिये शासन द्वारा नियुक्त समिति की संस्तुतियों के आधार पर रुड़की विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन मानों को दिनांक 1 अप्रैल, 1967 से पुनरीक्षित किया गया है। विश्वविद्यालय के वाचनालय स्टाफ के कथित दो पदों सीनियर टेकनिकल असिस्टेन्ट तथा सेमी प्रोफेशनल के वेतन मानों को पुनः पुनरीक्षित किये जाने पर शासन द्वारा विचार किया गया और समिति की संस्तुतियों में किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। विश्वविद्यालय ने भी इस सम्बन्ध में वतन आयोग को न तो लिखित रूप से और न ही मौखिक रूप से उक्त पदों की

[डाक्टर रामजी लाल सहायक]

संस्तुतियों में किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। विश्वविद्यालय भी इस सम्बन्ध में वेतन आयोग को न तो लिखित रूप से और न ही मौखिक रूप से उक्त पदों की विशेष परिस्थितियों से अवगत कराया है।

रायबरेली नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित अविश्वास का प्रस्ताव

*43—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका अध्यक्ष रायबरेली के अविश्वास के प्रस्ताव 5 अगस्त, 1972 पास हो जाने के बाद भी उनके द्वारा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों को निकाला गया है तथा स्थानान्तरण किया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया और इन अध्यापकों के नाम क्या हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं, कोई नहीं निकाला गया और न स्थानान्तरण ही किया गया।

राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, कछवा [मिर्जापुर] का भवन

*44—श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के कछवा टाउन एरिया में सरकार अथवा जिला परिषद् द्वारा बालिका जूनियर हाई स्कूल चलाया जा रहा है? यदि हां तो क्या उन बालिका विद्यालयों के पास भवन हैं? यदि नहीं, तो सरकार कब तक भवन निर्माण करायेंगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कछवा, जिला मिर्जापुर में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल किराये के भवन में चल रहा है।

विद्यालय का भवन निर्माण धन की उपलब्धि पर निर्भर है।

जमुआ, थाना कछवा जिला मिर्जापुर के श्री घुटरू के यहां डकैती

*45—श्री राम निहोर राय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के थाना कछवा के अन्तर्गत गत दिनांक 23-11-72 को जमुआ ग्राम में डकैती पड़ी थी और जिसके घर पर डकैती पड़ी उसने रपट में कितने डकैतों के नाम रिपोर्ट में लिखाया है और जिन लोगों की नामजद रिपोर्ट लिखाई है क्या वे व्यक्ति गिरफ्तार किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला मिर्जापुर के थाना कछवा के अन्तर्गत ग्राम जमुआ के निवासी श्री घुटरू ने अपने घर में दिनांक 2/3-11-72 की रात में एक नामांकित तथा कुछ अन्य डकैतों द्वारा डकैती डाले जाने की मौखिक सूचना थाना कछवा पर दिनांक 3-11-72 को ही 02.30 बजे रात को दी। उक्त सूचना के आधार पर थाने पर भा० दं० वि० की धारा 395/397 के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम करके विवेचना शुरू की गई।

विवेचना से नामांकित अभियुक्त का नामांकन सही नहीं पाया गया, अतः उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। विवेचना से 5 अन्य अभियुक्त प्रकाश में आये हैं।

पालीटेनिक गोंडा में गबन

*46—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पालिटेकनिक गोण्डा में 80,000 रु० के गबन का कोई मामला 2 वर्ष पहले पकड़ा गया था? यदि हां, तो उस मामले में किन-किन कर्मचारियों तथा किन-किन अधिकारियों का हाथ होना पाया गया और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार ने की?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां। पालीटेकनिक गोण्डा में 80,000 रुपये के स्टोर की कमी तथा संभावित गबन का एक मामला पकड़ा गया था, जिसे जांच कराने हेतु अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया। पुलिस की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। इस मामले में संस्था के दो स्टोरकीपरों को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

*47—श्री त्रिवेणी सहाय—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

हरिजन पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स

*48—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने हरिजन पुलिस सब-इन्सपेक्टर हैं इनमें से कितने इन्सपेक्टर बनाये गये ? क्या थाना इंचार्ज (हरिजन) अपनी संख्या के अठारह फीसदी हैं और अगर नहीं हैं तो क्यों ? इसी प्रकार क्या इन्सपेक्टर को 18 प्रतिशत तरक्की दी गई अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

1 फरवरी, 1973 को उत्तर प्रदेश में हरिजन सब-इन्सपेक्टरों की संख्या .. 193, हरिजन सब-इन्सपेक्टरों की संख्या जिन्हें इन्सपेक्टर पद पर पदोन्नति दी जा चुकी है..4 चूंकि थाना इन्चार्ज एवं इन्सपेक्टरों के पद सीधी भर्ती के पद नहीं हैं अतः इन पर 18 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान नहीं किया गया था।

जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद द्वारा अध्यापकों का फर्जी स्थानान्तरण

*49—श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शासनादेश के बावजूद फर्जी तौर पर जिलाविद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ने लगभग 100 प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का स्थानान्तरण माह अगस्त व सितम्बर, 1972 में किया और स्थानान्तरण पत्रों में तारीखें जुलाई माह की लिखी, यदि हां, तो इस प्रकार की कार्यवाही की सुधार के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिलाधिकारी, बदायूं, द्वारा नौनी टिकन्ना में किया गया शिकार

*50—श्री शिव कुमार (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिलाधिकारी ने दिसम्बर, सन् 1972 में तहसील दातागंज में दौरा करने के दौरान और चन्द्रपाल सिंह, प्रधान गांव सभा नौनी व देवेन्द्र सिंह मझड़ा निवासी के साथ राम गंगा खादर में एक नीलगाय व एक हिरनी का शिकार किया जिस हिरनी के पेट से बच्चा निकला ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिलाधिकारी बदायूं ने सूचित किया है कि उन्होंने 6 दिसम्बर, 1972 को तहसील दातागंज में अपने दौरे के दरम्यान नौनी टिकन्ना में एक नीला (नर) तथा एक लाल रंग का हिरन जो पाढ़े से अधिक मिलता जुलता था, मारा। उन्होंने कोई हिरनी नहीं मारी। उनके साथ श्री चन्द्रपाल सिंह प्रधान तथा कुछ और लोग थे। वह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि उनमें श्री देवेन्द्र सिंह, मझड़ा निवासी भी थे या नहीं।

*51—श्री शिव कुमार—

क्या सरकार बतलाने का कष्ट करेगी कि हिरनी या नील गाय का शिकार सरकार की ओर से बन्द होने का आदेश है ? यदि बन्द है, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

6, दिसम्बर 1972 को प्रश्नगत क्षेत्र में नीला (नर) को मारने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था जो हिरन मारा गया वह लाल रंग का था और पाढ़े से अधिक मिलता-जुलता था पाढ़े को मारने पर उक्त क्षेत्र व उक्त अवधि में कोई प्रतिबन्ध नहीं था ।

मरथीपुर, जिला बाराबंकी के श्री हरनाम सिंह का शिकायती-पत्र

*52—श्री जयराम वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि श्री हरनाम सिंह निवासी ग्राम मरथीपुर, थाना मसौली जिला बाराबंकी ने जिलाधिकारी बाराबंकी को 8 नवम्बर सन् 1972 को इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र दिया था कि थाना अध्यक्ष जैदपुर ने खुशहालपुरवा स्थित एक स्कूल के जलसे से प्रार्थी सहित 29 व्यक्तियों को 6 नवम्बर, सन् 1972 को गिरफ्तार कर लिया और थाने में रात भर रक्खा और दूसरे दिन मुकदमें में फांस देने की धमकी देकर उनके घर वालों से जब रिश्वत ले ली जिसका प्रार्थना-पत्र में ब्योरे वार उल्लेख है तब छोड़ा ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित आशय का श्री हरनाम सिंह का शिकायती पत्र जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को मिला था । इस शिकायती पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई और यह पाया गया कि 6/7 नवम्बर, 1972 की रात में प्रार्थी, 32 अन्य व्यक्तियों के साथ जुआ खेलते हुये पकड़ा गया था। पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा कायम करके विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय भेजी थी जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

फैजाबाद की जूनियर व बेसिक पाठशालाओं से चार्ट हेतु रुपया लिया जाना

*53—श्री भाभी यादव—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला फैजाबाद में प्रत्येक जूनियर व बेसिक पाठशालाओं से 10 रुपया लिखित आदेश देकर चार्ट के लिये प्राप्त किया गया है ? यदि हां, तो यह किस आधार पर किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । ऐसा हुआ है । बेसिक शिक्षा अधिनियम लागू होने से पहिले जिला परिषद् को यह अधिकार था बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा दिये गये आकस्मिक व्यय अनुदान से या स्कूल क्रीड़ा फंड से इसका भुगतान न हों ।

तराई, नैनीताल में कथित खुलने वाली रेयन फैक्टरी

*54—श्री हरीसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार तराई नैनीताल में कोई रेयन फैक्टरी खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कहां तथा कब तक और वह फैक्ट्री पब्लिक सेक्टर में खुल रही है या प्राइवेट सेक्टर में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं, तराई नैनीताल में रेयन फैक्ट्री खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*55—श्री भानु प्रताप सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

माधौगंज, जिला हरदोई के श्री मंजूर अली द्वारा लहरपुर थाने में रिपोर्ट

*56—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री मंजूर अली, निवासी माधौगंज, जिला हरदोई ने थाना लहरपुर में दिनांक 8 दिसम्बर, 1972 को एक रिपोर्ट इस आशय की लिखाई है कि उनका लड़का मंजूर अली जो शारदा सहायक परियोजना खंड 13 लहरपुर में सरिया ढोने का कार्य ठेके पर करता था दिनांक 20 नवम्बर, 1972 से गायब कर दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री मंजूर अली निवासी माधौगंज, जिला हरदोई ने थाना लहरपुर, जिला सीतापुर पर दिनांक 8 दिसम्बर, 1972 को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की दी कि उनका पुत्र मोहम्मद यासीन जो शारदा सहायक खंड-13 लहरपुर में ढुलाई का कार्य कर रहा है, दिनांक 20 नवम्बर, 1972 को प्रातः श्री लाल जी यादव ओवरसियर के साथ सरिया की ढुलाई हेतु सीतापुर गया और वहां से ट्रक पर सरिया लदवा कर लालबाग स्थित कांटे पर तोलवाया। उसके पश्चात से उसका पता नहीं चला । श्री मंजूर अली ने यह भी सन्देह व्यक्त किया कि उनके पुत्र को राम सिंह एस० डी० ओ० तथा श्री लाल जी यादव ओवरसियर ने गायब कर दिया है या मरवा डाला है ।

इस रिपोर्ट पर एक मुकदमा धारा 302 भारतीय दंड विधान संहिता का कायम किया गया । घटना चूंकि कोतवाली क्षेत्र के अन्तर्गत थी अतः कागजात थाना कोतवाली भेजे गये, जहां प्रारम्भिक जांच के पश्चात् मुकदमा धारा 364 भारतीय दंड विधान का कायम किया गया । इस मुकदमें की विवेचना अब अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

थाना कोतवाली, फर्रुखाबाद के आरोप-पत्र एवं अन्तिम रिपोर्ट की प्रतियां

*57—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले में तैनात दरोगा सर्वश्री राम नारायण सिंह, रामवीर सिंह व लक्ष्मीचन्द वर्मा के विरुद्ध इस वर्ष केशुरू में यह आरोप लगाये गये थे कि फाइनल रिपोर्ट के कुछ पन्ने गैर कानूनी तौर पर कुछ जाल बनाने के लिये खाली छोड़कर उनके आगे फाइनल रिपोर्ट लगानी शुरू कर दी है ? जिस पर शासन का यह आदेश हुआ है कि इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कोतवाली फर्रुखाबाद का दिनांक 9 अप्रैल, 1972 को वार्षिक निरीक्षण करते समय उप पुलिस अधीक्षक, फतेहगढ़, ने आरोप-पत्र एवं अन्तिम रिपोर्ट की जिल्दों में से कुछ पृष्ठों को गायब पाया। इस आधार पर धारा 379/426 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया । इस मुकदमें की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

मठिया, जिला गोरखपुर के श्री गंगा बनिया के यहां डकैती

*58—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री राम प्रसाद देखमुख (जिला अलीगढ़) तथा श्री शिवपाल सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना बड़हलगंज के ग्राम मठिया निवासी श्री गंगा बनिया के घर दिनांक 6 दिसम्बर, 1972 ई० की भीषण डकैती पड़ी

[श्री शिवपाल सिंह]

जिसमें 2 व्यक्ति डाकुओं की गोली से मर गये और एक दर्जन व्यक्ति बुरी तरह घायल हुये हैं जिसकी रिपोर्ट भारतीय दंड विधान की धारा 396 व 302 में दिनांक 7 दिसम्बर, 1972 को उक्त थाने में दर्ज कराई गई, यदि हां, तो इसकी दशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री गंगा पुत्र श्री राम दास निवासी ग्राम मठिया, थाना बड़हरगंज, जिला गोरखपुर ने 6/7 दिसम्बर, 1972 की रात में अपने गांव के जीतन यादव तथा 13–14 अन्य सशस्त्र डाकुओं द्वारा उसके घर में डकैती डाले जाने की मौखिक सूचना थाना बड़हलगंज पर उसी रात दी थी । उक्त सूचना के आधार पर थाने पर धारा 395/397 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई ।

प्राप्त सूचना के अनुसार इस घटना में कोई व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं मरा था और केवल 6 व्यक्तियों को चोटें आई थीं । घायल व्यक्तियों में से एक बाद में अस्पताल में मर गया, अतः मुकदमा धारा 396 भारतीय दंड विधान में परिवर्तित किया गया ।

अब तक की जांच से कुल 13 अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है और शेष 10 के विरुद्ध धारा 87/88 जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है । गिरफ्तार किये गये एक अभियुक्त की निशानदेही पर कुछ लूटा हुआ माल भी बरामद किया गया है ।

ज्येष्ठ वेतन-क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षकों की जनपद में नियुक्ति

*59—श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1972 से 30 जून, 1972 तक कौन-कौन जनपद द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी में घोषित किये गये और किस-किस जनपद में प्रथम श्रेणी के जिला विद्यालय निरीक्षकों की नियुक्ति की गई ? तथा किस-किस जनपद में अब तक नियुक्ति नहीं हुई और क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस अवधि में मनपुरी, झांसी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गोंडा, तथा अल्मोड़ा जिलों में कनिष्ठ वेतन-क्रम के पदों के स्थान पर ज्येष्ठ वेतन-क्रम के पद सृजित किये गये थे लेकिन मैनपुरी में अभी तक नियुक्ति नहीं की गयी है । शीघ्र की जायगी ।

उद्योग निदेशालय, कानपुर के हरिजन स्टेनोग्राफर

*60—श्री मोती लाल यादव (जिला जौनपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर में इस समय कितने स्टेनोग्राफर काम कर रहे हैं तथा उनमें से कितने हरिजन हैं ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

उद्योग निदेशालय कानपुर में कुल 39 स्टेनोग्राफर हैं जिन में एक हरिजन है ।

श्री के० बी० श्रीवास्तव, डी० एस पी०, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायत

*61—श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री के०बी० श्रीवास्तव, डी० एस० पी०, शाहजहांपुर के विरुद्ध सरकारी गाड़ी में अपने परिवार बच्चों आदि को नपाल ले जाने और वहां से स्मगलिंग का सामान लाने आदि के सम्बन्ध में कोई शिकायत मंत्री जिला कांग्रेस

कमेटी, शाहजहांपुर ने 20 अक्तूबर, 1972 को आई० जी० पुलिस को दी थी और इसी प्रकार की जबानी शिकायत संसद सदस्य श्री जितेन्द्र प्रसाद तथा श्री शिव कुमार मिश्र विधायक ने भी की है यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी शाहजहांपुर का शिकायती पत्र दिनांक 24 अक्तूबर, 1972 आई० जी० पी० को प्राप्त हुआ था । इसमें श्री के० बी० श्रीवास्तव, डी० एस० पी०, शाहजहांपुर के विरुद्ध अपने परिवार के साथ नैपाल सरकारी जीप से जाने आदि के बारे में शिकायत की गई थी । संसद सदस्य श्री जितेन्द्र प्रसाद तथा विधायक शिव कुमार मिश्र ने भी माह अक्तूबर, 1972 में आई० जी० पी० से जबानी शिकायत की थी । उक्त शिकायती-पत्र अपराध अनुसंधान विभाग को जांच के लिये सुपुर्द कर दिया गया है ।

श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ के बेकार कर्मचारी

*62---श्री विश्वनाथ कपूर---

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ पिछले कई वर्षों से बन्द है तथा उनके कर्मचारी बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे अपने अधिकार में लेकर तुरन्त पुनः चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ दिनांक 1 फरवरी, 1966 से बन्द पड़ी थी । भारत सरकार ने सिल्क टैक्सटाइल अंडरटेकिंग (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमेंट) अध्यादेश, 1972 के अन्तर्गत इस मिल को 31 अक्तूबर, 1972 से अपने अधिकार में ले लिया है और उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम को इस मिल का कस्टोडियन नियुक्त किया है । राज्य वस्त्र निगम ने इस मिल की सफाई तथा मशीनों की ओवरहालिंग का कार्य 29 नवम्बर, 1972 से प्रारम्भ किया था । मिल के होयजरी विभाग में दिनांक 3 जनवरी, 1973 से, वेस्ट प्लान्ट विभाग में दिनांक 20 जनवरी, 1973 से आंशिक तथा स्पिनिंग विभाग में 25-1-1973 से आंशिक रूप से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ।

*63---श्री हलीमुद्दीन राहत मौलाई---

[5 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

चौकी अमृतपुर, जिला फर्रुखाबाद में सरकार बनाम जगरूप, मोतीलाल इत्यादि के विरुद्ध अंकित रिपोर्ट

*64---श्री जगदम्बा प्रसाद, श्री शिवानन्द नौटियाल, श्री बब्बन सिंह (जिला बलिया) तथा श्री प्रियदर्शी जेतली (जिला फैजाबाद)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16 दिसम्बर, 1972 को थाना राजेपुर, चौकी अमृतपुर जिला फर्रुखाबाद में सरकार बनाम जगरूप, मोतीलाल एवं शिव नरायन, ग्राम बत्ती पट्टी, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध दफा 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है यदि हां तो इस समय तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

जी हां, ऐसी रिपोर्ट चौकी अमृतपुर, थाना राजेपुर, जिला फर्रुखाबाद में अंकित कराई गई । विवेचना से अपराध धारा 323 भारतीय दंड विधान का पाया गया । अतः मामले म अंतिम रिपोर्ट लगाई गई ।

बरेली जिले के सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेटों द्वारा गांव प्रधानों को दिये गये नोटिस

*65—श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बरेली जिले में सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेटों द्वारा गांव सभा के प्रधानों को यह नोटिस दिये गये हैं कि परिवार नियोजन में उनके गांव में अगर कोई नसबन्दी नहीं हुई तो उन्हें प्रधान पद से निलम्बित कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करके सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां, जांच से पता चला है कि बरेली जिले के केवल दो परगनाधिकारियों ने अपने परगनों की कुछ गांव सभा के प्रधानों को इस प्रकार के नोटिस दिये थे कि विशाल परिवार नियोजन शिविर के लिये अपने ग्राम के किसी व्यक्ति को नसबन्दी के लिये प्रेरित न करने के लिये वह जबाब दाखिल करें कि क्यों न उन्हें निलम्बित किया जाय । किन्तु इस नोटिस के बाद किसी प्रधान के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई । सम्बन्धित अधिकारियों को यथोचित चेतावनी दे दी गई है ।

*66—श्री मनोहर लाल—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

खेतान शुगर फैक्टरी, राम कोला (देवरिया) के ऊपर किसानों का बकाया

*67—श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि खेतान शुगर फैक्ट्री राम कोला, जिला देवरिया जो इस समय एक रिसीवर की देख-रेख में चल रही है उनके रिसीवर ने अपने कार्यकाल में किसानों के गन्ने के दाम का बकाया तथा अन्य बकाया भुगतान नहीं किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

रिसीवर ने अपने कार्यकाल में गन्ना मूल्य का 9.73 लाख रु० और श्रमिकों का 3.19 लाख रु० पुराना बकाया अदा किया ।

जखौरा, जिला झांसी की सड़कों तथा पंचायत भवनों के निर्माण में गबन

*68—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला झांसी के विकास खंड जखौरा के थाना जखौरा में सडकों तथा पंचायत भवनों के निर्माण में गबन के कितने मामलों की एफ० आई० आर० माह सितम्बर, 1972 में दर्ज की गई और यह रिपोर्ट किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध थी और उन पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार झांसी जिले के अन्तर्गत विकास खंड जखौरा में सडकों तथा पंचायत भवनों के निर्माण में गबन के तीन मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्टें थाना जखौरा में माह सितम्बर में दर्ज की गई । इनमें से एक रिपोर्ट चन्द्रभान शर्मा, पंचायत मंत्री, जय सिंह भूतपूर्व प्रधान तथा लक्ष्मण प्रसाद सहरिया पंचायत मंत्री के विरुद्ध थी तथा अन्य दो रिपोर्टें केवल चन्द्रभान शर्मा, पंचायत मंत्री के विरुद्ध थीं ।

इन प्रथम सूचना रिपोर्टों के आधार पर थाने पर तीन मुकदमें धारा 409, भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम करके मामलों में विवेचना शुरू की गई । अभियुक्त जय सिंह की मृत्यु हो गई है, अभियुक्त चन्द्रभान शर्मा, पंचायत मंत्री गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर हैं तथा लक्ष्मण प्रसाद सहरिया की गिरफ्तारी शेष है ।

लखीमपुर खीरी के बंदूक लाइसेंसी से अनिवार्य रूप से राइफल क्लब की सदस्यता हेतु चन्दा लेने की शिकायत

*69—श्री नेत राम सिंह तथा श्री सिया राम (जिला एटा)—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जिला अधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा बन्दूक आदि असलाहात के लाइसेंसों के रिन्यूवल (वार्षिक) करने के पूर्व लाइसेंसी को अनिवार्य रूप से राइफल क्लब की सदस्यता हेतु चन्दा देने के लिये बाध्य किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या प्रश्नकर्ता को इस सूचना को सही मानकर सरकार इसकी जांच करायेंगी ? यदि नहीं, तो सरकार ने इससे सम्बन्धित अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला खीरी में बन्दूक आदि असलाहात के लाइसेंसी के रिन्यूवल (वार्षिक) करने के पूर्व लाइसेंसी को अनिवार्य रूप से राइफल क्लब की सदस्यता हेतु चन्दा देने के लिये बाध्य नहीं किया जाता है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

कुछ राष्ट्रीय कविताओं के लेखक की बाबत जानकारी

*70—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित तथा उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकें उत्तर प्रदेश स्वाधीनता संग्राम की एक झांकी के पृष्ठ संख्या 66 तथा 147 पर लेखक ने शहीद राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा रचित "सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है" तथा "शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले" रचनाओं को शहीद ओम प्रकाश द्वारा रचित बताया है ? इसका प्रमाण तथा आधार क्या है ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

इस संबंध में लेखक ने निम्नलिखित सूचना दी है:—

"शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले"

नामक कविता शहीद ओमप्रकाश की १९०६ की डायरी में उनके ही हाथ से लिखी सुरक्षित है और दूसरी कविता एक दूसरी डायरी में है । बिस्मिल जी का जन्म १८९७ में हुआ था अतः १९०६ में वे केवल ९ वर्ष के थे और इसलिए "शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले" कविता के लेखक बिस्मिल जी नहीं हो सकते । उन्होंने अपनी आत्मकथा के अन्त में स्वयं ही लिखा है

"मेरी यह इच्छा रही है कि उन कविताओं में से भी चन्द का यहां उल्लेख कर दूं जो कि मुझे प्रिय मालूम होती है और मैंने यथा समय कन्ठस्थ की थी। इन कविताओं में "शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले" भी उल्लिखित है"

एल० टी० ग्रेड की महिला अध्यापिकाओं का स्थायीकरण

*71—श्री राम बचन यादव (जिला आजमगढ़-फूलपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल० टी० ग्रेड की महिला अध्यापिकाओं (जो सन् 1960 से कार्यरत हैं तथा जिन्हें 64 में पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा प्रमाणित भी किया जा चुका है) को स्थाई करने जा रहे है ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यह सच है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनके स्थायीकरण के आदेश दिये ह ? यदि हां, तो अब तक लागू न होने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता, जी नहीं प्रश्न नहीं उठता।

सुल्तानपुर मजदूर महासंघ के कर्मचारी नेताओं का ज्ञापन

*72—श्री सूरज लाल गुप्त (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सुल्तानपुर के जिलाधिकारी को दिनांक 19 सितम्बर, 1972 को सांयकाल सुल्तानपुर मजदूर महासंघ के नेतृत्व में कर्मचारी नेताओं ने कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों ने उस पर आज तक (दिसम्बर, 18, 1972) क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने उपरोक्त ज्ञापन को राज्य सरकार को भेज दिया था। चूंकि उपरोक्त ज्ञापन प्रधान मंत्री को सम्बोधित था और उसके द्वारा की गई मांगों पर प्रदेश शासन द्वारा काई निर्णय नहीं लिया जाना था, अतः उस पर काई कार्यवाई नहीं की गई।

शंकरपुर, जिला सुल्तानपुर में शसस्त्र डकैती

*73—श्री सूरज लाल गुप्त—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के थाना अमेठी के अन्तर्गत ग्राम शंकरपुर दिनांक 1 सितम्बर, 1972 से 15 सितम्बर, 1972 के बीच कोई शसस्त्र डकैती पड़ी थी ? यदि हां, तो स्थानीय पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

ग्राम शंकरपुर मजरे पतापुर थाना अमेठी, जिला सुल्तानपुर निवासी श्री राम नाथ ने थाना अमेठी पर दिनांक 7 सितम्बर, 1972 को यह सूचना दी कि दिनांक 6 सितम्बर, 1972 की शाम को 10 व्यक्ति बल्लम व बन्दूक लिये आये और उनके ट्यूबवेल में आग लगा दी और उनकी खोज में उनके घर पर जाकर घर का ताला तोड़कर लूटपाट किया व सरिया फूक दी तथा कुछ कीमती आलमारी आदि भी उसी में फेक दिया। इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 143/148/506/436/395 भारतीय दंड विधान का अंकित किया गया और विवेचना शुरू की गई। विवेचना से घटना बदले की भावना से हीना पाई गई और अपराध केवल धारा 147/148/436 भारतीय दंड विधान की हद तक पाया गया जिसमें साक्ष्य की कमी के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई।

*74—श्री हीरा सिंह बोरा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

थाना महमूदाबाद (सीतापुर) में चोरी, कत्ल एवं डकैतियां

*75—श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर) तथा श्री श्याम सुन्दर लाल गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सीतापुर के थाना महमूदाबाद में 1 जनवरी, 1972 से 2 दिसम्बर, 1972 तक कितन कत्ल, डकैती और चरियां हुई उनमें कितने मामलों म फाइनल रिपोर्ट लगाई गई, कितनों में चार्जशीट दी गई और कितनी डकैती में गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—
वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी "झ" आग पृष्ठ 788 पर)

राजकीय बहुधंधी संस्था, कानपुर में गबन

*76—श्री श्री कृष्ण बाजपेयी (जिला कानपुर)—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजकीय बहुधंधी संस्था, कानपुर में कोई गबन का मामला हाल में पकड़ा गया है? यदि हां, तो उसका कौन जिम्मेदार है और कितने रुपये के गबन का मामला है? सरकार ने गबन करने वाली के खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी हां। राजकीय बहुधन्धी संस्था, कानपुर में हाल ही में एक संभावित गबन का मामला पकड़ा गया है। सम्भावित गबन की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से संस्था के कैशियर, बो लिपिक तथा तत्कालीन प्रधानाचार्य की है। छात्रावास शुल्क के मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से छात्रावास अधीक्षकों की सम्भावित गबन की जिम्मेदारी है। यह रुपये 17,989.35 पैसे का सम्भावित गबन का है। सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार वैभागिक कार्यवाही की जा रही है।

जौर इनामी, जिला आजमगढ़ के श्री राजकुमार सिंह के यहां डकैती

*77—श्री श्याम लाल कनौजिया (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत कोतवाली, आजमगढ़ क्षेत्र के जौर इनामी ग्राम के श्री राजकुमार सिंह के घर पर 11-12 दिसम्बर, 1972 की रात्रि डकैती पड़ी और लगभग 5.5 हजार का सामान डकैत लूट ले गये? यदि हां, तो कितने लोग गिरफ्तार किये गये और पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की घटना का पूर्ण विवरण क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 12 दिसम्बर, 1972 को थाना कोतवाली, जिला आजमगढ़ पर श्री राजकुमार सिंह की माता श्रीमती, सजाफी, निवासिनी ग्राम जोर इनामी, जिला आजमगढ़ की ओर से एक लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने अपने यहां बीती रात में 4 नामांकित तथा कुछ डकैतों द्वारा डाका डाले जाने की सूचना दी थी। इस सूचना के आधार पर थाने पर एक मुकदमा धारा 395, भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत कायम किया गया। श्री राजकुमार सिंह द्वारा विवेचना के दौरान दी गई सूचना के अनुसार डाकू लगभग साढ़े पांच हजार रुपया का सामान लूट ले गये।

नामांकित अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया है। मामले में विवेचना जारी है।

चीनी मिलों पर सरकार तथा गन्ना काश्तकारों का बकाया

*78—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश से किन-किन चीनी मिलों पर वर्ष 1971-72 तक कितना-कितना धन किस-किस मद में सरकार का तथा गन्ना काश्तकारों का बकाया है? क्या सरकार किसानों के बकाये की तरह उसको बकाय धन की वसूली के लिये सोच रही है। यदि हां, तो कब तक? क्या सरकार पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रदेश की चीनी मिलों पर सरकार का (गन्ना उपकर-क्रयकर के रूप में) तथा गन्ना काश्तकारों का (गन्ना मूल्य के रूप मे) वर्ष 1971–72 तक का बकाया मिलवार दिनांक 31 जनवरी, 1973 तक की स्थिति के अनुसार सलग्न तालिका "क" में दर्शाया गया है।

गन्ना मूल्य तथा उपकर-क्रयकर का बकाया मालगुजारी के बकाये की तरह से नियमानुसार वसूल किया जाता है। तदनुसार गन्ना मूल्य बकाया की वसूली के लिये 48 चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिये गये थे और डाक उपकर-क्रयकर की वसूली के लिये सभी बकायादार चीनी मिलों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये थे।

(देखिये नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ 789–791 पर)

*79—श्री विश्वनाथ कपूर—

[3रे गुरुवार में ता० प्रश्न संख्या 48 के अन्तर्गत उत्तरित]

जिला उद्योग अधिकारी, पिथौरागढ़ के पद पर नियुक्ति

*80—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिथौरागढ़ जिले में उद्योग अधिकारी कब से नियुक्त नहीं है ? इसका क्या कारण है ?

श्री यादवेन्द्र सिंह—

जिला उद्योग अधिकारी पिथौरागढ़ के पद पर 24 अप्रैल, 1972 तक विभागीय अधिकारी नियुक्त था। 25 अप्रैल, 1972 से इस पद पर डिप्टी कलेक्टर नियुक्त है।

अतारांकित प्रश्न

राजकीय शिक्षा संस्थाओं के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की दक्षता रोक

1—श्री बांके लाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय शिक्षा संस्थाओं के अन्दर कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की क्षमता पार 4–5 वर्ष से रोक दी गई है जिससे उन्हें 20.25 रु० प्रतिमाह का नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। शिक्षा निदेशालय अथवा शासन से ऐसे कोई आदेश नहीं प्रसारित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ जिले के पुल

2—श्री गोपाल दत्त ओझा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ में क्वीटी, ला, दुम्मर व मदकोट के पास अबोटमेंट बने कई साल हो जाने पर भी पुल न बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

क्वीटी एवं दुम्मर पर लोहे के पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मदकोट पर पुल के स्थल का, नदी के बहाव से रास्ता बदल जाने के कारण, दुबारा चयन किया जा रहा है। ला पुल अत्यधिक वर्षा के कारण बह गया था। इस स्थान पर लकड़ी के पुल का अनुबन्ध तैयार कर लिया गया है। कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायगा।

3--श्री गोपाल दत्त ओझा--

क्या सरकार यह बतायेगी कि पिथौरागढ़ में खेतार चर्मा, गोरगुठी, चमाली एवं सौगांव में पुल न बनाये जाने का क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

खेतार चर्मा, एवं चमाली पुलों के निर्माण हेतु आगणन शासन के विचाराधीन है गोरगुठी एवं सौगांव में पुलों के आगणन अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः उनके निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने का प्रश्न अभी नहीं उठता।

थानाध्यक्ष, बनकटा (देवरिया) का स्थानान्तरण

4--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत थानाध्यक्ष, बनकटा का स्थानान्तरण झांसी रीजन में हो गया है? यदि हां, तो उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की जा रही है !

श्री कमलापति त्रिपाठी,

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सहकारी गन्ना विकास परिषद् लिमिटेड, लखनऊ के अध्यक्ष का चुनाव

5--श्री रामधारी शास्त्री--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना विकास परिषद् लिमिटेड लखनऊ का, जिसके अध्यक्ष इस समय श्री लक्ष्मी कान्त नागर हैं, चुनाव कितने वर्षों से नही हुआ और इसमें अभी कितना और समय लगने की संभावना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रश्न में उल्लिखित नाम की कोई संस्था नहीं है। उत्तर प्रदेशीय सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड, लखनऊ नाम की एक संस्था अवश्य है। इसका पिछला चुनाव 28-6-1966 को हुआ था। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 तथा तत्सम्बन्धी नियमावली 1968 के विधिक प्राविधानों के अनुरूप चुनाव शीघ्र कराने का प्रयास किया जा रहा है।

श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर का राज्य श्रम पुनर्गठन आयोग

6--श्री राम कुमार दीक्षित--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित श्रमायक्त कार्यालय में कोई राज्य श्रम पुनर्गठन आयोग है। यदि हां, तो इस आयोग में कितने कर्मचारी हैं तथा इस पर वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा 1971-72 मे कुल कितना व्यय हुआ ?

श्री गणेश दत्त बाजपेई,--

जी हां। राज्य श्रम पुनगर्गठन आयोग हेतु दो राजपत्रित तथा 11 अराजपत्रित कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं परन्तु इस समय केवल दो लिपिक, तीन अर्दली और एक चपरासी नियुक्त हैं वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 में आयोग में कोई व्यय नही हुआ। वर्ष 1971-72 में आयोग में कुल रु० 22,819.55 पैसे का व्यय हुआ।

ढलाई उद्योग सहकारी समिति, मुरादाबाद को लघु उद्योग निगम द्वारा दिया गया जिंक का कोटा

7--श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बर्तन ढलाई उद्योग सहकारी समिति, मुरादाबाद के 1 अप्रैल, 1971 से 30 नवम्बर, 1972 तक उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश से कितनी मात्रा

शीशा, तांबा जस्ता, निकिल तथा अन्य वस्तुओं का कोटा दिया गया और इसकी अनुमानित लागत क्या है और जिन सदस्यों को यह दिया गया है उनके नाम व पते क्या हैं ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

संलग्न तालिका 'क' पर लिखित 86 सदस्यों को उद्योग निदेशालय कानपुर ने, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से कुल 166-305 म० टन जिंक का कोटा दिया जिसकी अनुमानित लागत रु० 6,50,26411 है। समिति को जिंक के अतिरिक्त अन्य कोई अलौह धातु का कोटा नही दिया गया। समिति के सदस्यों जिन्हें माल वितरित किया गया, के नाम व पते संलग्न सूची में हैं।

शाहजहांपुर जिले के हिस्ट्री शीटर

8--श्री सुरेन्द्र विक्रम---

दिनांक 22-12-72 के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय जिला शाहजहांपुर में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं और उनकी हिस्ट्री शीट बन्द होने पर बन्दूक के लाइसेंन्स दिये गये और किन परिस्थितियों में उनकी हिस्ट्रीशीट बन्द की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

इस समय जिला शाहजहांपुर में 19 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिस्ट्रीशीटर रह चुके हैं और जिनको हिस्ट्रीशीट बन्द होने पर बन्दूक के लाइसेन्स दिये गये। इनकी हिस्ट्रीशीट नेकचलन रहने व और किसी प्रकार की जनता में शिकायत न होने के कारण बन्द की गयी।

गोंडा जिले में कथित कागज के कारखाने की स्थापना

9--श्री त्रिवेणी सहाय---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोण्डा जिले में कोई कागज का कारखाना कायम करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---

निजी क्षेत्र में कागज के दो कारखाने गाजियाबाद मैलानीं में तथा संयुक्त क्षेत्र में कागज का एक कारखाना नैनीताल (लालकुंवां) में स्थापित किये जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त उ० प्र० राज्य औद्योगिक निगम लि० को भी इस प्रदेश में कागज का एक कारखाना स्थापित किये जाने हेतु भारत सरकार से आशय पत्र प्राप्त हुआ है। एक अन्य निजी पार्टी को उत्तर प्रदेश अथवा मध्य प्रदेश में कागज का एक कारखाना स्थापित करने के लिये आशय पत्र प्राप्त हुआ है अतः वर्तमान में स्पष्टतयः गोण्डा में कोई कागज का कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं, है।

श्रमजीवी पत्रकार, श्री गोपाल चन्द्र वार्ष्णेय के वेतन संबंधी प्रार्थना पत्रों की सुनवाई

10---श्री भगवती सिंह विशारद---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम 1955 की धारा 17 के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी अलीगढ़ ने श्रमजीवी पत्रकार श्री गोपालचन्द्र वार्ष्णेय के सन् 1971-72 वेतन सम्बन्धी वाजिब धन वसूली विषयक प्रार्थना पत्रों पर 19 जुलाई, 1972 को सुनवाई की थी ? यदि हां तो उक्त विषय में अब तक क्या उचित कार्यवाही की गई ?

श्री गणेश दत्त वाजपेयी—

जी हां । दिनांक 19 जुलाई, 1972 को श्री गोपाल चन्द्र वार्ष्णेय के धन वसूली प्रार्थनापत्र पर सक्षम अधिकारी, अलीगढ़ (अतिरिक्त प्रादेशिक संराधन अधिकारी, अलीगढ़, ने सुनवाई की थी तथा दिनांक 12 नवम्बर, 1972 को उनका दावा रद्द कर दिया ।

श्रमायुक्त का दौरा

11—श्री राम कुमार दीक्षित—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में श्रमायुक्त ने देहरादून, गाजियाबाद और झांसी में कब-कब कितने दिनों तक किस विभागीय प्रयोजन से दौरा किया है ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी—

कथित वर्ष में दिसम्बर, 1972 तक श्रमायुक्त एक बार देहरादून 18 से 21 अगस्त, 1972 तक राज्य श्रम त्रिदलीय वस्त्र उद्योग सम्मेलन में भाग लेने तथा एक बार गाजियाबाद 24 मई, 1972 को शुगर बोनस कमेटी की बैठक में गये थे । झांसी विभागीय प्रयोजन से नहीं गये ।

12—श्री सर्वसुख सिंह—

[3रे गुरुवार में प्रश्न संख्या 17 पर उत्तरित]

पर्वतीय अंचल के जिलों में उद्योगों की स्थापना

13—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पर्वतीय अंचल के जिलों में किन-किन उद्योगों को लगाने पर विचार कर रही है ? उनमें से कौन-कौन से सार्वजनिक क्षेत्र में, कौन से निजी क्षेत्र में तथा कौन से संयुक्त क्षेत्र में लगाये जायेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी "ट" आगे पृष्ठ 792–793 पर)

देवरिया जिले में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम

14—श्री बांके लाल—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के अन्तर्गत कितने प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनका सम्बन्ध उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से है और उन स्कूलों के शिक्षकों का वेतन-क्रम क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

केवल एक । इस विद्यालय के प्रशिक्षित अध्यापकों का वेतनमान रु० 70–125 तथा अप्रशिक्षित अध्यापकों का रु० 50 (नियत) है ।

15—श्री बांके लाल—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् के अध्यापकों और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संलग्न प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-क्रम में कितना अन्तर है अगर अन्तर है तो इसका कारण क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला परिषद् के प्राइमरी स्कूलों के, जो अब बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण में है, प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के वेतन मान क्रमशः रु० 80–125 तथा रु० 60–70 है जबकि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी स्कूलों के वेतनमान प्रश्न 14 के उत्तर के अनुसार हैं ।

वेतनक्रमों में यह अन्तर बहुत काल से चला आ रहा है और अब इसको दूर करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

16—श्री कल्याण सिंह तथा श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[6वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आढ़त बाजार, देहरादून में ट्रक दुर्घटना

17—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून के दिनांक 21–10–72 को आढ़त बाजार में रामलीला के जुलूस पर एक ट्रक के चढ़ जाने से जिसका शहर की सीमा के भीतर 80 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ए० आर० टी० ओ० की गाड़ी पीछा कर रही थी, कितने व्यक्तियों की मृत्य हुई ? क्या जनता ने इस के सम्बन्ध में 22–10–72 को पूर्ण हड़ताल रखी और सायंकाल आम सभा की ? जिसमें पुलिस एवं ए० आर० टी० ओ० की भर्त्सना की ? यदि हां, तो सरकार ने इस कांड की जांच कराई, जांच के परिणाम क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 21–10–72 को आढ़त बाजार देहरादून में रामलीला के जुलूस में कुछ आदमियों को कुचलती हुई एक ट्रक दूसरी खड़ी ट्रक से जा टकराई जिसके फलस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु घटनास्थल पर और दो व्यक्तियों की मृत्यु अस्पताल में हुई उक्त ट्रक का पीछा ए० आर० टी० ओ० देहरादून कर रहे थे परन्तु यह प्रमाणित नहीं हुआ कि वह अपनी गाडी 80 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहे थे । इस दुघटना के मृतकों की सहानुभूति में दिनांक 22–10–72 को बाजार बन्द हो गया व हड़ताल रही तथा सायंकाल की सभा भी हुई जिसमें ए० आर० टी० ओ० की भर्तसना की गई । पुलिस के प्रति कोई निन्दा नहीं की गई । इस मामले की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा कराई गई थी । क्या जांच से ए० आर० टी० ओ० को दुर्घटना के लिये उतरदायी नहीं पाया गया । दुर्घटना के सम्बन्ध में धारा 279/302/338 भारतीय दंड विधान का मुकदमा दर्ज करके जांच की गई और ट्रक चालक के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया । मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री बलराज शर्मा, असिस्टेंट, फाइनेंस डिफेन्स मिनिस्ट्री, केन्द्रीय सरकार के प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि

18—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री बलराज शर्मा, जो केन्द्रीय सरकार में फाइनेंस डिफेन्स मिनिस्ट्री में असिस्टेंट हैं, के एक प्रार्थना पत्र जो उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को दिनांक 23–12–72 को प्रेषित किया था, की प्रतिलिपि मिली, जिसमें उन्होंने अपने भतीजे श्री धर्मपाल शर्मा, एडवोकेट, मुजफ्फरनगर को दिनांक 20–11–72 को शुक्रताल मुजफ्फरनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या किये जाने तथा अभी तक लाश के प्राप्त न होने तथा कुछ व्यक्तियों का नाम लिख कर अपना संदेह उनके विरुद्ध प्रगट करते हुये सी० आई० डी० द्वारा जांच की मांग की थी, प्राप्त हुआ ? यदि हां तो सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रश्न में उल्लिखित श्री बलराज शर्मा के दिनांक 23-10-72 के प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि शासन को प्राप्त हुई । उस पर पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा जांच कराने से ज्ञात हुआ कि श्री धर्मपाल शर्मा, एडवोकेट की मृत्य गंगा नदी में डूबने के कारण हुई तथा उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित उनके अपहरण किये जाने का आरोप जांच से निराधार पाया गया । पर्याप्त खोज किये जाने के बावजूद उनकी लाश प्राप्त नहीं हो सकी ।

देहरादून की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

19--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून के दर्शनी गेट तथा पीपल मंडी के दुकानदारों ने पुलिस के अत्याचारों के विरुद्ध दिनांक 23-12-72 को बाजार लगभग दो घंटे बन्द रखा और दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की ? यदि हां तो सरकार ने अब तक इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा कुछ दुकानदारों के विरुद्ध बाहर सड़कों पर अनाधिकृत रूप से दुकान बढ़ा लेने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने पर दिनांक 23-12-72 को देहरादून के पल्टन बाजार पीपल मंडी आदि के कुछ दुकानदारों ने कुछ समय के लिये दुकानें बन्द कर दी थी । पुलिस द्वारा दुकानदारों पर अत्याचार किये जाने का आरोप लगाते हुये सम्बन्धित पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की मांग भी की गई । जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार पाये गये अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

कृषक औद्योगिक पाल इंटर कालेज, हरिहरपुर, बस्ती के विरुद्ध शिकायत

20--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि मुख्य मंत्री जी को दिनांक 8-12-72 का शिकायती पत्र श्री नन्द किशोर शुक्ला, प्रवक्ता कृषक औद्योगिक पाल इन्टर कालेज, हरिहरपुर बस्ती का उपरोक्त कालेज के ही अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के विषय में मिला ? क्या ऐसे ही शिकायती पत्र शिक्षा निदेशक, शिक्षा उप निदेशक, गोरखपुर मंडल तथा राज्य शिक्षा मंत्री जी को दिनांक 11-12-70, 15-1-71, 12-2-71, 10-2-72, 7-6-72, 26-7-72 तथा 8-12-72 को भी भेजे गये थे ? यदि हां, तो सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं । केवल 11-12-70, 15-1-71, 12-2-71 तथा 7-6-72 के शिकायती पत्र प्राप्त हुये । विद्यालय निरीक्षक बस्ती ने आवश्यक कार्यवाही करके संस्था के प्रबन्धक तथा श्री शुक्ल को 26-6-72 को सूचित कर दिया ।

उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1973†

कारागार मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 22(4)2/4-2-67, दिनांक 12 फरवरी 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता (व्यापार विनियमन) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1973 को उत्तर प्रदेश तेंदू पत्ता व्यापार विनियमन अधिनियम, 1972 की धारा 18 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गई ।

परिवहन राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री निहाला सिंह, श्री अमरनाथ दुबे, श्री सुरेन्द्र विक्रम, श्री बंशीधर पांडेय, श्री राम बिलास पांडेय ने एक प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का श्री देवकी नन्दन विभव, राज्य परिवहन मंत्री के विरुद्ध उठाया है । उन्होंने लिखा है कि दिनांक 13-3-1973 को श्री निहाला सिंह व श्री अमरनाथ दुबे, विधायक राज्य परिवहन मंत्री से उनके कार्यालय में कार्य से गये तो श्री विभव जी के कमरे में आध घंटे तक बैठे रहने के बाद श्री विभव मुखातिब नहीं हुये । जब उनसे कहा गया तब उन्होंने कहा कि मेरे निजी सचिव से मिलो जब निजी सचिव से उपरोक्त विधायक मिले तो उन्होंने कहा कि कल आना आज फुरसत नहीं है । अतः दुबारा कल दिनांक 14-3-73 को जब उपरोक्त विधायक श्री विभव के कार्यालय में गये तो मिनिस्टर उलट-पुलट करके टाल-मटोल करके कहा कि ऐसे कार्य नहीं होता है । इस पर उनसे इन लोगों से कहा सुनी भी हुई । यह इन विधायकों का घोर अपमान है और यह अपमान श्री विभव ने जानबूझ कर कराया क्योंकि यह विधायक संगठन कांग्रेस के हैं अतः श्री विभव व उनके निजी सचिव को इस अभद्र व्यवहार के लिये विशेषाधिकार का नोटिस देते हैं । इसमें लिखा है कि उनसे इन लोगों से कहा-सुनी हुई । यह कहा सुनी किनसे हुई ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

विभव जी के निजी सचिव और श्री निहाला सिंह व श्री अमर नाथ दुबे में कहा सुनी हुई ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह औचित्य का प्रश्न है । यह उचित बात नहीं हुई । लेकिन यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है । मैंने इसे इसीलिये जानबूझ कर पढ़ा कि मैं मंत्री जी से कह दूं कि वे जांच कर के बता दें कि यह कैसे हुआ ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आप पहले हमारी बात भी सुन लें । यह विशेषाधिकार का प्रश्न है । शासन के मंत्री बिलकुल बेनकेल के ऊंट और बेलगाम के घोड़े हो गये हैं । मंत्रियों का अपने कर्मचारियों पर कोई असर नहीं है । खासकर परिवहन मंत्री का मामला ऐसा है कि वह बोल नहीं सकते । वह तर्क, बुद्धि और कर्म तीनों से अकर्मण्य हैं । इस सदन में वह न कभी हाजिर होते हैं न कभी अपने विभाग का जवाब देते हैं । पता नहीं मुख्य मंत्री उनके पोर्टफोलियों में कब तब्दीली करेंगे । आजकल मंत्रियों के पी० ए० लोग उनके कार्य को चलाते हैं जो इस सचिवालय में कभी नहीं सुना जाता था । यह मंत्रियों के पी० ए० सारे कुकर्म कर रहे हैं । वैसे उनका भी दोष नहीं है क्योंकि यह लोग खुद ही उनसे कह देते हैं । इसलिये कत्ल करने वाला इतना दोषी नहीं है जितना कि ललकारने वाला । पी० ए० लोग तो इनके इशारे पर ही काम करते हैं । यह विशेषाधिकार का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

यह औचित्य का प्रश्न है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

औचित्य से ही तो विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है । मंत्री ने सुना नहीं और बुलडागों से नुचवाने लगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है । हम जनता के प्रतिनिधि होकर आये हैं और जनता के प्रतिनिधियों को जनता के हित में उनसे बात करने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष—

यह मीटिंग इस तरह से यहां पर नहीं होनी चाहिये । माननीय कृष्णानन्द राय जी कृपा करके अपने पास माननीय सदस्यों को इकट्ठा न करें ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तो मान्यवर, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसे आप औचित्य का प्रश्न न समझें । यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न है । अगर आप हमको जनप्रतिनिधि समझते हैं और इससे सहमत होंगे कि मंत्री सरकार के प्रतिनिधि माने जा सकते हैं तो हमें अधिकार उनसे मिलने का और जनहित में कोई बात करने का है । जो उन्होंने व्यवहार किया है, जैसा बंशीधर जी ने कहा कि वह बहुत अशोभनीय है और सचमुच हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है । एक बात और कह दूं और आपके द्वारा मंत्रिगण से प्रार्थना करता हूं कि इस बात को कचेहरी से लेकर यहां तक जो आजतक इसको बुरा माना गया है जब यह कह दिया जाता है कि मेरे पेशकार से मिल लो तो यहां विधायकों के प्रति उसी प्रकार का व्यवहार हो और आप चाहें उसे औचित्य का प्रश्न कहें लेकिन दूसरे बाहर वाले इसे अवश्य ही क्या समझेंगे इसको कहने की आवश्यकता नहीं है । तो मैं यह कह रहा हूं कि आप इसे प्रिविलेज का क्वेश्चन मान कर आगे की कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह समझता हूं कि यह प्रिविलेज का प्रश्न तो बनता नहीं है क्योंकि दूसरे व्यक्ति की भी राय आना आवश्यक है । मैं समझता हूं कि यह व्यवहार अनुचित है और मैं उनको लिखूंगा और उनका स्टेटमेंट लूंगा और उसको यहां पर बता दूंगा लेकिन यह चीज नहीं होगी कि इसको मैं सदन के अवमान का प्रश्न मानकर उसको कमेटी में भेज दूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारा जन प्रतिनिधियों को क्या यह भी प्रिविलेज नहीं है कि हम उनसे बातें करें ।

श्री अध्यक्ष—

वह तो है लेकिन यह प्रिविलेज का प्रश्न नहीं बनता है । क्योंकि उसमें और बहुत सी बातें आती हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह महत्व की बात नहीं है कि मंत्रीगण से सदस्य लोग जनहित की बातें जाकर कह सकें ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसीलिये यह कहा कि यह बात मालूम हो जाय कि क्या उन्होंने कोई अभद्र व्यवहार स्वयं किया है ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अभद्र क्या है । अब तो जब से सिक्योर मुद्रा हुई है सभी व्यवहार भद्र मान लिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

उनके आदमियों ने किया है तो मैं उनसे एक्सप्लेनेशन लूंगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम —

श्रीमन् जब निहाला सिंह जी और अमरनाथ जी विभव जी के पास गये तो विभव जी ने उनको मजबूर किया कि उनके पी० ए० से मिलें और वे उनसे बात नहीं करेंगे । यही आक्षेप है और हम चाहते हैं कि विशेषाधिकार समिति के सामने एक बार मसला जा कर तय हो जाय कि मंत्री जी से मिलना विधायकों का अधिकार है । अगर प्रिविलेज कमेटी उसको खारिज कर देती है तब बात और है ।

श्री अध्यक्ष—

सवाल यह है कि आपने जिसे जिम्मेदार ठहराया है तो प्राब्लेम में मैं नहीं मानता हूं कि उन्होंने इस कृत्य को किया है । उनका एक्सप्लेनेशन आने के बाद पता लग जायेगा कि उनका इसमें कोई हाथ है या नहीं । इसमें यह आरोप है कि उन्होंने जान बूझ कर ऐसा कराया है । तो इसीलिये उनसे एक्सप्लेनेशन लेना जरूरी हो गया कि क्यों उन्होंने अपमान कराया या ऐक्सीडेंटली हुआ है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

मेरा यह कहना है कि अगर कोई विधायक किसी मंत्री से मिलने जावे तो यह तो बात हो सकती है कि उस वक्त मंत्री जी को समय न हो और वे यह कह दें कि किसी दूसरे वक्त मिल लो लेकिन यह बात कि मंत्री जी यह कह दें कि उनके निजी सचिव से मिल लो । यह बात क्या विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

आपने उनका स्टेटमेंट ले लिया क्या कि उन्होंने अपने पी० ए० से मिलने के लिये कहा भी था या नहीं ? उनका स्टेटमेंट आ जाने के बाद यह प्रश्न सदन के सामने आयेगा । जब उनका स्टेटमेंट आ जायेगा तब सदन को सुना दूंगा ।

श्री बंशीधर पांडेय—

उनका स्टेटमेंट आने के बाद सदन के सामने यह चीज आयेगी कि यह औचित्य का प्रश्न है या प्रिविलेज का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष—

जो कुछ आयेगा वह सदन के सामने रख दूंगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यह विशेषाधिकार का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं, विशेषाधिकार का नहीं आयेगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

जब आप पूछेंगे तो वे कह देंगे कि बिल्कुल गलत है । यह तो वही हुआ कि हमें कोई मारे और मारने वाला कहे कि हमने नहीं मारा । हम तो रोज पिटते रहेंगे । कहिये तो मैं भी दो-चार के बारे में लिख कर दे दूं । रोज हो रहा है ।

श्री राम वचन (जिला आजमगढ़)—

मेरे क्षेत्र के आदमी आये थे । वे कोटे से डेक्सी लेना चाहते थे । मैं विभव जी के कमरे में 10-12 दफा गया ।

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरा सवाल है । दूसरा चार्ज है तो भेजिये मेरे पास ।

श्री रामबचन—

जरा सुन लीजिये। हम कई बार गये और विभव जी टालते रहे। कहा गया कि मेरे पी० ए० के यहां जाइये। मैं उनके पास गया। उन्होंने कहा कि कमेटी में आने वाला है। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं विभव जी के यहां नहीं गया था बल्कि वहां गया था जहां क्लर्क बैठते हैं। और उनके पास जाना पड़ता है। मैंने उनसे कहा कि मैं विभव जी के यहां नहीं जाऊंगा चाहे मुझे वोट देना या न देना।

(व्यवधान) [***]

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आचार्य जी जवाब देने के लिये सक्षम नहीं है। कोई कैबिनेट मिनिस्टर जवाब दे।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये। मैंने श्री लक्ष्मी रमण आचार्य को बुलाया है।

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं बहुत बातें न ीं कहना चाहता। मेरा ऐसा ख्याल है कि यह ऐसा सवाल है जिस पर कि सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। दुर्भाग्य से इस वक्त विभव जी नहीं हैं।

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

मैं आग्रह करूंगा कि विभव जी को बुलवा लें क्योंकि उनके ऊपर आरोप है।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपकी बात सुनूं और उनकी बात न सुनूं।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

जहां तक कि इस बात का प्रश्न है कि सदन के कुछ माननीय सदस्य विभव जी के पास गये मैं स्वयं इस बात का पक्षपाती हूं कि विभव जी के द्वारा उन्हें अधिक से अधिक सम्मान प्रदान किया जाना चाहिये था। उन्होंने गालिबन आपकी बात सुनी और उसके बाद उन्होंने यह कह दिया कि हमारे पी० ए० या पी० एस० से मिल लें और उनको बात बता दें।

श्री शंकर प्रसाद जायसवल—

क्या आप वहां बैठे थे ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठें।

श्री सुरेन्द्र बिक्रम—

उन्होंने बात ही नहीं सुनी। वे 1/2 घंटे बैठे रहे। उन्होंने माननीय निहाला सिंह व माननीय अमरनाथ दुबे से कहा कि जाइये जो कुछ कहना है मेरे निजी सचिव से कहिये

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

इससे पूर्व कि श्रीमन् इसमें कुछ निर्णय ले मैं यह चाहूंगा कि विभव जी की बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने तो पूछने के लिये ही निर्णय लिया है।

[***] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—

मेरा निवेदन है कि शायद हमारे माननीय मित्र इससे पूर्ण रूप से सहमत हो जायेंगे कि विभव जी का तात्पर्य यह था कि आपकी जो कोई बात है उसको प्राइवेट सेक्रेटरी को लिखवा दें जिससे कि विभव जी उस पर विचार कर लें। तो इस पर विचार आप कर लें। मैं दूसरे दिन की बात के लिये नहीं कहना चाहता हूं लेकिन दूसरे दिन यह जो पी० ए० के दुर्व्यवहार की बात कही गई है तो मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि यह विभव के आदेश से नहीं किया गया है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इसमें विभव जी को सुन लें और उसके बाद विचार कर लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

अध्यक्ष जी यह जो रामबचन यादव जी ने कहा है आपने उस बारे में क्या सोचा है। उन्होंने बड़ी गंभीर बात कह दी है।

श्री अध्यक्ष—

वह मुझे लिखकर भेजें। मैं तो एक-एक शब्द उसका देखूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मंत्री जी बात नहीं करते हैं, अपने पी० ए० के मार्फत बात करते हैं।

सदन के बाहर घोषणायें करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

अब मैं नं० 6 लेता हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

जो आइटम आप ले रहे हैं उस पर एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कई बार व्यवस्था दी है कि जो महत्वपूर्ण घोषणायें हैं वह पहले सदन के अन्दर होंगी। इस वक्तव्य को स्वीकार कर लिया गया था और आज वक्तव्य होना था लेकिन कल ही इस सदन के बाहर यह सारा वक्तव्य हो गया है। मेरे पास नेशनल हेराल्ड की कटिंग है। उसमें पूरा बयान मुख्य मंत्री जी का आ गया है। इसमें यह भी लिखा है कि सन् 1961 का आदेश वापस ले लिया जावेगा। जितनी भी बातें होनी थीं उन सब को सदन के बाहर घोषणा हो चुकी है। मैं इसको प्रीविलेज का मामला तो नहीं कहता हूं लेकिन आपने कई बार इस संबंध में रूलिंग दी है तो एक दिन पहले ऐसा नहीं होना चाहिये था जब कि सदन बैठा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते हैं तो मैं इन्क्वायरी करा लूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आप इन्क्वायरी करा लें लेकिन क्या ऐसा होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

नहीं होना चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि सदन के बाहर यह घोषणा नहीं होना चाहिये थी। उनका सालाना सम्मेलन हो रहा था। उसमें कोई बात न कही जाय यह असंभव है। इसलिये इस सम्बन्ध में निर्णय लेने से पहले ऐसी परिपाटी डाली जाय कि व्यवहारिक हो।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मुझे गलत समझा गया। मैं सरकार की रोजाना की एक्टीविटीज को बन्द करने के लिये नहीं कहता लेकिन जो स्टेटमेंट सदन में होना चाहिये वह बाहर हुआ है। इससे सदन की महत्ता क्या रह जाती है। इस पर व्यवस्था भी है कि महत्वपूर्ण घोषणायें सदन में होना चाहिये।

ग्राम सेवकों की मांगों के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब वक्तव्य दिया जाय।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

पिछले कुछ वर्षों से सामुदायिक विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत ग्राम सेवकों की ओर से कुछ सेवा संबंधी मांगें व कठिनाइयां प्रस्तुत की गयी हैं जिन पर शासन ने सदैव सहानुभूति पूर्वक विचार किया है और जितना संभव हुआ है मांगों को पूरा और कठिनाइयों को दूर किया गया है।

2—ग्राम सेवकों का मुख्य-मुख्य मांगें आदि निम्न प्रकार हैं:—

(1) ग्राम सेवकों के वर्तमान वेतनमान रु० 120–220– को बढ़ाया जाये (2) उक्त वेतनमान में एक सेलक्सन ग्रेड रखा जाय (3) नियत 10/–रुपये प्रतिमास साइकिल एलाउन्स बढ़ाया जाय। (4) ग्राम सेवकों को कृषि आदि कार्य के प्रसंग में कृषि उपकरणों आदि को अपने पास रखने के उपलक्ष्य में स्टोर एलाउन्स दिया जाय (5) उनकी यह भी मांग है कि उनकी पदोन्नति के श्रोत खोले जायें जिसके लिये वे मुख्यता 15–6–1961 के शासनादेश सं0 3084/35–क–129 एन0 ई0 एल0/58 दिनांक 15 जून, 1961 को जिसके अनुसार तत्कालीन विभिन्न वर्ग के सहायक विकास अधिकारियों के पद संबंधित कृषि, सहकारिता व पंचायत राज विभागों में विलीन किये गये थे व जिसमें ग्राम सेवकों को उक्त सहायक विकास अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति का प्राविधान था परन्तु जिनके अनुसार उन्हें मुख्यतः कृषि विभाग में पदोन्नति से वंचित रखा गया है। वापिस लिया जाय तथा प्रादेशिक सामुदायिक सेवा संगठन का निर्माण किया जाय (6) यह भी मांग है कि ग्राम सेवकों को जो पूर्व सेवा कालीन तथा उच्च प्रशिक्षण दिया जाता उसको प्रसार डिप्लोमा अथवा डिग्री की मान्यता दी जाय (7) परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता के लिये उन्हें सेवा से प्रथक करने का दंड न दिया जाय (8) अवशेष देयों आदि का भुगतान शीघ्रता से कराया जाय तथा (9) उनके सेवा संबंधी अभिलेख पूर्ण किये जायें।

3—जहां तक उक्त मांग संख्या 1 व 2 का प्रश्न है वेतन आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय हो जाने के पश्चात यदि ग्राम सेवक उससे संतुष्ट नहीं होते है तो शासन आगे विचार करेगा।

मांग संख्या 3 के संबंध में स्थिति यह है कि 10 रुपया प्रतिमाह निश्चित यात्रा भत्ता (फिक्सड टी0ए0) ग्राम सेवक सर्किल के अन्दर ही यात्राओं के संबंध में दिया जाता है बशर्ते कि ग्राम सेवक अपनी साइकिल अच्छी हालत में रक्खें और यदि ग्राम सेवक अपने सर्किल के बाहर खंड के मुख्यालय अथवा जिला नियोजन कार्यालय आदि की यात्रा करता है तो उन यात्राओं के लिये उसे सामान्य नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जाता है। प्रदेश के अधिकांश ग्राम सेवकों को ग्राम सेवक सर्किल के हेड क्वार्टर से अपने सर्किल में 5 मील तक ही यात्रा करनी होती है और सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार हेड क्वार्टर से 5 मील तक यात्रा करने पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होता है। यह 10 रुपये प्रतिमाह निश्चित यात्रा भत्ता एक प्रकार से साइकिल के रख रखाव के लिये ही दिया जाता है। अन्य

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

विभागों में साइकिल के रख रखाव के लिये 3 से 5 रुपया तक ही केवल प्रति माह दिया जाता है । इस प्रकार जो 10 रुपया निश्चत यात्रा भत्ता दिया जा रहा है उसके बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।

जहां तक स्टोर एलाउन्स का प्रश्न है उस पर बड़े ही विस्तार से विचार हुआ है परन्तु खेद है कि कतिपय वित्तीय कठिनाइयों के कारण अभी मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है । आशा है कि अंतिम निर्णय अब शीघ्र हो जायेगा ।

मांग संख्या 5 के ऊपर शासन ने बड़े ही विस्तार से विचार किया है जिसके लिये एक विशेष मीटिंग मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 12–2–73 को हुई जिसमें अन्य संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त कृषि निदेशक, पंचायत निदेशक व निबंधक सहकारी समितियां भी उपस्थिति थे । पुनः इसी प्रश्न को और विस्तार से विचार कर निर्णय लेने हेतु 24–2–73 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई जिसमें ग्राम सेवक संघ के प्रतिनिधि जैसे अध्यक्ष व महामंत्री आदि व क्षेत्र विकास अधिकारी संगठन के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था ताकि निर्णय लेने के पूर्व उनके विचारों का भी लाभ उठाया जा सके । उक्त मीटिंग में ग्राम सेवकों ने मुख्य शिकायत यह उठाई थी कि 15–6–61 के शासनादेश में जिस निर्धारित कोटे में उनकी पदोन्नति सहायक विकास अधिकारी (कृषि) सहकारिता व (पंचायत) के पदों पर होनी चाहिये थी उसके अनुसार उनकी पदोन्नति विशेषता कृषि विभाग में आज तक नहीं की गई । अंतिम निर्णय लेने के पूर्व मुख्य सचिव ने इस मांग कि 15–6–61 का शासनादेश वापिस लिया जाये–के औचित्य के लिये कुछ ब्लाकों में जाकर स्थिति का अध्ययन करने का विचार प्रगट किया था । इस संबंध में विचार विमर्श के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । फिलहाल कृषि निदेशक ने 13–3–73 को 140 ग्राम सेवकों के पदोन्नति के आदेश प्रसारित कर दिये है । निबन्धक सहकारी समितियां ने भी क्षेत्रीय उप निबंधकों को यह निदेश दे दिये हैं कि वे ग्राम सेवकों की सहकारिता विभाग में पदोन्नति उनके कोटे के अनुसार दे दें ।

ग्राम सेवकों को पूर्व सेवा कालीन तथा उच्च प्रशिक्षण के लिये प्रसार डिप्लोमा या डिग्री देने का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता फलतः इस मामले में अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

परिवार नियोजन के कार्यक्रम की असफलता के कारण ग्राम सेवकों को दंडित न किया जाय इसके बारे में आवश्यक निर्देश जारी किये गये थे । पुनः एक परिपत्र जारी किया जा चुका है।

अवशेष देयों का शीघ्र भुगतान व सेवा संबंधी अभिलेखों को पूर्ण करने के लिये भी आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को भेजे जा चुके हैं ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि ग्राम सेवकों को बहुत काम कृषि उत्पादन के संबंध में करना पड़ता है क्या यह आदेश भेजेंगे कि उनसे परिवार नियोजन का कार्य बिल्कुल न लिया जाय ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, परिवार नियोजन का कार्य एक राष्ट्रीय कार्य है । उसमें सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को योगदान करना पड़ता है । इसलिये यह आदेश देना संभव नहीं है कि वह कृषि के अलावा परिवार नियोजन के कार्य को न करें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मंत्री जी कृषि को अराष्ट्रीय कार्य समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको नहीं बुलाया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी ग्राम सेवकों के सम्मेलन में यह आश्वासन दे चुके हैं कि 1961 का जी0ओ0 वापस ले लिया जायगा और आपके इस बयान के अन्दर यह है कि उस पर केवल विचार किया जायगा यह स्पष्ट आश्वासन सदन को देंगे कि यह वापस ले लिया जायगा और उनके लिये एक सेपरेट डायरेक्टोरेट बना दिया जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

1961 के जी0ओ0 को वापस लेने के लिये जो ग्राम सेवक संगठन की मांग थी वह इसलिये की गयी थी कि जो कोटा कृषि और सहकारिता तथा पंचायत राज का निर्धारित किया गया है वह पूरा नहीं हो रहा है । अब कोटा पूरा करने के लिये आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं । कृषि विभाग ने 140 ग्राम सेवकों की पदोन्नति कर दी है और सहकारिता विभाग ने 171 की पदोन्नति के आदेश अपने उपनिबन्धकों को दे दिये हैं । इस पर विचार करते समय ग्राम सेवक संघ के अध्यक्ष और महामंत्री भी उस बैठक में शामिल थे और उन्होंने यह कहा कि इन विभागों ने कोटा पूरा नहीं किया है इसलिये वह आदेश वापस ले लिये जायं। इस तरह से उनकी यह मांग पूरी हो जाती है और आवश्यकता होगी, अगर फिर भी कहीं एनामली रह जायेगी, तो जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा है उस प्रश्न पर विचार करके जी0ओ0 को भी वापस ले लेंगे ।

(श्री देवकीनन्दन विभव के उठ कर जाने पर गये–गये की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक नहीं है ।

श्री रामविलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

यह पूरे सदन की इच्छा है कि वे यहां बैठें ।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं उनसे पूछूंगा, यह तरीका ठीक नहीं है ।

श्री रामविलास पांडेय—

क्या इस परिपत्र के जारी करने के पूर्व इस तरह के कोई आदेश गये थे कि जो ग्राम सवक 4–5 केस न दे पायें उनको दंडित किया जाय ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

ग्राम सेवकों की नियुक्ति आदि अतिरिक्त जिलाधीश, नियोजन करते हैं । यह स्थानिक प्रश्न है । उन्होंने क्या आदेश दिये यह पता नहीं है । लेकिन जब यहां इस प्रकर की शिकायत आयी तो शासन ने यह आदेश जारी किये कि इस कारण से किसी को भी दंडित न किया जाय और अगर किसी को दंडित कर दिया गया है तो उसे वापस लिया जाय, कर्मचारी अपनी जगह पर काम करने दिया जाय ।

श्री रामविलास पांडेय—

आपके आदेशों के बावजूद भी ग्राम सेवक दंडित होते रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन आदेशों के पूर्व इसके लिये क्या कोई आदेश आपके यहां से जारी हुये थे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जब-जब शासन को इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों के आधार पर शासन ने निर्देश दिया है कि जिन ग्राम सेवकों ने परिवार नियोजन में ठीक तरह से काम नहीं किया है उनको दंडित न किया जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

इस समय अलग अलग विभाग से सामुदायिक विकास विभाग की साझेदारी चल रही है । यह निश्चित है कि यह विभाग आगे भी चलेगा । तो क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि इस विभाग का अगल से गठन कर दिया जाय और इस साझेदारी को खत्म कर दिया जाय ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस विभाग का अनेक विभाग से समन्वय चलता है यह ठीक है । इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और किया जायेगा कि हम प्रृथक से एक निदेशालय स्थापित करें या न करें । कार्य की दृष्टि से इस प्रश्न पर बहुत बारीकी से छानबीन करने की आवश्यकता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैं यह पूछना चाहता हूं कि.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मंत्री जी पहले इतना बतला दें कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसको आदर प्रदान किया जायेगा या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने यह नहीं कहा कि उन्होंने जो आश्वासन दिया है उसको नहीं माना जायेगा, बल्कि मेरा कहने का मतलब यह है कि उस आश्वासन के मुताबिक उसे काफी छानबीन करने की आवश्यकता है और उसके बाद ही निर्णय लेना सम्भव होगा । आश्वासन तो ग्रामसेवक संघ के वार्षिक अधिवेशन में लिया गया है और वह चीज हमारे समक्ष है । हमें उस आश्वासन को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं है । लेकिन उसको बारीकी से देखना पड़ेगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह जो वेतनमान हैं—नम्बर 1/2 की मांगें, वेतन आयोग की रिपोर्ट आ गई है और आपने कहा है कि यदि उससे उसको कुछ असन्तोष होगा तो आप उस पर विचार करेंगे । अब आपको स्पष्ट जानकारी वेतन आयोग की रिपोर्ट से है कि इनको असन्तोष है, वेतन मानों पर और सेलेक्शन ग्रेड देने के लिये तो क्या मंत्री जी इस पर विचार कर रहे हैं कि उनको वेतन में बढ़ोत्तरी देकर और उनके सेलेक्शन ग्रेड को बढ़ाकर उनका असन्तोष दूर किया जाय ।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वेतन आयोग की रिपोर्ट ज्यों की त्यों सरकार ने स्वीकार कर ली है । इस पर अब जिन लोगों को आपत्ति होगी या कहीं एनोमली रह गई होगी, उस पर शासन फिर से विचार कर सकता है । यह शासन ने निर्णय लिया है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो विवरण इस वक्तव्य में आया है उससे पता चलता है कि 1961 के शासनादेश को वापस लेने का विचार काफी समय से चल रहा है और माननीय मुख्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया है वह उसकी गहराई में जाने के बाद ही दिया गया होगा, ऐसा मैं समझता हूं । जबकि मंत्री जी कह रहे हैं कि उस पर छानबीन होगी, तो क्या मुख्य मंत्री जी ने बिना जाने बूझे आश्वासन दे दिया था, जिससे उनको अब इसकी छानबीन करनी पड़ेगी गहराई में ? यदि नहीं तो माननीय मंत्री जी उस आश्वासन की कब तक पूर्ति करा देंगे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं, इसमें विलम्ब नहीं होगा। इसमें जल्दी ही निर्णय ले लिया जायगा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उनका विभाग विभिन्न विभागों का एक सामंजस्य है, तथा इस बात को देखते हुये कि बेचारा ग्रामसेवक सहकारिता, कृषि विभाग के कार्यों को करता है तथा नसबन्दी भी करता है और पिछले वार्षिक अनुभवों को देखते हुये उनका एक अलग विभाग बनाएगी, जिससे उनको प्रमोशन मिल सकें तथा अन्य सुविधायें प्राप्त हो सकें ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मैंने इन्कार तो नहीं किया ।

एक सदस्य—

लेकिन इस रार भी तो नहीं किया ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि परिवार नियोजन के संबंध में ग्राम सेवकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाय, इस बात के आदेश दे दिये गये हैं, किन्तु मेरी जानकारी में गाजीपुर तथा बलिया में परिवार नियोजन के सिलसिले में कई ग्रामसेवक निलम्बित पड़े हुये हैं, तो क्या सरकार जिलाधिकारियों को आदेश देने की कृपा करेगी कि गाजीपुर और बलिया में ग्राम सेवकों के निलम्बन आदेश तुरन्त वापस लिये जायं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यदि कहीं आज भी परिवार नियोजन के संबंध में ग्रामसेवक निलम्बित होगा तो उनको बहाल कर दिया जायगा । ऐसे आदेश यहां से गये हैं ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि 13-3-73 को जब ग्रामसेवकों ने प्रदर्शन किया, तब आपने 140 ग्रामसेवकों की पदोन्नति की घोषणा की, जबकि वह शासन देश 15-6-61 के अनुसार होना चाहिये था, तो सन् 61 से 73 तक विलम्ब क्यों हुआ ? इतने विलम्ब के बाद प्रदर्शन आदि के बाद यह आदेश हुये हैं तो क्या इससे कर्मचारियों में यह भावना नहीं बनती है कि बिना हड़ताल और प्रदर्शन के इस सरकार में कोई काम नहीं होता है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, हमसे पहले यही भाई-लोग थे, इन्होंने कभी नोटिस लिया ही नहीं, हम तो काम आगे बढ़ा ही रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

माननीय मंत्री जी ने गुमराह किया है ।

(शोर)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

मंत्री जी ने कहा कि हमने नहीं किया । यह हमारे साथ थे, करना चाहते थे, इन्होंने . . .

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

मंत्री महोदय को इनकार भी नहीं है और इकरार भी नहीं है। हां उसके बाहर माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि आपका अलग निदेशालय होगा यह कहां कहते हैं कि उस पर निर्णय करेंगे। निर्णय वह कर चुके। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि उनका निदेशालय बनेगा आप यह कहें। यह न कहें कि निर्णय करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया है वह जरूर पूरा होगा, हाउस को यह विश्वास दिलायें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह भी बता दें कि कितने दिन में होगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय मुख्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया है वह निश्चित रूप से पूरा होगा। [भाइयों को] क्यों शिकायत हो रही है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है इस बात को आप भी मानते हैं कि अलग निदेशालय होना चाहिये, निश्चित अवधि के अन्दर इसकी आप घोषणा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मान्यवर, जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा हम निर्णय लेने की कोशिश करेंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव लेता हूं। श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह तथा श्री बंशीधर पांडेय—लखनऊ और इलाहाबाद के वकीलों द्वारा अदालतों के बायकाट से गम्भीर स्थिति।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, ऐसा है कि इलाहाबाद का स्वीकार कर चुके हैं.....

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य के लिये स्वीकृत हो चुका है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

उसी में जोड़ दिया जाय। उनकी अलग अलग मांगें हैं।

श्री अध्यक्ष—

इलाहाबाद और लखनऊ दोनों हैं। दोनों पर वक्तव्य होगा। यह भी शम्भूनाथ चौधरी, श्री त्रिलोकचन्द्र, श्री सच्चिदानन्द गुप्त तथा श्री शफीक अहमद खां का है—स्टेपुल सूत की बढ़ती हुई कीमतों और सूत का वितरण न्यायोचित ढंग से न हो पाने के कारण बुनकरों में असंतोष। आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ लें। अगर विवाद करना चाहते हैं इस विषय पर तो बजट के विवाद में उठा लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी 'लखनऊ विश्वविद्यालय में पुनः गोलीकांड से अशांत वातावरण' इसके बारे में प्रश्न पूछ लें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

12 दिन में दो बार गोली चल गयी। अब होगा क्या ?

श्री अध्यक्ष—

अस्वीकृत हुआ। 52 में आया है वह आयेगा। वह दूसरी बात है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—
बनकरों के सवाल पर वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—
12 दिन में दो बार गोली चल गयी । कोई ला ऐंड आर्डर है या नहीं । आप बयान करवा दें ।

श्री अध्यक्ष—
नियम 52 में दिया था प्रश्न, माननीय मुख्य मंत्री के पास मैंने समय निर्धारित करने के लिये भेजा है ।]

श्री नित्यानन्द स्वामी—
इसमें इसको जोड़ दें । आप कहते हैं लेकिन जुड़ता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—
अभी आपका नाम जोड़ा था ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—
दस में से एक जुड़ गया ।

श्री अध्यक्ष—
श्री रूपनाथ सिंह यादव हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति देने का आधार बदल देने से छात्र समुदाय में क्षोभ व्याप्त ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—
यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष—
कामरोको प्रश्न का नहीं है ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—
बनता है । हरिजन समाज कल्याण विभाग में पिछड़े वर्ग के छात्रों के प्रति जो नीति बरती जा रही है वह जन विरोधी नीति है ।

श्री अध्यक्ष—
वह कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता । बजट पर आप इस संबंध में कह लीजियेगा ।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—
51 में स्वीकार कर लें ।

श्री अध्यक्ष—
मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है ।

1973–74 के आय–व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत) †

*श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)—
मैं कल इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कर रहा था कि चौधरी साहब ने कल एक आरोप लगाया था कि इस प्रदेश की जनता आज 50 प्रतिशत दो वक्त खाना नहीं पाती । मैं इस सन्दर्भ में यह कह रहा था कि 1964–65 में प्रति हेक्टर गेहूं की पैदावार 913 किलो थी और जब से ये नई मेक्सिकन वेरायटीज आईं और वैज्ञानिकों ने उनको शुद्ध करके जनता को दिया तब से किसानों की पैदावार बढ़ी और वह 71–72 में बढ़ कर प्रति हेक्टर 1382 किलो हो गयी ।

---

† 14 मार्च, 1973 की कार्यवाही से ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

आपका टाइम 1 बजे खत्म हो जायगा।

श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)—

1 बजे में समाप्त कर दूंगा। ऐसी स्थिति में माननीय चौधरी साहब ने जो यह सवाल उठाया था और आरोप लगाया था तो जब वे मंत्री जी थे 67–68 में उस समय इस प्रदेश की जनता क्या 90 प्रतिशत खाना नहीं पाती थी ? यह बात आदरणीय सदन के तय करने के लिए मैं छोड़ता हूं।

मैं सरकारी नीतियों की आलोचना के सदर्भ में एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो इस हाउस की कमेटीज बनाई जाती हैं, आप उनका कायकाल निश्चित करते हैं और जब वे सर्वसम्मति से निर्णय लेती हैं यानी कोई नोट आफ डिसेंट नहीं होता है तो वह निर्णय माना जाना चाहिये इस प्रकार की व्यवस्था और कार्य शैली यहां सदन में निश्चित हो तब मैं समझता हूं कि जन प्रतिनिधियों द्वारा चुनी हुई कमेटियां जो हैं वे अपना सही रूप प्रस्तुत कर सकेंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर प्रश्न उठता है आखिर वे कमेटियां क्यों बनती हैं, भत्ता क्यों मेम्बर्स को दिया जाता है और हम सब लोगों का उनमें क्यों समय बरबाद किया जाता है ? अभी एस्टिमेट कमेटी में एक निर्णय हुआ था बोर्ड आफ रेवेन्यु के सम्बन्ध में। बोर्ड आफ रेवेन्यु के चेयरमैन का अभी हमारी इस कमेटी में साक्ष्य लिया गया। उसके तीन कार्य हैं।

हमारे प्रदेश की यह स्थिति है कि 36 करोड़ रुपये के करीब सेल्स टैक्स का बकाया है। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करता हूं। जब इतनी लम्बी रकम बकाये सेल्स टैक्स की रह जाती है तो हमको टैक्स लगाने पड़ते हैं और सदन में घाटे का बजट प्रस्तुत करना पड़ता है। तब यहां पर उसके बारे में आलोचना होती है और सही माने में वह आलोचना हमको सुननी पड़ती है। प्रजातंत्र में आलोचनायें भी होनी चाहिये ताकि सरकार में जागरुकता रहे।

मान्यवर, यही लखनऊ में सरकार के कान के नीचे एक फर्म हर वर्ष पंजीकृत होती रही, उसे पंजीकरण का नोटिस मिलता रहा। वह 44 लाख रुपया की फर्म थी जो कि लिक्विडेशन में चली गई। फिर भी सरकार ने इसके संबंध में किसी को दोषी नहीं पाया और न ही किसी को इस मामले में सजा दी गई। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की कार्यवाहियां होती हैं और बड़ी-बड़ी फर्में लिक्विडेशन में चली जाती हैं।

इसी तरह से मिसाल के तौर पर बरेली में 10 लाख कुछ हजार रुपये का सेल्स टैक्स बकाया है। उसकी वसूली के लिये चल और अचल संपत्ति को लेने के कोई कदम नहीं उठाये जाते हैं। इस प्रकार जब प्रदेश की आय में कमी होती रहेगी तो घाटे का बजट ही प्रस्तुत करना पड़ता है। यह इस प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य है। सौभाग्य तो मैं इसे नहीं मानता। दुर्भाग्य इसलिये कहता हूं कि लखनऊ इस प्रदेश की राजधानी है, सभी सरकारी कार्यालय लखनऊ में है। यहां पर दो चीजें बड़ी मशहूर हैं—एक नजाकत और दूसरी विनम्रता। इन चीजों के लिये लखनऊ बड़ा मशहूर है। यहां पर प्रदेश के सभी हिस्सों के—पश्चिम के भी, पूर्व के भी, पहाड़ के भी और बनारस के भी मुख्य मंत्री रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति सौजन्यता और विनम्रता का प्रदर्शन करता है तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिये, शायद इस चीज को दुनिया का कोई व्यक्ति बुरा माने।

आज प्रदेश में सबसे सख्त जो मुख्य मंत्री हुये हैं उनकी एक चिट्ठी मेरे पास है। उन्होंने यह चिट्ठी हमारे जिला नैनीताल—बाजपुर के विधायक राम नगीना सिंह, कमरा नं० 86 हाउसफा, ए ब्लाक, लखनऊ को लिखी। माननीय सदस्य ने किसी मामले में एक जांच की

मांग का था। उसके उत्तर में इन मुख्य मंत्री ने दो उत्तर उन्हें दिया है उसे मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं। उस चिट्ठी से ऐसा लगता है कि मानों दर्जा दो का व्यक्ति लिख रहा हो। ऐसी भाषा का उस पत्र में प्रयोग किया गया है। अब मैं वह चिट्ठी सदन के समक्ष पढ़ना चाहता हूं। इसमें लिखा है "एम० 2679,सी० यम०, विधान भवन, लखनऊ, 5 सितम्बर, 1970। प्रिय नगीना सिंह जी, आपका पहली सितम्बर का पत्र पढ़कर तकलीफ हुई। मैं यह जानता हूं कि तराई में पंजाब से आये हुये कुछ लोग इस प्रकार के अपराधों व अशांति के लिये जिम्मेदार हैं। मैं राजस्व मंत्री था, उस समय भी, इन लोगों के खिलाफ मैंने कठोर कार्यवाही की थी परन्तु यह संसार परिवर्तनशील है। शीघ्र ही राज्य की सत्ता तथा वे विभाग ऐसे लोगों के अधीन चले गये जिन्होंने इस पर उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया जितना कि आवश्यक था अथवा लापरवाही बरती। जिसके कारण ही प्रदेश के इस विभाग में एक समस्या पैदा हो गई। मैं आपके पत्र पर उचित कार्यवाही कर रहा हूं। कदाचित आपको विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका, चरणसिंह।" तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को इस बात का ज्ञान है। तराई क्षेत्र में पंजाब से आये हुये लोग इस प्रकार से अनधिकृत रूप से बैठ गये हैं। इस प्रकार से वहां पर चीजें हो रही हैं।

मान्यवर, इसी प्रकार से नैनीताल जिले में एक ब्रिगेडियर गरदीप सिंह हैं जो कि वहां की एक बहुत बड़ी फर्म के मालिक थे। वे उस फर्म को लूट ले गये और उसके बाद वे पंजाब चले गये। एलाटमेन्ट के जो पुराने कागजात थे उनको लेकर वे चले गये। उसी बीच में वह जमीन लगभग ५ आदमियों को दुगने लगान पर एलाट कर दी गयी। जब कोई आदमी वहां है नहीं, जब फार्म को आबाद नहीं कर सकता तो वह दूसरे को एलाट कर दिया गया। जब वह लौट कर आय तो उन्होंने डी० आई० जी० को अपने पुराने कागजात दिखलाये और कुछ अपने साथ गुन्डों बदमाशों को लेकर पहुंचे और उनकी चल व अचल सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया और उन लोगों को भगा दिया। उसी सम्बन्ध में जब श्री रामनगीना सिंह ने पत्र लिखा था तो उसका उत्तर सरकार के मुख्य मन्त्री ने जो दिया वह इस बात का द्योतक है कि ब्यूरोक्रेसी उनके ऊपर हावी है। उनके ऊपर उनकी पकड़ संड़सी और जमूरे की तरह सख्त नहीं है बल्कि उनके सामने वे अपने आपको निरीह समझते हैं। शासन के अधिकारी उनके आदेश का पालन नहीं करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जो अभी मैंने आपको पढ़ कर सुनाया है।

दूसरी बात यह है कि कल से समाजवाद का मखौल उड़ाया जा रहा है। यही नहीं, देहात से लेकर शहरों तक सब जगह, सारी दुनिया में समाजवाद का नारा। समाजवाद कोई खरीदने वाली वस्तु तो है नहीं जो कहीं से खरीद ली जाय। यह तो अहसास करने की चीज है जो दिल दिमाग से अहसास की जाती है। लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की बात कही जाती है लेकिन आज भी जो पददलित हैं, पिछड़ी जाति के हैं, जो निरीह हैं उन पर सवर्ण लोग सदैव से जुल्म करते रहे हैं। आज हमारी सरकार ने आदेश दे रखा है कि अगर प्रदेश के किसी भी पिछड़ी जाति के लोगों या अछूतों पर कहीं जुल्म हो तो इस सम्बन्ध में सख्त कार्यवाही की जाय।

आज इस तरह से जो समाजवाद का मखौल उड़ाया जा रहा है, इस चीज को हम पसन्द नहीं करते हैं। जब मैं उधर होता तब भी इसका मखौल नहीं उड़ाता। आज प्रश्न यह है कि दोनों पक्ष के लोग यहां उपस्थित हों और इस प्रदेश की जनता और शासन को चलाने वाली जो सरकार है उसकी रूह अहसास करें कि सही माने में हमारी सरकार है और जैसा कि गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज की हुकूमत हो, वह साकार हो। आज यहां एक नया प्रश्न उठा है कि जनता के प्रतिनिधि जब मन्त्रियों के यहां जाते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। हो सकता है कि किसी गलतफहमी की वजह से या किसी कार्य की वजह से कोई परेशानी हो जिसकी रोशनी में यह बात हो गयी हो। अभी हमारे माननीय त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, जिस समय सरकार के उद्योग मन्त्री थे, उस जमाने में बरेली की रबर फैक्टरी के

[श्री भानुप्रताप सिंह (बरेली)]
लिये कुछ जमीन के सम्बन्ध में मिला था कि सरकार वहां की जो 1381 एकड़ जमीन है उसमें से 381 एकड़ जमीन एलाट कर दे और बाकी जमीन जो व्यर्थ पड़ी है उसको किसानों को एलाट कर दे। मान्यवर, मैं उनके चेम्बर में जाकर मिला और उन्होंने बड़ी सौजन्यता के साथ उत्तर दिया कि विभाग क्या करे, हाई कोर्ट से इसके विरुद्ध स्टे ले लिया गया है जिसकी वजह से 15 मई तक जमीन पोजेशन में नहीं आ सकती। माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि भानु प्रताप जी, दिल से हम चाहते हैं कि जमीन हमें मिल जाय लेकिन जो वैधानिक प्रक्रिया है उसकी वजह से हम अपने को मजबूर पाते हैं, मेरी कलम में ताकत नहीं है कि उस जमीन को हम अपने कब्जे में ले लें इसी तरह से आज जो श्रमिकों का शोषण होता है और लगातार होता है, आखिर इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है जिससे इन पूंजीपतियों के शोषण से तमाम गरीब बच सकें। सरकार को इसके लिये सख्ती से कदम उठाना चाहिये। माननीय स्वामी प्रसाद सिंह जी चले गये, सिन-थेटिक रबर फैक्टरी के प्रोडक्शन से आयकर के रूप में काफी पैसा सरकार को मिल सकता है लेकिन वह सब महाराष्ट्र गवर्नमेन्ट ले लेती है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर बम्बई में है जिसकी वजह से जो पैसा टैक्स के रूप में हमें मिल सकता है वह भी नहीं मिल पाता है।

पूंजीपति इतनी बेईमानी करते हैं कि स्पेशल क्राइम ब्रांच ने छापा मारा आज मुझे विश्वस्त सूत्र से जानकारी प्राप्त हुई है कि जो अधिकारी चार्जशीट लगा सकते थे उन्होंने लाखों रुपये की घूस ली और वे सख्त कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जहां तक न्याय दिलाने का सवाल है रोज सवाल उठते हैं कि श्रमिक हड़ताल कर रहे हैं। श्रमिकों को पूंजी पतियों के पंजे से छुड़ाने के लिये उनकी गर्दन सख्ती के साथ पकड़िये। आपको अगर शासन चलाने के लिये पैसे की आवश्यकता है, योजनाओं को अच्छी तरह से चलाने के लिये पैसे की आवश्यकता है तो आपके हाथ में जो ताकत है उसका सख्ती के साथ इस्तेमाल कीजिये और उचित पैसा वसूल कीजिये। मैं वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी से) आप 25 मिनट लेंगे। (थोड़ा रुक कर) आधा घंटा ले लीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

जैसे ही मैं खत्म कर दूंगा, बैठ जाऊंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

आप नेताओं के लिये क्यों व्यवस्था करने लगते हैं। वे अपने आप समाप्त कर देंगे।

(इस समय 1 बजे उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए)

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं इस बजट के बारे में ऐसी परिस्थिति में चर्चा करने के लिये उपस्थित हुआ हूं जब कि समाज का हर अंग दलित है। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे कर्मचारी हो और चाहे अधिकारी हो, सभी असंतुष्ट हैं। एक बात मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि ऐसी सरकार के अन्तर्गत बजट के ऊपर बहस करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं जो मैं समझता हूं कि 15 अगस्त, 1947 से, जबसे हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, इतनी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार कभी नहीं आई। इसके बारे में कल माननीय चौधरी साहब ने भी विशद वर्णन किया था। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि यह बजट आंकड़ों से भरा हुआ है। मैं आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहता हूं। मेरा निजी अनुभव है कि आंकड़े मनुष्य को पक्के विचारों तक पहुंचने में भ्रमित कर देते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज जितनी समस्यायें हमारे सामने मुंह बाये खड़ी हैं, चाहे बढ़ती हुई कीमतें हों, बेकारी हो, अन्न का अभाव हो, बिजली का संकट हो या उद्योगों के विकास का प्रश्न हो, सरकार ने कोई प्रभावकारी कदम इस बजट में नहीं उठाया है। यह तो औपचारिक बजट है और यह राजनीतिक दृष्टि कोड़ से प्रस्तुत किया गया है ताकि आने वाला जो चुनाव है उसमें यह काम आये।

एक बात और है समय-समय पर बजट प्रस्तुत किया जाता है और खर्चा किया जाता है, लम्बे चौड़े आंकड़े रखे जाते हैं। जब मदों पर बहस होगी तो उस समय उन पर चर्चा होगी। लेकिन कितना खर्चा किया हमें इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या-क्या किया और उसका क्या परिणाम रहा इससे हमें संबंध है। जो पिछली चार योजनाओं के बाद समाज की स्थिति है उसको माननीय सदन के सामने रख देना चाहता हूं। पिछली चार योजनाओं का परिणाम यह हुआ है कि 1952 से लेकर 74 तक 2 अरब 24 करोड़ 11 लाख रुपया खर्च हो चुका है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया के अनुसार यह 375 रुपये प्रति व्यक्ति खर्चा हुआ। लकिन आमदनी उस समय 350 रुपये प्रति व्यक्ति हो गई। आमदनी की दृष्टि से 25 रुपये प्रति व्यक्ति घाटा हो गया। यह पिछली चार योजनाओं का परिणाम रहा।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि इस देश में अरबों रुपया खर्च होने के बाद राजकीय पर्यवेक्षण समिति की रिपोर्ट के अनुसार 70 प्रतिशत लोग ऐसे थे यानी 289 लाख आदमी ऐसे थे जिनको दो टाइम भोजन नहीं मिलता था यूनियन मिनिस्टर श्री धारिया ने कह दिया है कि 2/5 जनसंख्या आज सारे देश में दरिद्रता के स्तर से भी नीचे है। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अनेक बार सदन के सामने यह कहा गया है कि हमारा प्रदेश पूरे देश के स्तर पर सब से पिछड़ा प्रदेश रहा है, दो तीन प्रदेशों को छोड़कर हम सबसे पीछे हैं। यह पिछड़ापन बड़ा दुखदायी है। मैं एक उदाहरण इस सम्बन्ध में दूंगा, हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कुछ दिन पूर्व यहां एक दिन भाषण दिया था और बताया था कि 6 करोड़ व्यक्ति यहां ऐसे हैं जो गरीबी के स्तर से नीचे हैं और 50 प्रतिशत के करीब ऐसे हैं जिनको कि दोनों वक्त भोजन नहीं मिलता। यह हमारी प्लानिंग है जिसका बड़ा जिक्र किया जाता है और जिस की हर वक्त चर्चा की जाती है। हमसे इन बजट की मदों में भारी रकमें मांगी जा रही हैं और जनता को राहत दिये जाने की बात की जा रही है।

दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि आज जो समाज को इतनी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसका एक मात्र कारण यह है कि यदि हमारे यहां औद्योगिक विकास, हमारा कृषि विकास ठीक से योजनाबद्ध तरीके से किया गया होता तो कदाचित यह स्थिति न होती। इस विषय में बहुत संक्षप में थोड़ी बात कहूंगा। आगे बहुत से विषय हैं जिनके बारे में मैं विस्तार-पूर्वक बताऊंगा लेकिन इतना कहना आवश्यक है क्योंकि हर दृष्टिकोण से इन्हीं 2 पहलुओं पर दृष्टि जाती है।

यह मानी हुई बात है कि हमारे यहां बिजली का संकट, लाइसेंसिंग की दोषपूर्ण नीति, श्रम-संकट के कारण उचित औद्योगिक वातावरण जो बनना चाहिये था उसके गायब होने के कारण आज यह स्थिति है और सारी अर्थ व्यवस्था और हर प्रकार की व्यवस्था जर्जर हो गई है। मैं अपनी इस बात को टेहरी गढ़वाल का एक उदाहरण देकर समाप्त करूंगा। यह जो हमारे नियोजक थे इनकी बुद्धि कहां थी जब कि पूरी योजना विद्युतीकरण की तैयारी की गई तो क्यों उसकी उपलब्धि के बारे में विचार नहीं किया गया, उसी समय यह बात भी पहले से सोचते कि कृषि के विकास के लिये, उद्योग के विकास के लिये और जो यह तमाम नलकूप लगेंगे तो इन तमाम के लिये बिजली कहां से आयेगी। बिजली की आगे आने वाली आवश्यकता को सामने रखकर यह योजनायें क्यों नहीं बनायी गईं? आज हमारे सामने एक दम से बिजली का संकट खड़ा कर दिया गया। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्यों यह नहीं सोचा गया कि ज्यों-ज्यों विकास के कार्य बढ़ेंगे उसके साथ साथ बिजली का उत्पादन भी बढ़ता जायगा। यह प्रदेश के साथ

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]
भारी विश्वासघात हुआ है। चेयरमैन विद्युत बोर्ड का कहना है कि आगे भी और भारी संकट पैदा होने की सम्भावना है।

उद्योग के विषय में भी मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा और सदन में पहले भी यह बात आई है कि इस ओर केन्द्र की दृष्टि भी ठीक नहीं रही है बावजूद इसके कि 3 प्रधान मन्त्री हमारे यहां के हो चुके हैं। आप देखेंगे कि 31-3-68 को केन्द्रीय उपक्रमों में कुल लगी रकम का हमारे प्रदेश का भाग केवल 4 प्रतिशत था और चौथी योजना में हमारे यहां के लिये यह केन्द्र का योगदान 1.2 प्रतिशत हुआ है। इससे आप सोच सकते हैं कि हमारी ओर केन्द्र का क्या दृष्टिकोण है और उन की दृष्टि पिछड़े हुए प्रदेशों की ओर कैसी है। जब वह इम्बैलेन्स और क्षेत्रीय असमानता की बात करते हैं तो फिर ऐसा अनुचित दृष्टिकोण क्यों है? यही कारण है कि हमारे प्रदेश के जो मुख्य उद्योग हैं उन का उत्पादन घटा है और सन 60 को अगर आधार माना जाय तो सीमेन्ट, सूती कपड़ा और चीनी के जो मुख्य उद्योग हैं तो 65 में वह 175 हो गया और 70 में वह 149 हो गया। सीमेन्ट और सूती कपड़ा 57 और 75 हुआ। इतनी योजनाओं के बावजूद, इतना पैसा खर्च करने के बाद, इतनी लम्बी-लम्बी बातें माननीय उद्योग मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री से सुनने के बाद परिणाम यह है कि जो हमें अन्धकार की ओर ले जा रहे हैं।

क्षेत्रीय असमानता के बारे में बड़ा दुख है कि बहुत बातें कही जाती हैं लेकिन पहाड़ी, पूर्वी और बुन्देलखंड के अंचल ऐसे हैं जो आज भी घोर असमानता से सफर करते हैं। पूर्वी क्षेत्र के बारे में क्या जिक्र करूं मुख्य मन्त्री जी वहीं से आते हैं लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस वर्ष मुझे पहाड़ पर भी जाने का अवसर मिला। मैंने वहां पर घोर दरिद्रता देखी, कितना परिश्रम वे लोग करते हैं, यह भी देखा। उनकी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 220 रुपया आमदनी है। तो मैंने यह कहा कि अगर सीमा पर रहने वाले व्यक्तियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है तो इस उथल पुथल के युग में सीमा की स्थिति बिगड़ सकती है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। जहां पर उनको रोटी मिलेगी उधर ही उनका ध्यान बंट जायगा और उधर की ओर ही वे देखने लग जायेंगे।

बिजली के बारे में मैंने अभी कहा कि बिजली की इनकी कोई सुव्यवस्थित योजना नहीं है। कोई ऐसी योजना इन्होंने नहीं बनायी है जो विवेक रिजल्ट्स देने वाली हो, इस संकट के समय में। टिहरी गढ़वाल के डाम के बारे में मेरा निवेदन है कि पहली बात तो यह है कि इस डाम के बन जाने से वहां के रहने वालों को लाभ न मिलकर दूसरे लोगों को मिलेगा। वास्तव में इन्होंने वहां पर डाम बना कर उस एरिया का सत्यानाश कर दिया है। दूसरे जब यह डाम बन कर तैयार हो जायगा तो टिहरी का इलाका डूब जायगा और प्राकृतिक सौन्दर्य भी समाप्त हो जायगा और इससे 28 हजार आदमी भी डिस्प्ले हो जायेंगे, उनको बसाने की कोई योजना सरकार के हाथ में नहीं है। इससे इस बैले का भी कोई लाभ नहीं हुआ।

चौथी बात यह है कि इस बैले को उजाड़कर एक पैसे का भी लाभ वहां के रहने वाले को नहीं हुआ है। तो वे इससे क्या करेंगे? इनका इस योजना कार्य का 227 करोड़ रुपये का टाकट है और 10 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का टार्गेट है लेकिवे जिस गति से यह चल रही है, उसके अनुसार इस योजना को पूरा करने में 30 वर्ष लगेंगे और तब तक इस योजना का प्राक्कलन 400 करोड़ हो जायगा। तो जो बिजली पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वह 30 वर्ष में पूरा होगा और फिर स्थिति क्या होगी मुझे तो इसमें भी शक है कि वह उस समय में भी बन पायेगा, फिर इनके चीफ इन्जीनियर कहेंगे कि जो यंत्र लगने के लिये अमेरिका से आते हैं, वे यहां बन भी नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी योजना बनाकर जो इतने दिनों के बाद बने, उनसे टिहरी का तो सत्यानश करेंगे ही सारे एरिया को उजाड़ने जा रहे हैं। वहां के रहने वालों को अपने घरों में रहने का भी अवसर नहीं मिलगा। यह बहुत अच्छी बैली है, वहां की पबावार भी अच्छी है लेकिन उन लोगों

को उजाड़ा जा रहा है, उन्हें इस डाम से एक बूंद भी पानी नहीं मिलेगा। यह सरकार उनके साथ अत्यन्त कुठाराघात कर रही है।

बिजली बने टिहरी डाम में लेकिन फायदा उठायेंगे गाजियाबाद के महाजन, या लखनऊ और कानपुर के महाजन, जो वहां जा जाकर उद्योग स्थापित करेंगे लेकिन उजड़ने वालों को इसका कोई लाभ नहीं होगा। मुझे स्मरण है कि डा० के० एल० राव ने एक सजेशन दिया था कि जो बिजली का डैम बनाने जा रहे हैं, वह भागीरथी और भिलंगना के संगम (कन्फ-लूएंस) पर बने। के०एल० राव साहब ने साइट को देखा और उन लोगों के एजिटेशन को भी देखा था। उन्होंने कहा था कि एक शानदार वैली है, इस स्थान के ऊपर एक ऐसा स्थान है जहां पर यह डैम बनाया जा सकता है। जो बिजली यहां पर पैदा होगी, वह वहां पर भी पैदा हो सकती है। अलकनन्दा को भी प्रयोग में ला सकते हैं लेकिन इस अंधी सरकार ने आज तक नहीं सोचा। यह उनके ध्यान में रहना चाहिये था।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने कभी नहीं सोचा कि इनके पास काफी श्रम है, उद्योग को आगे बढ़ाना चाहिये जो हमारी इन्डस्ट्रीज हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिये। श्रम प्रधान योजनायें बन कर कुटीर उद्योगों का देहातों में जाल फैलाना चाहिय। आर्बेनाइजेशन न करके रूरलाइजेशन किया जाय, गांव के लोगों को अपने गांवों से उठकर जाने का मौका नहीं देना चाहिये। श्रम प्रधान कुटीर उद्योग चलाये जायें, ग्राम उद्योग चलाय जायं जिससे धन का भी वितरण हो और वे लोग दूसरे स्थान पर न जांय। लेकिन हमारी सरकार ने इस ओर कुछ नहीं किया है।

अब मान्यवर, मैं दूसरे आवश्यक विषय पर आता हूं। वह यह है कि इस सरकार की आज क्या स्थिति है, ? इस सरकार की हालत, मान्यवर, आज ऐसी है कि जैसी बिना मस्तिष्क के शरीर। यह सरकार आज बिना मस्तिष्क क, कवल धड़ के सहारे चल रही है आज कबिनेट की स्थिति क्या है ? कैबिनेट में किस स्तर के लोग हैं ? आप, मान्यवर, स्वयं इसका अनुभव करने लगे होंगे। कोई व्यक्ति कैबिनेट में अपनी मेरिट के आधार पर नहीं चुना गया। जाति वाद या सिफारिश के आधार पर वे चुने गये हैं। तो इसके परिणाम क्या हुये ? यदि आज कोई मंत्री आयोग्यता पूर्वक काम करता है, तो मुख्य मंत्री जी उसको हटा नहीं सकते। संयुक्त जिम्मेदारी जिसको कहते हैं, वैसी कोई चीज है ही नहीं इनकी कैबिनेट में। इनका मंत्रिमंडल आज क्या है ? यह तो एक रिकमन्डेटरी बाडी है। कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे। ज्यादा कठिनाई हो जाय, तो दिल्ली चले गये, सबसे बड़े देवता के पास। अगर आप पता लगाकर देखें कि ये कितनी बार दिल्ली गये, तो मान्यवर, आपको इस बात का प्रमाण मिल जायेगा।

यहां पर क्यों नहीं डिसीजन लेते ? उसका कारण यह है कि आपस में मतभेद है। एक मंत्री दूसरे मंत्री के खिलाफ है। क्या खेल-खिलैया हो रही है प्रदेश में। कितना नुकसान हो रहा है प्रदेश का इनकी इस अयोग्यता के कारण ? इनके इन्डिसीजन का प्रमाण है इंजीनियर्स की स्ट्राइक। इनके इंडिसीजन का प्रमाण है, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट की स्ट्राइक। अरबों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हुई। लाखों मजदूर बेकार रहे। उनको मजदूरी नहीं मिली। 30 करोड़ बिजली के कारण उद्योगों की हानि हुई। इसके कारण करोड़ों रुपयों की हानि ट्रान्सपोर्ट के कारण थी। अगर आपको डिसीजन लेना था, तो उसी वक्त क्यों नहीं लिया ? इनके बारे में यह कहा जाय कि 'दे आर कैप्टिव आफ इंडिसीजन', तो यह अत्योक्ति न होगी। इनमें ज्वाइंट रिस्पांसिबिल्टी है ही नहीं। अब ऐसी कठिनाइयां आने वाली हैं कि उनका जिक्र जब मेडिकल पर चर्चा होगी तब करूंगा।

80 लाख नान-प्रेक्टिसिंग एलाउन्स डाक्टरों को दिया गया। लेकिन उन डाक्टरों की सेवाओं से गरीब व्यक्तियों को वंचित कर दिया गया। 60 प्रतिशत पुराने की बात चल रही है कि वे करेंगे। उनको रोक नहीं सकते। आज कोई मरीज 100/200 मील से आता है,

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

लेकिन इमेर्जेन्सी वार्ड में किसी विशेषज्ञ के अनुभव का वह लाभ नहीं उठा सकता। इनकी इस योग्यता के कारण क्या असर पड़ा है आर्थिक और व्यक्तिगत पहलू पर ? आप, मान्यवर, इसका अंदाज कर सकते हैं। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी हमें क्षमा करेंगे। मुझे सूचना मिली कि उन्होंने फूड ट्रेडिंग की तारीफ की थी और जब यहां बात आई, तो उसके विरोध में हो गये। मान्यवर, कहने का तात्पर्य यह है कि आज इनक किसी मंत्री का दिल और दिमाग का कोई ताल मेल नहीं है। मैं इस स्टेट की क्या हालत है, इसका जिक्र आगे करूंगा।

अब इनका दूसरा इंडिसीजन देख लीजिये। आज एक-एक विभाग में हजारों सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं। इयर टू इयर उनका इक्सटेंसन होता है। उन्हें प्रावीडेन्टफण्ड और पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता। मैं यह नहीं कहता कि यदि कोई कर्मचारी बेईमान हो तो उसको दंड न दें। लेकिन मैं उनके हितों, जहां उनका हित हो सकेगा, उसके विरोध में नहीं बोल सकता हूं। आज ये उनको परमानेंट नहीं कर पाये हैं। क्योंकि डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जब तक कोई आदमी सड़क पर जाकर अपनी मांग को नहीं कहेगा, आप विनम्रता-पूर्वक कहने पर उसको राहत नहीं दे सकते। यह आपकी आदत है।

दूसरा प्रश्न है, मान्यवर, 55 और 58 वर्ष आयु का। 55 के बाद 58 चला जायेगा, जो व्यक्ति एबब नार्मल होगा। एक नहीं कई उदाहरण हैं मेरे पास। यदि हैड आफ दि डिपार्टमेंट ने कहा कि इसको यहीं पर बन्द कर दीजिये, लेकिन मंत्री जी ने एक्सटेंशन दे दिया। मैं किसी मंत्री जी का नाम नहीं लेता यदि कोई आग्रह करेगा तो बता दूंगा। यह स्थिति है इन एफीशिएन्सी की कि आज सारा प्रशासन मटियामेट हो गया, इस प्रशासन से लोगों का विश्वास उठ गया। जिस प्रकार जनता के लोग कहते हैं कि इस प्रशासन से फौजी रूल अच्छा, अब और भी लोग कहने लग हैं।

मान्यवर, अब मैं पोलिटिकल करप्शन की बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार के पोलिटिकल प्रेशर्स आज होते हैं। माननीय चौधरी साहब ने सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूं। कान्स्टीट्यूशन में जिन-जिन चीजों की बात कही है एकोनोमिक एमेन्सीपेंशन, सोशल जस्टिस, आदि सब का इन्होंने उल्लंघन किया है। जब मेरा इनसे मतलब होता है तो कांग्रेस शासनदल से संबंध है। आप किसी जगह देख लीजिये सब जगह इन्होंने असफलता और अकर्मण्यता दिखाई है और कान्स्टीट्यूशन की मंशा का उल्लंघन किया है, आज इलेक्शन भी करप्ट हो गया है। जो इलेक्शन उड़ीसा में हुआ वहां 50 लाख रुपया इलेक्शन पर खर्च हुआ। अभी जो ब्लाक के इलेक्शन हुए हैं मान्यवर, मैं भी मौजूद था, शासक दल के लोगों ने राजामहाराजाओं के महलों में जाकर बन्द कर दिया और खुले रूप से रुपया बांटा गया। आज कौन इनमें से ऐसा है जो बिना रुपये के इलेक्शन लड़ सकता है।

आज पोलिटिकल फ्रीडम की नीव हिल रही है। आज ये मान्यवर, कास्टिज्म के आधार पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आज यह स्थिति हो गई है। एक फारमर डिप्टी डाइरेक्टर जनरल यूनेस्को के हैं उन्होंने कहा है कि हमको तो फौरन साम्प्रदायिक कह दिया जाता है, लेकिन इनक फेवरटिज्म की और कास्टिज्म की बात बेमिसाल है, मिल नहीं सकती है। इसको अंग्रेजी में मतलब (brazen faith in net) है यानि बेहियाई से किसी का साथ देना। जो बात चौधरी साहब ने 3 आदमियों के बारे में कहा, वह बात मुझे बहुत पहले से मालूम थी, मुझे मालूम था लेकिन मैंने नहीं कहा बिना कानून देखे उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। आज इतना फेवरिटिज्म और नेपोटिज्म है जिसको मैंने 'ब्रेजन फेथ इन नेट' कहा।

मुझे बड़ा दुख है मान्यवर, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना नहीं चाहता। पहले तो मिनिस्टर्स की बात की जाती थी, अब तो यह कहा जाता है कि मिनिस्टर्स के घर वाले

घूस लेते हैं। 5–6 जनवरी को टाइम्स आफ इंडिया में एक आर्टिकिल श्री भट्टाचार्या का निकला है उसमें उन्होंने लिखा है कि अधिकांश मंत्री परिवार वालों से मिल कर और उन्हें घस देकर काम आसानी से करावाया जा सकता है। यह आज स्थिति हो रही है····

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—
सबके परिवार वाले नहीं लेते·····

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—
आप बता दीजिये·····

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—
मैंने कब कहा कि सब लेते हैं। जो बात आर्टिकिल में कही गई है उसमें मंत्रिमंडल की बात कही गयी है और जब मंत्रिमंडल का नाम लिया जाता है तो उसमें बाहुल्यता की बात कही जाती है। यह दूसरे कहते हैं। आप कहते हैं कि गलत है। लेकिन आपके दल के लोग ही सबसे बड़ा अहित कर रहे हैं। क्यों 60 आदमी लिख कर दे देते हैं कि मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार है। अभी खन्ना साहब न लिख कर दे दिया कि हम प्रधान मंत्री के पास जायेंगे। हम ही नहीं कहते। आपके दल के आदमी कहते हैं। आज ऐसा वातावरण बन गया है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ न कीजिये। जो कुछ हो रहा है उस पर ठन्डे दिल से विचार कीजिये। हम तो किसी का नाम नहीं लेते। लेकिन मान लीजिये सब गलत ही सही।

तामिलनाडू में एन्टीकरप्शन बिल आ गया। आपको चाहिये था कि आप भी एक बिल ले आते। आप जांच कराते। अगर कोई बात न होती तो आप साफ निकल जाते। यह आपके हित में होता और प्रशासन के हित में भी होता। लेकिन जांच किसकी ? आपका तो डबल स्टैन्डर्ड है। मारुत कंपनी का फैसला करने वाला वही जिसने समझौता किया था। पंडित जवाहर लाल नेहरू के जमाने में टी० टी० कृष्णामचारी की जांच सालीसीटर जनरल ने की थी। हमारी बहिनजी कहती हैं कि हम उन्हीं के आधार पर चल रहे हैं लेकिन उन्हें छोड़ दिया। जब शिखर के लोग ऐसा करते हैं तो आप भी वैसा ही करते हैं। हम आपको दोष नहीं देते। 64 लाख रुपया बैंक से निकल गया। न तो बैंक ने कोई स्टेटमेंट दिया और न ही प्रधान मंत्री ने। यह रुपया कहां से आया ? यह वह काला रुपया है जिसने पैरलल घोड़ा दौड़ाकर मूल्य वृद्धि की है। संथानम कमेटी आपने बैठायी। उसमें है कि दस एम० एल० ए० कहें तो जांच करायी जाय। जब आक्षेप लगाये जाते हैं तो उसको पर्सनल न समझा जाय। ऐडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से जांच कराइये और पब्लिक को बताइये। अगर साल भर पहले जांच कराकर क्लियर कर दिया होता तो यह स्थिति न होती। जो साफ और पाक है वह भी साथ रहते हैं तो हवा लग ही जाती है। एक बात कहते हुए डर लगता है। मालूम नहीं आपको पता होता है या नहीं, आपके मिलने वाले कुछ लोग होते हैं जो आपके नाम पर गलत काम करते हैं। मैं किसी समय मुख्य मंत्री से इस विषय में बात करूंगा। मुझे इससे बेहद तकलीफ है। हमारे मंत्री इस बात का अहसास रखें कि ऐसा तो नहीं है कि उनके अपने कुछ लोग उनके नाम का दुरुपयोग करते हों और जनता को परेशान करते हों। अब कुछ बात करप्शन इन ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं कहना चाहता हूं।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर यह तो हमें नहीं दिखलानी चाहिये। हम तो बड़े अनुशासन में रहते हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—
अभी करप्शन पर कहने को कुछ शेष रह गया है।

श्री बंशीधर पान्डेय (जिला वाराणसी)—
करप्शन इज दि कामन पोर्टफोलियो।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि यहां 85 लाख का घुटाला है। गत वर्ष 85 लाख के थ्रेशर्स खरीदे गये और 85 लाख में से 20 लाख के इलाहाबाद की गंगा रोलिंग मिल्स से खरीदे गये। मैंने पढ़ा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि यह बड़ा अशोभनीय है और इम्प्रापर काम हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिये। तो मैं यह कह रहा था कि रोलिंग मिल्स वाले मामले में तीन अधिकारी इन्वाल्वड थे। एक आई० सी० एस०, एक डाइरेक्टर और एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कोई और आदमी थे। इन लोगों पर यह चार्ज लगाया गया और उसकी जांच विजिलेंस कमीशन द्वारा हुई। उसने अपनी यह फाइंडिंग दी कि बड़े ग्रेव चार्जेज हैं। लेकिन फिर इन लोगों ने क्या चालाकी की। पहले 71 में जब मामला आया तब फाइल करा दिया गया और कहा कि यह ठीक नहीं है। लेकिन फिर सन् 1971 के बाद एक कमेटी बैठी और उसने कहा कि घोटाला हुआ है और जब घोटाले का पता चला और 85 लाख रुपये का गड़बड़ पाया गया तो विजिलेंस कमीशन के सामने मामला गया। उसने भी कहा कि बड़ी ग्रेव बात है। जब उन्होंने यह कह दिया तो हमारे अधिकारियों के करेक्टर सर्टीफिकेट को पता नहीं प्रोडक्शन कमिश्नर है या कौन है' मुझे पता नहीं है और अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देंगे मैं वापस ले लूंगा, उन प्रोडक्शन कमिश्नर ने कहा कि कैरेक्टर सर्टीफिकेट्स ऐसे अधिकारियों के विदहोल्ड कर लिये जावें। एक मंत्री ने उस पर लिखा दिया विदहोल्ड कर लिया जावे लेकिन दूसरे मंत्री उसको दबाये बैठे हैं। अगर मेरी बात सही है तो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें क्या करना चाहिये। इतने बड़े ग्रेव चार्जेज हैं करप्शन के और अगर इसे ग्रेव नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे ?

एक बात और मान्यवर, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के संबंध में अभी कल ही एक प्रश्न आया था कि 1972 में कितने केसेज डिपार्टमेंट के पकड़े गये और जो पहले पकड़े गये वह कितने हैं। रोशनलाल जी एक आई० सी०एस० हैं उनकी एक रिपोर्ट है। उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। 1972 के सात सौ केसेज सेटिल होकर आये हैं लेकिन बाकी अभी चल ही रहे हैं। एलेक्ट्रिक्सिटी डिपार्टमेंट में 8 केसेज ऐसे हैं जिनमें 2 करोड़ रुपये के इम्बेजिलमेंट के चारजेज हैं और कृषि विभाग तो आन दि टाप आफ दि लिस्ट है। अगर मैं होता तो तमाम चेंजेज इम्मीडियेटली कर देता। ए०जी० जब रिपोर्ट देता है तब काम होता है उसके पहले काम नहीं होता। ऐश्योरेंस कमेटी के चेयरमैन होने के नाते मैंने कहा कि इस घोटाला करने वाले आदमी को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाता जिसकी ढ़िलाई की वजह से यह सब गड़बड़ियां हुई हैं ? भले ही आदमी ईमानदार हो लेकिन अगर उसने ढिलाई की है तो लैट हिम सफर। देखने में यह भी आया है कि विभाग वाले क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिये किसी केस को सी०आई०डी० को दे देते ह और किसी को विजिलेंस कमीशन को सुपुर्द कर देते हैं। सी0आई0डी0 के पास तो मुझे मालूम है कि सन् 1964 तक के केसेज आज तक पेंडिंग हैं। विजिलेंस कमीशन क्या करता है, उसमें जब केस का सीरियल आयेगा तब टेक अप करेंगे नतीजा यह होता है कि जो मामला सी०आई०डी० में या विजिलेंस में पहुंच गया समझिये कि वह खटाई में पड़ गया। जब तक वह संबंधित अधिकारी या तो रिटायर हो गया या कोई मर भी गया। तो ऐसी साठ गांठ अफसरों में हो जाती है। इसके कारण 6–6 वर्ष तक शहादत नहीं मिलती। नतीजा यह होता है कि विजिलस कमीशन का मतलब ही खत्म हो जाता है और इसीलिये उसके द्वारा जांच किये हुए केसेज में असफलता रहती है।

हमारे पास यह भी बात आयी कि विजिलेंस कमीशन के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है तो सरकार क्या करे। तो फिर अगर विजिलेंस कमीशन का मतलब ही खत्म हो जाय तो फिर उसके रहने से क्या फायदा ह। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इनसब मामलों के शीघ्रातिशीघ्र निर्णय होने चाहिये। हमारे पास एसे भी उदाहरण हैं जहां विभाग के लोगों के लिये आर्डर्स हैं कि इनको तुरन्त सस्पेंड करो लेकिन उनको सस्पेंड नहीं किया जाता।

एग्रीकल्चर विभाग के एक डिप्टी डाइरेक्टर हैं उनके खिलाफ यह आदेश हुआ कि इनको तुरन्त सस्पेंड किया जावे लेकिन पता नहीं है कि मिनिस्टर साहब ने उन्हें अब तक क्यों सस्पेंड नहीं किया है। आज यह पोलिटिक्स है, मान्यवर, देख लें कैसे स्वच्छ प्रशासन हो सकता है ? करोड़ों, अरबों रुपये सब योजना के नाम पर खर्च किये जा रहे हैं, ये ठीक से ऐडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पायेंगे, देने को मजबूर हैं ।

एक मिसाल दे दूं उदाहरण के तौर पर । पंपिंग सेट्स की परचेज हुई थी जिसमें फाल्स सर्टिफिकेट ईश्यू किया गया था । आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरा उदाहरण बड़ा दुखद् आया है। लाखों रुपये गबन किये सुपरवाइजरों ने सीड स्टोरों पर किसी ने 4,000 रु० गबन किए, किसी ने 24,000 रुपये और किसी ने 2,000 रु० गबन किये । कहा गया वापस कर दो। उन्होंने रुपये वापस कर दिए और उन्हें फिर बहाल कर दिया गया । कुछ को तो और आगे बढ़ा दिया । यही सरकार है कि अगर कोई सदस्य एक बार डिस्क्वालिफाई हो जाए तो उसको कानून द्वारा क्वालिफाइड कर देती है और जिन्होंने एम्बेजलमेंट किया, जिनके खिलाफ कार्यवाही हुई उन्हें वापस ले लेती है । उनको तो सजा होनी चाहिये थी क्योंकि उन्होंने क्राइम कमिट किया है । यह नयी प्रणाली है इस सरकार की कि रुपया लो, वापस कर दो कोई जुर्म नहीं, नौकरी पर वापस आ जाओ । यह बहुत बुरी चीज हमारे यहां चल रही है।

एक और बात कह दूं, मान्यवर । अब मैं एक दूसरे टोपिक पर आना चाहता हूं, सामाजिक न्याय ।

(लाल बत्ती होने पर)

आप चिन्ता न करें, जल्दी करूंगा । मैं तो बहुत कम बोलता हूं । आपका रुख मेरे लिये बहुत जरूरी है ।

एक दूसरा पहलू है । कांस्टीट्यूशन की दृष्टि से इकोनोमिक इमेनसिपेशन समाप्त हो गया, पोलिटिकल इमेनसिपेशन भी समाप्त हो गया । जब तक वोटर गरीब रहेगा वह खरीदा जायेगा । उसके लिये अगर वोट का महत्व होता तो किसान, दीपक और गाय-बछड़े का सिम्बल न दिया जाता बल्कि माधव प्रसाद त्रिपाठी और नारायण दत्त तिवारी लिखा जाता । उसको कोई जानकारी नहीं है । जब तक मैजोरिटी गरीब रहेगी वह खरीदी जाएगी और खरीदने में वे समर्थ हैं क्योंकि सेठ साहूकार इनके काबू में हैं । जैसा कि मैंने उदाहरण दिया। पोलिटिकल इमेनसिपेशन भी समाप्त हो गया और इकोनोमिक इमेनसिपेशन भी समाप्त हो गया । अब सवाल है कि सामाजिक न्याय देते हैं या नहीं । रोज खड़े होकर सामाजिक न्याय की बात करते हैं । ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस में क्या है ? 70,000 केसेज हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं आठ-आठ दस-दस सालों से । मैं तो वकील था इसलिए मैं जानता हूं कि पुराने पुराने केसेज सिविल के पड़े हैं । डेथसेंटेंस के केसेज तो जल्दी ले लिये जाते हैं । अंग्रेजी में कहावत है :

"Justice delayed is Justice denied"

देरी हुई तो मतलब खत्म हो गया जस्टिस का । सामाजिक न्याय करते हैं गरीबों के साथ ? जब इतनी दर में न्याय मिलेगा तो फिर न्याय का कोई अर्थ नहीं रहेगा।

जजों के एप्वाइन्टमेंट का प्रश्न है । मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं । मुझे व्यक्तियों का नाम लेने में कठिनाई पड़ रही है । पोलिटिकल प्रेशर चल रहे हैं । जजों की जगह खाली हैं । एक तरफ तो 70,000 केसेज पड़े हैं और दूसरी तरफ जजों

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

के एप्वाइन्टमेंट का सवाल है । आपने क्यों नहीं एप्वाइन्टमेंट किए ? क्या कारण है उनको एप्वाइन्ट न करने का ? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता । वही बात है :

कुछ मैं समझूं,
कुछ तुम समझो ।

जस्टिस को देखिये । कोर्ट स्टाम्प की फीस 8 आने से बढ़ाकर डेढ़ रुपये कर दी । वह स्टाम्प का पैसा किसको देना होगा—किसको देना पड़ता है ? जिन्हें खाने को नहीं मिलता है, जो गरीब हैं, उन्हीं को देना पड़ता है ।

दूसरी बात है एजूकेशन की । वह भी सामाजिक न्याय से संबंधित है । किसी की इतनी दुर्दशा नहीं हुई होगी जितनी कि इन्होंने एजूकेशन की दुर्दशा की है । उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जिसकी 8 1/2 करोड़ जन-संख्या है । इसमें केवल 21.4 प्रतिशत लोग लिटरेट हैं । इन्होंने नयी प्रणाली निकाली प्रारम्भिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा । तीन अलग-अगल विभाग कर दिये । कोआर्डिनेशन करने वाला कोई आफिसर एप्वाइन्ट नहीं किया गया है । प्राइमरी से बच्चे निकलेंगे कैसे खपत करेंगे, कोई नहीं जानता । जैसे मंत्रियों में कोआर्डिनेशन नहीं है वैसे ही एजूकेशन में भी कोआर्डिनेशन नहीं है ।

शिक्षा में यह समझते हैं कि इससे बहुत बड़ा तीर मार दिया है । रोज कहते हैं कि शिक्षा परिवर्तन की आवश्यकता है । अगर ऐसा है तो क्यों नहीं करते हो ? आप तो 25 वर्ष से हैं । नतीजा क्या हुआ, स्टैंडर्ड बिलकुल गिर गया । आज किसी युनीवर्सिटी में कोई भला आदमी वाइस-चांसलर बन कर जाने को तैयार नहीं है । इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में गोली चली है । वहां कोई परमानेंट वाइस-चांसलर नहीं गया तो राज्यपाल महोदय से कहा गया और उन्होंने कहा कि भेजेंगे । ऐसा ही वाराणसी में भी है । संस्कृत युनीवर्सिटी में एक ऐसा वाइस-चांसलर बना दिया गया है जो दिमाग या कान से काम ही नहीं लेता है । ज्यादातर युनीवर्सिटीज की यही हालत चल रही है ।

वाराणसी युनीवर्सिटी में मैं गया था तो पुलिस परेड कर रही थी । वहां का जिलाधिकारी आधा राजनैतिक है और वह उनसे मिलकर प्रधान मंत्री के चाहे व्यक्ति की चुगली नहीं करता है और उनका साथ दे रहा है । मुख्य मंत्री भी उससे झुकते हैं । विद्यार्थियों ने उनसे मध्यस्थता करने को कहा था, अगर ऐसा न होता, तो वह तैयार हो जाते । पुलिस द्वारा शासन किया जा रहा है । आज हाई कोर्ट के जजों को भी वाइस चांसलर बनाया जा रहा है । हाई कोर्ट का जज केस को अच्छा समझ सकता है, लीगल इन्टरप्रेटेशन कर सकता है लेकिन वह अपने ही प्रशासन को ठीक नहीं कर सकता, तो वाइस-चांसलर के पद को कैसे संभालेगा ? उसमें प्रशासनिक या शिक्षा की क्या विशेषता आपने देखी है ? इसी कारण अब विद्यार्थी सड़क पर फैसला कराने के लिये तैयार हैं । आन्ध्र की बात आप भूल जाते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं । अभी श्री नित्यानन्द स्वामी ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रक्खा था । आपने उसको माना नहीं है । दो-दो बार युनीवर्सिटीज में गोली चली है । सरकार समझती है कि गोली तो चलेगी ही । कुछ दिनों में युनीवर्सिटी में पुलिस ही रहेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने तो उसको वक्तव्य के लिये मान लिया है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

कार्य-स्थगन की बात थी । युनीवर्सिटी में जाओ तो गुम्मा खाओ । वहां पर पुलिस और जिला कलक्टर अजीब हैं । गोली चल रही थी और वह हिन्दू गर्ल्स कालेज में बैठ हुए थे । मुझे यह सूचना दी गई है । प्रशासनिक दृष्टि से उनकी वहां उपस्थिति

आवश्यक थी, तो वह क्यों वहां नहीं गये ? उनके लिये गेट बनाये जाते हैं और फूल चढ़ते हैं ।

दूसरा सामाजिक न्याय मेडिकल है । 8.4 करोड़ की यहां आबादी है । यहां पर प्रति लाख 35 बेड हैं । तो आप इस दशा पर विचार करें । स्वतंत्रता प्राप्त किये 25 वर्ष हो गये हैं । इसके साथ दूसरे देशों का मुकाबला किया जाय । जापान और जर्मनी वगैरह को देखिये । उनको लड़ाई का खर्चा भी देना पड़ा लेकिन उसके बाद भी वह कितने ऊंचे उठ गये हैं । आज यहां यह स्थिति है कि जो भी मामले हैं वह खटाई में पड़ गये हैं ।

दूसरा सामाजिक न्याय है लैंड रिफार्म का । कितना हरिजनों के साथ न्याय करते हैं वह भी देखने का मौका मिला । आश्वासन समिति में देखा गया कि जो रुपया दिया जाता है छात्रवृत्ति का हरिजन-बन्धुओं को वह या तो लैप्स कर दिया जाता है या देते ही नहीं हैं । हरिजनों को नहीं मिलता और वह भूमिहीन आज भी हैं । यानी कागज पर मिल गया होगा, लेकिन मिला कुछ नहीं । सरकार तो बड़े लोगों की है, कह देती है कि सतर्क रहो और इधर कहती है कि कानून बना रहे हैं । वह समय पर उसकी व्यवस्था कर लेते हैं जिससे कुछ मिल न पाये । अगर मिल भी जाता है तो गड़हा मिलेगा, तालाब मिलेगा । चालू दशक में 689 ग्रामीण परिवारों में 638 ऐसे हैं जिनके पास घर नहीं हैं । 1961 में 3,90,000 घरों की कमी थी, 1971 में 6,90,000 की कमी हो गयी और सन् 1981 में अन्दाजा लगाया गया है कि 13 लाख की कमी हो जायगी । यह आपका सामाजिक न्याय है । किसी को रहने को भी घर नहीं ।

अब स्टेट ट्रेडिंग का मामला देख लें । आप कहते हैं कि स्टेट ट्रेडिंग करेंगे, अनेक बार चर्चा हो चुकी । कहा जाता है कि जो आदमी बेकार होंगे उनको हम बेकार नहीं होने देंगे । जैसे कि एग्रिकल्चर मिनिस्टर ने कहा कि हर घर में एक गाय-भैंस पहुंच जायगी । कैसे पहुंच जायगी ? न सर है उसका न पैर, तिवारी जी फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसको संभव कर देंगे । एक कल्पना की चीज है । जैसे दीक्षित जी ने कहा कि छः महीने में भ्रष्टाचार दूर हो जायगा । मैं समझता हूं कि अगर वह कर सकें तो मैं हाथ जोड़ कर उनकी पूजा करूंगा, मगर वह ऐसा कभी कर पायेंगे ? नन्दा तो हयादार थे, इनमें वह चीज हो, मुझे बड़ा सन्देह है ।

स्टेट ट्रेडिंग का एक पहलू देखें कि सेंटर 76 रुपये पर गल्ला खरीदेगा और 78 पर स्टेट को देगा और ये 86 पर बेंचेंगे– 8 रुपया बेशी पर और सेंटर क्यों कम पर खरीद रहा है ? वह इसलिये कि 120 करोड़ रुपया सबसीडी जायगी फूड कारपोरेशन को और वह उनकी जेब से नहीं जायगा, वह टैक्स-पेयर की पाकेट से जायगा । उसमें एक चीज और है कि जिस दाम पर बस्ती वाले को बेंचते है फूड कारपोरेशन वाले उसी पर लखनऊ वाले को बेंचते हैं । 8 रुपये वहां भी फर्म है और यहां भी । यह ट्रेडिंग करती है सरकार । क्या जवाब है सरकार के पास ? हर काम में धोखा है और बावजूद इसके कि ट्रेड इन्होंने अपने हाथ में ले ली, बहुत भयंकर स्थिति आने वाली है । सप्लाई डिपार्टमेंट से जो भ्रष्टाचार पैदा हुआ उसको इससे भोजन मिल गया । उससे उपद्रव होंगे, मारपीट होगी, अनाज कभी नहीं मिलेगा । स्थिति क्या होगी, पता नहीं । लोगों में त्राहि-त्राहि मच जायगी ।

एक हमारी सरकार को बड़ा मेनिया है कि जब विधायक कोई शिकायत करते है तो कह दिया जाता है कि विजिलेंस को भेज दिया, चलो जान बची, या सी० आई० डी० को भेज दिया और जान बची । मान्यवर, जब यह कहा जाता है तो मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज सब धान बाईस पसेरी हो गया है, चाहे सी० आई० डी० हो या कोई हो ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

न जाने क्यों हमारे मन में सनक पैदा हो गयी है कि विजिलेंस में या सी०आई०डी० में भेज दो । ऐसे ही कारपोरेशन बना दो । कारपोरेशन बना दिया । आशा थी कि उससे कार्य में कुशलता आये और उसमें लाल फीताशाही हट जाय, कार्य में शीघ्रता होगी । लेकिन लाल फीताशाही जिसके मस्तक में चन्दन बन कर लगी है वह उसके ऊपर सवार हो जाती है ।

कोई नानआफिशियल आदमी को ये कारपोरेशन का मेम्बर नहीं बनायेंगे । आज वह मंत्री हो जाय या एम०एल०ए० हो तो बन जायेगा । बाहर इनको वैसे ही कोई नहीं मिलता जैसे वाइस चांसलर इनको नहीं मिलते । सारी यूनिवर्सिटी को ये कांग्रेस की राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं । उसी तरह से ये चाहते हैं कि सारे कारपोरेशन्स में इनके आदमी छा जायं । किसी मिलिटरी वाले से बातचीत हो रही थी तो वह कहता है कि किसी बड़े पेड़ को गिराना हो तो सीधे कुल्हाड़ी मत मारने लगो बल्कि जितने तने हैं उन सबको धीरे-धीरे गिराओ । आधे से ज्यादा गरीब रखने में इनको दिलचस्पी है । जिला परिषद् का 12 वर्ष बाद चुनाव करा रहे हैं । एक विधेयक उस दिन लाये थे उसको भी सुपरसीड करना चाहते हैं और सन् 74 तक अपने काबू में रखना चाहते हैं। अब और हवा फैली है म्युनिसिपल कारपोरेशन्स की । कहीं बरगद के पेड़ पर बैठे हुए निगाह लगाये हुए गिद्ध की तरह कि कौन-कौन से कारपोरेशन्स हैं जिनको सुपरसीड करें । ऐसा न हो कि धक्का खा जायें जैसे ब्लाक प्रमुखों के चुनाव में धक्का खा गये । यह ठीक है पैसा देकर जीते लेकिन धक्का खा गये ।

जितना मैंने कहा है उससे ज्यादा बलपूर्वक कहने का काम मैं सौंपना चाहता हूं अनन्तराम जायसवाल जी को । लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार के रहते हुए इस प्रदेश का उद्धार बहुत कठिन है । आखिरी जुमला यह कहता हूं कि प्रशासन को चलाने के लिये जहां रुपये की आवश्यकता है वहां एक बहुत सुव्यवस्थित और स्वस्थ सरकार की भी आवश्यकता है । यह सरकार वह है जो दलबदलुओं से बनी है, जिसके सदस्य आपस में ही भेदभाव रखते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं । यह वह सरकार है जो जाति-बिरादरी के आधार पर बनी है । यह वह सरकार है जो ऊपर से चुन कर बनी है, मुख्य मंत्री द्वारा चुन कर नहीं बनी है, जिसमें रोज बात होती है कि इधर से उधर चला गया । ऐसी सरकार, जिसको कहते हैं, कैन नाट डेलिवर दि गुड्स ।

जो टाप के लीडर्स हैं जब तक वह अपने को स्वच्छ नहीं बनायेंगे तब तक यह प्रशासन स्वच्छ नहीं होगा । अभी तक तो 10 परसेंट करप्शन एलाउड था लेकिन इस रजत जयन्ती में करप्शन के लिये ऐमनेस्टी है । आप यहां से वहां तक एक हैं । ऐसी स्थिति में जो गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया आप लेते हैं उसका सही इस्तेमाल करें तभी भला हो सकता है । लेकिन मुझे आपसे कोई आशा नहीं है क्योंकि इनके 25 साल के कारनामे सारी जनता को अन्धकार की ओर ले जाने का संकेत करते हैं ।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने कृपा करके मुझे बोलने के लिये समय दिया । मैंने माननीय चौधरी साहब और माननीय त्रिपाठी जी के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना । उसमें मुझे कोई नवीनता नहीं दिखलाई दी । जैसे पहले बजट सत्र में विरोध करने के लिये उनका भाषण होता था, वैसा ही इस बार भी रहा । चौधरी साहब को इस बात के लिये अवश्य बधाई देना चाहता हूं कि इस बार उनके बोलने के ढंग में अवश्य कुछ परिवर्तन था और पहले जहां वे व्यक्तिगत परिवारों तक उतर आते थे इस मर्तबा वे केवल एक लड़के तक ही उतरे । शेष भाषण में आधा उन्होंने केंद्रीय सरकार के बारे में कहा और शेष यहां की सरकार के बारे में ।

मान्यवर, आज यह बात बिल्कुल साफ है और प्रान्त का हर आदमी जानता है कि इतने थोड़े समय के अन्दर इस सरकार ने जितने काम किये हैं जनता के हित के लिये उतने काम पहले कभी 24 वर्षों तक नहीं हुए । यह भी सही है कि हमारे काल में हड़तालें भी ज्यादा हुईं । इस संबंध में मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि सौतेली मां से कभी कोई बच्चा पैसे के लिये या किसी चीज के लिये अधिक मांग नहीं करता या जिद्द नहीं करता । वह जानता है कि वह उसके लिये उतनी उदार नहीं होती । लेकिन अपनी मां से सभी बच्चे जिद्द करते हैं । हमारी सरकार का व्यवहार अपने कर्मचारियों के साथ तथा अन्य सभी के साथ सौतेली मां का सा नहीं रहा है । हमारी सरकार उदारता पूर्वक सभी की मांगों को सुनती है । इसलिये यह स्वाभाविक ही है कि हमारे काल में हड़तालें आदि अधिक हुईं । मैं उनकी हड़तालों को एक प्यार भरी जिद ही समझता हूं । उसका उनको हक है । वे अपनी तकलीफों को हमारे सामने रख सकते हैं । हां, अगर चौधरी साहब की सरकार होती तो उनकी इतनी हिम्मत न होती कि वे हड़ताल कर सकें क्योंकि उनकी सरकार तो सदा डंडेबाजी करती थी । उनके काल में विधान सभा के सामने ही ग्रामसेवकों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उनके ब्लाउज फाड़े गये । माननीय त्रिपाठी जी की सरकार यह नहीं कर सकती । उनकी उचित मांगे जो आज तक पूरी नहीं हुई थीं, मेरी सरकार ने उन्हें पूरा किया भले ही खर्चे का भार बहुत ज्यादा बढ़ गया ।

मान्यवर, हमारे चौधरी साहब एक तरफ तो कहते हैं कि हड़तालें नाजायज हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि उनकी मांगों को माना जाये । यह मांग आप मान लीजिये । हड़ताल भी नाजायज बताते हैं और उनकी मांगों को भी उचित बताते हैं । चौधरी साहब तो, यदि अध्यापकों को राहत दीजिये तो नाराज हो जाते हैं, विद्यार्थियों को राहत दीजिये तो नाराज हो जाते हैं, कर्मचारियों को राहत दीजिये तो नाराज हो जाते हैं, किसानों को राहत दीजिये तो नाराज हो जाते हैं ।

अब मान्यवर, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग को ही लेता हूं । एक वर्ष में इस विभाग ने जितना काम किया है उतना पहले कभी नहीं किया । उतना काम प्लान के पिछले 3 वर्षों में भी नहीं हुआ । मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं । 1969–70 में 229 किलोमीटर लम्बी नई सड़कें बनीं, 241 की मरम्मत हुई और 10 पुल बने ।

सन् 70–71 में 352 किलोमीटर नई सड़कें बनीं, 262 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत हुई और 19 पुल बने । 71–72 वर्ष में 332 किलोमीटर लम्बी नई सड़कें बनीं, 324 किलोमीटर पुरानी सड़कों की मरम्मत हुई और 15 पुल बने । इस प्रकार 4 वर्षों में योजना के 993 किलोमीटर नई सड़कें बनीं, 827 किलोमीटर पुरानी सड़कों की मरम्मत हुई और 44 पुल बने और इसके मुकाबले में सन् 72–73 में आप देखें 550 किलोमीटर नई सड़कें बनी, 500 किलोमीटर पुरानी सड़कों की मरम्मत हुई और 21 पुल नये बने । इसके अलावा विशेष रोजगार देने की जो केन्द्रीय सहायता से योजना चलाई गई थी, उसके अधीन 230 किलोमीटर कुल नयी सड़कें बनीं ।

सन् 72–73 में 780 किलोमीटर नई सड़कें बनी और 500 किलोमीटर पुरानी सड़कों की मरम्मत हुई । इसके अतिरिक्त और भी बहुत से काम हुए, जिसमें सूखा पीड़ित लोगों को दिये जाने वाले अनुदान की सहायता से 412 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गईं, 339 किलोमीटर पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई और 8 पुल बनाये गये थे । वर्ष 72–73 में इस सेंट्रल अनुदान से 450 किलोमीटर नई सड़कें बनीं, 175 किलोमीटर पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई और दो पुल बनाये गये । आप देखें, इस प्रकार से केवल एक साल में जितना काम किया गया, उतना काम 4 साल से तिगुना हो गया । इस प्रकार से काम बहुत ही तेजी से हुआ और बहुत अच्छा हुआ । मैं अपने क्षेत्र की बताऊं, मैं इस विधान सभा में कई बार बोल चुका हूं, हमारे क्षेत्र में कई सड़कें ऐसी थीं, जिसके लिये मैंने कहा था यदि उसमें

[श्री शिवकुमार पांडेय]
सरकार मिट्टी पटायेगी तो ज्यादा खर्च होगा । इसके विपरीत गहरा कराने में कम खर्च होगा । लेकिन उनके लिये मैं अब साक्षी देकर कह रहा हूं, मेरे क्षेत्र में भी कोई सड़क ऐसी नहीं बची है जिस पर काम न शुरू हुआ हो या बन न रही हो ।

एक सदस्य--
यह सब सड़कें आपके क्षेत्र में ही बनी होंगी, और कहां बनी हैं ?

श्री शिवकुमार पांडेय--
नहीं, यह पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं । पुलों को बनवाने के लिये प्रदेश में एक पुल निगम तैयार किया गया है । मान्यवर, योजना के प्रथम चरण में 1325 किलोमीटर नई सड़कें यू०पी० भर में बनी हैं । इसकी तुलना में 72-73 में 1230 किलोमीटर नई सड़कें पूरे प्रान्त में बनाई गई थीं । जौनपुर के हमारे दोस्त बैठे हैं उनके यहां का गलियारा भी पक्का हो रहा है, फिर भी उनको परेशानी है । उनको चाहिये कि वह हमारी तरफ आ जायें। वहां गोमती नदी पर पुल भी बन रहा है । उनको तो विरोध करने की जरूरत ही नहीं है । मैं उनको निमंत्रित कर रहा हूं ।

मान्यवर, अब आप देखें, बाढ़ में 5562 किलोमीटर सड़कें हमारे प्रदेश में बरबाद हो गई थी, यातायात के लिये बिल्कुल बेकार हो गई थीं, साथ ही 687 पुलियायें क्षतिग्रस्त हो गई थीं । उस असीम बरबादी को देखते हुए मालूम हो रहा था कि यह तो 25 साल के लिये काम बढ़ गया है । पिच रोड्स पर बड़े-बड़े दलदल हो गये हैं । लेकिन उन पर हमारी सरकार ने तत्परता से ध्यान दिया तथा उनको ठीक कराने में 71-72 में 5 करोड़ रुपये और 72-73 में 6 करोड़ 91 लाख रुपये खर्च किये गये । इतनी तेजी से मरम्मत हुई, जितनी तेजी से किसी सरकार ने आपत्ति को देखते हुए काम नहीं किया है । राष्ट्रीय मार्गों और भवनों के लिये एक निगम बनाया गया है। काम को तेजी से निपटाने के लिये तमाम छूट-ढील दी गई है, खुले बाजार से आवश्यकता होने पर सामान खरीदने की छूट दी गई है और यह भी कहा है कि ट्रकों से सामान ढुलवाया जाये। यह काम हमारी सरकार ने किया है ।

गंगा जी पर मुरादाबाद, हरिद्वार, कानपुर, गाजीपुर, डलमऊ इतने पुल बन रहे हैं । हमारे मंत्री जी का बड़ा मजाक उड़ाया चौधरी साहब ने स्वेत क्रांति के संबंध में । हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने फैसला किया है रजत जयन्ती के अवसर पर 2 हजार किलोमीटर पक्की तथा तीन हजार किलोमीटर कच्ची सड़कें बनाकर जनता को समर्पित करेंगे ।

राजस्व विभाग को देखें, सीलिंग किया । बराबर कहा जाता था कि मेरी पार्टी में सब राजा महाराजा हैं इसलिये सीलिंग नहीं करना चाहते । मेरी पार्टी के एक भी आदमी ने सीलिंग का विरोध नहीं किया । माननीय भानुप्रताप सिंह उसके लिये अलग मीटिंग किया करते थे । वह चाहते थे कि सीलिंग न हो । लेकिन इल्जाम मुझ पर आता था कि इनके दल में राजा महराजा हैं इसलिये सीलिंग नहीं कर रहे हैं । मेरे दल का एक भी सदस्य ऐसा नहीं रहा जिसने सीलिंग के पक्ष में मत न दिया हो, चाहे वह राजा रहे हों या नवाब रहे हों । सीलिंग से 3 लाख एकड़ भूमि हम को मिलेगी जिससे एक लाख आदमी लाभान्वित होंगे भूमिहीन ।

भूमि विकास कर की बड़ी चर्चा हुई । हमने फैसला किया है कि भूमि विकास कर का जो भी पैसा मिलेगा उसका एक भी पाई शहर में खर्च नहीं करेंगे । कुल का कुल गांव की सड़क, सिंचाई, बिजली, खेतिहर मजदूर के लिये मकान बनवाने में खर्च करेंगे । आपसे पाये हैं आपको ही दे रहे हैं । त्व मेवं वस्तु गोविन्दम तुभ्यमेव समर्पयं । एक तरफ कहते हैं कि विकास करो और दूसरी तरफ कहते हैं कि टैक्स न लगाओ । विकास के काम में तो पैसा लगेगा । कर्मचारी रहेंगे, मेटीरियल भी लगायेंगे । उसके लिये पैसा

भगवान के यहां से सरकार के पास मनीआर्डर तो आयेगा नहीं । वह जनता की जेब से आता है, चाहे टैक्स के रूप में या चन्दे के रूप में, हमने फसला किया है कि किसानों से जो पैसा मिलेगा उन्हीं को पानी, बिजली देने में, सड़कें बनवाने आदि में खर्च करेंगे ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)---
आप करेंगे या सरकार खर्च करेगी ?

श्री शिव कुमार पांडेय---
मैं सरकार की तरफ से बोल रहा हूं । इस लिये जो मैं कहूं आपको स्वीकार करना चाहिये । मैं अपने को और सरकार को अलग नहीं समझ रहा हूं ।

जो हमारे सैनिक लड़ाई में हैं उनको भूमि देने का निश्चय किया है । जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनकी विधवाओं को तथा जिन सैनिकों को वीरचक्र मिला है, उनके लिये मकान की व्यवस्था की गयी है जो अभी तक नहीं हुआ था । नकद पुरस्कार भी उन्हें दिये गये ।

मैं माननीय चौधरी साहब की बड़ी इज्जत करता हूं । उनको बड़ी जानकारी भी है । मुझे विश्वास नहीं है कि उनको गलत जानकारी होगी । लेकिन शायद जानबूझ कर सही नहीं कहा हो, यह कहा कि 20 परसेंट खेतों की सिंचाई हो रही है । 33 परसेंट खेतों की सिंचाई शासकीय साधनों से पार साल हो गयी थी और अब कुछ बढ़ी हुई है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---
कल चौधरी साहब ने देश के आंकड़े बतलाये थे और आप प्रदेश की बात सोच रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष ---
पांडेय जी आंकड़ों के पंडित नहीं हैं ।

ी शिव कुमार पाण्डेय---
यहां पर बहस प्रदेश के बजट पर हो रही है इसलिये मैं प्रदेश की ही बात कह रहा हूं । यह सही है कि हम सब खेतों को पानी नहीं दे सके हैं लेकिन यह भी सच है कि हमने 40 फीसदी खेतों को पानी दिया और जिनको नहीं दे सके हैं उनको तेजी के साथ पानी देने के लिये आगे बढ़ रहे हैं । हर जगह नलकूप लग रहे हैं । इस वर्ष सूखा पड़ा तो सभी को मालूम है किस तरह से सूखे की स्थिति का मुकाबला किया गया और फलस्वरूप 45 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई खरीफ में की गयी यानी 9 लाख एकड़ जमीन में ज्यादा सिंचाई की गयी और रबी की खेती की सिंचाई में 15 फीसदी की वृद्धि हुई और कड़ाई क साथ सिंचाई के लिये आदेश थे ।

झांसी में हर साल 12,480 हेक्टर जमीन जमनियां बंधी से और हमीरपुर में 4,310 हेक्टर जमीन चन्द्रावल बांध से सींची जाती है क्योंकि उनका निर्माण पूरा हो गया है । राम गंगा नहर की फीडर नहर का काम भी पूरा हो गया है । जो पानी उससे निकलेगा वह खेतों को जायगा । यह कहा नहीं जा सकता कि हम सिंचाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं । बनारस और मिर्जापुर को लाभ पहुंचाने के लिये नारायण पम्प नहर को पूरा कर लिया गया है । पिछले दिनों में बांदा, बहराइच, गाजीपुर, रायबरेली आदि में सिंचाई सुविधा के लिये अनेक प्रकार की योजनायें, पम्प नहरें बनाई गयी हैं । दोहरी घाट पम्प नहर की जल क्षमता बढ़ाने के लिये काम शुरू हो गया है ।

वन विभाग को देखें । उसमें हमने तेंदू का राष्ट्रीयकरण किया और जो बीच में ठेके-पत्तेदार मजदूरों का शोषण करता था उसे हटाया और उससे राज्य सरकार की आय भी बढ़ी । 72–73 में सरकार की आय 1,82,50,500 रुपये की थी जब कि 71–72 में वह 60,24,300 रुपये ही थी । इस तरह से वन विभाग ने काफी तरक्की की ।

[श्री शिवकुमार पाण्डेय]

नियोजन को कार्यान्वित करने के लिये मुख्य मंत्री के सभापतित्व में एक निगम की स्थापना की गयी जो सारे प्रान्त को सुनियोजित ढंग से विकास की तरफ ले जायगा। इसमें कुल 7,375 करोड़ का व्यय होगा। उसमें बड़ी योजनायें हैं। बड़े उद्योगों के अलावा 30 नये लघु उद्योग खुलने जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है जिसके बारे में त्रिपाठी जी चर्चा कर रहे थे पर्वतीय निगम की स्थापना की गयी है। पिछड़े क्षेत्रों के लिये तीन निगमों की स्थापना की गयी है।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

निगम में कितना इस साल घाटा हुआ ?

श्री शिव कुमार पांडेय---

यह घाटा मंत्री जी बतलायेंगे। यह निगम अपनी अपनी जगह काम कर रह ह। सुल्तानपुर में पूर्वी विकास निगम की तरफ से एक चीनी मिल खोली गयी। कहीं ईंट का भट्ठा खोला गया। जितने निगम बने वे सब कड़ा कार्य कर रहे हैं। फैजाबाद में यह विभाग कई कार्य कर रहा है।

अभी चार साल स हमारी सरकार है। उसके पहले माननीय नेता जनसंघ भी सरकार में थे। उन्होंने सारे 25 सालों के कार्यों को हमारे ऊपर लाद दिया। इस 25 साल में 14 महीने उनकी भी सरकार रही है, वे भी उसके जिम्मेदार हैं लेकिन वे उस समय को भी हमारे ही समय में छोड़ रहे हैं। मैं बड़े विनम्र शब्दों में अनुरोध करूंगा कि इन 25 सालों में जो काम नहीं हुआ था वह तो हम कर रहे हैं और फिर भी बुरे बने हैं।

जहां तक जनता का सवाल है। कहा जा रहा है कि जनता लूटी जा रही है, जनता में आक्रोश है, असंतोष व्याप्त है। इसका फैसला तो आपने मध्यावधि चुनाव में जनता ने दिखा दिया कि जनता किसक साथ है। आपके साथ है या हमारे साथ है। सबसे बड़ी अदालत जनता है, उसने तो फसला कर दिया। लोग सौ-सौ और दो-दो सौ वोटों से जीते थे और हमारे यहां 65 हजार वोटों से कम कोई नहीं जीता है। जिसको सबसे कम मिले उसे फिर भी 40–50 हजार वोट मिले।

श्री किशन लाल (जिला पीलीभीत)---

एक बात की जानकारी दे दें (व्यवधान).....आप जो ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। एक आदमी न सन् 70 में बिजली ली। उसका तीन महीने के बाद मीटर चोरी हो गया। उसने थाने में जाकर रपट भी लिखाई और बिजली वालों को भी लिख कर दिया। लकिन उसका बिजली का बिल अभी भी बराबर आ रहा है और उसका मीटर अभी तक खोला नहीं गया.....

श्री शिव कुमार पांडेय---

आप बिजली मंत्री को लिख कर भेज दें। यह सरकार की कमजोरी नहीं है.....

(व्यवधान)

श्री किशन लाल---

आप हमारे साथ चलिये....

श्री उपाध्यक्ष---

आप आसन ग्रहण करें, स्पष्टीकरण हो सकता है भाषण नहीं।

श्री शिव कुमार पांडेय––

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि यदि उनके यहां बिजली की गड़बड़ी है तो वे अपनी संस्तुति के साथ बिजली मंत्री को लिखकर दें। ट्रांसफारमर की पहले कितनी चोरी होती है। हमारी सरकार ही पहली सरकार है जिसने कि इस विषय में कानून बनाया कि चोरी गये ट्रान्सफारमर सरकार देगी। मिनिमम गांरटी हमने कम की और उसके बाद भी इस तरह के इल्जाम लगाये जायं, यह ठीक नहीं है। जितने हमारे संसाधन और आय के जरिये हैं उसके अनुसार ही तो सब कुछ दिया जा रहा है।

श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)––

क्या सरकार ने 3 रुपये प्रति हार्स पावर चार्ज नहीं लगाया है ?

श्री शिव कुमार पांडेय––

बेरोजगारी का जहां तक सवाल है उसके बारे में बड़ा हल्ला मचाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ही ऐसी सरकार है जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिये व्यवस्था की है। पढ़े लोगों के लिये बी० टी० सी० ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई, इंजीनियर्स को काम दिया गया। इसके अलावा जो बिलकुल अपढ़ थे, जो मजदूरी करके खाते थे उनको रोजगार दिलाने के लिये हमने सड़कों का अभियान चला कर उन्हें काम दिलाया जिसमें उन्हें तीन रुपये रोज मिल जाता है। अब भूख से कोई मरने वाला नहीं है चाहे हम कहीं से उसके लिये साधन जुटायें। चाहे सेन्टर से लें या कहीं से लें। कितने ही इंजीनियर बेकार टहल रहे थे। उन्हें गांवों की तरक्की किये जाने की योजना बनाई गई और उन्हें काम दिया गया। यह मैं मानता हूं कि अभी हम सभी चीजों की पूर्ति नहीं कर सके हैं इसके लिये हम सजग हैं और पांचवी पंचवर्षीय योजना में हम इस ओर विशेष ध्यान देने की तैयारी कर रहे हैं।

गेहूं के व्यापार के बारे में बहुत हल्ला मचाया गया। माननीय नेता जनसंघ ने इस सम्बन्ध में काफी हल्ला मचाया। मैं मानता हूं कि उनकी पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि ज्यादा बनिये जनसंघ में हैं जो रोजगार कर रहे हैं। गेहूं का व्यापार ले लेने से उनका नुकसान होगा और वे कुढ़ेंगे भी, यह तो दूसरी बात है। गेहूं का व्यापार सरकार ने अपने हाथ में इस लिये लेने का निर्णय लिया ताकि प्रदेश की जनता भूखों न मरे और जो बनिये हैं वे किसानों के मध्यवर्ती बन कर बेजा फायदा न उठावें। आज हमारे पास जितने संसाधन हैं, हमारे जितने और सामान हैं, जितनी हमारी शक्ति है उसके मुताबिक बड़ी ईमानदारी के साथ, चाहे राज्य कर्मचारी हो, चाहे जनता का आदमी हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अपढ़ हो, चाहे किसान हो या मजदूर हो, हर एक की तरक्की करना सरकार का काम है और हमारा जो यह बजट है इसी को निगाह में रख कर बनाया गया है। मैं तो इस बजट के लिये माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बजट को पेश करके प्रान्त की जनता के भविष्य को उज्जवल बनाया है और अन्त में मैं आपको भी बधाई देता हूं कि आपने मुझे काफी समय दिया।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी––

मान्यवर, मैं भी माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। बधाई देने के दो कारण हैं। एक कारण यह है कि हमारे वित्त मंत्री जी को कई बार इस सदन में बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला और अब भी मिला है लेकिन इस बार उन्होंने दो कार्य नहीं किये। एक तो इन्दिरा जी की संस्तुति जो कहलाती है आराधना और दूसरी समाजवाद समाजवाद की रट, ये दो चीजें इस बजट भाषण में उन्होंने नहीं कीं इस लिये मैंने उनको बधाई दी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष--

इसका अभाव आप को खटका.... (हंसी)

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

श्रीमन्, एक बात की ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। चाणक्य इस देश के एक बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ हुए हैं। उन्होंने एक बात कही है कि जिस शासक का मन अस्थिर हो, क्षण-क्षण बदलता हो उसे तत्काल कुर्सी से हटा देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

कौन हटावे ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

जब माननीय वित्त मंत्री जी ने 3 मार्च को बजट रखा तो उन्होंने कहा था कि लेखानुदान एक माह क लिये लाया जायेगा, आज जब वह हम लोगों के सामने आया तो डेढ़ महीने का हो गया।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

यह तो आप लोगों के आग्रह पर हुआ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मैं आपके लेखानुदान की आलोचना कर रहा हूं। अपनी कमजोरियों को कहां-कहां ढकियेगा, पहले सुनिये तो।

श्री उपाध्यक्ष--

आप नहीं थे, कार्य-मंत्रणा समिति में आपकी तरफ से असरार अहमद साहब थे।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

हमारे सामने जो बजट पेश है, सचमुच उसका आकार बहुत बड़ा है। करीब 838 करोड़ रुपये का बजट है। सन् 36-37 में इस राज्य का बजट केवल 12 करोड़ रुपये का था जो 46-47 में 30 करोड़ रुपये का हो गया, 52-53 में 65 करोड़ का, 57-58 में 104 करोड़ का और सन् 63-64 से लेकर अब तक इतना बड़ा बजट हो गया। इससे यह नतीजा निकलता है कि सरकार के पास आय ज्यादा हो रही है लकिन अब दखना यह है कि सरकार के पास जो सम्पत्ति है वह सम्पत्ति आम जनता के पास पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अगर माननीय सदस्य इस तरफ ज्यादा ध्यान देंगे और केवल अपने प्रदेश की तरफ ही नहीं, बल्कि सारे देश की तो वे इस नतीजे पर आयेंगे कि आज हम सचमुच उस जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर अगर ईमनादारी से देखा जाय तो हर इन्सान को दुःख होगा।

मैं माननीय रियासत भाई से कहूंगा कि आप जानते नहीं है कि एक कमेटी बैठी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी है। उसके अनुसार अनाज की खपत प्रति व्यक्ति प्रति दिन 394.3 ग्राम है, दाल की खपत प्रति व्यक्ति प्रति दिन 50.9 ग्राम है और कपड़े की खपत प्रति व्यक्ति 13.5 मीटर है। आज हम कहां खड़े हैं ? इनकी प्रगति और नियोजन का नतीजा है कि हमारे पास न खाने को अन्न है, न दाल है, न पहनने को कपड़ा है और न रहने को मकान है, कहने का तात्पर्य है कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं से हम विहीन हो गये ह।

मैं माननीय रियासत भाई को याद दिलाना चाहता हूं कि जब आप चुनाव जीते तो उसका पारितोषिक गरीब जनता को क्या मिला ? मालूम है उसका पारितोषिक महंगाई, अकाल, सूखा और बिजली का संकट और क्या आपने सिंचाई की दर नहीं बढ़ाई ? आज चारों तरफ सूखा ही सूखा फैला हुआ है। सूखा के समय में सिंचाई की दर कौन सी सरकार बढ़ायेगी फिर भी आप कहते हैं कि हम गरीब जनता के बड़े हितैषी ह। आजकल मंहगाई के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चौहान साहब ने खुद तस्लीम किया है कि मूल्यों में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

माननीय भानुप्रताप सिंह जी नहीं हैं। उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं दिया है। लेकिन वे एक बात कह रहे थे कि चौधरी साहब ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है वह ठीक नहीं है। उनकी जानकारी के लिये मैं उनको बता दूं। हमारी बात छोड़ दीजिये। आपके आंकड़े को ही मैं बताता हूं। आंकड़ों के आधार पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई है "पावर्टी इन इंडिया"। 1960–61 के मूल्यों के आधार पर निकाले गये हैं। डांडेकर ने लिखा है कि एक ग्रामीण का न्यूनतम व्यय 180 रुपये वार्षिक है यानी 15 रुपये प्रति मास प्रति व्यक्ति आता है। उस जमाने में आज की सी मंहगाई नहीं थी। अब तो साढ़े सात रुपये पर वह आ गया है। जिस देश में एक ग्रामीण की आमदनी साढ़े सात रुपये मासिक है तो आप अंदाजा लगा सकते है कि कैसे वह गुजर करता है। यहां के 50 प्रतिशत लोगों को दो समय भोजन नहीं मिलता है।

माननीय रियासत भाई देखिये कि जुलाई, 1971 से जरवरी, 72 तक 42 आशय-पत्र जारी किये गये जिनमें सबसे ज्यादा बिड़ला को मिले हैं। 8 बिड़ला को, 3 श्रीराम को, 4 साहू एण्ड को० को तथा 3 टाटा को मिले हैं। बिड़ला की अंग्रेजी काल में 20 करोड़ की आमदनी थी जो बढ़ कर आज 700 करोड़ हो गई है। उसी बिड़ला को आप आशय-पत्र जारी करते हैं, नये-नये लाइसेंस-देकर उन्हीं को आप अरबपति बनाना चाहते हैं और कहते हैं कि हम गरीबी हटाना चाहते हैं।

श्री रियासत हुसैन—

आपके नेता जी ने तो पब्लिक सेक्टर का विरोध किया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

बड़ी प्रगति की बात कही गई। लेकिन प्रगति हमेशा सापेक्ष होती है। आपको पूरे देश के मुकाबले में अपनी स्थिति को देखना पड़ेगा कि भूत के मुकाबले में वर्तमान कितना आप आगे बढ़े और उसी अवधि में सारे प्रदेश कहां पहुंच गये? तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो मालूम होगा कि हम तो केवल रेंग रहे हैं। हम मनुष्य हैं, हमारा रेंगना कोई विकास नहीं क्योंकि पौधे तो पक्षियों की बीट से भी उग आते हैं लेकिन यह इन्सान है कि जो कम उगा रहे हैं। कुछ न कुछ तो प्रगति होगी ही लेकिन जो प्रगति होना चाहिये थी वह ठप्प हो गई। हमें यह कहना पड़ रहा है कि सन् 71 में जो प्रति व्यक्ति आय 266 थी वह वही रह गई।

सारे बजट में हमने देखा उसमें 72–73 तक की बात है लेकिन 73–74 की नही है, जिस वित्तीय वर्ष का बजट आप प्रस्तुत कर रहे हैं उस वर्ष का कोई लक्ष्य नहीं है और उसमें हमारी आय कितनी हो जायगी इसका इसमें कोई वर्णन नहीं है। हमारे नेता माननीय चौधरी साहब ने कहा था कि जब तक आप गांधी जी के बताये हुये आर्थिक सिद्धान्तों को नहीं अपनायें गे तब तक आप समाजवाद नहीं ला सकते। डाक्टर लोहिया ने भी कहा था कि राष्ट्रीयकरण एक साधन है, वह साध्य नहीं है। साध्य है महगाई रोकना, गरीबी मिटाना और आर्थिक विषमता को दूर करना। अगर राष्ट्रीयकरण ही समाजवाद का साध्य है तो मैं बता दूं कि आप फिर अमरीका को क्यों पूंजीपति देश कहते हैं। अमरीका की सार्वजनिक क्षेत्र से 35 प्रतिशत आय है और वह आपके यहां केवल 8 प्रतिशत है। समाजवादी इस तरह से अमरीका है या भारतवर्ष।

सब से बड़ी बात जो जनतन्त्र में जरूरी है वह यह है कि उसमें जनता की शक्ति बलवती होनी चाहिये। कांग्रेसी प्रशासन में जनता को शिकायत है कि उसको कुचल दिया गया है और इतना अधिक कुचल दिया गया है कि उसमें अविश्वास पैदा हो गया है उससे जनता निराशा-मय हो गई है। लोग हम से कहते हैं कि इनका कोई भरोसा नहीं है। पहले इन्दिरा जी कहती हैं कि गरीबी हटाओ लेकिन अब वह प्रतापगढ़ में या कहां कहती हैं कि गरीबी कोई साड़ी, ब्लाउज या पैंट नहीं है कि झट से मिटा दिया जाय।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी]

आज देश की स्थिति यह है कि सोचना पड़ता है कि देश आज किधर जा रहा है, आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि नतिक दृष्टि से भी। आप बड़े बड़े बांध बना लीजिए लेकिन मानव समाज में नवनिर्माण नहीं हो रहा है। जनतंत्र में नवनिर्माण तभी होगा जब हमारे मंत्री गण उदाहरण रखेंगे। एक कहावत है कि जैसा राजा राजतंत्र में वैसी ही प्रजा। आज जनतंत्र में जनसेवी कहलाते हैं, जनता के नेता हैं, जैसा आचरण व करेंगें, वे ही उदाहरण बनेगा जनता के लिए। मैं पुनः कहता हूं कि आपने इस आचरण पर धब्बा लगा दिया है। कोई विधायक अपने हृदय से पूछे, चाहे ट्रेन में चाहे रास्ते में सब लोग कहते हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार तो कभी देश में हुआ ही नहीं जितना इस समय है। वे लोग बड़े-बड़े वरिष्ठ मंत्रियों के परिवार के सदस्यों के नाम लते हैं कि सारा का सारा परिवार घूस में लिप्त है।

जब चौधरी साहब या गुप्ता जी सरकार में मुख्य मंत्रियों के पद पर आसीन थे, तब ऐसी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। लोग नहीं कहते थे कि मंत्रियों के परिवार के सदस्यों तक में यह बीमारी है घूस और सट्टे की। दूसरी बात, श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय शिव कुमार जी कहते थे कि उनके क्षेत्र में बड़ी सड़कें बनी हैं। मैं भी यही कहता हूं कि माननीय शिव कुमार जी के क्षेत्र में बड़ी सड़कें बनी हैं। वे केवल एक कांग्रेसी विधायक ही नहीं अपितु एक ब्राह्मण विधायक भी हैं। हमारे जिले में एक केन्द्रीय सरकार की योजना प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार प्रायोजना, के नाम से बलिया जिले में बनी। इस योजना को 2 क्षेत्रों में होना चाहिये था। लेकिन इसे 2 ब्लाकों में ही कर दिया गया जो एक कांग्रेसी ब्राह्मण विधायक के क्षेत्र में पड़ते हैं। तो माननीय शिव कुमार जी जो कह रहे थे, उनको तो अपन ही चश्मे से दिखायी देता है लेकिन जो ब्राह्मण कांग्रेसी विधायक नहीं हैं, विरोधी दलों के सदस्यों को तो छोड़ दीजिए, उनकी क्या हालत है। आज सब का एक ही नजरिया हो गया है यदि मैं धृष्टता न करूं तो हमारे साथी जो बैठे हुए हैं सबकी एक ही धारणा है कि जातिवाद पनप रहा है।

अपने बजट भाषण में निगमों के खोलने का भी जिक्र किया है लेकिन जितने भी निगम खुले हैं, उन सब में एक ही जाति के लोग अध्यक्ष पद पर बैठे हुए हैं। विद्युत परिषद् का चेयरमैन, श्री त्रिवेदी, एग्रो इन्डस्ट्रियल का चेयरमैन श्री जी०डी० शुक्ला, यू०पी० कोआपरेटिव का चेयरमैन कौन, सतर्कता आयोग के सभापति श्री राधे श्याम शर्मा, लोक सेवा आयोग के चेयरमैन पांडे जी, सिंचाई आयोग के चेयरमैन माननीय चतुर्भुज शर्मा।

सरकार ने जितने निगम या आयोग खोले हैं, उनमें जितने चेयरमैन हैं, वे एक ही जाति के हैं। आज लोग बात करते हैं तो यही कहते हैं कि हमारे जिले में जिलाधीश और एस० पी० केवल एक जाति के हैं। वे ब्राह्मण ह। अगर मान लीजिये कि हिन्दुस्तान में केवल ब्राह्मण ही योग्य हैं, तो ये केवल 7 फीसदी होंगे, बाकी 93 फीसदी ब्राह्मण नहीं हैं। यानी 93 प्रतिशत अयोग्य हैं। तो जब 93 प्रतिशत अयोग्य हैं तो देश का कैसे कल्याण होगा? जब तक श्रीमन्, इनका यह नजरिया रहेगा, तब तक हिन्दुस्तान का कभी उत्थान होने वाला नहीं है।

आज स्थिति यह हो गयी है कि लोग कह रहे हैं कि द्रविड़ मुनेद्र कजगम वाली पार्टी बनायें। बड़ी खुशी और रोष से लोग यह बात करते हैं। मान्यवर, चूंकि सरकार ने कोई आर्थिक विकास नहीं किया, बेरोजगारी नहीं दूर की, इस लिये वे किसी तरह की बधाई के पात्र नहीं है। बेरोजगारी मिट्टी फेंकने से दूर होने वाली नहीं। शिक्षित लोगों की बेरोजगारी इससे नहीं दूर कर सकते। अगर आपके पास नयी योजना है, तो क्यों नहीं मेरे प्रस्ताव को मान लेते कि सरकारी नौकरी उन्हीं परिवारों के लोगों को दी जाय, जिनमें से अब तक कोई सरकारी नौकरी में नहीं हुआ। आज जिनके पास खती ह, जिनक पास कल-कारखाने ह, उन्हीं

के पास नौकरी का केन्द्रीकरण हो गया है। उन्हीं के पास पूंजी बढ़ती चली जा रही है। इस को दूर करना चाहिये। इसका एक ही उपाय है, जो कि मैंने कहा था। इन शब्दों के साथ, माननीय त्रिपाठी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध कर रहा हूं।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आलोच्य वर्ष 1973–74 के बजट अनुमानों का यह बजट भाषण है। जैसा कि पार्टी की नीति रही है, आर्थिक-विकास, उत्पादकों और बेरोजगारों को पर्याप्त अवसर देना, पिछड़ापन दूर करना, क्षेत्रीय असंतुलनता को दूर करना और इसके साथ-साथ कार्यों में द्रुति गति लाना, इन तमाम उद्देश्यों के आधार पर जो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने वर्ष 1973–74 का बजट प्रस्तुत किया है, माननीय सदस्यों के समक्ष, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशन्सा करता हूं। यह तो मानना पड़ेगा कि पिछले वर्ष के अलावा इस वर्ष बहुत परिवर्तन हुआ है और कार्य हुये हैं। इस लिये एक ही उदाहरण पर्याप्त है। जो सड़कें बनीं 1969–70 से 1971–72 तक उनमें 25 करोड़ 50 लाख की सड़कें बनीं। 913 पी0 डब्ल्यू0 डी0 की नयी सड़कें और 827 पुरानी। 44 पुल बने हैं।

बेरोजगारों को जिन्हें रोजी के लिये बड़ी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, उनको रोजी देने के लिये अलग से एक योजना चलाई गई और उसके अन्तर्गत 22 करोड़ 39 लाख रुपये का कार्य हुआ और 780 किलोमीटर सड़क बनाई गई। 500 किलोमीटर पुरानी सड़कों का सुधार किया गया और 21 पुराने पुलों का निर्माण किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि पिछले 3 वर्षों में जो 34.83 करोड़ रुपये का कार्य हुआ, उतना कार्य केवल इस साल हुआ यानि 1972–73 में 34.21 करोड़ रुपयों का कार्य हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि कार्यों में तीव्रता आ गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब तक जो पुरानी परम्परा जिसके कारण एक प्रकार से विभागों में शिथिलता आ रही थी, तो मान्यवर, इस बात को भी मानना पड़ेगा कि इस गति देखते हुये यह आशा की जा सकती है और की जाती है और आशा है कि कार्यों में और द्रुति गति आयेगी।

जहां तक भूमिहीनों के विषय में यह बात कही गई कि सरकार की ओर से उन पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही वर्ष में 2 अक्तूबर, 1972 तक 14,314 गांवों में से 1,54,269 व्यक्तियों को 1948.26 हेक्टेअर भूमि दी जा चुकी है। यह इस बात का प्रमाण है कि इस दिशा की ओर कार्य हो रहा है। 30 जून, 1972 तक 7 लाख 27 हजार 230 एकड़ गांव सभा भूमि 35,122 व्यक्तियों में वितरित की जा चुकी है। ये आंकड़े इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इस दिशा में सरकार की नीति स्पष्ट है और दिन प्रति दिन कार्य तेजी से हो रहा है। इसी तरह से अधिकतम जोत सीमा के अन्तर्गत जो भूमि आयेगी उसे भी भूमिहीन लोगों को दिये जाने का संकल्प है और यदि माननीय सदस्यों का सहयोग रहा तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कार्य सरकार कर रही है वह पूरा होगा और भूमिहीन लोगों को भूमि दी जा सकेगी।

जहां तक पिछड़े वर्गों के उत्थान का प्रश्न है, इसी बजट वर्ष में काफी धन इसके लिये नियत कर दिया गया है। 7 करोड़ रुपये शिक्षा सम्बन्धी योजना के लिये, 60 लाख आर्थिक कार्यक्रमों के लिये, 30 लाख गृह विहीन व्यक्तियों के लिये, 21 लाख भवन निर्माण के ऋण के लिये, 34 लाख रुपये पेय जल की व्यवस्था के लिये। इसके अतिरिक्त पेय जल की व्यवस्था अन्य श्रोतों जैसे एल० एस० जी० ई० डी० द्वारा अलग से की जा रही है। जहां तक उनकी सुरक्षा का प्रश्न यह बात सत्य है कि दिन प्रति दिन इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती हैं जिनसे यह प्रतीत होने लगता है कि वास्तव में उनकी सुरक्षा नहीं है। लेकिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

इसका दोष एक ही ओर नहीं दे देना चाहिये । इस दिशा में भी मैजिस्ट्रटों को, पुलिस को अलग से आदेश दिये गये हैं और एक विशेष सेल इसके लिये स्थापित कर दिया गया है जो कि इन काय को देखेगा ।

जहां तक कृषि सम्बन्धी कार्यों का सम्बन्ध है यह बात ठीक है कि पिछले वर्षों में प्रदेश का योगदान कृषि में 59.5 प्रतिशत से घटा कर 52.5 रह गया है। लेकिन जहां तक औद्योगिक दृष्टि का सम्बन्ध ह हम इस दिशा में आगे बढ़े हैं । कुछ असामयिक कारणों से जैसे सूखा, बाढ़ है, हो सकता है कि कुछ शिथिलता आई हो, लेकिन यदि इन बातों को दूर कर दिया जाय और इस ओर विभाग प्रयास भी कर रहा है, तो इन कमियों को दूर किया जा रहा है ।

एक बात जो सभी माननीय सदस्यों ने उठाई है वह यह है कि अखिल भारतीय नीति के अनुसार गेहूं का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले रही है तो क्या सफलता प्राप्त होगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक बात अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि इस कार्य को सफल बनाने के लिए न केवल सरकारी पक्ष का ही उत्तरदायित्व है बल्कि हम सबका है । मेरी जानकारी है कि 76, 74, 72 रुपया प्रति कुन्तल गेहूं के लिए सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है लेकिन पूर्वी जिलों में ऐसे लोग हैं जो 110 रु० प्रति कुन्तल किसानों के घरों में जाकर गेहूं खरीदने की बात कर रहे हैं । अगर यही बात रही तो जिस उद्देश्य को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है वह उसमें सफल नहीं हो सकेगी ।

आज तक जिनके हाथ में गल्ले का थोक व्यापार रहा है वे अपने दलालों के द्वारा सारे गेहूं को इस प्रकार से हथियाने का प्रयास कर रहे हैं तो सरकार की नीति नहीं चल सकेगी । इसमें संदेह नहीं कि सरकार की नीति के पीछे जो भावना है वह जनहित की है । लेकिन इस नीति को सफल बनाने के लिए न केवल सरकारी पक्ष ही उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकता है, अन्य सभी लोगों का भी इसमें सहयोग होना चाहिए । मान्यवर, कृषि का दूसरा अंग फलोत्पादन है । उसका एक विभाग भी है । हमारी सरकार ने इसमें बड़ी भारी सफलता का द्योतन किया है और मैं इसको मानता हूं । यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश ने फलों के उत्पादन में बड़ी प्रगति की है और यह भी ठीक है उत्तर प्रदेश को पिछले पांच वर्षों से पांच प्रथम पुरस्कार भी मिल रहे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि हम हिमांचल और कश्मीर से आगे बढ़ गये हैं इसकी जानकारी यहां की जनता को नहीं। अगर हमारे इस विभाग से इस ओर भी प्रयास होता तो उत्तर प्रदेश के लोग यह जानकर गौरव समझते और फलोत्पादन आगे बढ़ाने में और भी प्रयत्नशील होते । इस सम्बन्ध में एक और बात कहनी है कि पर्वतीय इलाकों में फल पट्टी योजना चल रही है । उसके लिए जितना प्रयास सरकार की ओर से होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है । यही कारण है कि वहां के लोगों के सामने विपणन की समस्या उत्पन्न हो गयी है । इसका सबूत यह है कि जो पर्वतीय निगम है उसको सेवों के व्यापार से लगभग 6 लाख का नुकसान हुआ ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, आपने सबको बहुत समय दिया है । मुझे तो पांच सात मिनट ही बोलते हुए हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको दस मिनट हो गये हैं । कुछ समय पहले इसलिए भी संकेत कर देते हैं क्योंकि माननीय सदस्य आगे बोलते रहते हैं ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

इस बजट में पर्वतीय क्षेत्र और फैजाबाद के लिए शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गयी है । पिछले वर्षों से विश्वविद्यालय की बात को लेकर कुमायूं डिवीजन और गढ़वाल डिवीजन में संघर्ष चला आ रहा था और इस बजट में जिस प्रकार

से इसका समावेश कर दिया गया है उसके लिए मैं तमाम पर्वतीय जनता की ओर से सरकार को बधाई देता हूं। अगर पहले गढ़वाल मंडल में विश्वविद्यालय खल जाय तो अच्छा है और नहीं तो यह विश्वविद्यालय दोनों में साथ-साथ खलें। एक बात सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में कहनी है। पर्वतीय क्षेत्र में और समस्त उत्तर प्रदेश में यह तो त्वरित योजना चली है इससे काम में गति आयी है। पर्वतीय क्षेत्र में जो सूखा पड़ा है, आप कहेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में कहां सखा पड़ता है, तो वहां भी सूखा पड़ा है। अब तक मैदानी इलाकों में ही बाढ़ आवेगी ऐसा समझा जाता था लेकिन अब वास्तव में पर्वतीय इलाकों में बाढ़ आती है। पर्वतीय इलाकों में भुखमरी हो गयी थी लेकिन त्वरित योजनाओं से कुछ राहत मिली है। लेकिन हमारे यहां सप्लाई की स्थिति दिन प्रति दिन कमी की ओर बढ़ रही है।

एक बात की ओर मैं आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। टेहरी डैम, पेयजल की समस्या तथा विद्युत योजनाओं के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की। मैं उन सब का हृदय से अभिनन्दन करता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि बिजली और पानी की अधिकता होनी चाहिये लेकिन जिन क्षेत्रों से बिजली और पानी आ रहा है उनके लिये क्या किया जा रहा है और उनके लिये क्या नीति बरती जा रही है। आज टेहरी डैम केवल उत्तर प्रदेश के लिये ही नहीं समस्त भारतवर्ष के लिये वरदान सिद्ध हो रहा है लेकिन जो वहां के निवासी ह वे अपने लिये इस डैम को अपने विनाश का कारण समझते हैं क्योंकि वे अपने घरों से बेघरबार हो जायगा। उनको जमीन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। रामगंगा और टेहरी डैम से प्रभावित लोगों की व्यवस्था अगर ठीक से नहीं की जा सकती तब तक मान्यवर, जितनी भी नदियां हैं, गंगा,यमुना आदि जितनी नदियां हैं वह सब वहां से निकलती है वहां उन क्षेत्रों में पेय जल की समस्या लगातार बढ़ती जाती है और उससे वहां के लोगों में असंतोष बढ़ेगा ही, लेकिन मान्यवर, उनके सम्बन्ध में इस बजट में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री महोदय और यह सरकार इस दिशा में सोचेगी और हमारे यहां की इस समस्या के लिये कोई न कोई स्पष्ट हल निकालेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का जिसका कि हमारे इतने साथी समर्थन कर रहे हैं और भी जोर से इसका समर्थन करता हूं और यह भी अपेक्षा करता हूं कि जिस प्रकार से इस बैलेंस्ड बजट को प्रस्तुत किया गया है उसी प्रकार सभी सदस्य इसका समर्थन करेंगे ताकि प्रदेश की प्रगति दिन दूनी और रात चौगुनी हो सके।

श्री उपाध्यक्ष—

वैसे माननीय बडूनी जी आपके दल का नम्बर है किन्तु माननीय भानुप्रताप सिंह जी ने मुझसे कहा है कि वे चले जायेंगे इसलिये उन्हें पहले अवसर दिया जाय। इसलिये पहले वे बोल लें।

श्री इन्द्रमणि—

तो मझे तो इसके बाद मौका मिलेगा न ?

श्री उपाध्यक्ष—

पहले इनको बोल लेने दीजिये।

*श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका विशेष रूप से जो समय दिया है इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। श्रीमन्, यह जो बजट प्रस्तुत हुआ है यदि यह पहला बजट होता या जो समाजवादी सरकार का और उसकी पंचवर्षीय योजनाओं का जो क्रम चल रहा है उसके विषय में पहली बातें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भानु प्रताप सिंह बस्ती---]
कही गयी होतीं तो शायद मैं भी बहुत प्रभावित हुआ होता। इन आंकड़ों को देखने के बाद और सैकड़ों करोड़ों रुपये की बात सुनने के बाद और माननीय पांडेय जी ने जो वकालत की है उसको सुनने के बाद निश्चय ही मुझ पर प्रभाव पड़ता कि सरकार बहुत कुछ कर रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आपका क्रम चल रहा है समाजवादी नियोजन का इसको काफी समय बीत चुका है और इसके नतीजे भी सामने हैं।

मैं पिछले 21 या 22 वर्षों में जो समाजवादी नियोजन का क्रम चल रहा है इस देश में उसके कुछ परिणाम प्रस्तुत करना चाहता हूं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है पिछले 21 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 246 रूपये से बढ़ कर 266 रुपये हुई है यानी 21 वर्षों में 20 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। यदि हिसाब लगावें तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 85 पैसे की वृद्धि हुई है। आपको इस पर गर्व हो सकता है लेकिन दुनिया तो यही कहेगी कि यदि आपने इन योजनाओं पर अरबों रुपये न लगाये होते, यदि योजनाएं न बनायी होतीं तो क्या इससे भी बुरे नतीजे निकल सकते थे ?

मैं एक दूसरा तथ्य आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। पिछले 7 वर्षों में प्रति व्यक्ति अपने पूरे देश की बात मैं कह रहा हूं, खाद्यान्न की खपत में 2.7 प्रतिशत की कमी हुई है, सूती कपड़े की खपत में 11 प्रतिशत की कमी हुई है, वनस्पति तेल की खपत में 14 प्रतिशत की कमी हुई है और चीनी की खपत में 17 प्रतिशत की कमी हुई है। इसी दौरान जो खपत में वृद्धि हुई है उसको भी मैं सुना देना चाहता हूं:—

			प्रतिशत वृद्धि
मोटर गाड़ियों की खपत में	..	..	27
एयर कंडीशनर्स की खपत में	..	..	44
रेफ्रिजरेटर्स की खपत में	..	..	293
कीमती रेशमी कपड़े की खपत में	..	..	51

श्रीमन्, यह है कांग्रेस के समाजवाद का परिणाम। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जब साधारण व्यक्तियों की खपत में गिरावट और धनवान व्यक्तियों की खपत में इस तेजी से वृद्धि हो तो वह कैसा समाजवाद है—यह आप और सदन स्वयं निर्णय करें।

(इस समय 2 बज कर 59 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रियासत हुसैन पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, अब मैं आता हूं अपने ही विषय पर। यह स्वाभाविक है कि जब बजट भाषण मुझे मिलता है तो सबसे पहले मैं कृषि की ओर ध्यान देता हूं। सबसे बड़ी निराशाजनक बात है। मुझे थोड़ा सा मानसिक क्लेश है। इस 35 पृष्ठों के बजट भाषण में कृषि के लिए केवल 3 पैराग्राफ लिखे गये हैं। इससे यह मालूम होता है कि कृषि का कितना महत्व इस सरकार के दिमाग में है। इस बजट के पढ़ने से यह भी मालूम नहीं होता कि कोई संकट है, कोई कठिनाई है। एक तरफ यह बजट की रूपरेखा है जो संतोष की भावना उत्पन्न करती है और दूसरी तरफ आज जो हमने खाद्य मंत्री की मुसीबत देखी—मैं तो कहता हूं कि आज जो उनका काम है उससे किसी को ईर्ष्या नहीं हो सकती है। आज जब उनकी इस सदन में मरम्मत हुई तो उनको यह स्वीकार करना पड़ा कि लखनऊ जैसे शहर में जो राजधानी है राशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और उस कृषि के विषय में 3 पराग्राफ पूरे बजट भाषण में ?

श्रीमन्, यहां बहुत बातें कही गयी हैं। हरित क्रान्ति हो गयी थी। एक-दो वर्ष सूखे और बाढ़ की बात नहीं कहना चाहता हूं। सन् 1950–51 से ले कर 1960–61 के बीच में यानी 10 वर्ष के अन्दर कृषि का उत्पादन 23 प्रतिशत बढ़ा था और सन् 1960 और 1971–72 के बीच में केवल 20 प्रतिशत बढ़ा। हरित क्रान्ति सन् 1960 और सन् 1970 के बीच में ही तो आयी थी। तरह-तरह के शब्दों का अविष्कार किया गया। अपने आपको भी धोखे में रखा और जनता को भी धोखे में रखा। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में एक स्थान पर-पृष्ठ 2 पर बड़े संतोष के साथ लिखा है:

"सर्वांगीण विकास के अनिवार्य प्रभाव के कारण कृषि पर हमारी निर्भरता क्रमश कम होती जा रही है।"

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्रिमंडल के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि "हमारी" का क्या तात्पर्य है–हमारी से उनका क्या मतलब है? कहां निर्भरता कृषि पर कम हो गयी है? माननीय नारायण दत्त तिवारी की, या इस सरकार की और या इस नौकरशाही की? अगर खेती में लगे हुए लोगों की संख्या में कमी हुई होती, जो 60 फीसदी लोग खेती कर रहे हैं वे घट कर 50 फीसदी हो गये होते तो संतोष की बात होती और कहा जा सकता था कि हां, हमारी निर्भरता अब कृषि पर घटी है। लेकिन जितने लोग खेती में पहले लगे हुये थे, आज भी उतने ही लगे हुये हैं। 70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं जैसे कि पहले थे। इस भावना को व्यक्त करना यह बात बतलाता है कि 70 प्रतिशत लोगों की इस सरकार को चिन्ता नहीं है। यह तो बड़े शर्म और अफसोस की बात होनी चाहिये थी परन्तु इस पर सन्तोष व्यक्त किया गया है कि 1960–61 में कुल राष्ट्रीय आय में 59.5 प्रतिशत खेती का योगदान था लेकिन अब घट कर 52.5 प्रतिशत रह गया है।

श्रीमन्, यदि आबादी भी जो कृषि में लगी है वह घटती तो सन्तोष का विषय था लेकिन आबादी तो उतनी ही लगी हुई है लेकिन उनका शेअर राष्ट्रीय आय में गिर गया है। यह शर्म की बात है, अभिमान की बात नहीं है। मैं इसको आंकड़ों से सिद्ध करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल में रहने वालों की आय शहर में रहने वालों की तुलना में 1/5 और 1/6 के बीच में है। यह रेशिओ पहले 1/3 था लेकिन आपके समाजवादी कार्यक्रम के कारण इसमें इतना अन्तर आ गया है।

श्रीमन्, मैं अब थोड़ा सा यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि अब बड़े किसानों का तो सफाया हो चुका है और जो छोटे किसान खेती कर रहे हैं वह अच्छी जिन्दगी बसर नहीं कर सकेंगे। इस लिये जितने समझदार लोग हैं वह खेती छोड़कर शहर को भाग रहे हैं। श्रीमन्, आज पिछड़े किसानों के लिये कुछ योजनायें चल रही हैं। अगर इन योजनाओं को मंत्री जी गौर से देखें तो वह देखेंगे कि इनके लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे हैं। उनके लिये जितने ट्यूबवेल लगने चाहिये थे वह नहीं लग रहे हैं। जितनी गाय भैंस दी जाने वाली थी वह नहीं दी जा रही हैं। यह लक्ष्य 1/3 या 1/4 ही पूरे हुये हैं। तो वह कार्यक्रम भी आज चल नहीं रहे हैं और इस कारण जो बात आप समझते हैं वह गलत है।

आपके पास किसान की दशा सुधारने के लिये एक ही नुस्खा रह गया है कि कर्ज ले लो और गाय भैंस और मुर्गी पालन शुरू कर दो। लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इससे किसान की दशा अच्छी होने वाली नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जो किसान पैदा करता है उसकी खरीद की जिम्मेदारी आप लें। दूसरे राज्यों ने इस तरह के कार्यक्रम बनाये भी हैं। उदाहरण के लिये महाराष्ट्र में यह कह दिया गया है कि वहां की सरकार किसानों के अंडे 25 पैसे के हिसाब से साल भर खरीदती रहेगी। तो अगर दूध का उत्पादन बढ़ाना है तो इस प्रदेश में आपको पाउडर मिल्क की फैक्ट्री लगाना पड़ेगी और किसानों द्वारा पैदा किया हुआ दूध साल भर खरीदना पड़ेगा। नौटियाल जी ने कहा कि फलों के उत्पादन में

[श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)]--
व्यवस्था संतोषजनक न होने के कारण कारपोरेशन और किसान दोनों को नुकसान हुआ है। तो जब तक आप लाभदायक मूल्य पर विक्रय का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं, तो आप किसानों की तरक्की नहीं कर सकते हैं। आप कर्ज देकर उनको धोखा दे रहे हैं। अभी वह कर्ज से मुक्त हैं, आगे चलकर कर्ज से लद जावेंगे।

श्रीमन्, बड़े भूमि-सुधार की बात कही गयी। 10 वर्षों में इस सरकार ने 1,30,000 एकड़ भूमि बांटी है। एक लाख पहले वाली बाकी है और कहा है कि तीन साढ़े तीन लाख एकड़ और मिलगी। अगर यही गति रही तो अगले 30 वर्ष में यह जमीन बंटेगी? मेरी समझ में नहीं आता है कि आपकी जमीन बांटने में इतनी देरी क्यों होती है। जो जमीन पहले सीलिंग से निकली उसमें आधी अभी बाकी है बांटने की और दूसरी का तो क्रम ही नहीं शुरू हुआ। यह तो सरकार की कार्य-क्षमता का परिचायक है। मुझे भी थोड़ा अनुभव है। जिनको ये जमीनें दिलाना चाहते हैं, नहीं दिला पायेंगे। हमारे कारण नहीं, बल्कि इनका प्रशासन इतना भ्रष्ट है। मैं पिछले दो वर्षों से पड़ोस के गांव के भूमिहीनों को जमीन दिलाने का प्रयत्न कर रहा हूं और हाकिम परगना ने ऐलाटमेंट भी कर दिया, लेकिन आज तक उनको अधिकार नहीं मिला। मैं एक केस भी नहीं जानता अपनी कांस्टीटुयेंसी में कि किसी लैंडलेस को जमीन मिल गयी हो और उसने अधिकार करके खेती करना शुरु कर दिया हो।

अब थोड़ा बिजली के विषय में कहना चाहता हूं। बिजली के मंत्री जी नहीं हैं। मैं आलोचना के रूप में नहीं, बल्कि विनती के रूप में कह रहा हूं कि आप मेरी बात उन तक पहुंचा देंगे कि यदि आप चाहते हैं कि जो गेहूं की फसल है, जिस पर सबको भरोसा है, मुझको भी है और आपको सबसे अधिक है, अगर आप चाहते हैं कि वह घर पहुंच जाय तो कम से कम 25 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक निरंतर बिजली दीजिये। अन्यथा इसकी कमाई का काम नहीं हो सकता है। आप देख रहे हैं कि वर्षा का पैटर्न ऐसा है कि हर आंठवें, दसवें दिन हो जाती है। अगर एक बार भी कटाई के समय वर्षा हो गयी तो सारी आशाएं और जो हमारी आशाएं जुड़ी हुई हैं सब पर पानी फिर जायगा। इसलिए कहीं से भी हो, व्यवस्था करें..... (लाल बत्ती होने पर), मैं थोड़ा सा समय मांगूंगा, क्योंकि अभी मुख्य विषय पर ही नहीं आया, लेकिन अब सीधे उसी पर आना चाहता हूं। मैं सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में.....

एक सदस्य--
बिजली के बारे में पूरा कर दीजिये।

श्री भानु प्रताप सिंह--
वह तो मैंने कह दिया लेकिन एक दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा था वह भूला जा रहा था आपने अच्छा याद दिलाया। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि "प्रदेश की जनता ने इस सदन के कृपापूर्ण सहयोग से यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना कर इस संकट का जिस प्रकार मुकाबला कर कठिनाइयों का सामना किया है उसके लिए मैं सभी बिजली उपभोक्ताओं के प्रति सरकार की कृतज्ञता व्यक्त करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।"

इस कृतज्ञता के साथ मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि यदि वास्तव में आप समझते हैं कि फेल हुए हैं तो कम से कम किसानों के ऊपर यह तो खयाल करें कि जब कि उनको बिजली रजिस्टर में कुछ भी लिखा हो-- 24 घंटे में 5-6 घंटे भी नहीं मिलती है, ऐसी दशा में सबका नैतिक फर्ज हो जाता है कि यदि वह अपने गुनाहों को कम करने के लिए कोई कदम उठा सकती है तो वह यह है कि फिक्स्ड चार्ज वापस कर लें इस पीरियड के लिए जो यह

3 रुपया है। इसमें किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, सभी इसमें एक मत हैं। उधर के एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमने तो ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की। जरूर की लेकिन 3 रुपये उसी व्यवस्था के लिये लिये। तो इसकी ओर ध्यान दें।

श्रीमन्, अब मैं स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिलाऊंगा और उसमें भी यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में शहरी जनता में एक हजार पर 13.7 व्यक्तियों की मृत्यु होती है प्रतिवर्ष और ग्रामीण क्षेत्र में 22.7 होती है जो कि पौने दो गुना है शहरी आबादी से। इसका कोई कारण होगा? क्यों शहर में रहने वालों की तुलना में पौने दो गुना अधिक प्रति हजार गांव में मरते हैं? और यह भी एक शर्म की बात है कि सारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में कन्ट्री साइड में डेथ रेट सब से ज्यादा है। इसका मुख्य कारण यह एक है कि शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है। इसका थोड़ा सा जिक्र किया है माननीय वित्त मंत्री जी ने और उस जिक्र पर थोड़ा मैंने हिसाब लगाया है। 1,12,896 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था है और अगले वर्ष 438 और गांवों में होने वाली है। इस हिसाब से कुल गांवों में व्यवस्था करने में 240 वर्ष लगेंगे। इस ओर भी आप ध्यान दें। श्रीमन्, 5 मिनट का समय और दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका बहुत काफी समय हो गया।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)—

यह जो खाद्यान्न का व्यापार सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है उसके बारे में सबसे पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इसका विरोध नहीं करता। आश्चर्य होगा इधर और उधर के बैठने वालों को कि भानु प्रताप को तो विरोध करना चाहिये। और इसलिये विरोध नहीं करता हूं कि उसमें मुझे कोई गुण नहीं दिखायी देता। लेकिन मुझे यह जरूर दिखायी देता है कि शासक दल की कब्र खुदने वाली है यदि वास्तव में वह उस योजना को पूरी तरह से लागू करें। और जिसका अन्त में देखना चाहता हूं यदि वह अपनी कब्र खोदता है तो मुझे रोकने की जरूरत नहीं है।

व्यापारी के साथ क्या होगा, उपभोक्ता के साथ क्या होगा उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन किसानों के साथ जो होने वाला है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें चार कारणों में से एक कारण यह भी लिखा है कि किसानों को उचित मूल्य दिलाना। अगर किसानों को मार देना है तो भले मार दें लेकिन यह कह कर मारना कि हम तुमको मोक्ष भेज रहे हैं और यह बहुत बड़ा अन्याय है। यदि आप यह कहते हैं कि यह किसानों के हित में है तो आप क्यों नहीं किसानों पर छोड़ देते। रेफरेन्डम करा लीजिये इसी एक बात पर। आप कहेंगे रेफरेन्डम का क्या सवाल है। लेकिन जहां जनतंत्र की वास्तविक कद्र है—अमरीका में यह प्रश्न उठा था कि क्या गेहूं को सपोर्ट प्राइस दी जाय अथवा इसकी खेती को मुक्त कर दिया जाय। वहां सरकार ने द्वितीय महायुद्ध के समय वायदा किया था कि कोई कितना भी गेहूं पैदा करे सरकार उसको इन भावों पर ले लेगी। लेकिन युद्ध के बाद के जब इतना पैदा होने लगा तो सरकार को बड़ी तकलीफ हुई और उसने कहा कि हम इसका रकबा निश्चित कर देंगे। इसमें किसानों के बीच में मतभेद हो गया। बड़े किसान चाहते थे कि यह रैस्ट्रिक्शन हटे और छोटे चाहते थे कि न हटे। तो सरकार ने रेफरेन्डम कराया था।

यह 76 रुपये का भाव किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसके विषय में मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर के समाप्त करता हूं। खेती में आप जानते हैं कि जुताई, खाद और पानी, इन तीनों चीजों की जरूरत होती है। जीटर ट्रक्टर 1968–69 में 13,445 रुपय म मिलता था जिसकी कीमत इस समय 25,165 रुपये है, यानी करीब 95 फीसदी

[श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)]—

की वृद्धि हुई। तब यूरिया की कीमत 680 रुपये थी जो अब 959 रुपये है। इसकी कीमत म भी 50 परसेंट की वृद्धि हुई। बिजली जो 12 पैसे में मिलती थी वह अगर आप फिक्स्ड को भी जोड़ लें तो 22 पैसे होती है, यानी 90 परसेंट की वृद्धि है।

इसी प्रकार सरकारी नलकूपों से मिलने वाले पानी का भाव भी 100 प्रतिशत बढ़ गया। इसके विपरीत गेहूं की उगाही के लिये 1966–67 में 85 रुपये क्वीन्टल दाम निर्धारित थे, 1967–68 में वह 81 हुये, और 1968–69 में वह 76 रुपये कर दिये गये और आज भी वह 76 रुपये है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसका कौन सा औचित्य है। आज जनरल प्राइस इन्डक्स भी बढ़ कर 247 हो गया है जो पहले 179.6 था। अतः यदि आप चाहते है कि आपकी योजना सफल हो, तो बिना किसानों के साथ इन्साफ किये हुये आपकी योजना सफल नहीं हो सकती। आपके सरकारी एजेन्टों को कोई गल्ला देगा नहीं और आपकी योजना असफल होकर रहेगी।

श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुये हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उसके लिये वे निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। पिछले ढाई तीन वर्ष में प्रदेश में कभी सूखा, कभी बाढ़ तो कभी कोई दैवी आपदाओं से यह प्रदेश ग्रसित रहा। पिछले वर्ष तो किसान की सारी फसल ही अस्त-व्यस्त हो गयी, चौपट हो गयी। तमाम पुल टूट गये, सड़कें टूट गयीं, आने जाने का मार्ग रुक गया। उस सब के बावजूद जनता पर किसी प्रकार की कठिनाई होते हुये कोई टक्स नहीं लगाया। हर काम समय से और बड़ी तेजी से किया गया। तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमारी प्रधान मंत्री जी की सरकार और पंडित कमलापति त्रिपाठी जी की सरकार ने जो कार्य किये हैं उसके लिये यह सरकार बधाई की पात्र है। तमाम विपदाओं के रहते हुये भी हमारा काम बराबर चलता रहा और समय से पूरा हुआ।

जब बाढ़ आयी तो हमने देखा कि आने जाने के कई मार्ग टूट गये। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तुरन्त उनकी मरम्मत की गयी। कितना ही गल्ला खेतों और खलियानों में सड़ गया, बरबाद हो गया, मगर कभी न किसी को अन्न की परेशानी नहीं हुई। कभी कोई भूख से नहीं मरने पाया। फिर इन सबके बावजूद हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें कोई नया कर नहीं लगाया। इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

हमारे भाई शम्भूनाथ जी ने अपने भाषण में कहा कि 25 साल हमारी आजादी के हो गये लेकिन देश अपने स्थान पर ही है यानी कोई तरक्की नहीं हुई है। मैं नहीं कह सकता कि हमारे भाई कौन सा चश्मा लगाते हैं। हमारी अभी छोटी उम्र है, लेकिन मैं जबसे समझदार हुआ हूं, तब से देश आजाद हो चुका था और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि 15 अगस्त, 47 के बाद से आज 25 साल के अन्दर जो इस देश की प्रगति हुई है वह सबके सामने मौजूद है। देहात में आप निकल जाएं, पहले जहां 10–15 गांवों के बीच में एक स्कूल मिलता था और परिणामस्वरुप छोटे-छोटे बच्चों को कई कोस चलकर पढ़ने जाना पड़ता था, अब वहां कदम-कदम पर हर गांव में स्कूल हो गये हैं। जहां सड़कें नहीं थीं, गलियारा नहीं थे, वहां यह सब अच्छे से अच्छा हो गया है तो क्या यह तरक्की नहीं हुई। क्या इसको आप तरक्की नहीं कहेंगे ?

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मैंने यह नहीं कहा कि बिलकुल तरक्की नहीं हुई, यह कहा है कि हम सिर्फ रेंगे हैं।

श्री राम लाल राही––

हमारे देश में पिछले 25 सालों में जितनी तरक्की हुई है, उतनी तरक्की दुनियां के किसी भी देश ने इतनी जल्दी नहीं की है। जहां पहले लालटेन भी नहीं बन सकती थी, वहां आज हवाई जहाज, रेलगाड़ी बन रही हैं और टैंक बन रहे हैं। तो यह सब क्या तरक्की के निशानात नहीं हैं। हमारे विरोध पक्ष के भाई मंहगाई की बात सामने लाते हैं, जो अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन यह बनावटी मंहगाई नहीं है, बल्कि परिस्थितिवश उत्पन्न विवशता की मंहगाई है। दैवी आपदाओं की वजह से उत्पन्न मंहगाई है। जिस देश को 4–4 लगातार फसलें बरबाद हो जायें और बंगलादेश जैसे संघर्ष का सामना करना पड़े और लाखों शरणार्थियों का सब तरह से भार वहन करना पड़े, उस देश के लिए इतनी मंहगाई कोई बड़ी चीज नहीं है। इतना सब होने के बाद मंहगाई बढ़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी शासन इस ओर से जागरूक है, सजग है।

सिंचाई के साधन बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। शारदा सागर परियोजना, जो लखीमपुर से चलती है सिंचाई के लिए बड़ी उपयोगी और बड़ी भारी योजना है। गंडक योजना के अन्तर्गत लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई का प्रबन्ध किया जा रहा है। लिफ्ट इरीगेशन की कई योजनाएं हमारे बीच में चल रही हैं। जहां पर एक दाना भी नहीं होता था, आज वहां पर जगह-जगह ट्यूबवेल्स बना दिये गये हैं, वहां पर गेहूं, धान पैदा होता है। तो क्या तरक्की नहीं हुई है, लेकिन आपको विरोध करना है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं।

शासन ने ऐसे ही और अनेक कार्य किये हैं जो हर एक को विदित हैं। बेरोजगारी और गरीबी को मिटाने के प्रश्न पर हमारी सरकार बराबर जागरूक है और प्रयत्न कर रही है। इसीलिए अधिकतम जोतसीमा आरोपण बिल लाया गया है जो समाजवाद के सिद्धान्तों के अनुरूप है। सेन्टर में इन्दिरा जी बैठी हैं, और उन्होंने गरीबी मिटाने और समाजवाद लाने के लिए ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रिवीपर्स की समाप्ति की है। अधिकतम जोत सीमा आरोपण बिल के जरिये से बड़े बड़े काश्तकारों के पास से जमीन निकाल कर गरीबों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं चीनी मिलों की जमीन के वितरण का बराबर प्रयास हो रहा है। बहुत सी जमीन बांट दी गई है, लेकिन जहां पर समाज विरोधी लोग मौजूद हैं, जहां पर शासकीय कर्मचारियों को जमीन बांटने में दिक्कत होती है।

मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह अपने-अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी ले लें, सचेत हो कर सहयोग दें, तो कोई कारण नहीं है कि जो गरीबी दिखायी देती है, बेरोजगारी दिखायी देती है उसमें कुछ कमी न आये। लेकिन हम केवल भाषण दे दें, और बेरोजगारी और बेकारी की बात करें और सरकार की आलोचना करें, और उसके बाद गरीब आदमियों को शोषण करें तो इस तरह से न गरीबी जाने वाली है, न अन्याय, अत्याचार और शोषण समाप्त होने वाला है।

मैं हरिजनों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। प्रदेश में हरिजनों की दशा बहुत ही दयनीय रही है, सामाजिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी। समाज में वह घृणा की दृष्टि से देखे जाते रहे हैं। इसका मुख्य कारण आर्थिक पहलू रहा है। अगर रामलाल साफ सुन्दर कपड़े पहन कर आएं तो किसी के नजदीक जा कर बैठ सकते हैं, चाहे चारपायी मिल जाय, कोई-कोई कुर्सी भी दे देंगे। लेकिन जो निर्धन व्यक्ति ह, मजदूर है, जिसके पास कोई जरिया माश नहीं है, उसका समाज अनादर करता है। (व्यवधान) यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी।

मैं एक निवेदन आपके माध्यम से सरकार के मंत्रियों से करना चाहूंगा। बहुत सी योजनाएं हरिजनों के लिये समाज कल्याण विभाग के जरिय लागू की जाती हैं। अनुदान कहीं बकरी पालन के लिए देते हैं, कहीं मुर्गी पालन के लिए देते हैं, कहीं सुअरी पालन क लिये

[श्री राम लाल राही]

देते हैं, कहीं चमड़ा का काम करने के लिए देते हैं। इनके लिए पांच सौ, हजार रुपये अनुदान देते हैं। लेकिन जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं हरिजनों को छोड़ कर उनसे अगर कहा जाय कि पांच सौ रुपये लीजिये जाकर सुअर पालिए। कोई तैयार नहीं होगा। आप जिस काम को घृणा की दृष्टि से देखते हैं उनको उनसे कराना चाहते हैं, जिनका सामाजिक और आर्थिक उद्धार चाहते हैं। यह सम्भव नहीं है। (व्यवधान) इससे उद्धार होने वाला नहीं है।

20–25 वर्ष आजादी के हुए। 1952 से लाखों रुपये इन हरिजनों के नाम पर खर्च किये गये, लेकिन कहीं पर, किस आदमी ने बकरी पाल रखी है, किसने सुअरी पाल रखी है? किसी ने नहीं पाला है। वर्तमान सरकार ने एक काम किया है जिसके लिए वह बधाई की पात्र है। मैं उससे बहुत प्रभावित हूं, और जिन-जिन को जानकारी हुई है, उन्होंने भी ऐसा महसूस किया है, हमारे जो राजा साहब के पास हरिजन विभाग था, उन्होंने हरिजनों को मकान बनाने के लिए पांच हजार तक कर्जा देने की व्यवस्था की है जिस पर ढ़ाई रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज लेंगे। यह अच्छा काम है। इससे लोग लाभ उठा सकते हैं। नहीं तो न बकरी पालने से, न सुअरी पालने से उनका भला होने वाला है। न गरीबी दूर होने वाली है। (व्यवधान) एक निवेदन और करना चाहूंगा। (व्यवधान) गरीबी, बेकारी दूर करने का उपाय हो सकता है। यदि बरोजगार भूमिहीनों के बच्चों को शिक्षा दिलाने की पूरी जिम्मेदारी लेकर अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाने के प्रयास किये जावें। अन्यथा मुझे विश्वास नहीं आता। (व्यवधान) जो पिछड़े हुए हैं, जो निर्धन हैं, जो भूमिहीन हैं उनको कुछ मिल सकेगा। अर्बन प्रापर्टी सीलिंग, लैंड सीलिंग की जब बात की जाती है तो हरिजनों में लालसा रहती है कि उसे कुछ जमीन मिलेगी, उसे कुछ धन अवश्य मिलेगा लेकिन मेरा इस पर विश्वास नहीं है, कुछ इससे उनको मिलने वाला नहीं है। मेरी प्रार्थना यह है कि माननीय मंत्री तथा मुख्य मंत्री जी से कि वे निर्धन, धनहीन, बेरोजगार लोगों के बच्चों की निःशुल्क उच्च शिक्षा दिलाने का प्रबन्ध करा दें ताकि शिक्षा पाने के बाद वे नौकरी पा सकें अथवा किसी रोजगार धन्धे में लग सकें, तभी वह सामाजिक व आर्थिक तरीके से मजबूत हो सकेंगे।

*श्री इन्द्रमणि––

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। बजट के पक्ष में बोलते हुए लोग यह भी कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आता क्या बजट एक खाली भाषण की बात है? जनतंत्र में जब कोई दल जनता के सामने जाता है तो एक निश्चित अवधि के लिये कुछ वायदे जनता से करता है। इस दल ने भी 5 साल पहले जनता से कुछ वायदे किये हैं कि हम निश्चित अवधि के अन्दर हम यह-यह काम करके दिखायेंगे। देखना होगा कि शासक दल ने उस निश्चित अवधि के अन्दर उन वायदों को पूरा किया है या नहीं किया है।

20 साल की जो दुहाई दी जाती है, गुप्ता जी तथा चरण सिंह जी की बात की जाती है इसको कह कर आप बच नहीं सकते हैं क्योंकि आपने भी जनता से वायदे किये हैं। बजट में दो चीजें हैं आय और व्यय। मेरे कुछ साथियों ने कहा कि इस साल इतना काम हुआ है जितना पहले कभी नहीं हुआ था। आप देखें कि गत वर्ष कितना खर्च हुआ था और इस साल कुल कितना खर्चा हुआ और उन दोनों में कितना अन्तर है? गत वर्ष 813 करोड़ 94 लाख का बजट था और इस साल 883 करोड़ 50 लाख का बजट है और यह अन्तर केवल 51–52 करोड़ का है। तो यह कहना कि इस साल ही सब कुछ हुआ है यह बात समझ में नहीं आती।

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब वित्त मंत्री जी विरोधी पक्ष में बैठते थे 70 में तब उन्होंने एक प्रश्न उठाया था। बजट साहित्य देते हुये माननीय वित्त मंत्री कहते कि वह बड़ी सरलता से छपना चाहिए। श्रीमन्, मैं वित्त मंत्री जी और उनके विभाग के सचिव की एक लापरवाही का सबूत आपको दिखाता हूं। बजट में आय-व्ययक सम्बन्धी वित्त सचिव का जो स्मृति-पत्र है उसमें अगर आप देखेंगे तो पायेंगे कि पेज 46 के बाद के पेजेज गायब हैं। कहां ये पेजेज गये, यह पता नहीं है। उसके बाद आपको मिलेगा कि इसी के पेज 48 के बाद पेज 113 है। मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि प्रकाशन में कितनी लापरवाही बरती जाती है। वित्त मंत्री ने इस चीज को नहीं देखा।

समस्या जो इस समय प्रदेश के सामने है वह यह है कि जो व्यय आप करते हैं वह ठीक से नहीं हो पाता है। व्यय के साथ-साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने के कौन-कौन से उपाय आपने किये हैं और आर्थिक साधन जुटाने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये हैं। पहले तो आय होती है और उसके बाद ही व्यय किया जाता है। इस चीज को देखते हुये यदि प्रदेश की जनता ने सन् 74 के इलेक्शन में आपको निकाल कर बाहर कर दिया तब तो आपका आर्थिक दिवाला निकल जायेगा और वह निकलने वाला है क्यों कि डाइरेक्ट टैक्सेशन से तो आप घबड़ाते हैं।

भू-राजस्व आपने माफ कर दिया। जनता से तो आप घबड़ा गये और विकास के नाम पर आपने विकास कर लगाना शुरू कर दिया। जिस क्षेत्र पर आप विकास करें उसमें तो विकास कर लगाना ठीक है लेकिन जहां आप विकास कर ही नहीं रहे हैं वहां पर आप विकास कर लगायेंगे तो यह क्या बात हुई ?

मैं बजट की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना समय इस वक्त नहीं है लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि जितने भी सरकारी उद्योग थे जिन उद्योगों पर जनता का करोड़ों रुपया लगा है--डल्ला फैक्टरी, चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी और ग्लास फैक्टरी आदि-उनका तो घाटा हो गया। जब आप किसी तरह से उस घाटे को बरदास्त नहीं कर सके तो आपने निगम बनाने शुरू कर दिये। आज निगमों की क्या हालत है, वह किसी से छिपी नहीं है। अभी आपके सामने विद्युत निगम की मिसाल है। पहाड़ों के लिये एक पर्वतीय निगम बनाया गया। जैसा कि मैंने गत वर्ष भी इसी सदन में इस सम्बन्ध में कहा था कि इस निगम में "नि" शब्द हट जायेगा और वह खाली "गम" शब्द ही रह जायेगा। प्रति वर्ष पर्वतीय विकास निगम को 6 लाख रुपये का घाटा केवल सेव के व्यापार में हुआ है। खर्च चाहे आप जितना कर दें लेकिन जब आमदनी ही नहीं है तो फिर उसे आप आय कैसे कहेंगे। जब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना बन रही थी उसमें यह प्रदेश पिछड़ा क्यों ?

यह चौथी पंच वर्षीय योजना की प्रस्तावना में स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है कि "पर्याप्त विनियोजन का अभाव राज्य की अल्प आर्थिक प्रगति के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक कारण रहा है। राज्यों की योजनाओं के लिये रखे गये विकास परिव्ययों को देखने से ज्ञात होता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय से ही उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति परिव्यय अखिल भारतीय औसत की तुलना में बहुत कम रहा है।" मैं पूछता हूं कि इन सभी योजनाओं में केन्द्रीय सरकार से हमको हमारा पूरा हिस्सा क्यों नहीं मिला? हम पापूलेशन में देश के 17 प्रतिशत हैं। लेकिन केन्द्र से लगभग 4 परसेंट ही रुपया मिला। सब लोगों ने प्रयास किया लकिन केन्द्र से रुपया नहीं मिला। जब केन्द्र से हमें पैसा नहीं मिलेगा और न हम साधन जुटायेंगे आय के तो काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सरकार नारों से डरती है इस लिये सही बात भी नहीं करती है।

सरकार ने आय बढ़ाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। जब हमारी आय नहीं बढ़ेगी तो व्यय भी बढ़ने की कोई बात नहीं है। व्यय में दिखलाया गया है कि हरिजनों पर इतना

[श्री इन्द्र मणि]

व्यय हुआ और वहां पर उतना व्यय हो गया। यह है व्यय की नयी मदें जिन्हें 1973–74 के आय-व्ययक में सम्मिलित किया गया है। भरसक मैंने इन दोनों किताबों में देखने का प्रयास किया कि इसमें कौन सी नयी योजनायें हैं जिनमें से गरीबी मिटेगी इस प्रान्त की। माननीय वित्त मंत्री जी या कोई भी मंत्री मुझे यह समझा देगा कि हमारी ये योजनायें हैं जिनसे गरीबी मिटेगी तो मैं उनकी बात मानने को तैयार हूं। सरकारी कर्मचारियों की बढ़ोत्तरी के सिवा इसमें कुछ नहीं है कि उस पद को स्थायी कर दिया गया या उस पद को स्थायी कर दिया गया। इसलिये यह कहना कि आपके पास व्यय के साधन हैं यह बात सही नहीं लगी। इतनी बात जरूर है कि खाली एक मात्र ये लोग जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं।

41 करोड़ रुपये का व्यय केवल सरकारी कर्मचारियों की बढ़ोत्तरी की वजह से है। और कोई पैसा कहीं नहीं बढ़ा है, तो फिर गरीबी कैसे मिटेगी? या हरिजनों का कल्याण होगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। माननीय वित्त मंत्री जी भाषण देने में बहुत माहिर हैं। हमेशा जब उनका बजट भाषण शुरू होता है तो एक सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर ही शुरू होता है। हमारे वित्त मंत्री जी ने विधान नगर सम्मेलन का हवाला देते हुए समाजवाद की दुहाई दी। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि विधान नगर में जब कांग्रेस का सम्मेलन चल रहा था तो अखबारों में भी आया था कि विधान नगर में एक पर्णकुटी 8 लाख रुपये की लागत से बनी है जब कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लोग ठंड से मर रहे थे। यह अच्छा समाजवाद है कि केवल दो दिन के लिये 8 लाख रुपये की लागत से एक पर्णकुटी बनायी जाय। अब हिन्दुस्तान में कुटी की परिभाषा भी बदल गयी है कि अब वह 8 लाख रुपये में बनती है जब कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ठंड से मर रहे हों।

एक ही दिन के अखबार में दोनों खबरें थीं, 8 लाख रुपये में पर्ण कुटी बनने की और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लोगों के ठंड से मरने की भी। तो जिस विधान नगर में 8 लाख रुपये की लागत से एक पर्णकुटी बने, वह समाजवाद मेरी समझ में नहीं आया कि कैसा है। इनके सात सूत्रीय कार्यक्रम हैं—प्राइमरी शिक्षा में सुधार और विस्तार। आप प्राइमरी शिक्षा में क्या सुधार कर सकेंगे? जब यहां एक संकल्प लाया गया था कि अमीरों और गरीबों के बच्चों को एक सी शिक्षा दी जाय, उसको तो आपने माना नहीं, फिर आप क्या सुधार करेंगे? इस तरह से आपके जितने भी काम है, खाली झांसा देने की बात है। इसके लिये झांसा शब्द ही उपयुक्त है, अगर कोई नहीं है।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मेरा निवेदन है कि अगर बिलकुल समझ में न आयी हो तो किसी को देकर समझा दें। (हसी) (व्यवधान)

श्री इन्द्रमणि—

हमारे देश में जब कोई सच्ची बात कही जाती है तो वह लोगों को बहुत बुरा लगता ही है। अगर मैं माननीय मंत्री जी की बड़ाई कर देता तो वे खुश हो जाते लेकिन आप तो सत्ता में हैं, उससे दूर नहीं जायेंगे। श्रीमन्, विद्युत के लिये उन्होंने कहा है कि हमने इतनी बिजली दे दी है लेकिन आज हम देखते हैं कि बिजली वाले ही हड़ताल करते हैं। बिजली के मामले में लखनऊ बन्द रहा। जहां बिजली है वहीं नहीं मिलती है तो यह गांवों में कैसे बिजली दे सकते हैं। यह बात हमारी समझ में नहीं आती है।

चिकित्सा के बारे में कहा गया है कि हर जगह औषधालय खोल दिये गये हैं, चिकित्सालय खोल दिये हैं। लेकिन हालत यह है कि अगर चिकित्सालय खोल दिया है तो डाक्टर का पता नहीं है और अगर डाक्टर है तो दवा का पता नहीं है और अगर चिकित्सालय में दवा है तो डाक्टर का पता नहीं है और डाक्टर हड़ताल पर है। इन्होंने एसी परिस्थिति पैदा कर दी है कि विरोधी क्या काम कर। आज जिसे देखा वही हड़ताल कर रहा है और विरोधी लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं। इस सरकार की हालत यह है, इनका ही

अखबार है, जो नये कांग्रेस वाले हैं उनका ही अखबार है। इसमें लिखा है पर्वतीय विकास निगम में 6 लाख रुपये का घाटा है। गोली चलाई गई और लड़के मारे गये। यह भी लिखा है कि अल्मोड़ा में भुखमरी फैल रही है और पर्वतीय विकास निगम में अराजकता फैली हुई है और पहाड़ों पर भूखे चूहे दौड़ रहे हैं। इस तरह से यह पहाड़ों का प्रशासन नहीं कर पा रहा है।

एक ही तरीका रह गया है और उसको माननीय सदस्यों को सोचना चाहिये। इस प्रदेश का विभाजन हो जाना चाहिये जिससे लोगों की लूट खसोट बच सके।

*श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, बहुत दिनों के बाद आज मैं माननीय सदन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारे जिले के नेता माननीय चौधरी साहब इस वक्त यहां मौजूद नहीं है। मैं चाहता था कि वह मौजूद रहते तो बहुत अच्छा होता। मेरा इरादा बोलने का नहीं था लेकिन चौधरी साहब के भाषण को सुन कर मैं अपने को रोक नहीं सका। उन्होंने बड़ा दर्द सूबे के गरीब लोगों के लिये, पिछड़े हुये लोगों के लिये और मुसलमानों के लिये जाहिर किया और शासन के बारे में भी उन्होंने कहा। मैं चौधरी साहब से आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जब वे इधर आ जाते हैं और जो भी आ जाते हैं उनकी बोली बदल जाती है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

सदन को क्या परेशानी है। परेशानी होगी तो उनको होगी। आपको खुशी होनी चाहिये कि वे आपकी ही बात कह रहे हैं। आप लोग डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं।

श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

अगर आप वहां तशरीफ न रखे होते तो उनकी हिम्मत न होती।

श्री मंजूर अहमद—

चूंकि चौधरी साहब दलबदलुओं के उस्ताद हैं। लेकिन मुझे भी दल बदलने पर बड़ी गैरत आ रही है जबकि मैंने असिल में दल नहीं बदला बल्कि जब कांग्रेस में विचार बदले तो मैं फिर जाता भी कहां? मैं कांग्रेस में आ गया, जनसंघ वालों के साथ जाने में मेरी मजबूरी थी।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपको वहां लेता भी कौन? (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से इल्तजा करूंगा कि वह खमोशी से माननीय सदस्य का भाषण सुनें।

श्री मंजूर अहमद—

शोशलिस्ट पार्टी वालों ने अपने विचारों को छोड़कर पूंजीवादियों और जनसंघ के हत्यारों के साथ चले गये और यही मेरी मजबूरी थी कि मैं कांग्रेस में इसलिये आ गया क्योंकि वह समाजवाद के प्रोग्राम को अपना रही थी। (व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी—

तो क्या दल बदलने पर आपको इतनी शर्म आ रही है कि इतनी तफसील दे रहे हैं?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मंजूर अहमद—

आप जो कुछ कह रहे हैं, सही कह रहेहैं लेकिन यह भी सही है कि चौधरी साहब जैसा नेता, देश का इतना बड़ा नेता दल बदल सकता है कुर्सी के लिये जब कि मैंने तो दल बदला है विचारों के लिये, टिकट के लिये भी नहीं और कुर्सी के लिये भी नहीं । आप ने देश की जनता को अपने निजी हित के लिये . . . . . .

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)—

अगर आप ने विचारों के लिये दल बदला है तो आप यहां से त्यागपत्र देकर चुनाव लड़कर आते तब आप की सभी दल के लोग प्रशंसा करते लेकिन आप तो सीधे दल छोड़कर उधर चले गये ।

श्री मंजूर अहमद—

मैं एक बात का उत्तर दे रहा हूं . . . .

श्री अधिष्ठाता—

बजाय इस के कि आप सब का जबाव दें आप अपना भाषण जारी रखें . . . (व्यवधान)

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

आप जरा तसल्ली से . . . . (व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद—

स्वतंत्र दल के नेता माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने जो कुछ कहा है वह अपनी जगह पर किसी हद तक सही है । हमारे देश की आगे आने वाली नसलें इस बात को सोचेंगी कि इस तरह से दल बदलना कोई उसूल की बात नहीं थी लेकिन मैं इस सदन में कह रहा हूं कि मैंने तो स्तीफा दिया था लेकिन मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपने स्तीफा किस को दिया था ? क्या वह स्पीकर को एड्रेस था ? अगर ऐसा था तो वह मंजूर हो जाता लेकिन मंजूर साहब ने नामंजूर करने के लिये इस्तीफा किस को दिया था?

श्री मंजूर अहमद—

हर मेम्बर जानता है कि इस्तीफा कब मंजूर होता है इसको जताने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण करें, इस तरह से जबाव देने की जरूरत नहीं है ।

श्री मंजूर अहमद—

चौधरी साहब ने अपने भाषण में प्रशासन का जिक्र किया कि वह लचर है, मंत्री लोग गड़बड़ हैं । मैं चौधरी साहब के जमाने की ही एक घटना का उदाहरण दूंगा और इस सदन के द्वारा अपने सूबे की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि चौधरी साहब जब यहां मंत्री थे उस वक्त उन्होंने क्या किया और जब वह मुख्य मंत्री बने तो किस तरह से तिकड़म लगाकर और फिर मुख्य मंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या क्या किया ? मेरठ में हिन्दू मुस्लिम झगड़ा हुआ , चौधरी साहब सरकिट हाउस में मौजूद थे ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वह बजट पर रोशनी डालें तो बेहतर है ।

श्री मंजूर अहमद—

बजट पर तो सब ही बोलेंगे लेकिन चौधरी साहब का गजब तो सुन लें । बजट भाषण के जबाव में चौधरी साहब ने कहा उस पर ही मैं बोल रहा हूं, उन्होंने यहां के प्रशासन का जिक्र किया और कहा कि हरिजनों पर ज्यादती हो रही है लेकिन वाकया यह है कि आज हरिजन उनके दल के नाम स और उनके नाम से कांपते हैं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य सुनें और खामोशी रखें। आप को जो कुछ भी हरिजनों के या किसी के बारे में कहना हो वह आप बरायेरास्त कहें बजाय इसके कि आप उसे किसी के नाम से जोड़कर कहें।

श्री मंजूर अहमद--

आज प्रदेश की जो हालत है, उसे प्रदेश का कौन नेता, कौन जनता का आदमी ऐसा है जो नहीं जानता। 1967-68 में मेरठ में रायट हुए, उस समय जो कुछ हुआ वह चौधरी साहब का ही कराया हुआ था। इन्होंने सर्किट हाउस में बैठ कर जनता की भावनाओं को भड़काया। आज क्या स्थिति पैदा हो गयी है? कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है? हम अपने गिरहबान को नहीं देखते, अपनी शहतीर को नहीं देखते, दूसरों के बाल को देखते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी मुख्य मंत्री 20-25 साल के मुख्य मंत्रित्वकाल में 2 कोठियां नहीं बना सकता। माननीय चौधरी साहब की 2 कोठियां मेरठ में बन गयीं और मुख्य मंत्रित्व-काल में ही 4 प्लाट्स लड़के, बीबी और लड़की के नाम गाजियाबाद में लिए गये। चौधरी साहब की ईमानदारी का क्या तकाजा है? उन्होंने किसानों के लिए क्या किया?

कांग्रेस सरकार ने कितना अच्छा कदम उठाया है। पैदा करने वालों और उपभोक्ताओं के बीच से बिचौलिया निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है और आप हिन्दुस्तान के व्यापारियों की वकालत कर रहे हैं और बाहर रहने वाले पूंजीपतियों की भी वकालत कर रहे हैं। आप किसानों के नेता बन कर किसानों के नाम पर कलंक लगा रहे हैं। आप गरीबों को गुमराह कर रहे हैं, हरिजनों की दुहाई दे रहे हैं। जिनके क्षेत्र में वर्षों से किसी गरीब, हरिजन, लुहार, बढ़ई या और किसी जाति का वोट नहीं पड़ सकता था आज उनकी बड़ी दुहाई दी जा रही है। अगर आज मौजूदा सरकार में बदले की भावना होती तो जैसे चौधरी साहब ने मुख्य मंत्री होते ही पुराने आदेश रद्द कर दिये थे सब कमेटियां कैंसिल कर दी थीं, उसी प्रकार आदेश दे देती लेकिन इस सरकार ने न कोई आदेश बदले, न कोई कमेटी भंग की चाहे वह आई० टी० आई० की हो, गन्ना समिति हो, मंडी समिति हो और चाहे गल्ले की हो।

हमारी सरकार बड़ी दयालु है। क्या सही काम भी नहीं कर सकती है? गड़बड़ करने वाला कोई भी हो, सब की जांच होनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब के खिलाफ भी जांच हो। किसानों के नेता होने के बावजूद मेरे मोहतरिम, मैं उनसे करीब का रहने वाला हूं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि एक तरफ तो हरिजनों और गरीबों की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ पृथ्वीनाथ साहब को राज्य सभा में भेजते हैं। मैं अपने देश और प्रदेश के किसानों को बतलाना चाहता हूं कि उनकी सरकार में क्या हुआ? खुद कुछ दिन पहले मुसलसल सरकार में रहे, भ्रष्टाचार बढ़ते-बढ़ते सीमा को पार कर गया। क्या वे इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे। भ्रष्टाचार बढ़ा, विकास नहीं हुआ और इसके सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हमारे चौधरी साहब हैं।

आज कहते हैं कि हरिजनों के साथ अत्याचार हो रहा है। सन् 1974 करीब आ रहा है तो उन्हें और कुछ याद नहीं है? किसी भी तिकड़म से चाहे मुस्लिम लीग से, चाहे सिन्डीकेट से मिल कर 74 की तैयारी कर रहे हैं और हरिजनों और मुसलमानों की दुहाई दे रहे हैं और इस प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज आतंक ढाने में हमारे प्रदेश की जनता जितना चौधरी साहब को जानती है, शायद उतना किसी को वह जानती हो। इस प्रदेश की जनता को बता देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अन्दर जनतंत्र का हत्यारा, चौधरी साहब से बढ़कर कोई नहीं है। चौधरी साहब का इतना आतंक है कि हरिजनों का वोट, कमजोरों का वोट नहीं पड़ने देते। हमारे पंडित जी, नेता सदन, तो इतने मुलायम हैं कि मैं कहता हूं कि चौधरी साहब के जुर्मों के खिलाफ अगर वे ऐक्शन लेते और कुछ करते तो इतना दोषी न होते, जितना कि हमारे चौधरी साहब ने उनको कहा है। चौधरी साहब ने अपने काल में कितने अफसरों

[श्री मंजूर अहमद]

को जो अच्छे थे परेशान किया। मैं हाउस में कह रहा हूं कि चौधरी साहब को इलेक्शन के दौरान 8 गाड़ियां एक अफसर ने दीं और बिजली विभाग से रुपये इकट्ठे करके दिये। उनकी ईमानदारी के बारे में मैंने एक बार हाउस में कहा था कि किस तरह उन्होंने पद्म-भूषण और पद्म-श्री की उपाधि बेंची।

एक सदस्य—

बजट पर बोलें।

श्री मंजूर अहमद—

बजट तो देश के हित के लिये है। उसका मैं समर्थन करता हूं। चौधरी साहब मुसलमानों के हिमायती बनते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अटल बिहारी बाजपेयी जैसा रिएक्शनरी आदमी भी मुसलमानों का उतना विरोधी नहीं, जितने कि हमारे चौधरी साहब हैं। हरिजन और मुसलमान अब चौधरी साहब के चक्कर में नहीं आने को। उनका स्वप्न अधूरा रहेगा। मान्यवर, चौधरी साहब लोगों की हत्या करवा देते हैं, जो उनके खिलाफ जाता है। मेरे पास तो साधन नहीं है। कमजोर आदमी हूं। चौधरी साहब अपने विरोधी को जिन्दा नहीं देखना चाहते। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में जनतंत्र लाना चाहते हैं और देश का विकास करना चाहते हैं तो चौधरी साहब के डण्डे को रोकना होगा जिसकी वजह से आज वोट रुकती है गरीबों की।

श्री अवधेश कुमार (जिला सीतापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा अहसानमन्द हूं कि आपने मुझे बोलने का वक्त दिया है। सबसे ज्यादा अहसानमन्द इसलिये हूं कि आपने हमारे पुराने साथी, मंजूर अहमद साहब, के बाद मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक शेर सुनाकर उनको जवाब देना चाहता हूं—

कितना नाजुक है यह ईमान कोई ठीक नहीं,
कब बदल जाय यह इन्सान कोई ठीक नहीं।

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे उस वक्त बोलने का मौका दिया है जब हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री सदन के अन्दर मौजूद हैं ताकि मैं भी अपनी कुछ बातें उन तक पहुंचा सकूं। हमारे मंजूर साहब ने, अफसोस इस बात का है कि सारा अपना बजट भाषण माननीय चौधरी साहब के ऊपर केन्द्रित किया है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहूंगा। मान्यवर, परशियन में एक शेर है, उसका भावार्थ मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि समय कम है। चाहे हमारे माननीय चन्द्रभानु गुप्त जी हों, चाहें चौधरी चरण सिंह हों और चाहें हमारे राजनारायण सिंह हों, जो भावार्थ है वह यह है कि शेर चाहे कितना बुड्ढा क्यों न हो गया हो, लेकिन उस जवान सियार पर कभी हमला नहीं कर सकता। हाथी चाहे कितना कमजोर हो गया हो, चींटी उस पर कभी चढ़ नहीं सकती। आखिरी शेर का मतलब यह है कि अमृत का एक घूंट, चाहे हम अपनी तादाद में कितने ही कम क्यों न हों, गन्दे नाले से कहीं अच्छा है।

मंजूर साहब से मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वह मसीहा बने बैठे हैं लेकिन अफसोस इस बात का है मसीहा बनकर घर से निकले हो, लहू से तर है तुम्हारी आस्तीं। खून से भरी हुई हैं, इसलिये हम विरोध पक्ष के बैठने वाले आपके कुकर्मों को साफ-साफ कहना चाहते हैं।

मान्यवर, 8 अरब का बजट है—बड़ी चर्चा है इस मुनीम जी के खाते की। 8 अरब के बजट में लगभग ढाई अरब तो आप सरकारी नौकरों को दे देंगे तनख्वाह के रूप में, ढाई अरब के करीब मान्यवर, नौकरशाही योजनाओं के बनाने में, भ्रष्टाचार में खा जायेगा। इस तरह से 5 अरब हो गया। अब आपके पास ढाई तीन लाख बचा। इसमें चाहें आप हरित

क्रान्ति कर लीजिये चाहे आप श्वेत क्रान्ति। चाहे आप हरिजनों को मन्दिराजी की भैंस दे दीजिये चाहे हरियाना गाय। चाहे आप उनको 5,000 रु० प्रति मकान बनाने के लिये दे दीजिये और चाहे आप हरित क्रान्ति लाने के लिये बिजली दें, खाद दें, रोडवेज को बढ़ावें, बिजली के ट्यूबेल लगावें। यह सब आपको 3 अरब में सीमित होकर करना है।

(इस समय 4 बजकर 12 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, बहुत नम्रता के साथ कहना चाहूंगा और बड़े अदब के साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश की जो हालत हो रही है वह न आपसे छिपी हुई है और न हमसे। कौन इसका जिम्मेदार है? आगे इस प्रदेश की और भी बदतर हालत होगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पूरी श्रद्धा के साथ कहता हूं कि वह तो सन् 20 के क्रान्तकारी रहे हैं, लेकिन वह इस प्रदेश को नरक बना देंगे जब तक कि 'इन्दिरा शरणम् गच्छामि' बोलेंगे। दुख की बात तो यह है कि माननीय कमलापति त्रिपाठी जैसा व्यक्ति इन्दिरा का 'हनुमान चालीसा' पढ़ रहा है—'इन्दिरा चालीसा'।

मान्यवर, जब तक चंडी और दुर्गा के उपासक इस सदन में और इस प्रान्त में सरकारी कुर्सियों पर बैठे रहेंगे तब तक निश्चित रूप से इस प्रान्त का पतन होगा और इस प्रान्त के अन्दर क्रान्ति नहीं आयेगी। मुझे दुख है मान्यवर, यह कहने में कि कहीं ऐसा वक्त न आ जाय कि जैसे बर्मा के मंत्री ने स्वयं मिलिटरी के हाथ में शासन दे दिया था। आज हमारे मुख्य मंत्री का घिराव कौन करते हैं, अभियन्ता करते हैं, ग्राम सेवक करते हैं, रोडवेज के कर्मचारी करते हैं, वकील करते हैं, डाक्टर लोग करते हैं और मान्यवर, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि अभी तक किसानों के अन्दर वह जागृति नहीं आयी है। जिस दिन किसानों के अन्दर वह जागृति आ गयी तो हमारे मुख्य मंत्री स्वयं इस प्रदेश का शासन मिलिटरी के हाथ में दे देंगे और कहेंगे कि हम जा रहे हैं।

आज कौन विभाग ईमानदार है। पहले मेरा निजी ख्याल था कि पुलिस का महकमा बहुत भ्रष्ट है। लेकिन मान्यवर, मुझे अब अपनी राय बदलनी पड़ रही है और मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट महकमा बिजली का हो रहा है। आज कुछ लोग चौधरी चरण सिंह जी की दस महीने और तीन महीने की संविद सरकार की बात करते हैं जबकि हजूरेवाला आप 25 वर्षों से इस सरकार की कुर्सी पर बैठे हैं और आपने कभी भी अपने काले कारनामे अपने दामन में देखने की हिम्मत नहीं की। आप देखें कि आज कहीं भी इतनी अराजकता नहीं है जितनी कि उत्तर प्रदेश में है।

आज अभियन्ताओं की मीटिंग होती है। एक शासक, वह भी शासक ही है, दूसरे शासक को इस तरह के कटु शब्द कहता है। इसी जगह इंजीनियरों की सभा हो रही थी। मैंने अपने कान से सुना एक इंजीनियर को भाषण करते हुए कि हम अपना इन्तजाम बन्दरों से नहीं करायेंगे। बन्दर किसको कहा, मंत्री को कहा या आई० ए० एस० अधिकारियों को कहा, यह भगवान जाने। लेकिन इंजीनियरों की निगाह में इन दोनों में एक बन्दर है। हां यह फर्क हो सकता है कि इनमें कौन लंगूरी बन्दर है और कौन देशी बन्दर है। यह तो इंजीनियर ही बतला सकते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं कि आज बिजली विभाग में बहुत भ्रष्टाचार है। मेरे छोटे से जिले सीतापुर के अन्दर एक आयल फैक्ट्री है। एक बड़े सेठ को साठ हजार यूनिट का फायदा उस फैक्ट्री का मीटर बैक करके दिया गया। अकले सीतापुर जिले के अन्दर, मैं कह सकता हूं, अगर जांच करायी जाय तो लगभग तीस, चालीस हजार रुपये प्रति मास का नुकसान हो रहा है। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों के मीटर बैक किये जाते हैं, रीडिंग कम की जाती है और उनको इस तरह से लाभ पहुंचाया जा रहा है।

मान्यवर, हमारे मंजूर साहब ने बड़े अच्छे शब्दों में बहुत कुछ कहा। मैं माननीय मंजूर साहब से बहुत अदब से कहूंगा कि आज पार्टीबन्दी के दलदल में हमारा शासक दल कितना अन्धा

[श्री अवधेश कुमार]

हो रहा है इसका एक नमूना आपके सामने रखना चाहता हूं और इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे वे इस पक्ष में हों चाहे उस पक्ष में इस तरह का अन्धेर आज तक नहीं हुआ जितना माननीय कमलापति जी के समय में हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी के पास बैठकर मैंने इस चीज को कहा। बड़ी लम्बी लम्बी बातें कही जाती हैं और हमारे पड़ोसी माननीय पांडेय जी ने सड़क की बातें कहीं। हमारे पड़ोसी भी हैं और 85 नम्बर के कमरे में रहते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों ने सुना ही होगा कि इंदिरा गांधी का बोर्ड तो लगता है ठीक है क्रैश प्रोग्राम में, लेकिन माननीय कमलापति जी के मुख्य मंत्रिकाल में अब उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों के बोर्ड और पत्थर लगने लगे हैं। मेरे क्षेत्र में मिश्रित में एक सड़क बन रही है और जिसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कह चुका हूं रामकोट से दुधनामऊ तक 30 किलोमीटर लम्बी है, पी० डब्लू० डी० बनवा रही है, इसमें से 6 किलोमीटर माननीय उधर के सदस्य इंडीकेंट कांग्रेस के हैं उनके क्षेत्र में है बकिया 28 किलो मीटर मेरे क्षेत्र में है लेकिन आप देखेंगे कि उनके नाम से एक बहुत बड़ा पत्थर सड़क के किनारे लगा है और उस पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि माननीय डा० श्याम किशोर के कर कमलों द्वारा उद्घाटन हुआ है।

श्री शिवकुमार पांडेय--

आपके नाम पत्थर लगवा दिया जायगा।

श्री अवधेश कुमार--

आप मुख्य मंत्री के पीछे बैठते हैं इसलिये आपके अन्दर वह मान मर्यादा नहीं रह गयी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। वास्तव में, उन्होंने यह बात बहुत मर्यादित कही है। लेकिन अभी तक उनकी या उनके किसी मंत्री की पी० डब्लू० डी० इंजीनियर से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। श्रीमन्, मैं कहता हूं कि ये पत्थर बिगड़ जायेंगे जहां एम० एल० ए० गीरी खत्म हुई, या जहां यह शासन खत्म हो गया तो ये पत्थर अपने आप गिर जायेंगे लेकिन प्रचार क्या होता है। शासक दल के लोग हमारे क्षेत्र में प्रचार करते हैं कि गैर क्षेत्र का कांग्रेसी आया और उसने एक सड़क बनवा दी लेकिन तुम्हारे क्षेत्र के ऐसे एम० एल० ए० हैं जिन्होंने सड़क तक नहीं बनवाई। अगर बनवाई होती तो उनके नाम का पत्थर न लगा होता। इस तरह के धोखे के प्रचारों से आप कब तक जिन्दा रहोगे?

पार्टीबन्दी की यह हालत है। क्षेत्रीय रेलवे ऐडवाइजरी बोर्ड में आदमी रखा जाता है जो किसानों के हितों को देख सके। पिछली बार खीरी जिले के एक श्रीमन् रामसिंह वहां रखे गये थे और वह वास्तव में किसान थे लेकिन अबकी बार रखे गये हैं श्री कमाल रिजवी कमाल लखीमपुर के। कमाल है उनके अंदर सबसे बड़ा गण है कि उन पर बलात्कार के मुकदमें चल रहे हैं और भ्रष्टाचार के मुकदमें कई चल रहे हैं और वे रेलवे एडवाइजरी बोर्ड के मेम्बर हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

यहां नहीं हैं वे।

श्री अवधेश कुमार--

यहां जो हैं उन्हीं का जवाब दीजिएगा। अभी आ रहा हूं उस पर। मैं नहीं जानता कि किसने उनको नामजद किया है लेकिन लखीमपुर जिला कांग्रेस कमेटी से वे नामजद हो कर आये हैं। जिनके बाप-दादा, आबा और अजदा ने कभी खेती नहीं की, जिनके पास आज भी खेती नहीं है वे उत्तर प्रदेश से किसानों के प्रतिनिधि रेलवे एडवाइजरी बोर्ड में भेजे गये हैं।

मान्यवर, यही नहीं आप मधान्ध इतने हो गये हैं इस पार्टीबन्दी में--सीतापुर जिले में एक हिन्दू महाविद्यालय है जिसमें दीक्षांत भाषण हुआ। मंत्रियों के उसमें शुभ सन्देश गये। वहां पर प्रिंसिपल हैं मिसेज अरोरा। निमंत्रण आया था हमारे माननीय चन्द्र-

भानु गुप्ता जी को भी । वे नहीं पहुंच पाये । उन्होंने अपना शुभ सन्देश भेज दिया । मैं आपसे पार्टीबन्दी के दलदल की बात कहना चाहता हूं । माननीय चन्द्रभानु गुप्त के सामने मंत्री की क्या हैसियत, लेकिन मंत्री का शुभ सन्देश उस महाविद्यालय के प्रिंसिपल ने उस दीक्षांत भाषण के उपरान्त पढ़कर सुनाया । माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने क्या शुभ सन्देश भेजा उस विद्यालय के लिये वह जनता के सामने नहीं पढ़ा गया । जनता में कनफुसी होती थी कि आज माननीय चन्द्रभानु गुप्त का शुभ संदेश, जो उस महाविद्यालय का संस्थापक था, दीक्षांत भाषण में नहीं सुनाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समाप्त करें ।

श्री अवधेश कुमार—

2 मिनट चाहता हूं, आपसे करबद्ध प्रार्थना है ।।

उनका मंत्री से क्या मुकाबिला है, लेकिन मान्यवर, वक्त की बात है, कुछ कह नहीं सकते मोमिन, कल के तराशे हुए बुत आज खुदा बनते हैं ।

आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा । आखिरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि मंत्री सब भ्रष्ट हैं । ना मान्यवर, मैं हाथ जोड़कर इधर के और उधर के बैठने वालों से माफी चाहूंगा कि सबको मैं भ्रष्ट नहीं कहता हूं । कुछ ईमानदार हैं और वास्तव में उनके दामन पर अभी तक कोई काला दाग नहीं आने पाया है मेरी जानकारी के अन्दर, लेकिन मान्यवर, एक नमूना आपके सामने और आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं । बलिया में एक लोहे का कारखाना लगने वाला था। माननीय मुख्य मंत्री इसको सुनने की कृपा करें, मेरी करबद्ध प्रार्थना है क्योंकि सारा मंत्रि मंडल बदनाम होता है ऐसे मंत्रियों के द्वारा । बलिया में, मान्यवर, कारखाना लगने वाला था । सरकार ने वह फाइल पूरी तरह बन्द कर दी कि मेरी जानकारी के अनसार और यह तय हुआ कि जो उसके लोग थे लिमिटेड कनसर्न में उनको अब वह जमीन नहीं दी जायेगी । लेकिन मेरी जानकारी है कि माननीय राजस्व मंत्री ने उस फाइल को फिर से खोला और खोलने के बाद जिसको सरकार बन्द कर चुकी थी उनको जमीन दी गयी है । मैं नहीं कहता, मान्यवर, और बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि मैं नहीं कहता, लेकिन आम चर्चा है कि राजस्व विभाग 10 लाख रुपये खा चुका है ।

(शेम, शेम)

किसने खाया है जरा देखें मंजूर साहब अगर आपके अन्दर ईमानदारी है, अगर आपके अन्दर एक रेशा दयानतदारी बाकी रह गया है ? तो मैं कह सकता हूं कि आप जब तक हमारे साथ थे, आप वाकई दूध के धोये थे, लेकिन अब जब उधर चले गये हैं तो आपका गरेबां बदला हुआ है और उसमें हजारों धब्बे आ चुके हैं । अगर आपका ईमान साफ है तो मैं चुनौती देकर कहता हूं कि वह कौन सा राजस्व अधिकारी या मंत्री है जिसने इस आयरन कम्पनी के कागजात चलाये हैं । इसमें 10 लाख रुपये खाये गये ऐसी शोहरत हो रही है । मेरी मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह इसको देखें और सी0आई0डी0 से जांच करावें ।

श्री उदित नारायण शर्मा—

मैं सूचना के लिये कहना चाहता हूं कि किसी भी स्टील आयरन कम्पनी की पत्रावली इधर दो वर्ष के अन्दर न तो बन्द हुई है और न खुली है।

श्री अवधेश कुमार—

मैं फिर मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह सारे कागजात देखकर इसकी तहकीकात करा लें कि कौन-कौन से अधिकारी और नेता इसमें इन्वाल्व हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मैं माननीय सदस्य को यह सूचना दे दूं कि एक स्टील प्लांट लगने वाला है । यह फैसला किया गया कि यह स्टील प्लांट पिछड़े इलाके में जाना चाहिये । जिन तीन कम्पनियों को भारत सरकार से लायसस मिले थे उन्होंने इसके लिये अप्लाई किया । यहां सरकार में उद्योग विभाग में उस पर विचार हुआ । सोचा गया कि बलिया में 10 प्रतिशत सबसीडी मिलेगी तो वहीं ठीक रहेगा । इसके लिए पार्लियामेंट के सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने बहुत लिखा-पढ़ी भी की थी । अंत में हमने तय किया कि स्टील प्लांट लगाने वाली उत्तर प्रदेश की कम्पनी हो और इस आधार पर मुजफ्फरनगर की एक कम्पनी को इजाजत दे दी गई कि वह स्टील प्लांट लगावे । इस संबंध में न कोई फाइल खोली गई है और न बन्द की गई है और न बन्द करके खोली गई है।

श्री अवधेश कुमार—

मान्यवर, क्या आप मुझे कुछ कहने की आज्ञा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय हो गया है । 4.8 पर आपने शुरू किया था ।

श्री अवधेश कुमार—

मान्यवर, मैंने तो पहले ही निवेदन कर दिया कि यदि आप कहें तो मैं बैठ जाऊं । मैं मुख्य मंत्री जी से फिर यह प्रार्थना करूंगा कि आप जो आयरन और स्टील कम्पनी लगाने जा रहे हैं, उसका मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो पार्टी इसको लगा रही है उससे आप पूछें । आप यदि कम्पनी के पार्टनर्स को कान्फीडेंस में लेकर पूछेंगे तो वह बतलायेंगे कि उनको कितना रुपया दक्षिणा में देना पड़ा है और अगर देना पड़ा है तो वह किस देवी, देवता या जिन्द, भूत को दिया गया है, यह मालूम कर लें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं समझता हूं बड़ी अनुचित बात है कि बिना आधार के इस प्रकार का आरोप लगा दिया जाय । मैंने आपसे निवेदन किया कि 3–4 कम्पनियों में से मुजफ्फरनगर की जो कम्पनी थी अपने प्रदेश की, उसको दिया गया और पार्लियामेंट के मेम्बरान जो बलिया से थे, उन लोगों के इस आग्रह पर कि बलिया में ही प्लांट लगना चाहिये और उन को देना चाहिये और यह समझ करके हमारी उत्तर प्रदेश की कम्पनी को ही यह दिया गया । दूसरे रहे हों, दिल्ली या बम्बई वाले, उनको रिजेक्ट किया गया, नहीं दिया गया, उनका कैंसिल किया गया और रेनबो वालों को दिया गया । वे फैक्टरी लगाने के लिये कुछ कर भी ज्यादा नहीं सके हैं । जमीन जाकर देख आये हैं । न कोई फाइल खुलनी है और न बन्द होने की बात है । कहा गया कि किसी ने 10 लाख रुपया दिया है और पार्टनर्स को बुलाकर पूछो, तो अगर उनको सूचना है कि फलां ने दिया है तो नाम लिख कर भेज दीजिये, मैं सब जांच करा लूंगा, सी० आई० डी० से करा लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय कृष्णकांत अवस्थी ।

श्री मंजूर अहमद—

एक व्यवस्था चाहता हूं । आपके जरिये से माननीय सदस्य से एक बात पूछना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

देखिय, व्यवस्था के नाम पर . . .

श्री मंजूर अहमद—

आपके जरिये से सिर्फ यह कहना चाहता हूं चूंकि मेरा नाम लिया गया तो मैंने सोशलिस्ट पार्टी इसलिये छोड़ी कि मोदीनगर में जब गोली चली और प्रभुनारायण और राजनारायण ने मोदी से रुपया लिया और कोल्ड स्टोर बनारस में बनवाया, इसलिये छोड़ी । तो वह अपने दामन को देखें ।

श्री अवधेश कुमार—

मैंने कोई गन्दा नाम नहीं लिया, मान्यवर ।

*श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, आपने मुझे जो सामान्य चर्चा पर बोलने का समय दिया उसके लिये मैं बड़ा आभारी हूं । हमारे वित्त मंत्री जी ने जो एक समाजवादी बजट प्रस्तुत किया, उसके लिये उनको बधाई देता हूं । मान्यवर, मैं दो दिन से इस सदन में बजट पर जो चर्चा चल रही है और विपक्ष की ओर से जो आलोचना होती है उसको सुनता रहा हूं । हमारे चौधरी चरण सिंह ने इस बार जब नेता विरोधी दल की हैसियत से इस सदन में बोलना प्रारम्भ किया तो मैं समझता था कि कोई नयी बात लेकर रखेंगे । परन्तु वही राग पुराना अलापते रहे जैसा कि हमेशा अलापते चले आते हैं। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अपने को ईमानदार और दुनियां को बेईमान समझा, अपने को काबिल और दुनियां को नाकाबिल समझा। यह आदत हमेशा रही है। लेकिन उन्हें यह भी मालूम होना चाहिये कि जिस तरह से उन्होंने सरकारी पक्ष की आलोचना की, जब वह सरकार में थे तो इसी सदन में मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में 48 लाख रुपये की रिश्वत का चार्ज उनके खिलाफ लगा था । जरा कलेजा थाम लीजिये, सुनने के लिये । इसी सदन में 48 लाख रुपये रिश्वत लेने का चार्ज चौधरी चरण सिंह के बिरुद्ध लगाया गया और हमारे माननीय सदस्य बांके लाल मौजूद हैं जिन्होंने यहां कहा था कि देवरिया में मेरे सामने रुपया लिया गया ।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं आपके जरिये, श्रीमन् ।

श्री कृष्णकान्त अवस्थी—

मान्यवर, जब उधर चले जाते हैं तो आवाज दूसरी हो जाती है, इधर दूसरी होती है। उधर के बैठने वालों को इधर वाले सब बेईमान दिखाई पड़ते हैं ।

जहां पर बजट के दौरान यह आलोचना की गयी नेता विरोधी दल की तरफ से कि हरिजनों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि ये वही चौधरी साहब है जिन्होंने 1969 के आम चुनाव में अपने क्षेत्र के अन्दर, मेरठ और मुजफ्फरनगर ऐसे जिलों में हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया । इतना घोर अन्याय होता कि देश का नागरिक, मतदाता अपने वोट डालने के अधिकार से वंचित रखा जाता है । यह तो रहा हरिजनों के साथ उनका व्यवहार और आज जब चुनाव पास आ गये तो हरिजनों की दुहाई दी जा रही है और बड़े वफादार हैं हरिजनों के और बड़ी भलाई करने वाले हैं ।

अब हमारे एक माननीय सदस्य सीतापुर के हैं जिन्होंने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिये । यह तो कोई बड़ी बात इन्होंने नहीं कहीं क्योंकि यह तो उस दल के हैं जिनके नेता सिवाय गाली देने के और कोई काम नहीं करते। राजनारायण सिंह की यही नीति रही है जिनके यह शागिर्द हैं । जब प्रदेश में संविद की सरकार बनी, वह चन्द दिन ही चली, उसमें इसी दल के सार्वजनिक निर्माण विभाग के एक राज्य मंत्री थे । सीतापुर जिले के इन्हीं माननीय सदस्य ने 25 हजार रुपये वहां के ओवरसियरों से उन राज्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णकान्त अवस्थी]—
मंत्री को दिलाये जो आज लम्बी चौड़ी स्पीच देते हैं । उस चन्द दिन चलने वाली सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था कि उसके मंत्री और मुख्य मंत्री भ्रष्टचार के प्रतीक बन गये थे और इतने दिन तक चलने वाली सरकार के विरुद्ध कोई आरोप नहीं आ सका । आज समाजवाद की ढोल पीटने वाले उधर के हमारे बी० के०डी०, जनसंघ, सिन्डीकेट, संसोपा के भाई सभी समाजवाद का नारा दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—
यह भी दल-बदलुओं की सरकार है ।

श्री कृष्णकान्त अवस्थी—
जो संविद की सरकार बनी थी उसने कौन सा कदम इस प्रदेश की जनता के हित में उठाया था ? जब चौधरी चरण सिंह मुख्य मंत्री थे तो इस प्रदेश के अन्दर महिलाओं पर लाठीचाज हुआ था । जो भ्रष्टाचार हमारे जनसंघ के भाई जो बार-बार उठ कर ताना देन की कोशिश करते हैं । (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना—
बजट पर बोलो । बजट नहीं है तुम्हारे पास क्या । यह तो दल बदलुओं की सरकार है ।

श्री कृष्णकान्त अवस्थी—
दलबदलू तो सभी हैं उधर । हमारी समाजवादी सरकार ने, हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी ने जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है वह बड़ा समाजवादी है । जब चौधरी चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो अमीनुदौला पार्क की एक मीटिंग में 30एकड़ की सीलिंग की बात कर दी थी लेकिन दोबारा फिर हिम्मत नहीं पड़ी कि भूमि की सीलिंग कर देते । हमारी इस समाजवादी सरकार ने आने के तुरन्त बाद भूमि की सीलिंग की और लाखों एकड़ जमीन प्रदेश में निकालकर भूमिहीनों में बांटी जायगी । क्या यह समाजवादी कदम नहीं है ? जनतांत्रिक प्रणाली का कितना बड़ा उदाहरण इस सरकार ने प्रस्तुत किया । किसी भी सरकार ने हिम्मत नहीं की कि पंचायतों का चुनाव कराने की । लेकिन इस जनवादी सरकार न पंचायतों का चुनाव कराया । आप लोग बार-बार आश्वासन देने के बावजूद भी पंचायतों के चुनाव नहीं करवा पाये । इसके अलावा अन्य कितने ही काम प्रदेश की प्रगति के लिये यह सरकार कर रही है ।

आपके समय में भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन आदि किये । आपने उनकी मांगों को नहीं माना । इस सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग भी बिठाया और उनके वेतन भी बढ़ाए । यह समाजवादी सरकार है । (व्यवधान के बीच श्री अवधेश कुमार तथा श्री कृष्णकान्त अवस्थी दोनों कुछ देर तक साथ-साथ बोलते रहे जो लिखा नहीं जा सका ।) सरकार ने किसानों के लिये भी काफी कार्य किया है । करोड़ों रुपयों की सहायता और अनुदान आदि देकर उनकी काफी सहायता की है । गरीबों का जितना लाभ इस सरकार ने किया है, कभी किसी सरकार ने नहीं किया ।

आलोचना करने का आपको अधिकार है । आलोचना होना चाहिये, मगर गलत आरोप लगाकर आलोचना करना ठीक नहीं है । जनतंत्र का मतलब कभी यह नहीं होता है कि आप गलत आरोप लगायें । जनतंत्र की भी अपनी एक मर्यादा होती है । उसका पालन करना चाहिये । जनता आपको अच्छी तरह से समझती है । आपने पिछले पार्लियामेंट चुनाव में अच्छी तरह मुंह की खायी है । आगामी चुनाव में भी आपको मुंह की खानी पड़ेगी । (व्यवधान) प्रदेश की जनता आपसे सजग है । समय-समय पर आपके काले कारनामे को उसने अच्छी तरह से देखा है । वह धोखे में आने वाली नहीं है । आप जनता को कितना ही बरगलायें, वह आपके बहकाने में नहीं आयेगी । सन् 1974 के चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ेगी । सरकार की प्रगतिशील नीतियों को जनता अच्छी तरह से समझती है । जनता यह अच्छी तरह से समझती है कि अब यही सरकार जनता के हित के लिये

कुछ कर सकती है । आप लोगों से उसका भला होने वाला नहीं है । संविद के कारनामों को जनता ने तीन बार देखा है।

मान्यवर, अब मैं बजट पर आता हूं । यह बजट समाजवादी बजट है । हर क्षेत्र में हमारे प्रदेश में काफी प्रगति हुई है । चिकित्सा क्षेत्र में भी जितने अस्पताल इस सरकार के जमाने में खोले गये उतने पहले कभी नहीं खुले (व्यवधान)

हमारी शारदासागर परियोजना चल रही है । जगह-जगह गांवों में सिंचाई के लिये सरकारी ट्यूबवेल्स लगाये जा रहे हैं । बाढ़ और सूखे के कारण यह उत्पादन में कमी आई है, और यों इसमें सरकार का जरा भी दोष नहीं है । अब म कुछ अपन जिले सीतापुर के बारे में कहना चाहता हूं । वहां जो टेस्ट-वर्क चल रहें हैं उनको चालू रखा जाए । मेरा क्षेत्र जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है । वहां सड़कों की अत्यन्त आवश्यकता है । वहां पर गोविन्दपुरा से गैलो-कोरज और आंबा से तम्बौर तक की सड़क शीघ्र से शीघ्र बनवाने की सरकार कृपा करें । वहां पुल नहीं बने हैं जो बहुत आवश्यक हैं । उसका भी निर्माण कराने की कृपा की जाये । सीतापुर से बहराइच जाने वाली सड़क पर कैवाना, करदिया चौका पर पुलों के बनवाने की जरूरत है, तम्बोर–लहरपुर मार्ग पर चौका का पुल बनना भी बड़ा आवश्यक है, उसे भी बनवाने की कृपा की जाए । साथ ही साथ उस क्षेत्र में अस्पतालों की कमी है । अतः वहां अस्पतालों की स्थापना की जाय । हमारा क्षेत्र सीतापुर जिले का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है अतः उसे पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जाय । वह नदी के किनारे का हिस्सा है, बड़ी बरबादी का सामना करता है, उस पर ध्यान किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री भगेलू सिंह (जिला गोंडा)—

इनके रहत आदमी सब भूखन मरें, गदहा सब पंजीरी खायें ।

श्री कृष्णकान्त अवस्थी—

6 महीने में यही तो हुआ है, संविद सरकार में । इन शब्दों के साथ जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं । आज जो कुछ मेम्बर साहबन मीटिंग करना चाहते थे तिलकहाल में, तो वह मीटिंग आज नहीं होगी ।

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

मान्यवर, जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है उसका विरोध और हमारे चौधरी साहब ने जो बात कही है उसका समर्थन करता हूं । (व्यवधान) बजट को देखने से मालूम होता है कि उसमें 74 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है । लेकिन उस घाटे को पूरा करने के लिये साधन जुटाने की कोई बात नहीं कही गई है । तो इसको यह समझूं कि हमारे वित्त मंत्री जी के पास कोई अलाउद्दीन का चिराग है जिससे वह उसे पूरा कर लेंगे ।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

इनकी पार्टी के तो शम्भूनाथ जी बोल चुके हैं, अब इधर मौका मिलना चाहिये । मुझे बड़ा अफसोश है कि हमारे लीडर चौधरीचरण सिंह जी ने जो इस हाउस में कल अपनी डिबेट पेश की है उसके ऊपर हमारे दोस्तों को बहुत गुस्सा पैदा हो गया है जिससे उनके ऊपर गलत तरीके से लांछन लगाये जा रहे हैं । मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं—

"इतनी बढ़ा पाकिये दामां की हिकायत,
दामन को जरा देख, जरा बन्दे काबा देख ।"

(व्यवधान)

[श्री हरिनाथ तिवारी]
आपकी सरकार इन्दिरा जी के सदारत में बनी और आप इतने ज्यादा मजारिटी से हैं, वह चाहे जिस तरह से प्राप्त की हो दलबदल या और तरीकों से जनता को उम्मीद थी कि इस प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो जायगा ।

श्री शफीक अहमद खां—

इस प्रदेश में गरीबी दूर हो जायगी, इस प्रदेश में किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। अक्लियतें सुख से रहेंगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब माननीय सदस्य कल जारी रखेंगे अपना भाषण । कोई नज्म सुनानी हो तो बात दीगर है ।

1973–74 के एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

यह जरा बैठ जायं उसके बाद हो जायगा आपका ।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम डेढ़ महीने में "1973–74 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण में, जो 14 मार्च, 1973 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पृष्ठ 3–4 पर अंकित अनुसूची में दिये गये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 1,10,49,20,000 रुपये से अधिक न हो ।"

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

मुझे जरा एक जानकारी करनी है। माननीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में एक महीने की बात कही है यहां पर डेढ़ महीने का प्रस्ताव ला रहे हैं। क्या इस प्रस्ताव के आधार पर बजट भाषण का संशोधन समझ लिया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैंने बजट भाषाण में संशोधन कर लिया था। जो छपा था उसमें एक महीने था जो मैंने पढ़ा वह संशोधित रूप में पढ़ा। वाक आउट की वजह से जरा गड़बड़ हो गयी थी। लेकिन मैंने यही कहा था ।

श्री उपाध्यक्ष—

छपा था एक महीना, कहा था डेढ़ महीने ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के प्रथम डेढ़ महीने में "1973–74 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण म, जो 14 मार्च, 1973 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पृष्ठ 3–4 पर अंकित अनुसूची में दिये गये प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल (गवर्नर) महोदय को लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 1,10,49,20,000 रुपये से अधिक न हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 पर सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

(प्रतियां बांटी गयीं)

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 पर विचार किया जाय।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

सदन की अनुज्ञा नहीं मांगी आपने।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कहां बैठे हैं ?

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2,3,1, अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973

1 अप्रैल, 1973 ई० को प्रारंभ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिये राज्य की संहत निधि में स कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

अतएव, भारतीय गणतंत्र के चौबीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग लेखानुदान अधिनियम, 1973 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष 1973-74 के लिये 1,54,36,80,000 रुपयों का दिया जाना

2—ऐसे विविधि परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1अप्रैल, 1973 ई0 को प्रारंभ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला जा सकता है जितना की अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सब का कुल योग 1,54,36,80,000 रुपये (एक अरब चौवन करोड़ छत्तीस लाख अस्सी हजार) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है, उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

1	2	3		
अनुदान संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
1	वृहत् जोत कर ..	51,	1,	52,
2	भू-राजस्व ..	2,41,20,	2,	2,41,22,
3	राज्य आबकारी ..	8,37,	1,	8,38,
4	बिक्री-कर ..	23,32,	1,	23,33,
5	अन्य कर और शुल्क ..	3,40,	1,	3,41,
6	स्टाम्प ..	3,75,	1,	3,76,
7	निबन्धन ..	5,91,	1,	5,92,
8	राज्य विधान मण्डल ..	9,42,	12,	9,54,
9	निर्वाचन ..	14,05,	..	14,05,
10	सामान्य प्रशासन ..	59,42,	3,36,	62,78,
11	आयुक्त और जिला प्रशासन	1,86,02,	3,	1,86,05,
12	गांव सभायें और पंचायतें ..	55,35,	1,	55,36,
13	न्याय प्रशासन ..	58,08,	10,90,	68,98,
14	कारागार ..	47,31,	1,	47,32,
15	पुलिस ..	4,33,54,	1,	4,33,55,
16	खाद्य और रसद तथा अन्य संगठन	37,56,	8,	37,64,
17	वैज्ञानिक शोध तथा सांस्कृतिक कार्य	5,23,	1,	5,24,
18	शिक्षा ..	16,38,55,	1,	16,38,56,
19	चिकित्सा ..	4,03,23,	2,	4,03,25,
20	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	3,95,49,	1,	3,95,50,
21	कृषि संबंधी विकास ..	3,38,49,	13,	3,38,62,
22	उपनिवेशन ..	3,	..	3,
23	पशुपालन और मत्स्य पालन	1,04,96,	1,	1,04,97,
24	सहकारिता ..	65,33,	1,	65,34,
25	उद्योग ..	78,51,	1,	78,52,
26	नियोजन और समन्वय ..	3,60,84,	1,	3,60,85,
27	श्रम तथा सेवायोजन ..	58,90,	1,	58,91,
28	सूचना निदेशालय ..	5,48,	1,	5,49,

अनुसूची—(समाप्त)

1	2		3	
		रु०	रु०	रु०
29	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	1,11,29,	1,	1,11,30,
30	समाज कल्याण ..	11,62,	1,	11,63,
31	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण-कार्य ।	5,37,13,	1,	5,37,14,
32	सिंचाई अधिष्ठान ..	2,27,55,	5,	2,27,60,
33	सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से किये जाते हैं ।	2,58,78,	39,	2,59,17,
34	संचार साधनों का सुधार ..	10,28,	..	10,28,
35	सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान	1,17,14,	1,	1,17,15,
36	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान ।	26,62,	..	26,62,
37	परिवहन ..	54,52,	1,	54,53,
38	दुर्भिक्ष सहायता ..	75,00,	75,00,	1,50,00,
39	अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें ..	73,08,	24,	73,32,
40	राजनीतिक पेंशनें तथा भत्ते	15,84,	..	15,84,
41	लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	41,09,	..	41,09,
42	वन एवं पर्यटन ..	1,38,60,	5,	1,38,65,
43	प्रकीर्ण व्यय ..	2,50,12,	1,	2,50,13,
44	नागरिक सुरक्षा तथा अन्य संगठन	27,02,	1,	27,03,
	*ऋण और अन्य दायित्वों पर ब्याज	..	7,02,50,	7,02,50,
	*ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ।	..	35,93,73,	35,93,73,
45	कृषि योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	92,59,	1,	92,60,
46	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय ।	1,30,12,	13	1,30,25,
47	बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ।	1,28,41	..	1,28,41,
48	सिंचाई निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ।	7,75,31,	1,	7,75,32,
49	सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय ।	6,12,99,	38,	6,13,37,
50	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय ।	1,05,30,	6,	1,05,36,
51	पेंशनों का राशि मूल्य ..	93,	13,	1,06,
52	राज्य व्यापार की योजनायें	15,76,58,	1,	15,76,59,
53	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	10,09,04	..	10,09,04,
	योग ..	1,10,49,20,	43,87,60,	1,54,36,80,

*भारित विनियोग ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 1, अनुसूची, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 पारित जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष---

आज नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । श्री सुरेन्द्र विक्रम तथा श्री बंशीधर पांडेय की 14-3-73 को लखनऊ विश्वविद्यालय के तिलकल हाल में एक विद्यार्थी को गोली लगने के सम्बन्ध में है । इस तरह की सूचना सर्वश्री हरिनाथ तिवारी, शम्भूनाथ चौधरी, सच्चिदानन्द गुप्त, शफीक अहमद खां, त्रिलोचन्द, मोहम्मद इसरार अहमद तथा फिरंगी प्रसाद विशारद जी की हैं । ये तीनों वक्तव्य के लिये स्वीकार कर ली गयी हैं और सबका नाम उससें जोड़ दिया जायगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

मेरी नियम 56 में यह सूचना थी ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह अलग है । उसमें इस समय नहीं कर सकता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

उसे भी 51 में जोड़ दीजिये । ऐसा पहले भी हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष---

जब मैं 56 देख रहा होता तो ऐसा किया जा सकता था लेकिन वैसा इस समय नहीं है । ये सिर्फ नियम 51 की सूचनायें हैं । आपकी नियम 51 में सूचना होती तो मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता लेकिन जब ऐसी बात नहीं है तो मुझे खेद है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मैं कमरे में आकर अगर आपको संतुष्ट कर दूंगा कि ऐसा पहले भी किया गया है तब तो आप कर देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

तब कर दिया जायगा ।

शेष जितनी हैं वे अस्वीकार कर दी गयी हैं । बजट पर आप उन पर बोल सकते हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

बलिया के बारे में जो है .....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में भी है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बजट पर बोलते हुये कह सकते हैं।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

हाई स्कूल तथा इंटर के इम्तिहान 22 तारीख से होने वाले हैं। उसके लिये वक्तव्य करा दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर आपको मौका मिलेगा। वक्तव्य नहीं हो सकता, अन्यथा बजट पर मौका मिलेगा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

कोयले की खानों में बड़े-बड़े अधिकारियों का हाथ काला हो चुका है। जनता को कोयला नहीं मिल रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

श्री मोहनलाल कपूर—

इम्तिहान वाले मसले पर तो कम से कम वक्तव्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें।

अल्का रेस्टोरेन्ट भवन, बुलन्दशहर के सम्बन्ध में गम्भीर घटनायें होने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष—

अल्का रेस्टोरेंट भवन, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर नाजाएज कब्जा करके बुलन्दशहर नगर में काले आम के चौराहे पर बना है, के कारण कई गम्भीर घटनायें होने के सम्बन्ध में दिनांक 7 मार्च, 1973 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 नत्थी (ख) के विषय में सर्वश्री सुरेन्द्रविक्रम, मैनेजर सिंह, सजीवन लाल तथा गोविन्द सिंह नेगी की सूचनाओं पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 49 के अन्तर्गत आधे घंटे की चर्चा। पहले माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह शुरू करेंगे।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपर)—

उपाध्यक्ष जी, 7 तारीख को एक प्रश्न के उत्तर में माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री से पूछा गया था कि अल्का रेस्टोरेंट भवन जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर बुलन्दशहर नगर में काले आम के चौराहे पर, नाजायज रूप से बना हुआ है। उसमें मंत्री जी ने उत्तर दिया कि कार्यवाही हो रही है। मान्यवर, वहां पर कार्यवाही भी हो रही, इमारत भी बनती रही और अब होटल भी बन गया। मान्यवर यह पी० डब्लू० डी० की जमीन है। वहीं पर पड़ोस में सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्यालय भी बना है। इस भवन की नींव पड़ी होगी, ईंट, चूना, सीमेन्ट वहां पर रखा गया होगा, किसी इन्जीनियर या ओवरसियर ने ले आउट किया होगा किन्तु किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी कि वह किस भूमि पर बना रहा है।

मान्यवर, इससे साफ जाहिर होता है कि इस भवन के बनने में पी० डब्लू० डी० के लोगों की भी सांठ-गांठ है। इसीलिये हमने इसे आपको नियम 49 में चर्चा करने के लिये भेजा है।

[श्री सुरेन्द्र विक्रम—]
ऐसी बात नहीं है कि पी०डब्ल०डी० में सभी लोग बेईमान हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं लेकिन जो सड़कों में बोर्ड पर लिखा रहता है कि सड़क की इतनी सीमा के भीतर जो व्यक्ति कांस्ट्रक्शन आदि करेगा वह दंड का भागी होगा, इस आदेश का जो लोग पालन नहीं करते हैं इस प्रकार सार्वजनिक भूमि पर कबजा करते हैं तो उन्हें दण्ड मिलना चाहिये ।

मान्यवर, बुलन्दशहर जिले का हेडक्वार्टर है । जिले के सभी अधिकारी वहां पर रहते हैं उन सभी ने उसको बनते हुये देखा होगा । उसकी नींव पड़ी होगी । कहते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होगी । पुलिस को इस बात की तुरन्त सूचना क्यों नहीं दी गई दफा 145 की फौजदारी में उसकी सम्पित्त को अटैच किया जाना चाहिये । कोर्ट को निर्णय करना चाहिये था। यह सब कुछ नहीं हुआ । यह सारी बातें उन्होंने इसलिये नहीं की कि इनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वे खुद उन लोगों से इन्वाल्व रहते हैं और उनसे पैसा लेते हैं । वे उनसे मिले रहते हैं और कहते हैं तम अपना काम करते रहो हम अपना फर्ज अदा करते रहेंगे । इस प्रकार से धांधलेबाजी होती रहती है । इस तरह से नाजायज तरीके से काम होता रहता है ।

जब इस सरकार के यह हाल हैं तो हम कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं यह उनको सहायता पहुंचायेगी । सरकार तो अपनी जमीन को ही नहीं रख पाती है और बात में लिटीगेशन बढ़ता है, उस पर सरकार का पैसा लगता है, हाई कोर्ट में दुनिया भर का पैसा लगता है । मंत्री जी को चाहिये था कि वे उस दिन यह कह देते कि हम इस मामले की अपने आडिट शेल से चेकिंग करवायेंगे सी० आई० डी० द्वारा इन्क्वायरी करवायेंगे । चाहे वह कोई भी हो, अवश्य इन्क्वायरी की जायेगी । यदि इसी तरह की इस सरकार की नीति रही तो सभी जगहों पर लोगों को इन्क्रोचमेन्ट करने का मौका मिल जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—
इस नियम में ऐसा है कि यह आधे घंटे की चर्चा का विषय है । संबंधित सदस्य अपनी बात रखते हैं और उसका संक्षिप्त उत्तर संबंधित मंत्री देते हैं । उसके बाद अन्य सवाल होते हैं ।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—
मान्यवर, सन् 65 में इन्क्रोचमेन्ट की दीवाल इस भवन की बनी थी । माननीय सदस्य कहते हैं कि पुलिस को नहीं बताया गया । मान्यवर, पुलिस की जानकारी में यह चीज लाई गई, एस० डी० ओ० और कलेक्टर को बताया गया और मुकदमा भी दाखिल किया गया और खारिज होने के बाद जो उस भवन का मालिक था उन्होंने उसके लीज के लिये कलेक्टर से एप्लाई किया । इस पर जब विभाग ने ऐतराज किया तो वह खारिज हो गया । उसके बाद तुरन्त उसने मुंसिफ के कोर्ट में इन्जेक्शन का मुकदमा चालू किया, वह भी खारिज हुआ । फिर जिला जज के यहां मुकदमा दायर हुआ और वह भी खारिज हुआ । जैसे ही वहां से खारिज मुकदमा हुआ उन्होंने मुंसिफ के नाम से मुकदमा दायर कर दिया । वह भी खारिज हो गया और फिर जिला जज के यहां खारिज हुआ और वह वहां चल ही रहा था कि उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर ट्रांसफर का अप्लीकेशन मूव कर दिया और वह फिर चला गया अलीगढ़ । अलीगढ़ जाने पर वहां के जिला जज ने पहले बुलन्दशहर के मुन्सिफ के आर्डर को रद्द कर दिया और कह दिया कि नीचे मुन्सिफ फिर उसे देखें और वह वहां पर चल रहा है । पहले 6 मार्च को तारीख थी, अब आगे बढ़ गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष—
क्या यह अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—
जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष—
इतनी प्रक्रिया के बाद तब तो इस वक्त इसे यहां खत्म कर देना चाहिये ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, विभाग को कब जानकारी हुई और उसको रोकने के लिये अदालती कार्यवाही की गयी या नहीं की गयी ? यदि नहीं की गयी तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

सन् 65 में निर्माण कार्य शुरू हुआ और 65 से ही अदालती कार्यवाही शुरू हुई। वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां हार गये, उसके बाद फिर वही सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करने लगे लेकिन अदालती कार्यवाही उसी साल प्रारम्भ हो गयी थी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)---

जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---

जितनी जानकारी मुझे थी वह मैंने बतला दी। इसके बाद भी अगर माननीय सदस्य के विचार में कोई चीज हो, उसको वे लिख कर दे देंगे तो उसी के हिसाब से मैं उसकी जांच करा लूंगा। इसमें कोई एतराज मुझे नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

श्रीमन्, उस दिन यह सफाई के लिये ही नियम 49 के अन्तर्गत स्वीकार हुआ था। माननीय मंत्री जी ने 7 मार्च को उत्तर देते हुए एक ही बात की रट लगायी कि शुरू से ही कार्यवाही की गयी। अभी माननीय वर्मा जी ने पूछा कि मकान का बनना कब शुरू हुआ और कब कार्यवाही की गयी ? आप कहते हैं कि प्रारम्भ से ही कार्यवाही की गयी। आप कृपया बतलावें कि आपके पास कोई पत्रावली है जिससे आप सदन को सन्तुष्ट कर सकें कि अमुक तारीख को उनको नोटिस दी गयी या पुलिस को लिखा गया ? सारे बुलन्दशहर शहर के इनक्रोचमेंट हटा दिये गये, केवल यही अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अल्का रेस्टरां का मकान बहुत बड़ा है जो उस सड़क के चौराहे पर है जहां 6 सड़कें आकर मिलती हैं, दिल्ली से, मेरठ से, कचहरी से और ऐसी जगह पर यह इमारत खड़ी है। उस इमारत के बनने से वहां अनेकों सड़क दुर्घटनायें हुई हैं जिससे न मालूम कितनी मौतें हुई हैं। वह अल्का होटल स्मगलिंग, ऐय्याशी और शराबखोरी का एक बहुत बड़ा अड्डा है और उस अड्डे से आपके सारे अधिकारी प्रभावित हैं। चाहे जिला अधिकारी हों, चाहे पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर हों। ये सारे व्यक्ति उस पाप के कर्म में लगे हुये हैं और इसलिये उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आप देखें कि एक दिन में यह इमारत नहीं खड़ी हो गयी, एक इमारत के खड़ी होने में 6 महीने का समय लगता है, रात दिन काम हो तब भी। जब मकान बन रहा था तब स्टे ले सकते थे, लेकिन शासन ने यह स्टे नहीं लिया क्योंकि मकान बनते वक्त स्टे ले लेते तो निर्माण कार्य रुक जाता। यह भी नहीं हुआ। पूरा मकान बन गया, इससे यह साबित क्या नहीं होता है कि आपके इंजीनियर्स भी उससे मिले हुये हैं ?

साथ ही लीज के लिये जो कलेक्टर के यहां दरख्वास्त दी गयी, वह भी इस बात का प्रमाण है कि जिलाधिकारी और एस०डी० एम० भी उस स्मगलिंग, शराबखोरी और ऐय्याशी में मिले हुये है। आप इस बात की सफाई दें कि किस तारीख को मकान बनना शुरू हुआ, कब पूरा हुआ और इस बीच में क्या कार्यवाही की गयी ? कलेक्टर ने क्यों लीज के लिये दरख्वास्त ली ? विभाग के साथ कलेक्टर की भी इसमें बदनीयती हो सकती है। इसलिये आप इसकी सफाई दें और आवश्यक समझें तो इसकी जांच के लिये विजिलेंस या किसी उच्च स्तर के अधिकारी को सुपुर्द करें और जो भी अधिकारी दोषी हो उसे दंड दें। क्योंकि बुलन्दशहर में ऐय्याशी, शराबखोरी और स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा अड्डा है।

सार्वजनिक निर्माण उप-मन्त्री (श्री बीर बहादुर सिंह)---

मान्यवर, यह दिसम्बर, 65 में जानकारी में आया कि यह मकान बन रहा है। 31-12-65 को नोटिस दिया गया। फिर 17-1-66 को दुबारा नोटिस दिया गया कि आप

[श्री वीर बहादुर सिंह]—
दस दिन के अन्दर इसको हटा लें। फिर दूसरा नोटिस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां से दिया गया कि आप दस दिन में इसको हटा लें नहीं तो कार्यवाही की जायगी। इसके बाद रोड साइड कंट्रोल एक्ट में नोटिस दिया गया। फिर 22-2-66 को कस दायर कर दिया जो चल रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—
मान्यवर, उत्तर बड़ी चतुराई से दिया गया है कि दिसम्बर 65 में जानकारी हुई कि मकान बन रहा है। लेकिन इस बात का कोई उत्तर नहीं है कि कौन सी तारीख से मकान बनना शुरू हुआ। इस बात को मन्त्री जी स्वीकार करते हैं कि रोड साइड कंट्रोल ऐक्ट के अधीन नोटिस दिया गया। इस ऐक्ट में काफी पावर्स हैं। जब आपको पता चल गया था कि मकान बन रहा है तो फिर इस रोड साइड कन्ट्रोल को इनवोक क्यों नहीं किया गया? कब कांस्ट्रक्शन शुरू हुआ? इस पर सरकार का ध्यान गया या नहीं यदि नहीं गया तो क्यों नहीं गया? जब यह बात नोटिस में आगई तो फिर दो महीने तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न यह था कि अतिक्रमण को हटाने के लिये क्या कार्यवाही हुई और विलम्ब क्यों हुआ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—
उसी विलम्ब के बारे में मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न यह था कि अलका रेस्टोरेंट का भवन, जो कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि पर नाजायज कब्जा करके बुलन्दशहर नगर में काले आम के चौराहे पर बना हुआ है और जहां इसी कारण गंभीर घटनायें हो चुकी हैं, उस अतिक्रमण को हटाने के लिये अब क्या कानूनी कार्यवाही हुई है तथा इतना विलम्ब कई वर्ष से अब तक क्यों हुआ और कब तक इसको हटा दिया जायगा? इस प्रश्न से संबंधित ही प्रश्न होने चाहिये लेकिन आप नया सवाल कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—
मैं नया सवाल नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—
जो भवन उस चौराहे पर बन गया है उसके कारण दुर्घटनायें होती हैं अतः इस अतिक्रमण को हटाने के लिये क्या-क्या कानूनी कार्यवाही हुई? इससे संबंधित प्रश्न होने चाहिये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—
मान्यवर, उसी को पूछ रहा हूं। दिसम्बर में आप कहते हैं कि मालूम हुआ कि मकान बन रहा है। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या आपके विभाग ने जानकारी की कब मकान बनना शुरू हुआ। दूसरी बात यह है कि दिसम्बर में आपके नोटिस में यह आ गया था कि किस तरह से निर्माण हो रहा है तो दो महीने तक रोड साइड कंट्रोल ऐक्ट क्यों नहीं इनवोक किया?

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न का पहला प्रश्न तो न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—
यह तो मैं सिर्फ इनफार्मेशन ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—
सरकार तो वही कहेगी जो बाद में होगा। जो जवाब उस ने लगाया होगा वह सरकार कहेगी।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—
मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जब मकान बन रहा था उस वक्त नोटिस दे दी और कार्यवाही शुरू हुई, तो वह यह बताय कि उसी वक्त सिविल कोर्ट म जाकर इन्जन्कशन क्यों नहीं लिया गया और क्यों जूडीशियल मजिस्ट्रेट के यहां जाकर नोटिस देते रहे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जो रोड साइड कंट्रोल ऐक्ट का नियम है उसी के अन्दर नोटिस की कार्यवाही की गई।

श्री रामप्रसाद देशमुख—

इन्जन्कशन आर्डर फौरन क्यों नहीं लिया, यह सब जानबूझकर किया गया है. . .

श्री उपाध्यक्ष—

यह समझ लें कि यह तो सन् 65 का मामला है. . . . .

श्री जयराम वर्मा—

जो जानकारी उनके पास है उसी के आधार पर वह उत्तर दें ।

क्या यह सही है कि यह जो दो तीन बार नोटिस दिये गये उस के दौरान क्या वह मकान बनता रहा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जब यह मकान बनना आरम्भ हुआ तो तुरन्त नोटिस दिया गया और जब अतिक्रमणकर्ता ने उस पर ध्यान नहीं दिया तब हमें कोर्ट में जाना पड़ा ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आपके आबजर्वेशन के अनुसार ही मैं पूछ रहा हूं कि क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या न्यायालय में यह बात भी विवादग्रस्त है कि वहां कोई मकान बना है या नहीं ? अगर नहीं है तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि किस तारीख से यह मकान बनना आरम्भ हुआ और क्या कारण है कि जब वहां के लोकल अधिकारियों के नोटिस में यह बात आई तो उसी वक्त रोड साइड कंट्रोल ऐक्ट के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ज्यों ही 31-12-65 को यह मालूम हुआ तो उसी दिन तुरन्त नोटिस दे दिया गया था ।

श्री मैनेजर सिंह—

अभी दो तीन बातों की सफाई नहीं हुई क्योंकि जिस तरह से ऊलजलूल उत्तर दिये जा रहे हैं उससे कोई बात मालूम नहीं होती । एक तो यह सफाई नहीं हुई कि मकान बनना कब शुरू हुआ और कब पूरा हुआ । दूसरा प्रश्न जो था उसका उस दिन शासन ने उत्तर दिया था कि सिविल जज के फैसले के अनुसार पुलिस को मकान गिराने के लिये लिख दिया गया है । अब दूसरी बात कही गई कि मामला न्यायालय में है, तो सही बात क्या है ? सिविल जज, अलीगढ़ के यहां से फैसला हुआ था । उसमें मकान गिराने का आदेश था या छोड़ दिया था । इन बातों की सफाई होनी चाहिये । ऐसा मालूम होता है कि अधिकारियों को जानकारी तो पहले हो गई थी और कार्यवाही बाद में शुरू हुई । यह वह स्थान है जिस चौराहे पर 8 सड़कें मिलती हैं और जो एक मेन केन्द्र बुलन्दशहर का है और शहर का हर आदमी जब कहीं जाता है तो चौराहे से होकर ही जाता है, एस०डी०ओ०, ओवरसियर, इंजीनियर, मेट या कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं हो सकता जिसके नोटिस में बुनियाद खुदते ही यह एन्क्रोचमेन्ट न आ गया हो । तो जिस दिन पहले अधिकारियों को मालूम हुआ तो मकान का बनना किस स्थिति में था, वह बतायें कि सिविल जज के फैसले के अनुसार क्या कार्यवाही हुई ? ऐसा मालूम होता है कि आदेश में आप को छूट थी कि आप उसे गिरवा दें ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, जैसा मैंने अभी बताया 31-12-65 को मकान जब बनना शुरू हुआ तो नोटिस दी गयी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मकान बनना शुरू हुआ, कौनसी तारीख को नोटिस दी गयी। श्रीमन्, यह बहुत बड़ा होटल है ?

श्री मैनेजर सिंह---

श्रीमन्, आप 7 की कार्यवाही देख लें ? जब नोटिस दी गयी तो मकान किस स्टेज तक पहुंच चुका था ?

श्री बीर बहादुर सिंह---

मकान जब बनता है तो पहले बुनियाद ही डाली जाती है।

श्री मैनेजर सिंह---

यदि आप गलत उत्तर देंगे तो मैं विशेषाधिकार का नोटिस दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

ये कैसे बता सकते हैं। मामला सन् 1965 का है।

श्री मैनेजर सिंह---

श्रीमन्, विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

मकान कब शुरू हुआ, कब बुनियाद पड़ी, कब दीवार बनी, ऐसे प्रश्न करने की मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री मैनेजर सिंह---

श्रीमन्, आप जल्दबाजी में अपनी कोई व्यवस्था न दें?

श्री उपाध्यक्ष---

यह सवाल तो हो ही नहीं सकता। 1965 का मामला है।

श्री मैनेजर सिंह---

आपने इस प्रश्न को स्वीकार किया था तो आप अपनी भूल को स्वीकार कीजिये ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह सवाल तो हो ही नहीं सकता। 1965 से जो चीज हो रही है वह आज सवाल का पात्र नहीं बन सकती। इसलिये दुर्घटनाओं से जोड़ते हुए उसकी वांछनीयता संदिग्ध है।

श्री मैनेजर सिंह---

श्रीमन्, आप ऐसी व्यवस्था न दें ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई आग्रहपूर्ण व्यवस्था नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह---

बिल्कुल ही आग्रहपूर्ण दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न न कीजिये। मन्त्री जी को मालूम नहीं है कि कब नींव पड़ी, कब साइत रखी गयी।

श्री मैनेजर सिंह---

श्रीमन्, आप सवाल पढ़ लीजिये?

श्री उपाध्यक्ष—

पढ़ लिया है। इसपर तो आधे घंटे की चर्चा भी नहीं हो सकती थी।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या माननीय मन्त्री जी अपने विभाग के किसी सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर या जिस अधिकारी को इमानदार समझें सभी कागजात 1965 से अब तक देकर जांच के लिये वहां पर भेजिये ताकि वह देखें कि विभाग की ओर से कोई लापरवाही हुई है या नहीं। अगर हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करने की कृपा करें ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया और फिर कहना चाहता हूं कि जो माननीय सुरेन्द्र विक्रम जी ने कहा है वह तो करूंगा ही लेकिन अगर कोई अन्य सदस्य भी लिख कर दे देंगे तो मैं उन सभी चीजों पर जांच करवा लूंगा।

श्री मैनेजर सिंह—

जो पत्रावली आपके पास उपलब्ध हो, वह दिखा कर हमसे समझने की कोशिश कर लीजिये, कोई गोपनीय तो पत्रावली है नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप उनके पास चले जाइये। मन्त्री जी आप इनको बुला लीजिये और सब कुछ पत्रावली में दिखा दीजिये। यह माननीय मैनेजर सिंह जी की उचित मांग है।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

मैं स्वयं ही इनके पास चला जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल फिर 11 बजे बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
15 मार्च, 1973।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ...668...पर)

उ० प्र० राज्य औद्योगिक निगम लि०, कानपुर को प्राप्त आशय पत्रों का विवरण।

क्रम-संख्या	प्रायोजना का नाम	उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष	अनुमानित लागत करोड़ रुपयों में
1	प्रिंटिंग मशीनरी	640 नम्बर्स	2.00
2	स्टील विलेट्स	1 लाख टनेज	8.00
3	स्कूटर	24 हजार	3.75
4	ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स	6 हजार मैट्रिक टन	6.70
5	सेफ्टी रेजर ब्लेड	60 करोड़	3.54
6	जी०एस०एस० एन्ड फ्लोरेन्सेट लैम्प्स	60 लाख	1.00
7	लाइट कामर्शियल वेहिकिल्स	15 हजार	15.00
8	नाइलोन फिलामेन्ट यार्न	2100 टनेज	12.00
9	रिफरक्ट्रीज	50000टनेज	5.00
10	राइटिंग प्रिंटिंग एण्ड रेंपिंग पेपर	1 लाख टनेज	10.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 673 पर)

अनुसूची

1—रोडवेज कर्मचारियों की सर्वथा न्यायोचित मांगों की तत्काल पूर्ति ।

2—वेतन आयोग द्वारा स्वयं प्रतिपादित सिद्धांत के अनुरूप ढाई वयस्क उपभोक्ता इकाइयों की तीन ऐसी इकाइयां मान कर बीस प्रतिशत तदर्थ वेतनवृद्धि ।

3—सचिवालय कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के लिये आयोग द्वारा संस्तुत वेतन मानों का क्रमशः निम्न प्रकार निर्धारण:—

	संशोधित वेतन मान (रु०)
(क) टंकक	225–425
(ख) अवर वर्ग सहायक	310–530
(ग) प्रवर वर्ग सहायक, संदर्भ लिपिक, अनवादक लेखाकार/ कोषाध्यक्ष तथा बजट सहायक इत्यादि ..	400–750
(घ) अनुभागाधिकारी	550–1200
(ङ) अनु सचिव	1,250–1,600
(च) उप सचिव	1,600–2,000

4—वेतन आयोग की संस्तुतियों की असंगतियों पर विचार तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्य आयोग के भूतपूर्व सचिव श्री हरे कृष्ण मेहरोत्रा से न कराया जाना ।

5—तीन वर्ष की सेवा पर स्थायीकरण ।

6—सचिवालय कर्मचारियों को 50 रुपया प्रति माह की दर से सचिवालय भत्ता दिया जाय ।

7—डेढ़ वर्ष की प्रतीक्षा के बाद प्राप्त वेतन आयोग की रिपोर्ट के फलस्वरूप वृद्धि होने के बजाय हमारे वेतन से कटौती होने जा रही है ।

8—विगत 6 माह में हुई बेतहासा मूल्य-वृद्धि को देखते हुए सरकार के लिये नितान्त एक आवश्यक है कि वह हमारे मंहगाई भत्ते में विशेष वृद्धि अविलम्ब घोषित करें ।

9—महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकर भत्ता केन्द्रीय दर पर तथा चिकित्सा भत्ता बिहार सरकार के कर्मचारियों की भांति ही हमें भी सीधी दर पर (फ्लैट रेट) लेना है ।

10—संविधान की धारा 43 तथा न्यायालय (आंध्र उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय) द्वारा की गई व्याख्या का तकाजा है कि सरकार हमें 8.33 प्रतिशत न्यूनतम बोनस प्रदान करें।

11—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तृतीय श्रेणी में पदोन्नति का प्रतिशत 13 के बजाय 30 कर दिया जाय।

12—नियुक्ति का तरीका तथा शैक्षिक अर्हता समान होने के कारण प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों के कर्मचारियों में वेतनमान वही रखा जाय जो राजस्व परिषद् और उच्च न्यायालय के लिये निर्धारित है।

विधान सभा दुर्ग

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 680 पर]

दिनांक 1-1-72 से 15-7-72 तक कानपुर जिले के विभिन्न थानों के अन्तर्गत डकैती एवं हत्या से सम्बन्धित सूचना:—

थाना	डकैती	हत्या	थाना	डकैती	हत्या
1—महराजपुर ..	5	2	20—कोतवाली ..	..	1
2—शिवराजपुर ..	1	..	21—फीलखाना	..	..
3—बिठूर ..	2	2	22—कर्नल गंज ..	7	3
4—घाटमपुर ..	5	2	23—ग्वालटोली ..	..	2
5—विधनू ..	6	..	24—कलक्टरगंज ..	..	..
6—सजेती ..	..	..	25—हरबंशमोहाल ..	..	..
7—नर्बल ..	3	2	26—अनवरगंज	..	1
8—भोगनीपुर ..	6	6	27—रायपुरवा	..	..
9—मूसानगर ..	3	3	28—शीशामऊ ..	..	..
10—सिकन्द्रा ..	1	3	29—फजलगंज ..	..	1
11—गजनेर ..	3	2	30—नजीराबाद ..	..	2
12—अकबरपुर ..	6	6	31—गोविन्दनगर ..	..	2
13—मंगलपुर ..	2	2	32—बाबूपुरवा ..	..	..
14—डेरापुर ..	2	3	33—छावनी ..	2	9
15—सचेन्डी ..	4	3	34—जूही ..	1	3
16—बिल्हौर ..	2	3	5—स्वरूपनगर ..	1	3
17—शिवली ..	2	4	36—नवाबगंज ..	..	1
18—रसूलाबाद ..	1	2	37—बजरिया .	..	2
19—ककवन ..	2	1	38—कल्यानपुर	3	1

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 682 पर)

राज्य सरकार ने 'उद्योगों को सहायता देने की योजना' के अन्तर्गत मार्च, 1956 में निजी क्षेत्र की कम्पनियों को ऋण दिये थे जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

1—मेसर्स न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कं० लि०, कलकत्ता को वाराणसी में एक सोडा ऐश एवं अमोनियम क्लोराइड फैक्टरी स्थापित करने के लिये 1.45 करोड़ रु० का ऋण स्वीकृत किया गया था। साधारण ब्याज की दर 5 प्रतिशत तथा समय से किश्तों का भुगतान न किये जाने की दशा में 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज दन्ड के रूप में देय था। ऋण का भुगतान 1 सितम्बर, 195 से 1 सितम्बर, 1967 तक छमाही किश्तों में किया जाना था।

2—मेसर्स जे0 के0 काटन मिल्स कं० लि०, कानपुर को कानपुर में एक रेयन का रखाना स्थापित करने हेतु 90 लाख रु० का ऋण स्वीकृत किया गया था। साधारण ब्याज की दर 5 प्रतिशत तथा समय से किश्तों का भुगतान न किये जाने की दशा में 1 प्रतिशत अतिरिक्त व्याज दण्ड के रूप में देय था। ऋण का भुगतान 1 सितम्बर, 195 से 1 सितम्बर, 1967 तक छमाही किश्तों में किया जाना था।

3—मेसर्स लक्ष्मीरतन इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, कानपुर को कानपुर में एक वस्त्र मिलों की मशीनरी बनाने का कारखाना स्थापित करने हेतु 50 लाख रु० का ऋण स्वीकृत किया गया था। साधारण ब्याज की दर 5 प्रतिशत तथा समय से किश्तों का भुगतान न किये जाने की दशा में 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के रूप में देय था। ऋण का भुगतान 28 मार्च, 1958 से 28 मार्च, 1967 तक वार्षिक किश्तों में किया जाना था।

(2) उपर्युक्त तीनों कम्पनियों ने निर्धारित शर्तों के अनुसार कारखाने तो स्थापित कर लिये परन्तु ऋणों का भुगतान, शर्तों के अनुसार बराबर नहीं किया।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 683 पर)

संलग्नक

केन्द्रीय सरकार से प्राप्त योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

(1) प्राइमरी शिक्षा के प्रसार तथा सुधार की योजना--

यह योजना शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1971-72 से कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत वर्ष 1971-72 में 6100 प्राइमरी स्कूल अध्यापकों एवं 49 प्राइमरी स्कूल निरीक्षकों की नियुक्ति करने, 1,84,806 अनुसूचित एवं जनजाति के बच्चों को पाठ्य पुस्तक, लेखन सामग्री तथा अल्प हार देने, 107 स्कूलों में कार्यानुभव योजना लागू करने एवं 1027 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण करने के लिये 42,90,836 रुपये की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई थी। वर्ष 1972-73 में भी इस योजना के अन्तर्गत कक्षाओं के निर्माण के अतिरिक्त अन्य सभी मदों पर होने वाला वास्तविक व्यय भारत सरकार से शत प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त होगा। केवल प्रतिबन्ध यह होगा कि राज्य की वार्षिक योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये निर्धारित परिव्यय का पूर्ण उपयोग कर लिया गया हो। चालू वर्ष में 6160 अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिये प्रत्येक कक्ष का 50 प्रतिशत व्यय या 3000 रु० प्रति कक्ष की अधिकतम सीमा तक हुये व्यय को भारत सरकार वहन करेगी।

(2) ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण--

इस योजना का उद्देश्य मुख्यतः बेरोजगार तकनीकी वर्ग व्यक्तियों को सर्वेक्षण कार्य पर लगाकर रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत वाराणसी तथा जालौन जिलों में सर्वेक्षण का कार्य होगा। भारत सरकार ने इस योजना को पौढ़ी गढ़वाल में भी कार्यान्वित करने के लिये संकेत दिया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना भारत सरकार को उपलब्ध करा दी गई है। यह योजना नियोजन विभाग के राज्य नियोजन संस्थान द्वारा कार्यान्वित की जा रही।

(3) कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना--

सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में ट्रैक्टर तथा अन्य कृषि मशीनों के सर्विस केन्द्र तथा मशीनें किराये पर चलाने के केन्द्र स्थापित करना है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (नई दिल्ली) द्वारा घोषित योजना है। इसके अन्तर्गत निगम द्वारा सहकारी संस्थाओं को उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से शत प्रतिशत वित्तीय सहायता (2.8 लाख प्रति केन्द्र) मिलने का प्राविधान है। निगम द्वारा प्रत्येक केन्द्र में 29 कर्मचारी रखने का प्रस्ताव है।

(4) सहकारी उपभोक्ता भण्डारों का विस्तार--

सहकारिता विभाग द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ता वस्तुओं के व्यवसाय का विस्तार करना, जनता को एक ही स्थान पर उचित मूल्यों पर वस्तुयें उपलब्ध कराना तथा शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाना है। इस योजना के अन्तर्गत कानपुर थोक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड, कानपुर में अर्मापुर स्टेट में एक डिपार्टमेंटल स्टोर तथा लाल बंगला में एक बड़ा फुटकर बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिये भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

(5) उद्योग स्थापित करने के लिये उद्यम कर्ताओं को वित्तीय सहायता:—

उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही दो योजनाओं का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करना है । इनके अन्तर्गत शिक्षित व्यक्तियों को मार्जिन मनी देने, किराया, क्रय आधार पर मशीनरी उपलब्ध कराने, औद्योगिक स्थानों पर अतिरिक्त व्यय हेतु तथा उन्हें प्रशिक्षण देने के लिये धन उपलब्ध हो सकेगा । केन्द्रीय सरकार से उपलब्ध होने वाली धनराशि का एक तिहाई भाग अनुदान तथा शेष ऋण के रूप में प्राप्त होगा ।

(6) ग्रामीण जल सम्पूर्ति के लिये डिजाइन यूनिटों की स्थापना:—

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने दो प्लान एवं डिजाइन यूनिटों की स्थापना की स्वीकृति दी है । ये यूनिटें कार्य की प्रगति बढ़ाने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये अभावग्रस्त भागों में जहां कि सर्वेक्षण एवं अनुसंधान का कार्य समाप्त हो चुका है, पेयजल व्यवस्था हेतु विस्तृत एस्टीमेट बनायेगी । इस प्रकार इन दो यूनिटों द्वारा एक वर्ष में 700 गांवों की 50 स्कीमें तैयार की जा सकेंगी । योजना के अन्तर्गत स्थापित इन यूनिटों पर होने वाला व्यय भारत सरकार से शतप्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त होगा ।

(7) पांचवी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की योजना:—

यह योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगार अभियंताओं तथा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पांचवी पंचवर्षीय योजना में वर्तमान राष्ट्रीय मार्गों तथा केन्द्रीय क्षेत्र में पड़ने वाली अन्य सड़कों की कमियों को दूर करने के लिये सर्वेक्षण एवं अनुसंधान करने तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजना काल में किये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही करने की व्यवस्था की गई है । इस योजना में होने वाला व्यय शतप्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जायगा ।

(8) ग्रामीण रोजगार की त्वरित योजना:—

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी योजना सामुदायिक विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है । यह एक श्रम प्रधान योजना है और इसमें होने वाला व्यय शतप्रतिशत केन्द्रीय सरकार वहन करती है । इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षत्रों में बेरोजगार तथा अपर्याप्त रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई परिसम्पत्ति का सृजन करना है । इस योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिलें में विभिन्न कार्यक्रम चालू किये गये हैं तथा सड़क निर्माण, वनीकरण, भूमि संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, स्कूल भवन निर्माण आदि कार्य-क्रमों पर अधिक बल दिया गया है । इस योजना में प्रत्येक जिले में प्रतिवर्ष 1000 व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य रक्खा गया है ।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 686 पर)

चौकी लुडवार, जिला सुल्तानपुर पर 1 नवम्बर, 1972 से 18 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि में दर्ज अपराधों के बारे में सूचना :

क्रम-संख्या	नाम अपराध	मामलों की संख्या									
		जिनकी रिपोर्ट की गयी	जिनमें जांच की गयी	जिनमें जांच नहीं की गयी	जो चालान किये गये	जो सजा-याब हुये	जो रिहा हुये	जो न्यायालय में विचाराधीन रहे हैं	जो लापता (अंतिम रिपोर्ट लगी एक्सपंज हुये मामलों की संख्या शामिल रहे)	जिनमें जांच जारी है।	मामलों की संख्या जो झूठे पाये गये और एक्सपंज हुये
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नकबजनी	..	4	4	..	..	..	..	..	..	4	..
2	चोरी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
3	हत्या	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
4	डकैती	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	आग लगी	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
6	राहजनी	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..
7	बलवा	..	1	1	..	1	..	..	1	..	..	..
8	फसलकटी	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..

नोटः— राहजनी का एक मुकदमा अ० सं० 764, धारा 394, भारतीय दंड विधान में विवेचना से मामला केवल धारा 323, भारतीय दंड विधान का ही पाया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 686 पर)

अभियुक्त बाबू लाल, पुत्र महेन्द्र, साकिन सेवरही बाजार, थाना तरया सुजान के मकान से प्राप्त सामानों की सूची :

1—भट्ठी मय डंडा आदि अन्य सामान के	1
2—निहाई लोहे की	2
3—हथौड़ा छोटा बड़ा	2
4—रेती, छोटी बड़ी	3
5—सड़सी बड़ी	1
6—रिक्सा ब्लेड की पत्ती	1
7—बर्मा	1
8—सलाई रिंच	1
9—पिलास छोटा बड़ा	2
10—गुनियां	1
11—लोहे की चारा काटने की कैंची	1
12—रुखानी	1
13—वसूला	1
14—होल करने वाला लोहा, छोटा बड़ा	5
15—छेनी, छोटी बड़ी	4
16—नापने का इंच, सफेद	1
17—लोहे का जैक	1
18—रिपिट आदि	14
19—छेद करने का आधार	3
20—रिवालवर की साइट पिन	1
21—दांता, चूड़ी आदि बनाने का उपकरण	1
22—रेग माल	1
23—दो खाली कारतूस 12 बोर	2

अभियुक्त इनायत, पुत्र शेख जाकिर अली, साकिन सेवरही बाजार, थाना तरया सुजान, देवरिया से प्राप्त सामानों की सूची :

1—भाथी मय लकड़ी	1
2—रेलवे गार्टर का एक टुकड़ा (निहाई)	1
3—हथौड़ा, छोटा बड़ा	2
4—रेती	2
5—रिक्सा ब्लेड की पत्ती	1

विधान सभा

6—सड़सी	3
7—लोहा काटने की कैंची	1
8—गुनियां	1
9—रूखानी	1
10—छेनी	1
11—रिपिट आदि बनाने का सामान	1
12—लोहे का जैल	1
13—कल्छुल का टूटा कटोरा	1
14—रंभा	1
15—खाली कारतूस 12 बोर	1
16—भरा कारतूस 12 बोर मिस फायर	1
17—भरा कारतूस 12 बोर	1
18—बारूद छूटाने का औजार	1
19—टेप	1
20—होल बनाने वाला हथियार	4
21—बर्मा चलाने का औजार	1

अभियुक्त महेन्द्र, पुत्र नरायन लोहार, साकिन सेवरही, थाना तरया सुजान, जिला देवरिया के खाना तलासी से मिले सामानों की सूची:—

1—निहाई	1
2—हथौड़ा	1
3—रुखानी	1
4—रेती, छोटी बड़ी	3
5—लोहा काटने की रेती	1
6—सड़सी	2
7—लोहा काटने की कैंची	1
8—पिलास	1
9—बर्मा	1
10—सलाई रिंच	1
11—हथौड़ा बिना बेंट	1
12—छेनी	1
13—होल करने वाला	2
14—लोहे का होल	2
15—बर्मा लोहे का	1
16—भाथी	1
17—आरी	1
18—नापने का इंच पटरी	1

अभियुक्त साहबुद्दीन, पुत्र अब्दुल मियां, साकिन अतौरा टोला औवान, थाना तरया सुजान की तलासी से प्राप्त सामानो की सूची :—

1—निहाई	2
2—छीनी	3
3—हथौड़ा	2
4—रती	3
5—सड़सी	2
6—रिक्शा ब्लेड	2
7—सलाई रिंच	1
8—वर्मा	1
9—पिलास	1
10—आरी	1
11—जैक	1
12—भाथी	1

विधान सभा सचिवालय बिहार पटना

परिशिष्ट 'अ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 689 पर)

सूचना

उन विद्यालयों के नाम, जिनमें प्रधानाचार्यों की नियुक्ति नियमानुसार नहीं हुई है, निम्न है :—

1—नेहरू उ० मा० विद्यालय, तेलौरा
2—लाल बहादुर शास्त्री उ० मा० विद्यालय, मथुरानगर
3—उ० मा० विद्यालय, बसन्तपुर
4—जनता उ० मा० विद्यालय, धानी बाजार
5—नेहरू उ० मा० विद्यालय, पक्का बाजार
6—उ० मा० विद्यालय, माल्हनपार
7—दिग्विजय नाथ उ० मा० विद्यालय, चौक
8—मुरारी इंटर कालेज, सहजनवा
9—भूमिधर इंटर कालेज, सिकरीगंज
10—महाजन इंटर कालेज, चौरी चौरा
11—गांधी इंटर कालेज, हरपुर बुदहट
12—एम० पी० इंटर कालेज, गोरखपुर
13—वीर शिवाजी उ० मा० विद्यालय, सरहरी
14—महात्मा बुद्ध उ० मा० विद्यालय, अड्डाबाजार
15—रामजन उ० मा० विद्यालय, ऊंचा गांव
16—विश्वम्भर नाथ उ० मा० विद्यालय, रतनपुर
17—जनता उ० मा० विद्यालय, मिठौरा बाजार
18—नारायण उ० मा० विद्यालय, रामपुर पान्डेय
19—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मीठावेल

इनमें महाजन इंटर कालेज चौरी चौरा (क्र० सं० 10) है। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य के पद के लिये विज्ञापन निकाले जाने पर किसी योग्य अभ्यर्थी का आवेदन पत्र न प्राप्त हो सकने के कारण संस्था के कार्यवाहक प्रधानाचार्य श्री रमाकान्त जायसवाल का अनुमोदन दिनांक 30-6-73 तक के लिये इस प्रतिबन्ध के साथ दिया गया कि प्रबन्धक कथित अवधि के पूर्व ही नियमानुसार प्रधानाचार्य का चयन करके अनुमोदन प्राप्त करें।

कमलापति त्रिपाठी,
मुख्य मंत्री।

विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 701 पर)

दिनांक 1-1-72 से 20-12-72 तक की अवधि में थाना महमूदाबाद में कत्ल, डकैती तथा चोरियों की दर्ज कराई गई रिपोर्टों के बारे में सूचना :

अपराध	जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें जांच की गई	जिनमें विवेचना नहीं की गई	जो चालान किये गये	जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगाई गई	जिनमें जांच जारी है	डकैत की सं० जो बन्दी बनाये गये
हत्या ..	5	5	..	2	2	1	..
डकैती ..	23	23	..	10	8	5	75
चोरी (नकबजनी सम्मिलित) ..	211	208	3	15	151	42	..

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७८ का उत्तर पीछे पृष्ट 702 पर)

तालिका "क"

प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य तथा उपकर/क्रयकर का दिनांक 31 जनवरी, 1973 तक का बकाया

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	गन्ना काश्तकारों का गन्ना मूल्य के रूप में वर्ष 1971–72 तक का कुल बकाया	गन्ना उपकर/क्रयकर के रूप में सरकार का वर्ष 1970–71 तक का कुल बकाया
1	2	3	4
1	इकबालपुर ..	..	9.49
2	देवबन्द ..	..	2.59
3	लक्सर ..	..	..
4	सहारनपुर ..	8.04	3.21
5	सरसावां ..	2.33	22.21
6	मन्सुरपुर ..	0.73	7.93
7	खतौली ..	0.30	0.10
8	रोहाना ..	..	..
9	शामली ..	..	..
10	डोईवाला ..	4.25	5.52
11	सुखौनी ..	0.32	29.01
12	दौराता ..	..	..
13	जसवंत ..	3.48	0.33
14	मोहीउद्दीनपर ..	5.19	32.45
15	बेगमाबाग ..	..	..
16	सिम्भौली ..	..	..
17	भवाना ..	1.52	..
18	बागपत ..	..	..
19	बलन्दशहर ..	15.34	26.96
20	काशीपर ..	..	..
21	बाजपुर ..	..	0.28
22	बिलारी ..	0.28	7.00

1	2	3	4
23—बभरौहा	.. .. ..	15.21	62.33
24—रामपर	.. .. ..	4.14	40.37
25—सिवहीरा	.. .. ..	..	0.96
26—बिजनौर	.. .. ..	..	27.97
27—धामपर	.. .. ..	0.04	..
28—नेवलीं	.. .. ..	..	..
29—बहेड़ी	.. .. ..	0.08	..
30—बरेली	.. ..	4.79	13.61
31—पीलीभीत	.. .. ..	..	..
32—मझोला	.. .. ..	0.10	..
33—रोजा	.. .. ..	..	0.50
34—हरदोई	.. .. ..	..	..
35—हरगांव	.. .. ..	..	..
36—महोली	.. .. ..	0.54	2.32
37—विसवां	.. .. ..	..	..
38—गोला	.. .. ..	..	..
39—ऐरा	.. .. ..	..	..
40—पलियाकलां	.. ..	..	..
41—बुढ़वल	.. .. ..	55.76	12.73
42—बाराबंकी	.. .. ..	27.25	40.66
43—मोतीनगर	.. .. ..	..	4.54
44—शाहगंज	.. .. ..	0.55	..
45—बभनान	.. .. ..	2.85	5.70
46—नवाबगंज	.. .. ..	..	..
47—तुलसीपुर	.. .. ..	..	5.546
48—बलरामपुर	.. .. ..	..	0.39
49—जरवल रोड	.. ..	36.95	24.74
50—खलीलाबाद	.. ..	..	..
51—मुंडेरवा	.. .. ..	..	4.13
52—बस्ती	.. .. ..	..	10.22
53—वाल्टरगंज	.. ..	..	7.36
54—सरदारनगर	.. ..	..	8.75

विधान सभा

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	गन्ना काश्तकारों का गन्ना मूल्य के रूप में वर्ष 1971-72 का कुल बकाया	गन्ना उपकर/क्रय-कर के रूप में सरकार का वर्ष 1970-71 तक का कुल बकाया
1	2	3	4
55	पिपराइच ..	.. .. 0.64	22.23
56	घुघुली ..	.. .. ..	2.66
57	सिसवाबाजार	.. .. 1.81	2.09
58	परतावपुर ..	.. .. ..	..
59	खेतालपुर ..	.. .. ..	13.95
60	गौरीबाजार	.. .. ..	4.86
61	कैप्टेनगंज ..	.. .. ..	..
62	देवरिया ..	.. .. ..	11.56
63	आनन्दनगर	.. .. ..	..
64	खड्डा ..	.. .. 20.65	26.23
65	छिलौनी ..	.. .. ..	14.26
66	लक्ष्मीगंज ..	.. .. 4.21	41.35
67	रामकोला (पी)	.. .. ..	3.00
68	रामकोला (के)	.. .. 12.36	46.89
69	पडरौना ..	.. .. 0.04	5.95
70	कठकुइयां ..	.. .. ..	6.20
71	भटनी ..	.. .. 1.35	18.51
72	सेवराही ..	.. .. 0.97	8.85
73	औरई ..	.. .. ..	..
		कुल योग .. 231.17	651.02

नोट—वर्ष 1971-72 में क्रयकर की मद के अन्तर्गत कोई बकाया अवशेष नहीं था।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पृष्ट 705 पर)

जिला	उद्योग
	(१) सार्वजनिक क्षेत्र
1—पिथौरागढ़ ..	.. 1—हथ करघा उद्योग
2—उत्तरकाशी ..	.. 1—काष्ठ उद्योग
	(२) निजी क्षेत्र ..
1—अल्मोड़ा ..	.. 1—ए० सी० एस० आर० कन्डेक्टर्स
2—नैनीताल ..	.. 1—मिर्च उद्योग
3—पिथौरागढ़ ..	.. 1—इमारती लकड़ी व फर्नीचर, 2—जूता एवं चमड़े का सामान, 3—जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाना, 4—तारपीन का तेल तथा बिरोजा तैयार करना
4—पौड़ी गढ़वाल	.. 1—वायर ड्राइंग, 2—कार्बन रिमूवर, 3—पी० बी० सी० चप्पल,
5—टेहरी गढ़वाल ..	.. 1—प्लास्टर आफ पेरिस तथा मार्बल चिप्स, 2—मुद्रण, 3—लकड़ी का फर्नीचर, 4—कृषि उपकरण, बक्से तथा बाल्टी बनाना, 5—क्विक तथा ए० एस० लाइम, 6—मोमबत्ती, 7—पैकिंग केस, 8—केन्ड फूड्स, 9—स्टील फर्नीचर, 10—बाबिन एण्ड शटल, 11—आइसक्रीम एवं फ्रूट आइसक्रीम,
6—देहरादून	.. .. 1—राइस ब्रान आयल, 2—आटो हैड लाइट, 3—अदरख का चूर्ण,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला	उद्योग
7—उत्तरकाशी	1—फल पेटी निर्माण, 2—मोटर मरम्मत, 3—खेती पर आधारित उद्योग, 4—मांग पर आधारित उद्योग,

(३) संयुक्त क्षेत्र

1—नैनीताल	1—टेलीवीजन सेट्स, 2—ट्रान्स केबल्स,
2—पौड़ी गढ़वाल	1—तार उद्योग, 2—इलैक्ट्रिक गड्स, 3—शाडी बूल उद्योग

अमर उजाला

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—1 एल० ए०—1974—835—(मैग०)।